लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र / Thirteenth Session]

Preservation
1-9-92
Fumigated
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 52 में अंक 41 से 49 तक हैं / Vol. LII contains Nos. 41 to 49]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रूपये

Price : Two Rupees

विषय सूची Contents

अंक 43, बुधवार, 30 अप्रैल, 1975/10 वैशाख, 1897 (शक)

No. 43, Wednesday, April 30, 1975/Vaisakha 10, 1897 (Saka.)

विषय	*Subject*	*Page*
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference . . .	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions :	
तारांकित प्रश्न संख्या 833, 835, 836, 838, 840 और 842	Starred Questions Nos. 833, 835, 836, 838, 840 and 842	2—19
नियम 40 के अधीन प्रश्न :	Questions under Rule 40 :	
प्रश्न सं० 1 और 2	Question Nos. 1 & 2	19—30
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions :	
तारांकित प्रश्न संख्या 834, 837, 839, 841 और 843 से 853	Starred Questions Nos. 834, 837, 839, 841 and 843 to 853	31—38
अतारांकित प्रश्न संख्या 8078 से 8204, 8206 से 8221 और 8224 से 8277	Unstarred Questions Nos. 8078 to 8204, 8206 to 8221 and 8224 to 8277 . . .	39—157
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	158—161
प्राक्कलन समिति सम्बन्धी पत्र	Papers relating to Estimates Committee .	161
राज्य सभा से सन्देश	Message from Raiya Sabha . .	162
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किये गये	Reports and Minutes *presented*. . .	162
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee . . .	163
167 वां, 171वां तथा 175वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किये गये	Hundred and Sixty-seventh, Hundred and Seventy-first and Hundred and Seventy-fifth Reports *presented*. . . .	163
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति— 65वां तथा 67वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किये गय	Committee on Public Undertakings— Sixtyfifth and Sixty-seventh Reports & Minutes *presented*	163

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	*Subject*	*Page*
लाभ के पदों सम्बन्धी समिति :	Committee on Offices of Profit	
13वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।	Thirteenth Report *presented*. . . .	163-164
पश्चिम बंगाल में सोशलिस्ट नेता की गिरफ्तारी के बारे में	Re. Arrest of a Socialist Leader in West Bengal	164
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हरिजनों पर किये गये अत्याचारों के बारे में	Re. Atrocities on Harijans in Ghazipur District of Uttar Pradesh	164
वित्त विधेयक, 1975	Finance Bill, 1975	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	164—185
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	164
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	169-170
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	171
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh .	173
श्री निम्बालकर	Shri Nimbalkar . . .	174
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar .	175
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	Shri Raghunandan Lal Bhatia	176
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh . .	177
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana . . .	178
श्री वी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla . .	180
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh . .	180
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	181
श्री वी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	182
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	182
श्री चन्द्र शैलानी	Shri Chandra Shailani.	184
दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार की मान्यता के सम्बन्ध में वक्तव्य	Statement Re. Recognition of Provisional Revolutionary Government of South Vietnam	
श्री बिपिनपाल दास	Shri Bipinpal Das	185

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 30 अप्रैल, 1975/10 वैशाख 1897 (शक)

Wednesday, April 30, 1975/Vaisakha 10, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Speaker *in the Chair*]

निधन संबंधी उल्लेख

Obituary Reference

अध्यक्ष महोदय: मुझे सदन को श्री काशीनाथ पांडेय के दुःखद निधन की सूचना देनी है जिनका स्वर्गवास 62 वर्ष की आयु में 28 अप्रैल, 1975 को लखनऊ में हुआ ।

श्री पांडेय, वर्ष 1957–70 के दौरान दूसरी, तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य रहे । इससे पूर्व वह 1954–57 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य थे । श्री पांडेय उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मज़दूर-नेता थे एवं वर्ष 1964–65 में इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे उन्होंने जिनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में दो बार भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और स्विटज़रलैण्ड में श्रम शिक्षा विशेषज्ञों की सभा में भी भाग लिया । उन्होंने हालैंड में इण्टरनेशनल प्लान्टेशन वर्कर्स फेडरेशन के सम्मेलन में भाग लिया तथा युगोस्लाविया में गुट-निरपेक्ष देशों के मज़दूर नेताओं के सम्मेलन में भी गए । वह मृदुभाषी एवं मिलनसार व्यक्ति थे और संसद् में एवं संसद् से बाहर उन्होंने मज़दूर वर्ग के हितों का हमेशा समर्थन किया ।

हम उनके निधन पर गहरा दुःख प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजने में सदन मेरे साथ शरीक है ।

उनके सम्मान में सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहें ।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे ।

The members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिये पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त अभ्यावेदन

*833. **श्री समर गुह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से (एक) विभिन्न क्षमताओं के औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए अनुमति, (दो) वर्तमान औद्योगिक एककों का विस्तार; (तीन) राज्य से बाहर औद्योगिक एककों का अन्तरण और (चार) कच्चे माल की सप्लाई के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

(ख) यदि हां, तो 1972—75 के वर्षों में दिए गए ऐसे अभ्यावेदनों के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

प० बंगाल राज्य सरकार से इस मंत्रालय में पिछले तीन वर्षों के दौरान जो पत्र प्राप्त हुए वे अलग-अलग मामलों तथा प० बंगाल में हाल के वर्षों में औद्योगिक उपक्रमों को स्थापना करने के लिए जारी किए गए आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या के सामान्य प्रश्न के सम्बन्ध में थे। अलग-अलग मामलों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर औद्योगिक स्वीकृतियों के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच करने में पालन की जा रही कार्यविधि के अनुसार विचार किया जाता है और इन जांचों के परिणाम सम्बन्धित पार्टियों, राज्य सरकार को समय-समय पर भेज दिए गए हैं। जहां तक प० बंगाल के लिए जारी की गई औद्योगिक स्वीकृतियों की संख्या के सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, राज्य सरकार को यह आश्वासन दिया गया है कि औद्योगिक स्वीकृतियां जारी करते समय प्रादेशिक विकास पर सम्यक रूप से विचार किया जा रहा है ।

श्री समर गुह : विवरण बहुत संक्षिप्त है । इसे पढ़ा जा सकता था ।

उत्तर से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के उद्योगों के विकास के प्रति सरकार का रवैया सहानुभूतिजनक एवं अनुकूल है । मैं यह जानना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में कितने आशय-पत्र जारी किये गये तथा कितने औद्योगिक लाइसेंस दिए गए एवं अस्वीकृत किए गए ?

क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान 68 से अधिक उद्योग पश्चिम बंगाल से स्थानान्तरित किए गए ?

क्या फिलिप्स, जे० स्टोन आदि कम्पनियों का विकास पश्चिम बंगाल से बाहर बेनामी रूप में हो रहा है, और यदि हां, तो उद्योगों के स्थानान्तरण को रोकने एवं बेनामी कम्पनियों को कलकत्ता एवं कलकत्ता से बाहर पूंजी न लगाने देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री टी० ए० पाई : वर्ष 1972, 1973 तथा 1974 में क्रमशः 47,62 तथा 96 आशय-पत्र जारी किए गए। वर्ष 1972, 1973,1974 में क्रमशः 54,41 और 107 औद्योगिक लाइसैंस जारी किए गए। इनमें से पिछड़े क्षेत्रों के आंकड़े इन्हीं वर्षों में वर्ष वार 8,10 एवं 32 तथा आशय-पत्रों की संख्या 15, 9 तथा 37 है ।

माननीय सदस्य आवेदन-पत्रों की संख्या को ध्यान में रखकर आशय-पत्रों की संख्या पर विचार करें। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमने विशेष अनुदेश जारी किए थे कि पश्चिम बंगाल की बेरोजगारी समस्या को ध्यान में रखते हुए केवल इस आधार पर आशय-पत्र या औद्योगिक लाइसेंस अस्वीकार न किए जाएं कि देश के शेष भागों में इसकी काफी क्षमता है ।

इन आंकड़ों के इकट्ठा होने के बाद लाइसेंसिंग समिति की बैठक हुई जिसमें पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित 76 मामलों पर विचार किया गया जिनमें से 11 को स्वीकृति दे दी गई ।

27 मामलों के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार का उद्योग विभाग विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों से बातचीत करेगा और मेरे विचार में बातचीत चल रही है। 2 मामलों के बारे में न तो आवेदकों और न ही पश्चिम बंगाल सरकार ने जोर दिया है । पश्चिम बंगाल सरकार के पास कई औद्योगिक लाइसेंस एवं आशय-पत्र पड़े हैं लेकिन सब से आवश्यक बात यह है कि ये औद्योगिक लाइसेंस औद्योगिक उत्पादन के लिए काम में लाए जाएं न कि मात्र कागज़ का पुर्जा बन कर रह जाएं।

जहां तक पश्चिमी बंगाल से उद्योगों के स्थानान्तरण का प्रश्न है, हम किसी भी उद्योग को स्थानान्तरण की अनुमति नहीं देंगे । लेकिन पश्चिम बंगाल का कोई उद्योग यदि कुछ वस्तुओं के निर्माण के लिए अन्य राज्य में कारखाना स्थापित करना चाहता है तो हम उसे इस तर्क पर मना नहीं कर सकते कि उसे पश्चिम बंगाल में ही स्थापित करना चाहिए ।

श्री लक्ष्मण गुह : मेरा दूसरा प्रश्न कच्चे माल की सप्लाई के बारे में है। क्या यह सच है कि कच्चे माल की सप्लाई में कमी एवं बाहर से पर्याप्त क्रयादेश न मिलने के कारण, हिन्द मोटर्स, टेक्समेको तथा जेसप्स आदि बड़े उद्योग गम्भीर कठिनाई में पड़ गए हैं और उन्होंने मज़दूरों की जबरी छुट्टी करनी शुरू कर दी है ? क्या यह भी सच हैं कि हावड़ा में, जो संयुक्त राष्ट्र के हाल के सर्वेक्षण के अनुसार लघु उद्योग इंजीनियरिंग कारखानों का सब से बड़ा केन्द्र है, कच्चे माल एवं क्रयादेश के अभाव में लघु उद्योग बन्द हो रहे हैं और कर्मचारियों की जबरी छुट्टी की जा रही है ? यदि हां, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार क्या सहायता करेगी ?

श्री टी० ए० पाई : यह सच है कि गत वर्ष तांबा, टिन एवं लकड़ी की लुगदी आदि कच्चे माल की कमी थी लेकिन इस वर्ष स्थिति काफी बेहतर है क्योंकि राज्य व्यापार निगम के पास पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है । जहां तक जैसप का सम्बन्ध है, इसका उत्पादन बढ़ा है । टेक्समैको के बारे में मुझे जानकारी नहीं है और इस कारखाने में वैगनों का निर्माण होता है और वैगन उद्योग पर सरकार को पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यह उद्योग पश्चिम बंगाल के कई आनुषंगिक इंजीनियरिंग एककों के लिए समस्या पैदा करता है क्योंकि इनकी उन्नति वैगन-क्रयादेश पर पूरी तरह निर्भर करती है। हम यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं । हिन्दुस्तान मोटर्स में कारों के विक्रय की समस्या पैदा हो गई है और हम इसकी जांच कर रहे हैं ताकि श्रमिकों की जबरी छुट्टी न करनी पड़े।

श्री समर गुह : लघु उद्योग के बारे में मंत्री महोदय ने नहीं बताया।

श्री टी० ए० पाई : हम यह प्रयत्न करेंगे कि लघु उद्योग को पूर्ण अवसर एवं कच्चा माल उपलब्ध कराया जाये। पश्चिम बंगाल में इंजीनियरी उद्योगों के पनपने की परम्परा रही है और पूर्ण विकास की सम्भावना तभी हो सकती है जब निर्यात-उत्पादन के लिए इन उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए।

श्री बी० के० दास चौधरी : पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने वर्ष 1972–74 में वर्षवार जारी किये गये आशय-पत्रों एवं लाइसेंसों सम्बन्धी आंकड़े दे दिये हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पिछड़े ज़िलों के लिए राज्य में 59 आशय-पत्र तथा 37 लाइसेंस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन आशयपत्रों और लाइसेंसों के आधार पर अब तक कितने उद्योग स्थापित किये जा चुके हैं या इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है या क्या अभी तक इस कार्य में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पायी है? क्या भारत सरकार ने राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों तथा विशेषतया कूच बिहार जैसे क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाये हैं?

श्री टी० ए० पाई : हमने 19 या 20 मई को पूर्व क्षेत्रों के उद्योग मंत्रियों की बैठक दिल्ली में बुलाने का निर्णय किया है और हमारा विचार आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में परिणत करने या क्षमता का निर्माण करने सहित सभी सम्बद्ध समस्याओं के बारे में उनके साथ व्यापक चर्चा करने का है। मैं इस सम्बन्ध में प्रमुख मज़दूर नेताओं के साथ भी विचार-विमर्श करना चाहूंगा। यह एक ऐसी समस्या है जिसके सभी पहलुओं पर विचार किया जाना अपेक्षित है ताकि औद्योगिक विकास के लिए अच्छा वातावरण तैयार किया जा सके।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : पश्चिम बंगाल में आरम्भ से ही इंजीनियरिंग उद्योगों की स्थिति काफी अच्छी रही है तथा श्रमिकों की कुशलता तथा अन्य इसी प्रकार के कारणों से उद्योग का विकास हुआ। परन्तु क्या यह सच नहीं है कि इस क्षेत्र में गत एक दशक से कार्य कर रहे उद्योग-पति तथा उद्यमियों ने, 1968 की मंदी के बाद अपने उद्योगों को पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाना आरम्भ कर दिया है या उन्होंने जान-बूझ कर नये लाइसेंसों के आवेदन-पत्र अन्य राज्यों के लिए दिये हैं और वह लाइसेंस प्राप्त हो जाने के बाद भी उन्होंने उद्योग स्थापित नहीं किये हैं?

अतः इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह कहना ठीक है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अपील की है कि उनमें से उन आवेदन-पत्रों तथा लाइसेंसों पर विचार किया जाये जो इस समय पश्चिम बंगाल की प्राथमिकता सूची पर आधारित है। परन्तु उद्योगपति प्राथमिकता सूची के उद्योगों की स्थापना अन्य राज्यों में स्थापित करने के लिए आवेदन-पत्र दे रहे हैं जिससे कि पश्चिम बंगाल को उद्योगों से वंचित कर दिया जायेगा और वह ऐसी वस्तुओं के लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र दे रहे हैं जोकि पश्चिम बंगाल की प्राथमिकता सूची में नहीं आती हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इसकी जानकारी है या नहीं? पश्चिम बंगाल के दो एककों—ब्रिटानिया इंजीनियरिंग और शालीमार वर्क्स भारी उद्योगों के उत्पादन में लगी हुई हैं। यह दोनों ही एकक गत 3 वर्षों से बन्द पड़े हैं और एक में तो तालाबंदी है। ब्रिटानिया गत 3 वर्षों से बन्द पड़ा है। इस सम्बन्ध में राज्य द्वारा केन्द्र को अनेक बार सूचना दी गई है।

अब लगभग 10,000 मजदूर भुखमरी का शिकार होने वाले हैं। वर्ष 1972–73 में केन्द्रीय सरकार ने एककों के सभी मामलों के लिए सहायता देने का आश्वासन दिया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब आप ब्रिटानिया तथा शालीमार वर्क्स के बारे में क्या करने जा रहे हैं?

श्री टी० ए० पाई : जहां तक पश्चिम बंगाल के उद्योगपतियों द्वारा, पश्चिम बंगाल से बाहर उद्योग स्थापित करने तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय में इसी के अनुरूप वातावरण तैयार करने का प्रश्न है, मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। जहां तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है हमारा यह भरसक प्रयत्न रहता है कि जितने भी उद्यमी अपने उद्योग स्थापित करने के लिये आगे आना चाहते हैं उनकी सहायता की जाये। इसके लिए अपेक्षित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। एक स्थिति ऐसी भी थी जबकि पश्चिम बंगाल की औद्योगिक स्थिति अच्छी नहीं थी तथा अन्य राज्य सभी प्रकार की रियायतों के रूप में आकर्षक प्रोत्साहन देने में लगे हुए थे। इस परिवर्तन का यह भी एक कारण हो सकता है।

जहां तक ब्रिटानिया और शालीमार कम्पनियों का सम्बन्ध है, हम ने ब्रिटानिया कम्पनी के कार्यकरण की जांच की है। हम इसे अपने अधिकार में लेना भी चाहते थे। परन्तु इन इंजीनियरिंग उद्योगों के बारे में हमारा अनुभव यही है कि यह उद्योग लगभग एक सदी पहले स्थापित किया गया था और अब यह बिलकुल पुराना हो गया है। सरकार भी उस उद्योग को तब तक अपने हाथ में नहीं ले सकती जब तक वह उसके प्रबन्ध की कुशल व्यवस्था न करे, तथा उसके आधुनिकीकरण पर भारी पूंजी निवेश न करे। संसाधनों की कमी के कारण सरकार का इस क्षेत्र में पदार्पण करना तथा उसी प्रकार के रोड-रोलरों का निर्माण करना सम्भव नहीं था जैसे कि अन्य उत्पादकों द्वारा निर्मित किये गये हैं। फिर भी हम ने पश्चिम बंगाल सरकार का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है कि औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत ब्रिटानिया उद्योग उन्हें सौंप दिया जाय और इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: जहां तक पश्चिम बंगाल में वर्तमान उद्योगों के विस्तार तथा नये उद्योगों की स्थापना का सम्बन्ध है उसके बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने कुछ सप्ताह पूर्व, अपने किसी भाषण या वक्तव्य में यह कहा था कि उनके मतानुसार केवल बड़े व्यापार गृहों को ही इस क्षेत्र में पदार्पण करने या अपनी वर्तमान एककों के विस्तार की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उनके मतानुसार लघु-स्तर उद्यमियों तथा मध्यम-स्तर के उद्यमियों के पास इतने संसाधन या क्षमता नहीं होगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र भी पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के इस दृष्टिकोण से सहमत है कि लाइसेंस तथा आशय-पत्र मुख्यतः बड़े-बड़े उद्योग गृहों को ही दिये जाने चाहिए और लघु तथा मध्यम स्तर के उद्यमियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र इस मत से सहमत है और यदि हां, तो क्या इसका प्रभाव लाइसेंस तथा आशय-पत्रों की मंजूरी पर भी पड़ रहा है?

श्री टी० ए० पाई : मैं यह तो नहीं जानता कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री की धारणा यही है। परन्तु यदि उनका तात्पर्य यह है कि वर्तमान एककों में कुछ और पूंजी निवेश करके, तथा कुछ और उपकरण जोड़ कर, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं, तो सम्भवतः उनका कहना ठीक ही है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि औद्योगिक विकास कुछ बड़े व्यापार गृहों

तथा पूंजीपतियों पर ही निर्भर रह कर हो सकता है। हम उनके पक्ष के लिए कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। अन्य जो भी लोग आगे आने के इच्छुक होंगे, हम निश्चय ही उनकी सहायता करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: जिन लाइसेंसों तथा आशय-पत्रों का उल्लेख आपने गत तीन वर्षों के आंकड़े देते समय किया, उनमें से कितने बड़े व्यापार-गृहों को दिये गये ?

श्री टी० ए० पाई : यह जानकारी तो मेरे पास नहीं है। यदि आप चाहें तो मैं बाद में यह जानकारी आपको दे सकता हूं। परन्तु जहां तक मेरा विश्वास है, मैंने यही देखा है कि इन लाइसेंसों तथा आशय-पत्रों में से लगभग 90 प्रतिशत ऐसे थे जो 5 करोड़ रुपये से कम मूल्य के थे तथा उन्हें अनेक उद्यमियों को दिया गया है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह सभी उद्योग बिना कुछ सक्रिय कदम उठाये ही, स्थापित हो जायेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इलैक्ट्रिक बल्ब उद्योग से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ? उनमें से अधिकांश लघु स्तर के उद्योग हैं। कच्चे माल के अभाव में उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश उद्योग बन्द हो चुके हैं। लगभग 60,000 श्रमिक बेरोज़गार हो गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कच्चा माल सप्लाई करने तथा विपणन सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि वह बाजार में अपने उत्पादों को बेच सकें।

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आसनसोल के निकट स्थित जे०के० अल्युमिनियम कारखाना भी बन्द पड़ा है। यह 21 महीने से बन्द पड़ा है। लगभग 3,500 श्रमिक बेरोज़गार हो गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार उस कारखाने को अपने अधिकार में लेने का है और उस कारखाने को पुन: खुलवाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री टी० ए० पाई : क्या आप यह बतायेंगे कि आपने पहले किस उद्योग का उल्लेख किया था।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : दी इलैक्ट्रिक बल्ब कम्पनी।

श्री टी० ए० पाई० जहां तक इलैक्ट्रिक बल्ब कम्पनी का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि देश में क्षमता का उपयोग बहुत कम हो गया है। मैं नहीं जानता कि ऐसी मांग में काफी कमी हो जाने से हुआ है या उनकी बढ़ी हुई उत्पादन-क्षमता के कारण ऐसा हुआ है। यदि वास्तविक समस्या यही है कि कच्चे माल की कमी के कारण ही उत्पादन में कमी हुई है तो मैं इसकी जांच करूंगा तथा इन्हें हर सम्भव सहायता दी जायेगी।

जहां तक ऐल्यूमियिनम कारखाने का सम्बन्ध है, सरकार का विचार, विभिन्न बिजली बोर्डों की बिजली की दरों तथा ऐल्यूमिनियम के मूल्यों का पुनर्निरीक्षण करने का है और जब हम किसी उचित निष्कर्ष तक पहुंच जायेंगे तो मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल के कारखाने को पुन: चालू होने का अवसर मिल जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai: It has been stated by the hon. Minister that some letters of indents but I want to know whether Government is aware of the problems of those who have got the licences but are not in a position to make

use of them for one reason or the other. If not may I now if he will look into those problems so that licences are properly utilized and what steps will be taken therefor? I also want to know how many letters of intent will be converted into licences?

श्री टी० ए० पाई० : हम निश्चय ही इस बात पर विचार करेंगे कि आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में क्यों नहीं बदला जा रहा है तथा औद्योगिक लाइसेंसों का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। यदि उनके समक्ष कुछ वास्तविक कठिनाइयां हुई तो उन्हें दूर किया जाएगा। हम निश्चय ही यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेंगे कि आशय-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस देश में अपेक्षित नई क्षमता का निर्माण करने के मार्ग में बाधक न हों।

छोटे समाचार पत्रों को अखबारी कागज के कोटे का आवंटन करने के लिए उनकी बिक्री की जांच करते समय परेशान किया जाना

*835. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अखबारी कागज के कोटे का आवंटन करने के लिये उनकी बिक्री की जांच करते समय उन्हें परेशान किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो छोटे समाचारपत्रों को परेशानी से बचाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि खपत संख्या कम आंके जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन मिले थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रो० मधु दण्डवते : छोटे समाचारपत्रों की बिक्री की जांच करते समय उनके समक्ष जो कठिनाइयां आती हैं, उनके सम्बन्ध में हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि समाचारपत्रों की बिक्री के जांच कार्य का विकेन्द्रीयकरण कर दिया गया है और पिछले वर्ष से सरकार यह कार्य बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और नई दिल्ली---चार केन्द्रों से कर रही है। क्या यह सच है कि चार जांच केन्द्र होने के परिणामस्वरूप समाचारपत्र सम्पादकों के अपने समाचारपत्रों की बिक्री सम्बन्धी जांच कार्य को पूर्ण करवाने के लिये इन केन्द्रों के अनेक चक्कर लगाने पड़ते हैं ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह कार्य बिक्री जांच के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से करवाने की अपेक्षा, क्या यह मूल्यांकन लेखा परीक्षकों के प्रमाणित प्रतिवेदनों के आधार पर नहीं किया जा सकता ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं समझता हूं कि समाचारपत्रों के मालिकों या प्रबन्धकों को इस कार्य के लिये प्रायः केन्द्रों पर नहीं जाना पड़ता, उन्हें जांच केन्द्रों पर तभी बुलाया जाता है जब बिक्री दल द्वारा, बिक्री जांच सम्बन्धी दिया गया ब्यौरा सन्तोषजनक नहीं होता। प्रायः दल द्वारा किया गया मूल्यांकन ठीक ही होता है।

जहां तक चार्टर्ड एकाउन्टेटों के प्रतिवेदन के आधार पर मूल्यांकन करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध मे मुझें यही कहना है कि उनके द्वारा दिये गये सर्टिफिकेट वास्तविक नहीं होते क्योंकि उनमें लिखा होता है कि जो खाते मुझे दिखाये गये चार्टर्ड एकाउन्टेंटों द्वारा जांच नहीं की जाती, वे तो केवल उन्हीं खातों की जांच करते हैं जो कि उन्हें दिखाये जाते हैं। अतः हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि हम इस व्यवसाय पर विश्वास नहीं करते अपितु दुर्भाग्य यह है कि व्यवसाय की अपनी सीमायें होती हैं, जब कि बिक्री जांच दल और अधिक आगे जा सकता है तथा इसकी जांच भी कर सकता है।

प्रो मधु दण्डवते : मेरे पास 29 अप्रैल, 1974 के 'इकानामिक टाइम्ज' का बम्बई संस्करण है। इसमें यह समाचार छपा है कि सरकार द्वारा सरकारी कोटे के लिये लगभग जिन 3000 समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं की सिफारिश की गई है, उनमें से कम से कम 25 प्रतिशत ऐसे हैं जो या तो जाली हैं या ऐसे भ्रष्ट लोगों को दिये गये हैं जिनकी सरकारी एंजेंसियों के साथ सांठगांठ है तथा जो विनियमनों के बीच में से भ्रष्ट रास्ता निकालने में माहिर हैं तथा उन आभारों के माध्यम से शीघ्र ही धन एकत्रित कर लेने में निपुण हैं।

उसी समाचार में यह भी उल्लेख है कि जब एक आयातकर्ता ने उन सब पक्षों को, जिनके नाम वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा प्रकाशित बुलेटिन में थे, पत्र लिखे तो पता चला कि कई पक्ष जाली थे। एक तरफ समुचित समाचारपत्रों, पत्रिकाओं के प्रकाशकों तथा सम्पादकों को तंग किया जाता है, दूसरी ओर इस तरह के कदाचार चल रहे हैं। क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे कि इस तरह के कदाचार पूर्णतया समाप्त कर दिए जायेंगे और इन कदाचारों को रोकने चे नाम पर यदि समुचित छोटे समाचार पत्रों को तग किया जाता है तो उसे रोका जायेगा ?

श्री आई० के० गुजराल : एक बात पर मैं और माननीय सदस्य सहमत है। माननीय सदस्य बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यदि वह स्वयं प्रश्न को देखेंगे तो उन्हें विरोधाभास का पता चलेगा। या तो वितरण जांच की जरूरत है या नहीं है। स्पष्टतया उन्होंने जो कुछ कहा है उससे ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता है और एक बार तो इसकी जरूरत होती ही है . . . . .

प्रो० मधु दण्डवते : क्योंकि आपने मुझे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति कहा है, ये कुछ लोग विशेषाधिकार का मामला उठा रहे हैं।

श्री आई० के० गुजराल : मुझे आशा है कि ऐसा कहने के लिये विशेषाधिकार प्रस्ताव मेरे विरुद्ध नहीं लाया जा रहा है।

मुख्य बात जो मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि परिचालन दल इसकी जांच करता है। किसी तरह से तंग नहीं किया जाता और जब कभी कोई मामला मेरी जानकारी में लाया गया है, तो मैंने उस पर गम्भीर कार्यवाही करने को कहा है। आप उस स्थिति को देखिये जो कि अतीत में चलती रही और जब अखबारी कागज की कमी के कारण यह काले बाजार में बिक रहा था। कुछ लोगों ने उस स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास किया। हम अवश्य कोशिश करते हैं। तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करते है। कई मामलों में हम सफल हुये है। किन्तु मैं यह दावा नहीं कर सकता कि हम सभी मामलों में सफल हुये हैं।

Shri Achal Singh: Hon. Minister knows that if Weekly papers are given standard news print, it will cost them less; but the Hindi Weekly papers are not being supplied standard news print for the past sometime. They are getting news print of smaller size. What are the reasons therefor?

Shri I. K. Gujral: The news print, which we get from 'Nepa' or other places is always of standard size. But sometime back they did not produce standard size news print. But that paper was not supplied as quota. That was an extra offer. Those who wanted more news-print could get that some papers purchased that too. However, if the Hon. Member has any special case in mind, he can bring that to my notice and I will certainly look into that.

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि कुछ तथा कथित छोटे समाचार पत्र, जो एक ओर पत्रकारिता के स्तर से बहुत नीचे है, ब्लेक-मेल करते हैं और दूसरी ओर उनके ग्राहकों की संख्या उससे कहीं गुना कम है, जिसका कि वे दावा करते हैं और इस प्रकार वे अखबारी कागज काले बाजार में बेचते हैं । क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि इस तरह के छोटे समाचार पत्रों की संख्या में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाये जायेंगे ।

श्री आई० के० गुजराल : यह सही है कि कुछ समाचार पत्र ऐसे हैं जो अच्छी पत्रकारिता के स्तर से बहुत नीचे हैं। निस्संदेह अश्लील पत्रकारिता से हम सभी चिंतित हैं किन्तु सामान्य स्तर न बनाये रखने की हाल की प्रवृत्ति तथा पत्रकारिता के सिद्धांत तथा पत्रकारिता की गरिमा बनाए रखने से भी हम चिंचित हैं । मुझे आशा है कि इस सभा तथा इस व्यवसाय की आवाज पत्रकारिता के लिए एक अच्छा वातावरण पैदा करेगी । यदि आलोचना भी होती है तो वह भी सम्मानजनक ढंग से होनी चाहिए ।

Dr. Laxminarain Pandeya: Whether it is a fact that despite obtaining the circulation certificates a large number of news-papers are not being supplied news-print quota. On the other hand circulation of some papers is less than the fixed number, even then they are being supplied news-print quota regularly. I want to know what procedure you have adopted in this regard. What are the reasons for neglecting these news papers in the matter of supply of news-print quota whereas news-print quota is being supplied to some papers which are not genuine?

Shri I. K. Gujral: Each complaint received against any news paper is looked into, but all the complaints are not genuine. Those entitled to get news-print quota, should get it.

Dr. Laxminarain Pandeya: They have not been getting news-print quota for the last five years. "Ratanpuri" from Ratlam, "Avantika" from Ujjain and other papers which are published in Mandsaur in Madhya Pradesh are not getting their news-print quota. All these are small news papers.

Shri Chandrika Prasad: Mr. Speaker, Sir, the news-papers which are published in backward regions, apprise the farmers of the Governments policies and they are the media to bring the problems of those regions to the notice of the Government. They have no dignity of Journalism. Under the present rule only those news-papers are examined, whose circulation is more than 2,000 and those, whose circulation is less than 2,000, they are given news print quota without enquiry of their circulation. May I know whether you have received

any complaint from those newspapers whose circulation is less than 2,000 that they are not being supplied news-print and if so, how many complaints have been disposed of?

श्री आई० के० गुजराल : 1973 के दौरान 14 राज्यों तथा संघ क्षेत्र राज्यों में, 51 विभिन्न प्रकाशन केन्द्रों में, 497 समाचारपत्रों के परिचालन की जांच-पड़ताल की गई। जांच पड़ताल से पता चला है कि प्रत्येक दिन 9.95 लाख प्रतियों का परिचालन हुआ है ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : अधिकांश छोटे समाचारपत्रों को अखबारी कागज का कोटा नहीं मिल रहा है । क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि भुवनेश्वर में "धरित्रि" नाम से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र को 10,000 प्रतियों के लिए अखबारी कागज का कोटा मिल रहा है जबकि इसका परिचालन कठिनता से 2,000 है ।

श्री आई० के० गुजराल : क्योंकि यह अकेला मामला है, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता ।

फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा जी० एल० एस० और एफ टी० लैम्पों का उत्पादन

*836. **श्री वयालार रवि :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड की जी०एल०एस० और एफ० टी० लैम्पों की लाइसेन्स प्राप्त क्षमता कितनी है और वास्तव में इनका कितना उत्पादन किया गया ;

(ख) क्या कम्पनी को जी० एल० एस० और एफ० टी० लैम्पों का उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें क्या हैं ;

(घ) क्या उक्त कम्पनी ने गत वर्षों में अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए निर्धारित निर्यात अनिवार्यताओं को पूरा किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

	लाइसेंस प्राप्त क्षमता	उत्पादन (दस लाख नगों में)		
		1972	1973	1974
जी० एल० एस० लैम्प	8.00	1985	2081	2323
फ्लोरेसेन्ट लैम्प . .	1.5	3.62	3.30	4.25

(ख) और (ग). जी नहीं। कम्पनी का जी० एल० एस० लैम्पों और फ्लोरेसेंट ट्यूबों की क्षमता विस्तार का आवेदन विचाराधीन है ।

(घ) और (ङ). कम्पनी ने अभी तक इलेक्ट्रानिक वस्तुओं (वैरियेबल गैंग कन्डसरों और टेपरिकार्डों) जिसके लिए कम्पनी को निर्यात दायित्व के साथ औद्योगिक लाइसेंस सितम्बर, नवम्बर, 1974 में स्वीकार किए गए थे का उत्पादन अभी तक शुरू नहीं किया है । अतः निर्यात दायित्व के पूरा करने का अभी प्रश्न ही नहीं उठता ।

बर्नर इन्फरेड और जी० एल० एस० लैम्पों (500-1500 वाट०) एम० वी० लैम्पों, हालोगम लैम्पों का उत्पादन जिसके लिए निर्यात दायित्व के साथ औद्योगिक लाइसेंस स्वीकार किया गया था अभी कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ है । अतः निर्यात दायित्व पूरा करने का प्रश्न इसके 18 माह बाद ही उठेगा ।

श्री वयालार रवि : विवरण से पता चलता है कि जी० एल० एस० लैम्पों की लाइसेंस क्षमता 80 लाख की है जबकि 1974 में उत्पादन 2323 लाख था । फ्लोरेसेंट लैम्पों की लाइसेंस क्षमता 15 लाख है और 1974 में इन का उत्पादन 42.5 लाख था । यह सब सरकार की अनुमति के बिना किया गया । 3 अप्रैल के "इकोनोमिक टाइम्स" में समाचार छपा है कि एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने इसके विस्तार की अनुमति दे दी थी । यह कम्पनी विदेशी एकाधिकार ग्रुप की है और यह कम्पनी इन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में कदाचार नहीं कर रही अपितु रेडियो के उत्पादन के मामले में भी कदाचार कर रही है । इसकी रेडियो उत्पादन की लाइसेंस क्षमता 24,000 है किन्तु यह 6.5 लाख का उत्पादन कर रही है । अन्य औद्योगिक एकक भी सरकार की अनुमति के बिना ऐसा कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र है जिससे वह यह पता लगा सके कि कहां-कहां सरकार की अनुमति के बिना लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस कदाचार को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : खेद है कि कुछ विदेशी कम्पनियां लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही हैं । सभी नहीं अपितु कुछ ही कम्पनियां ऐसा कर रही हैं । चिन्ता की बात यह है कि वे लाभ कमाकर अपने देशों को भेज रही हैं । औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत हमें यही अधिकार है कि हम उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना कर दें या उनके किसी व्यक्ति को जेल में डाल दें । मैं समझता हूं कि यह पूर्णतया अपर्याप्त शक्ति है । यदि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत भी इस कदाचार को रोकने के लिए उपबन्ध हो तो अच्छा है । मैं इस बात पर अवश्य ही विचार करना चाहूंगा कि ऐसा करने पर इस अधिनियम के अन्तर्गत यहां से भेजे जाने वाले लाभ की राशि का दुगना जुर्माना क्यों न किया जाये ताकि यह प्रथा बन्द हो जाये ।

श्री वयालार रवि : यह प्रवृत्ति वर्षानुवर्ष बढ़ रही है । क्या आपके पास इसका पता लगाने तथा इसे रोकने के लिए कोई तंत्र है ?

श्री टी० ए० पाई : ये आंकड़े डी० जी० टी० डी० में दिए गए हैं । यदि ये आंकड़े नहीं दिए होते तो हमें कैसे पता चलता । हमारे पास सारी जानकारी है किन्तु हम इस मामले में कुछ असहाय

हैं । ऐसे कुछ मामले सरकार द्वारा आयोग को सौंपे गए किन्तु मैं नहीं समझता कि आयोग की रिपोर्ट आने तक हम प्रतीक्षा करेंगे । मैं समझता हूं कि हमें विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन पर रोक लगाने के लिए समुचित कदम उठाने चाहिएं ।

श्री वयालार रवि : अब मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं । मंत्री महोदय मेरे साथ सहमत होंगे कि अनधिकृत विस्तार से भारतीय कम्पनियों की प्रगति पर एवं स्वदेशी उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ता है । यह एक मुख्य प्रश्न है क्योंकि यह एकाधिकारात्मक विस्तार है । यदि आप (घ) और (ङ) भाग को देखें.....

अध्यक्ष महोदय : आप तो भाषण दे रहे हैं । कृपया प्रश्न पूछिए ।

श्री वयालार रवि : मैं यह आरोप नहीं लगा रहा कि मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं बल्कि अधिकारी गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहे हैं । मंत्री महोदय ने कहा है :

"निर्यात दायित्व पूरा करने का प्रश्न 18 माह बाद ही उठेगा"

26 मार्च के अतारांकित प्रश्न संख्या 4977 के उत्तर में प्रधान मंत्री ने कहा था :

> लाइसेंसिंग समिति ने 8-2-70 को संयंत्र की क्षमता का विस्तार 1,75,000 करने और विस्तार की गई क्षमता का 75 प्रतिशत भाग निर्यात करने के दायित्व को पूरा करने की स्वीकृति दी थी । अब मंत्री महोदय का कहना है कि निर्यात दायित्व पूरा करने का प्रश्न 18 माह बाद ही पैदा होगा जबकि वर्ष 1970 में फिलिप्स पर यह निर्यात दायित्व लगाया गया था । यह मेरा विशिष्ट प्रश्न है । इस पर मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दें ।

श्री टी० ए० पाई० : निर्यात दायित्व का प्रश्न अभी नहीं उठ सकता । लाइसेंस इसी शर्त पर दिए जाते हैं कि निर्यात किया जाएगा । निर्यात तभी हो सकता है जब उद्योग स्थापित किया जाए । हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज्योंही उद्योग में उत्पादन शुरू हो जाए, निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए उन पर जोर डाला जाए ।

श्री वयालार रवि : उत्पादन वर्ष 1970 में ही शुरू हो गया था और इसकी क्षमता 6 लाख तक हो गई है । प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने निर्यात दायित्वों को पूरा किया है ।

श्री टी० ए० पाई० : मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यदि विस्तार कार्यक्रम पर निर्यात दायित्व पूरा करने के लिये कहा गया है तो उनसे यह कहना सम्भव नहीं कि वह वर्तमान उत्पादन में से निर्यात करें । विस्तार योजना अस्तित्व में अवश्य आ जानी चाहिये । फिर भी, श्री रवि ने जिस समस्या की ओर संकेत किया है, मैं उस पर विचार करूंगा **(व्यवधान)**

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने बताया है कि वर्तमान कानून में कुछ संशोधन किये बिना सरकार के लिये और कार्यवाही करना कठिन है । यह सच है कि जहां तक लैम्प उद्योग का सम्बन्ध है, निर्यात और स्वदेशी उत्पादन के मामले में फ़िलिप्स का इस देश में लगभग एकाधिकार है । हमारे स्वदेशी निर्माता इस एकाधिकार के कारण नुकसान उठा रहे हैं ।

क्या यह सच है कि कुछ सेवा-निवृत्त सैनिक अधिकारी एवं वित्त अथवा औद्योगिक विकास मंत्रालयों के कुछ उच्चाधिकारी इस कम्पनी के कर्मचारी बन गये हैं एवं वही लोग नौकरशाहों के साथ मिल गये हैं और भारतीय निर्माताओं को हानि पहुंचा कर इस कम्पनी की सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं ? क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाई गई है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय: यह एक अच्छा प्रश्न है लेकिन यह वर्तमान प्रश्न से किस प्रकार सम्बद्ध है ? आप कुछ लोगों की नौकरी के बारे में पूछ रहे हैं जबकि प्रश्न अन्य विषयों के बारे में है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रश्न फर्म के विस्तार के बारे में है । आप कृपया विवरण पढ़ें । यह प्रश्न इस तथ्य से सम्बन्धित है कि बिना अनुमति से कुछ विस्तार किया गया है और बाद में इसी विस्तार को नियमित कर दिया जाता है । मैं उन अधिकारियों के नाम गिना सकता हूं जो फिलिप्स के कर्मचारी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप अलग से प्रश्न का नोटिस दे सकते हैं । यह प्रश्न वर्तमान प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं... (**व्यवधान**) समस्या यह है कि जब मैं कहता हूं कि यह सम्बन्धित नहीं है तो आप मुझ से बहस शुरू कर देते हैं । आप अलग से प्रश्न का नोटिस दीजिए । यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह प्रश्न उत्तर से सम्बन्धित है ।

श्री के० लकप्पा : देश में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन कर रही हैं और इनमें मुख्य कम्पनियां कोका-कोला, पामोलिव, हिन्दुस्तान लीवर हैं और ये इस देश से अपने देश को पैसा भेज रही हैं । ये कम्पनियां देश को खोखला बना रही हैं । सरकार इन पर ध्यान दे और इनका भारतीयकरण कर दे । ये कम्पनियां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन कर रही हैं और इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मैं जानना चाहता हूं कि इन कम्पनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्री टी० ए० पाई : विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन के बारे में माननीय सदस्य के विचार को सही कहना चाहता हूं । यदि कम्पनियां कोई उल्लंघन करती हैं तो उनको सजा दी जाती है । क्षमता में विस्तार हुआ है लेकिन हमारे अधिकार अपर्याप्त हैं । यदि उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली कोई कम्पनी भारतीय बाजार का लाभ उठाते हुए अपने मुख्य कार्यालयों को लेखों से काफी धन तथा तकनीकी फीस आदि अपने देश को भेजती है, तो मैं निश्चित रूप से इसमें हस्तक्षेप करूंगा । किसी प्रतिष्ठित कम्पनी से ऐसी आशा नहीं की जाती कि वह बिना हमारी अनुमति के यह कार्य करे ।

लघु उद्योग सेवा संस्थानों के कार्यभार का अध्ययन

*838. **श्री भाऊसाहेब धामनकर :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी स्वतन्त्र एजेन्सी द्वारा लघु उद्योग सेवा संस्थानों के कार्यभार का द्रुत अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) प्रस्तावित लघु उद्योग सांविधिक विधेयक के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) लघु उद्योगों के लिए कानून का मसौदा तैयार करने वाली समिति द्वारा प्रस्तावित विधान पर लघु उद्योगों की राष्ट्रीय गणना के अन्तिम रूप से परिणाम जान लिए जाने के बाद ही विचार किया जायेगा ।

श्री धामनकर : लघु उद्योग एवं आनुषंगिक उद्योग प्रायः बड़े उद्योगों के क्षेत्र में शुरू किए जाते हैं और इन उद्योगों से क्रयादेश प्राप्त करके ही ये उद्योग फलते फूलते हैं । लेकिन कुछ समय बाद बड़े उद्योग छोटे उद्योगों को अपने पर आश्रित बना लेते हैं और उनका शोषण करते हैं । इस सन्दर्भ में मैं यह जानता हूं कि नियोजित विकास एवं लघु उद्योग/आनुषंगिक उद्योग के कार्यकरण को सुनिश्चित करने एवं उन्हें बड़े उद्योगों द्वारा शोषण करने से बचाने के लिए क्या कारगर उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है तथा इस बारे में प्रस्तावित कानूनी कार्यवाही की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

श्री ए० पी० शर्मा : यह समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है । राष्ट्रीय आंकड़े मिलने पर इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा । अन्तिम आंकड़े इस वर्ष जुलाई तक मिल जाएगा और इसके बाद इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

श्री धामनकर : क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु-उद्योग विकास के लिए कार्यक्रम बनाने हेतु योजना आयोग द्वारा नियुक्त कर्मी दल समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है और यदि हां, तो क्या मुख्य सिफारिशें की गईं और इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ए० पी० शर्मा : कर्मचारी-भर्ती के प्रश्न सहित इस दिशा में कई प्रश्न उठाए गए हैं । हाल में हमने ओखला संस्थान—नई दिल्ली के बारे में कार्यवाही की और पाया गया कि वहां अतिरिक्त कर्मचारी हैं । विकास आयुक्त संस्था का पुनर्गठन किया जा रहा है और यह काम करने के बाद हम यह कह सकेंगे कि आगे क्या कार्यवाही की जानी चाहिए । हमने इलाहाबाद, नागपुर, रांची, हुबली और सोलन में शाखा सेवा संस्थाओं की संख्या बढ़ा दी है ।

श्री प्रियरंजनदास मुंशी : प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि देश में लघु उद्योगों का विकास सही रूप में नहीं हो रहा, लघु उद्योगों को जिस कच्चे माल की जरूरत होती है उस पर बड़े औद्योगिक गृह नियन्त्रण कर लेते हैं जिसके कारण लघु उद्योगों की विपणन सुविधाओं एवं विकास पर बुरा असर पड़ रहा है । दूसरे, वल्व उद्योग के बारे में फिलामेंट और अन्य वस्तुओं पर फिलिप्स एवं जी० इ० सी० का नियन्त्रण है और इस प्रकार लघु उद्योग पनप नहीं रहे । क्या यह सच है अथवा नहीं ?

श्री ए० पी० शर्मा : यह सही है कि लघु उद्योगों के मामले में कच्चे माल की सप्लाई इस आधार पर नहीं की जा रही है जिस आधार पर बड़े उद्योगों को की जाती है और यही कारण है कि राष्ट्रीय आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं और आंकड़े पूरे होने पर इस बात का प्रयत्न किया जाएगा कि लघु उद्योगों को उसी आधार पर कच्चा माल सप्लाई किया जाए जिस आधार पर लघु उद्योगों को दिया जाता है ।

तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए सहायक निदेशकों/अनुसंधान अधिकारियों को नियमित करना

*840. **श्री बसन्त साठे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सहायक निदेशकों/अनुसंन्धान अधिकारियों (आई० ई० एस०/आई० एस० एस० के ग्रेड) के पदों पर तदर्थ आधार पर अनेक कर्मचारी दस वर्ष से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो मन्त्रालय वार ऐसे सहायक निदेशकों/अनुसन्धान अधिकारियों की संख्या क्या है जो दस वर्षों से अधिक समय से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) उनको नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग का में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) भारतीय अर्थ सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड 4 में सम्मिलित सहायक निदेशकों/अनुसन्धान अधिकारियों के पदों पर तदर्थ आधार पर 10 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 11 और 9 है ।

(ख) भारतीय अर्थ सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड 4 के पदों पर तदर्थ आधार पर 10 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे व्यक्तियों की मन्त्रालय वार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ग) भारतीय अर्थ सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड 4 में पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों के सम्बन्ध में पूरी सूचना, जो उन मंत्रालयों/विभागों से मांगी गई है, जिनमें फोडर पद स्थित है, अभी प्राप्त नहीं हुई है । सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों से आवश्यक सूचना प्राप्त करने के प्रयत्न जारी हैं। इन सेवाओं के सहायक निदेशकों/अनुसन्धान अधिकारियों के संदर्ग कार्यो पर जो अधिकारी तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं उन अधिकारियों को तभी नियमित किया जा सकता है, यदि वे इन सेवाओं के ग्रेड 4 में नियमित पदोन्नति के लिए पात्र हों और उनका चयन कर लिया गया हो और पदोन्नति कोटे में रिक्तियां भी उपलब्ध हों । सरकार इन सेवाओं के ग्रेड 4 की संख्या को काफी घटाने के लिए तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार कर रही है । इन सेवाओं के ग्रेड 4 में नियमित आधार पर पदोन्नति के लिए रिक्तियों की उपलब्धता के सम्बन्ध में स्थिति सरकार द्वारा वेतन आयोग की उपरोक्त सिफारिश पर लिए जाने वाली निर्णय पर निर्भर होगी ।

विवरण

भारतीय अर्थ सेवा

योजना आयोग . .	4
कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय . .	1
वाणिज्य मन्त्रालय . . .	2
उद्योग तथा सिविल पूर्ति मन्त्रालय . .	1
श्रम मंत्रालय . .	3
योग	11

भारतीय सांख्यिकी सेवा

सांख्यिकी विभाग	2
श्रम मन्त्रालय	2
गृह मन्त्रालय . .	1
योजना आयोग . . .	4
योग	9

श्री वसन्त साठे : वर्ष 1969 के बाद विभागीय कर्मचारियों में से 250 तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं तथा लगभग 300 व्यक्तियों की सीधे भर्त्ती की गई है। क्या तदर्थ आधार पर 500 से अधिक अधिकारियों का बड़ा संवर्ग बन गया है जिनमें से कुछ कर्मचारी 5 अथवा 10 वर्षों से भी अधिक अवधि से नौकरी कर रहे हैं और क्या सरकार का विचार इस संवर्ग को नियमित बनाने का है ? क्या विभाग में पहले से काम कर रहे सहायक निदेशक ग्रेड के अधिकारियों, जिनका चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है, का दर्जा उन अधिकारियों के बराबर कर दिया जाता है जिनकी सीधे भर्त्ती 1970 के बाद हुई है अर्थात् क्या वर्ष 1970 के बाद भर्त्ती किए गए अधिकारियों को वर्ष 1961 से काम कर रहे अधिकारियों के बराबर का दर्जा दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप विभागीय अधिकारियों के साथ अन्याय हो जाता है क्योंकि अनुपात की दर 3 : 1 होती है जिसमें से सीधे भर्त्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या 3 एवं विभागीय कर्मचारियों की संख्या 1 होती है। इस प्रकार सीधे भर्त्ती किए जाने वाले अधिकारी 10 वर्षों से कार्य कर रहे अधिकारियों से वरिष्ठ हो जाते हैं। इस अन्याय को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री ओम मेहता : यह सेवा वर्ष 1961 में शुरू की गई है और पहली भर्त्ती वर्ष 1964 में की गई थी। सीधी भर्त्ती वर्ष 1967 में शुरू की गई थी। उस समय नियमों के अनुसार 75 : 25 अनुपात निश्चित किया गया था। इस समय भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड IV में 122 अधिकारी सीधी भर्त्ती से लिए गए और वर्ष 1974 तक हुई सात खुली प्रतियोगिताओं के परिणामों के आधार पर भारतीय सांख्यिकी सेवा में 45 अधिकारी सीधी भर्त्ती से लिए गए। । भारतीय आर्थिक सेवा एवं भारतीय सांख्यिकी सेवा में तदर्थ अधिकारियों की संख्या क्रमशः 158 तथा 128 है। इसके बाद तृतीय वेतन आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश की :—

> "हम महसूस करते हैं कि सबसे पहला कार्य हमें भारतीय आर्थिक सेवा एवं भारतीय सांख्यिकी सेवा के संवर्ग ढांचे में सुधार करना होगा और यह सुधार ग्रेड IV के अत्यधिक पदों, जो श्रेणी I में आते हैं, को श्रेणी II में परिवर्तित करके ग्रेड IV के कर्मचारियों की संख्या को कम करके किया जा सकता है। हम यह महसूस करते हैं कि केवल तदर्थ आधार पर इन पदों पर काम करने वाले वर्तमान कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी के पद छोड़कर द्वितीय श्रेणी के पदों पर काम करना पड़ेगा जिसका वेतनमान आंशिक रूप से ही कुछ कम है। लेकिन इसमें प्रतिपूरक लाभ होगा। बाद में वे नियमित पदों पर काम कर सकेंगे और इस प्रकार 325–575 रुपये के वेतनमान, जो अब पुनरीक्षित होकर 550–900 रुपये हो गया है, के आरक्षण के जोखिम से बच सकेंगे। इन

मामलों में, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस समय कुछ स्थान रिक्त पड़े हुए हैं और ये पदोन्नति कोटे के हैं। आई० ई० एस० में 27 रिक्त स्थान और आई० एस० एस० में 35 रिक्त स्थान हैं और हम उनक वेतन और दर्जे को बनाये रखने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था। 1961 से सेवा में चले आ रहे व्यक्तियों को जूनियर माना जा रहा है यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग ने उन्हें सहायक निदेशकों के रूप में पदोन्नति के लिए योग्य पाया है। एक जैसी अर्हताएं रखने वाला 1970 में डायरेक्ट भर्त्ती हुआ व्यक्ति 3 और 1 के गलत अनुपात के कारण सेवा में पहले से चले आ रहे व्यक्ति से सीनियर हो जाता है। क्या आप के विचार में उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है ? आप इस बारे में क्या कर रहे हैं। मेरा यही प्रश्न है। मुझे इसका उत्तर चाहिये।

श्री ओम मेहता : महोदय, 3 और 1 का अनुपात निर्धारित किया गया है। अत : कोई डायरेक्ट रिक्रूट आता है तो पहले से सेवा में चले आ रहे व्यक्तियों के मामलों पर भी संघ लोक सेवा आयोग की सूची में दर्ज व्यक्तियों के मामलों के साथ विचार किया जाता है। योग्य पाये जाने वालों को चुन लिया जाता है और अयोग्य को नहीं चुना जाता।

श्री वसन्त साठे : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर फिर भी नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रियों को चक्कर देने का निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है। उन्होंने उत्तर देने का प्रयास किया है। किसी को मात देने की बात नहीं है। मंत्री महोदय ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये तथा अन्यों के बारे में तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री वसन्त साठे : मैं पूछ रहा हूं कि 3 और 1 के अनुपात--तीन डायरेक्ट भर्त्ती से और एक विभागीय उम्मीदवार--का क्या औचित्य है वह 1972 से सेवा में हैं। डायरेक्ट रिक्रूट उससे सीनियर क्यों बने ? मैं मंत्री महोदय से यही जानना चाहता हूं।

श्री ओम मेहता : यह नीति सम्बन्धी मामला है। मैं इस पर बहस नहीं कर सकता। उस समय बताये गये नियमानुसार तीन डायरेक्ट रिक्रूट होंगे और एक पदोन्नति कोटे का होगा।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : महोदय, क्या माननीय मंत्री को इस बात का पता है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ व्यक्ति अस्थायी तौर पर नियुक्त किये गये और एक अन्य बैच स्थायी तौर पर नियुक्त किया गया ? परन्तु वरिष्ठता देने के मामले में स्थायी उम्मीदवारों को तरजीह दी गयी और इसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। क्या मंत्रालय दोनों श्रेणियों को बराबर मानकर इस गड़बड़ी को दूर करेगा ?

श्री ओम मेहता : महोदय, यदि कोई त्रुटि होगी तो हम उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : समस्या यह है कि प्रश्न का उत्तर पुराने नियमों पर आधारित है और प्रश्न वर्तमान स्थिति पर आधारित है। अत : कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : महोदय, मैं तदर्थ आधार पर भर्त्ती किये गये कर्मचारियों का राज्यवार ब्यौरा जानना चाहता हूं और यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्त्ती सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने का विचार कर रही है जैसा कि सशस्त्र सेनाओं के मामले में होता है ?

श्री ओम मेहता : महोदय, प्रश्न आई० ए० एस० और आई० एस० के बारे में है। इसका भर्त्ती सम्बन्धी नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Directives Issued to Ministers to bring efficiency in Government Departments

*842. **Shri M. C. Daga:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether she has issued directives to the Ministers in April, 1975, for bringing about efficiency in Government Departments and for keeping the services away from corrupt practices; if so, the broad features of the directives; and

(b) the steps being taken to comply with those directives?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री **ओम मेहता**) : (क) और (ख) : प्रधान मंत्री ने मंत्रियों को ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है, जैसा कि प्रश्न भाग (क) में उल्लेख किया गया है। वे मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों को समय-समय पर विभिन्न मामलों पर लिखती रहती हैं। अपने सहयोगियों को हाल ही में लिखे गए एक पत्र में उन्होंने प्रशासनिक काय–कुशलता में सुधार लाने के लिये कतिपय सुझाव दिए हैं। सुझावों पर उनकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं।

Shri M. C. Daga: You are enacting new laws but the system continues to be old. What are the suggestions made by the Prime Minister?

श्री ओम मेहता : वे ये हैं : कार्य का शीघ्र निपटारा जिसके लिए मंत्रियों, अधिकारियों, मैनेजरों आदि का प्रभावकारी नेतृत्व होना चाहिये। डाकघरों, पुलिस स्टेशनों, बैंकों, रेलवे स्टेशनों, आदि जन सेवाओं में सुधार होना चाहिये। नियमों और प्रक्रिया को सरल बनाया जाये ताकि शीघ्र निर्णय लिये जा सकें और जनता उन्हें आसानी से समझ सके। कर्मचारियों की शिकायतों और उनमें व्याप्त असंतोष को शीघ्र दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाये। ऊंचे पदों पर चयन और अधिक कड़ा होना चाहिये। अधिकारियों को उनके कार्य के आधार पर जज किया जाना चाहिये और ईमानदार अधिकारियों को अनुचित रूप से शिकार होने से बचाया जाये।

ये मुख्य बाते हैं जो उन्होंने कही हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मि० बनर्जी, आप क्या कर रहे हैं ? मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी: उन्होंने इसे पढ़ा है। इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : सभा इससे अवगत हो ही चुकी है। उन्होंने इसे पढ़ा है।

श्री मूल चन्द डागा : आपने इन सुझावों पर क्या ठोस कार्यवाही की है ?

श्री ओम मेहता : हमने मंत्रालयों को लिखा है। हमें उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है। उनके उत्तर आने पर हम देखेंगे कि क्या कार्यवाही की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी अभी श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री सोमनाथ चटर्जी ने बताया है कि सैगोन सरकार ने आत्म समर्पण कर दिया है और इसने अपनी सेना को लड़ाई बन्द करने का आदेश दे दिया है। हम इस बात से राहत महसूस करते हैं कि यह युद्ध समाप्त हो गया है जिसमें बहुत से व्यक्ति मारे गये हैं। इससे पता चलता है कि शक्ति का प्रयोग कोई हल नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (अलीपुर) भारतीयों और एशियाइयों के लिए गर्व की बात है (**व्यवधान**) अमरीकी साम्राज्यवाद की दक्षिण-पूर्व एशिया में हार हुई है। (**व्यवधान**)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : (कलकत्ता-दक्षिण) : भारतीय लोगों की यह परम्परा रही है कि उन्होंने अन्य लोगों की आजादी का पक्ष लिया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) महोदय, क्या आप विदेश मंत्री या उनके मंत्रालय में किसी व्यक्ति को सरकारी घोषणा करने के लिए कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : दो माननीय सदस्यों ने जो कुछ मुझे बताया है उसे मैंने पढ़ दिया है। मैंने उनके आधार पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। समय पर सरकारी घोषणा भी की जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस युद्ध के कारण वे समस्या का हल कर सके हैं। इसने समस्या हल कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहने का अर्थ है विदेशी सेनाओं द्वारा आक्रमण। मैं अपनी बात को सुधारता हूं। मेरा कहने का अर्थ है कि शक्ति कोई हल नहीं है।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : आपका तात्पर्य है कि साम्राज्यवाद सफल नहीं हो सकता।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : (तैल्लीचेरी) : अमरीकी साम्राज्यवाद ने ही युद्ध थोंपा।

अध्यक्ष महोदय : इस बात से कौन इन्कार करता है कि उन्होंने युद्ध थोंपा ?

नियम 40 के अधीन प्रश्नों के बारे में

RE: QUESTIONS UNDER RULE 40

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये।

श्री वसन्त साठे : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

Shri Madhu Limaye: I may be allowed to announce the number of question.

श्री वसन्त साठे : नहीं।

Shri Madhu Limaye: Question No. 1 under Rule 40.

श्री वसन्त साठे : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (**व्यवधान**) वह कैसे बोल सकते हैं जब मैं नियम 40 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न स्पष्ट करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मि० साठे, मैंने सब पहलुओं का अध्ययन किया है और उसके बाद मैंने उन्हें अनुमति दी है :

श्री वसन्त साठे : आपने ऐसा अपने विवेकानुसार किया है । परन्तु हमें आपके ध्यान में कुछ बाते लाने की अनुमति दी जाये । नियम 40 के अधीन गैर-सरकारी सदस्य से प्रश्न पूछना गलत है । नियम 40 इस प्रकार है :

> "गैर-सरकारी सदस्य से कोई प्रश्न तभी पूछा जा सकता है जब कि प्रश्न की विषय-वस्तु किसी विधेयक, संकल्प या सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित अन्य मामले के बारे में हो जिसके लिये वह सदस्य उत्तर दायी है.....।"

आज वह प्रतिवेदन सभा के समक्ष नहीं है जिसके लिए कहा गया है कि इसमें विलम्ब हुआ है । सभा के समक्ष ऐसी कोई कार्यवाही नहीं है जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है । यह प्रतिवेदन सभा के समक्ष होना चाहिये ।

दूसरे, क्या संसदीय समितियों के लिए अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई समयावधि निर्धारित की गई है ? यदि नहीं, तो यह प्रश्न ही नहीं उठता । ये समितियां प्रवर समितियों के समान नहीं हैं जिनके लिए समयावधि निर्धारित की गई है और जब वे इसे बढ़ाना चाहती है वे समय बढ़ाये जाने की मांग करती हैं ।

मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस पर विचार करें। कल श्री सेझियान ने बताया था कि यदि हम समितियों के मामलों के बारे में प्रश्न पूछना शुरु कर दे तो क्या होगा । पिछले सभी मामलों में जब प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं और वे सभा पटल पर रख दिये जाते हैं तो हम उन के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि वे सभा की सम्पत्ति हैं ।

आज हम विलम्ब के बारे में दोनों प्रश्न पूछ रहे हैं । जब समयावधि निर्धारित ही नहीं की गई तो विलम्ब का प्रश्न कैसे उठता है? विलम्ब की आड़ में आप ऐसे मामले के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं जो निदेश 55 के अधीन गोपनीय है । अब वह खुल जायेगा ।

पहली बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहते हैं ? यदि हां, तो क्या उन्होंने वह वक्तव्य आपके पास नियम 357 के अधीन भेजा है ? क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि यह वाद-विवाद का विषय नहीं है ?

मैं प्रार्थना करता हूं कि अनुमति देने से पूर्व आप इन सब बातों पर विचार करें। पहले, विलम्ब कहां हुआ है। यदि विलम्ब नहीं हुआ, तो आप इस सम्बन्ध में प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? किस नियम, किस प्रक्रिया के अन्तर्गत आप इन प्रश्नों की अनुमति दे रहे हैं क्योंकि नियम 40 बहुत स्पष्ट है और प्रतिवेदन अभी सभा के समक्ष नहीं है । मेरा यही व्यवस्था का प्रश्न है ।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि वह पीठासीन अधिकारी होते तो इसकी अनुमति न देते ।

श्री बी० वी० नायक : मैं जो बात उठा रहा हूं आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे । मैंने आप को एक पत्र लिखा है । नियम 40 इस प्रकार है :

> "गैर सरकारी सदस्य से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है .....।"

प्रश्न स्पष्टतया लोक लेखा समिति के सभापति को सम्बोधित है । लोक लेखा समिति का सभापति एक संसदीय समिति के सभापति हैं । संसदीय समिति या तो सभा द्वारा निर्वाचित की जाती है या माननीय

अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जाती है । । इसका अर्थ यह हुआ कि सदस्य ने यह प्रश्न पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित किया है कल श्री श्यामनन्दन मिश्र ने बड़ा अच्छा तर्क दिया था कि संसदीय समिति संसद का ही छोटा रूप है। अब आप एक ऐसा प्रश्न गहीत कर रहे हैं जो एक सदस्य द्वारा पूछा गया है और एक अन्य सदस्य के विरुद्ध है। एक गैर-सरकारी सदस्य वह है जो मंत्री न हो।

श्री मधु लिमये : क्या वह मंत्री हैं ?

श्री बी० वो० नायक : ऐसे महत्वपूर्ण मामले में जहां संसदीय समिति और उसके आचरण के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा हो, इस सभा के प्रक्रिया नियमों में एक सक्षम उपबंध करना होगा। नियम 40 के बारे में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि आप संसदीय समिति के सभापति से प्रश्न पूछें। इन परिस्थितियों में यह प्रश्न पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित किया गया है क्योंकि वह निर्वाचित पद अथवा मनोनीत पद पर हैं, अतः प्रश्न को इस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है : क्या गैर-सरकारी सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु यह बताने की कृपा करेंगे . . . .। इस स्थिति में संसदीय समिति श्री ज्योतिर्मय बसु के सरकारी निर्वाचित पद के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह प्रश्न इस बात को महसूस किये बिना उठाया गया है कि ऐसे प्रश्न पहले भी पूछे गये थे जब श्री मसानी लोक लेखा समिति के सभापति थे। प्रश्न एक बार नहीं दो बार पूछे गये थे . . (व्यवधान)। पिछले मामलों और नियम 40 या 66 को देखने के बाद आपने ये प्रश्न गृहीत किये हैं। इन दोनों प्रश्नों की जल्दी क्या है ? श्री ज्योतिर्मय बसु अभी सभापति है और वह आज रात 12 बजे रिटायर होंगे। उनके रिटायर होने से पूर्व एक अन्य गैर-सरकारी सदस्य श्री नायक दो बातों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। उनमें से एक चीथड़ा कांड है जो देश में सबसे बड़ा कांड था। आपके कहने पर यह लोक लेखा समिति को सौंपा गया। सदस्य लेखा समिति के सभापति से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। केवल लोक लेखा समिति का सभापति बनने के कारण क्या वह गैर-सरकारी सदस्य नहीं रहते ? गैर-सरकारी सदस्य ही लोक लेखा समिति का सभापति बनता है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री भी गैर-सरकारी सदस्य हैं। यदि आप सभापति हो कर भी गैर-सरकारी सदस्य बने रहते हैं तो ओम मेहता गैर-सरकारी सदस्य क्यों नहीं हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : सभापति से कुछ प्रश्न पूछे गये हैं। आपने उन्हें गृहीत करके ठीक ही किया है। सभा का समय बर्बाद नहीं हो क्योंकि हमें वित्त विधेयक पर चर्चा करनी है। श्री ज्योतिर्मय बसु अपना उत्तर दें।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, श्री नायक द्वारा उठाये गये मुद्दे पर आप अपना निर्णय देंगे। माना कि श्री ज्योतिर्मय बसु लोक लेखा समिति के सभापति के रूप में गैर-सरकारी सदस्य हैं और नियम 40 के अधीन उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पूछे जाने सम्बन्धी परिसीमाओं के बारे में समान नियम बनाये जाने चाहिये। इस संदर्भ में मैं लोक लेखा समिति के प्रक्रिया नियमों का उल्लेख करूंगा। नियम 50 के अनुसार समिति की कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख केवल समिति के प्रयोग के लिए होगा। केवल वही प्रकट किया जा सकेगा जो सभा पटल पर रखा गया है। इस समय प्रतिवेदन सभा के समक्ष नहीं रखा गया है। हम नहीं जानते कि नियम के अन्तर्गत कौन से पत्र पब्लिक के लिए होंगे। नियम 24(1) में यह उपबन्ध है कि प्रतिवेदन के प्रत्येक अध्याय या सेक्शन पर समिति की बैठक में विचार किया जायेगा और उपस्थित सदस्यों के बहुमत का निर्णय माना जायेगा। नियम 25 में कहा गया है कि समिति के प्रतिवेदन पर विसंति-टिप्पण नहीं होगा।

श्रीमान्, इसलिए जहां तक लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यकरण का सम्बन्ध है, इसके लिए तीन विशिष्ट नियम हैं कि जो दस्तावेज रिपोर्ट के रूप में तैयार किए जाते हैं, केवल उन्हें ही प्रकट किया जा सकता है और शेष प्रकट नहीं किए जा सकते । दूसरा नियम यह है कि माननीय सदस्यों का मतैक्य सभा के समक्ष आता है और उसमें कोई विमति-टिप्पण नहीं हो सकता । सभा ने तीसरा यह नियम बनाया है कि समिति की कार्यवाही गोपनीय होती है और उसे प्रकट नहीं किया जाना चाहिए । इस प्रश्न का उत्तर देते हुए क्या आपने यह सुनिश्चित किया है कि लोक लेखा समिति का सभापति इन नियमों का उल्लंघन नहीं करता क्योंकि इस समय हमें पता नहीं है कि इस मामले पर बहुमत की राय क्या है ? अतः इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आपको यह सुनिश्चित करना है कि वह ऐसे कुछ मामलों को इसमें सम्मिलित न करे जो कि प्रतिवेदन का अंश नहीं होंगे । यदि इन प्रश्नों को प्रतिवेदन के सभा-पटल पर रख दिए जाने के बावजूद भी पूछने की अनुमति दी जाती है तो इससे इन नियमों से बच निकलने का अप्रत्यक्ष मार्ग बन जायेगा क्योंकि यदि सभापति चाहे तो वक्तव्य दे सकता है जिसमें उसके द्वारा कही गई बातें सम्मिलित नहीं होंगी । दूसरे, यद्यपि उसे समिति में अल्पमत प्राप्त हो, वह अपने विचार प्रकट कर सकता है । अतः मेरा निवेदन यह है कि ऐसी स्थिति में उसे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे ये नियम निष्प्रभावी हो जायेंगे । अतः मेरा निवेदन है कि यदि इन प्रश्नों को पूछने की अनुमति दे दी गई तो इससे नियमों का उल्लंघन होगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमान्, प्रश्नों तथा अल्प सूचना प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमों के अध्याय सात में नियम 40 में कहा गया है :—

> "प्रश्न किसी अन्य गैर-सरकारी सदस्य को सम्बोधित किया जा सकेगा, यदि प्रश्न का विषय किसी विधेयक, संकल्प अथवा सभा के कार्य के अन्य विषय से सम्बन्धित हो, जिसके लिए वह सदस्य उत्तरदायी हो और ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में यथासंभव उसी प्रक्रिया का, जो किसी मंत्री को सम्बोधित प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रयुक्त की जाती है, ऐसे परिवर्तनों के साथ अनुसरण किया जायेगा जो अध्यक्ष आवश्यक सुविधाजनक समझे ।"

श्रीमान, आप इसे विनियमित कर सकते हैं किन्तु अन्य उपबन्धों के बारे में यह कैसे संभव है ? इसे कैसे पेश करना है तथा किन आधारों पर ? अध्याय-सात में दिये गये उपबन्धों के अनुसार आप किसी प्रश्न को अपनी मर्जी से अस्वीकार कर सकते हैं । जहां तक नियम 40 के अधीन इन दो प्रश्नों का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यहां प्रत्येक व्यक्ति जो मंत्री नहीं है, सदस्य है । इसलिये यही नियम आवश्यक रूप से श्री बसु पर भी लागू होता है यद्यपि वह आज तक लोक लेखा समिति के सभापति के पद पर आसीन हैं । इस तरह वह नियम 40 के अन्तर्गत आ जाते हैं और मेरा निवेदन है कि ग्राह्यता का प्रश्न सदस्य पर नहीं छोड़ा जाये । नियम 41 के अन्तर्गत निर्णय लेना आपका कार्य है । प्रश्नों को स्वीकार करने की शर्तें क्या हैं ? नियम 43 में कहा गया है कि :

> "अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि कोई प्रश्न या उसका कोई भाग इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वह कोई प्रश्न या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकेगा....."

अब प्रश्न स्वीकार कर लिए जाने पर यह नई व्यवस्था के प्रश्न का अंश किस तरह हो गया ? अतः यदि एक बार नियम 40 के अन्तर्गत उपबन्ध लागू हो गया है तो इस तरह प्रश्न उठाना स्वीकार्य नहीं है। लोक लेखा समिति के सभापति ने सभा में स्पष्टीकरण दे दिया है कि वह अपना कार्य क्योंकर पूरा नहीं कर पाये । इसलिये पता नहीं कि जानकारी लेने में क्या कठिनाई है क्योंकि आखिर लोक लेखा समिति सभा का ही तो एक भाग है । अतः ये आपत्तियां असंगत हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा विचार है कि वर्तमान नियम 40 में इन प्रश्नों की ग्राह्यता के लिये काफी गुंजाइश है। मैं ग्राह्यता को चुनौती नहीं दे रहा । किन्तु मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सभा में कल की तरह की स्थिति उत्पन्न हो । मैं नहीं चाहता कि पुनः वही स्थिति उत्पन्न हो । यद्यपि श्री ज्योतिर्मय बसु गैर-सरकारी सदस्य हैं, प्रश्न विशेष रूप से लोक लेखा समिति के सभापति को सम्बोधित किया गया है। यह श्री ज्योतिर्मय बसु को सम्बोधित नहीं किया गया है । प्रश्न अवश्य ही ग्राह्य है किन्तु उत्तर वह अपनी ओर से दे रहे हैं या समिति की ओर से ? यदि वह समिति के सभापति के रूप में उत्तर दे रहे हैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप में उत्तर नहीं देना चाहिये । क्या आपने अपने को इस बात से संतुष्ट कर लिया है कि वह जो उत्तर देना चाहते हैं, उसकी उन्होंने समिति से स्वीकृति ले ली है, क्या उस उत्तर को समिति को दिखाया गया है और क्या उन्होंने समिति से परामर्श किया है । अन्यथा कल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी कि सभापति उत्तर दे रहा है और समिति के सदस्य तथ्यों पर विवाद खड़े कर रहे हैं । कल भी यही प्रश्न सामने था कि क्या समिति ने प्रतिवेदन का अनुमोदन कर दिया था । किसी ने 'हां' कहा जबकि कुछ ने उसे चुनौती दी और कहा कि यह अनुमोदित नहीं किया गया है। अतः मेरा निवेदन है कि आप अपने को संतुष्ट कर लें कि उत्तर समिति की ओर से दिया गया है न कि अपनी ओर से ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह एक नया मामला है । आप एक नया उदाहरण बनाने जा रहे हैं । यदि यह स्वीकृत हो जाता है तो किसी भी समिति का सभापति समिति के बहुमत की परवाह नहीं करेगा । मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न की ग्राह्यता पर विचार करें क्योंकि यह पूर्णतया भिन्न प्रश्न है । यह नहीं माना जाता कि वह गैर-सरकारी सदस्य नहीं है, तो भी नियम 40 के अन्तर्गत प्रश्न की ग्राह्यता नियम 41 में निहित शर्तों पर निर्भर करती है । नियम 40 में कहा गया है :—

> "....ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में यथासंभव उसी प्रक्रिया का, जो किसी मंत्री को सम्बोधित प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रयुक्त की जाती है ...."

और ग्राह्यता की वे शर्तें नियम 41 में निहित हैं। नियम 41(2) (आठ) में कहा गया है :—

> "उसमें किसी समिति की ऐसी कार्यवाही के बारे में नहीं पूछा जायेगा जो समिति के प्रतिवेदन द्वारा सभा के सामने न रखी गई हो ।"

नियम 308(3) (ग) में कहा गया है :—

"ऐसे मामलों में नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने उससे किन्ही प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करने की या भंडार के और स्कंध के लेखों की परीक्षा करने की अपेक्षा की हो ।"

मेरा नम्र निवेदन है कि प्रश्न की विषय वस्तु स्पष्टतया नियम 308(3)(ग) के स्वीकृत तथ्य के अन्तर्गत आती है और इसलिये नियम 41(2) तथा नियम 221 के अनुसार सभा में इस तरह के किसी प्रश्न की ग्राह्यता पर प्रतिबन्ध है । जब तक ये उपबन्ध हैं तब तक ग्राह्यता पर प्रतिबन्ध है । इसके अतिरिक्त किसी सभापति द्वारा समिति के बहुमत की अवहेलना करना एक खतरनाक उदाहरण सिद्ध होगा । यह अनन्त तक चलता रहेगा । क्या आप चाहते हैं कि इस तरह का उदाहरण स्थापित हो ?

यदि बहुमत वाले सदस्यों की अनुमति नहीं ली गई है... (**व्यवधान**) मैं नहीं मानता । यदि मामले पर समिति में चर्चा नहीं हुई और यदि सभापति समिति के अधिकार के बिना बोलता है.... (**व्यवधान**) तो यह एक खतरनाक उदाहरण होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उनकी बातें बड़ी शांति तथा धैर्य से सुनता रहा हूं किन्तु उन्होंने कहा है कि मैं समिति की आंखों में धूल झोंक रहा हूं (**व्यवधान**) ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं कह रहा हूं कि किसी भी सभापति को समिति की अनुमति बिना यहां आकर कुछ कहना (**व्यवधान**) यदि उसे बोलने की अनुमति दी गई तो यह समिति का अवमान होगा ।

श्री त्रिदिव चौधरी : मैं उनमें से नहीं हूं जो प्राय: व्यवस्था के प्रश्न उठाते रहते हैं श्री साल्वे की आपत्ति का आशय यह लगता है कि वह समिति की कार्यवाही के बारे में किसी तरह का उल्लेख नहीं कर सकते किन्तु साथ ही उन्होंने समिति की कथित कार्यवाहियों का उल्लेख किया कि समिति में क्या हुआ (**व्यवधान**)

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : नहीं, नहीं ।

श्री मधु लिमये : फिर आप उन पर दोष क्यों लगा रहे हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमर साल्वे : मैं नहीं जानता कि समिति की कार्यवाहियों में क्या है ? मेरा कहना तो केवल इतना है कि जब तक समिति के बहुमत द्वारा इसे प्राधिकृत नहीं कर दिया जाता तब तक समिति से अधिकार लिए बिना सभा में वक्तव्य देना एक खतरनाक उदाहरण होगा (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि यह गैर-संसदीय है तो मैं अवश्य इसकी जांच करूंगा (**व्यवधान**)

श्री एच० एम० पटेल : क्या उन्हें यह कहने का अधिकार है कि सभापति समिति के बहुमत को धोखा दे रहा है (**व्यवधान**) क्या वह "हूडविंक" शब्द का अर्थ समझते हैं ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैंने केवल यही कहा है कि बहुमत के अधिकार की अवहेलना न हो । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस व्यवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध ग्राह्यता से है । निस्सन्देह ग्राह्यता पर निर्णय अध्यक्ष देता है चाहे वह प्रश्न गैर-सरकरी सदस्य का ही हो । और गैर-सरकारी सदस्य की परिभाषा है "मंत्री के अतिरिक्त कोई भी सदस्य" । यदि मैं कहूं कि सभापति एक गैर-सरकारी सदस्य है तो इसमें भी कठिनाई है क्योंकि इसे स्पष्ट करने के लिए कोई नियम नहीं है । इसके अतिरिक्त यह प्रश्न विलम्ब के बारे में है । पहले प्रश्न में कहा गया है कि क्या विलम्ब सरकार के मना करने से हुआ है और प्रश्न के भाग (ख) में कहा गया है कि यदि हां, तो लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पेश करने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं । लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों के मामले में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है । जो प्रतिवेदन तैयार हैं उन्हें पेश कर दिया गया है। अतीत में भी एक-दो बार जब डा० हेनरी आस्टिन सभापति थे तो विलम्ब के इसी तरह के आधारों पर मैंने अनुमति दी थी। इस बारे में निश्चित नियम नहीं है । किन्तु सभापति गैर-सरकारी सदस्य हो कर भी सभापति है । मैं समझता हूं कि उन्होंने जो उत्तर दिए हैं वे समिति की ओर से ही दिए हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या समिति ने उन्हें इसका अधिकार दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : जब वह उत्तर दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वह समिति के अधिकार से ही दे रहे हैं ।

श्री वसन्त साठे : यह मानकर तो नहीं चला जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रियों के मामले में भी कई बार कुछ प्रश्न आपसी प्रबन्ध करके पूछे जाते हैं । मुझे पता नहीं कि यह प्रश्न भी उसी रूप में पूछा गया ही लगता है ।

श्री वसन्त साठे : सांठ गांठ से ।

अध्यक्ष महोदय : यहां प्रश्न विलम्ब के बारे में है। मैं इस प्रश्न की अनुमति केवल इसलिये दे रहा हूं कि यह विलम्ब के बारे में पूछा गया है। अतीत में सभापति से इस तरह के प्रश्न पूछने की प्रथा नहीं रही है। किन्तु यहां प्रश्न विलम्ब के बारे में है । श्री बसु ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय : हमने इस प्रथा का अनुसरण किया कि वह उत्तर पढ़ेंगे और कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं होगा ।

श्री वसन्त साठे : क्या उत्तर समिति ने दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह सभापति हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या वह उत्तर समिति की ओर से दे रहे हैं या अपनी ओर से ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है वह सभापति के रूप में उत्तर देंगे ।

श्री सी० एम० स्टीफन : प्रश्न यह है कि क्या वह इस सभा में समिति की ओर से बोल रहे हैं । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं सचिवालय द्वारा तैयार विस्तृत तथ्य पेश करूंगा। श्रीमान्, मैंने यह आपको भेज दिया है और आपने भी उसे देख लिया है।

नियम 40 के अधीन प्रश्न

QUESTION UNDER RULE 40

लोक लेखा समिति के पास बकाया प्रतिवेदन/जांच कार्य

1. **श्री मधु लिमये** : क्या लोक लेखा समिति के सभापति यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति के पास कोई प्रतिवेदन/जांच कार्य बकाया है ; और

(ख) क्या इस विलम्ब का कारण यह है कि सरकार ने लोक लेखा समिति/सभापति को जानकारी/फाइलें सप्लाई करने से इन्कार किया है ?

सभापति, लोक लेखा समिति (श्री ज्योतिर्मय बसु) : (क) जी हां, जानकारी के आधार पर लोक लेखा समिति के पास पांच प्रतिवेदन/जांच-कार्य बकाया थे।

(ख) प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण ये हैं :—

(एक) सीमा-शुल्क और संघ उत्पाद-शुल्कों के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 1972–73 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां (वित्त मंत्रालय) :

अनेक अनुस्मारक भेज जाने के बावजूद वित्त मंत्रालय से 68 बातों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए है।

(दो) सरकारी विभागों द्वारा कम्प्यूटरों तथा अन्य इलेक्ट्रानिक आंकड़ा संकलन तथा लेखांकन मशीनों की खरीद/अवक्रय :

अब तक पूरी जानकारी नहीं दी गई है। मंत्रिमंडल कार्य विभाग, गृह और रक्षा मंत्रालयों में सुरक्षा संगठनों के बारे में यह तर्क दिया गया है कि जानकारी देना लोक हित में नहीं है।

(तीन) नगद सहायता संबंधी प्रतिवेदन :

नगद सहायता के बारे में लोक लेखा समिति की उपसमिति ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि नौ फर्मों द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं के बारे में निर्धारित नगद सहायता के सम्बंध में इन फर्मों सम्बन्धी रिकार्ड प्रस्तुत किये जायें। मंत्रालय ने दिनांक 25 अप्रैल, 1975 के अपने उत्तर में कहा कि इस मद के बारे में रिकार्ड बताना राज्य के हित में नहीं होगा।

(चार) आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम (ई. ए. पी. पी.) :

निम्नलिखित बातों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है :

(1) सूखे द्वारा उत्पन्न स्थिति तथा इससे निपटने के लिये सम्भावित उपायों के बारे में नोट की एक प्रति जो 4–8–1972 को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

(2) लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के पुर्नमूल्यांकन के बारे में मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किये गये नोटों के संगत उद्धरण ।

(पांच) दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय (डी० ए० वी० पी०) :

(क) सरकारी उपक्रमों के विज्ञापन एजेन्टों की सूची; (ख) गत तीन वर्षों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं और स्मारिकाओं जिनमें डी० ए० वी० पी० द्वारा सरकारी विज्ञापन दिये गये थे; (ग) इण्डियन आब्जरवर क विरुद्ध मामलों के ब्यौरे; (घ) सरकारी उपक्रमों द्वारा विज्ञापन पर किये गये व्यय के ब्यौरे; (ङ) सरकारी उपक्रमों या सरकारी कम्पनियों द्वारा विज्ञापन एजेन्सियों के माध्यम से समाचारपत्र विज्ञापनों के लिये दी गई दरों सम्बन्ध कुछ बातों के सम्बन्ध में जानकारी अनुस्मारकों के बावजूद समिति को उपलब्ध नहीं की गई है ।

फिर भी हम इस जानकारी के अभाव में ही इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दे रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, I want to raise a point of order, because you will not allow me to ask the Question. I want your ruling.

Under B(2) and B(3) of the factual information given by him, it has been stated that the Ministry informed the Committee that to give the information asked for by the Committee is not in public interest or for the safety of the State. Therefore I want to know the interpretation of "safety of the State" or "public interest" from you.

Mr. Speaker I want your ruling in this regard. I am not asking Mr. Bosu... (*Interruption*).

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी तरह का विनिर्णय नहीं दे रहा हूं । सभापति ने जो कुछ कहा है वह आपके सामने है ।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker I want that there should be an interpretation of "Public interest" and "the safety of the State" which has not been given in any rule. Whether covering up a case of corruption. . .

An Hon. Member: He has started making a speech.

Shri Madhu Limaye: I am not making a speech, it is an illustration.

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

Shri Madhu Limaye: It is a point of order—I want to know if on the pretext of "safety of the State" or "public interest", any case of corruption is hushed up; will the Chair accept it? Where is the danger to the security of the State?

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री का विशेषाधिकार है ।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker ultimately this matter is before you and you have to give your ruling. ThereforeI want that "public interest" and "public safety" should be defined. This plea for hushing up the matters of corruption will not be accepted.

अध्यक्ष महोदय : आप अपना अगला प्रश्न पूछिए।

Shri Bibhuti Mishra: Mr. Speaker, Sir, I am also a member of this Committee. He said that our secretariat has prepared this reply; but it has not been placed before the Committee. (*Interruption*).

Shri Madhu Limaye: He has not made any wrong statement.. (*Interruption*).

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम चुप हैं ।

Shri Shashi Bhushan: All the members of the Committee should be consulted.... (*Interruption*).

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, Sir, I want to ask my second question.

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने आपसे पूछा है कि क्या आपने अपने को संतुष्ट कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न विलम्ब के बारे में है । सभापति ने मुझे उत्तर यहां आने से कुछ मिनट पूर्व ही दिखाया था ।

लोक लेखा समिति द्वारा ऊनी चिथड़ा कांड की जांच

2. **श्री मधु लिमये : क्या लोक लेखा समिति के सभापति यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि लोक लेखा समिति ने ऊनी चिथड़ा कांड की जांच नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, राजस्व, खंड 1 (1971–72) के पैरा 16 के आधार पर आरम्भ की थी जिसमें खेपों की निकासी के आदेश देने में अनियमितताएं किये जाने का उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सभापति लोक लेखा समिति (श्री ज्योतिर्मय बसु) : (क) जी हां ।

लोक लेखा समिति ने चिथड़े बताकर आयात किये गये ऊनी वस्त्रों की अनियमित निकासी के बारे में नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971–72 के प्रतिवेदन, राजस्व प्राप्तियां, खंड 1 के पैरा 16 पर विचार किया ।

(ख) 18 सितम्बर, 1973 को लोक लेखा समिति की बैठक में, नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के पैरा 16 के अधीन ऊनी वस्त्रों के आयात पर चर्चा के दौरान, एक प्रश्न उठाया गया कि ऊनी वस्त्रों की गांठों की निकासी के लिये निर्णय किस स्तर पर लिया गया।

एक मदस्य (सीमा शुल्क) ने बताया कि इस सम्बन्ध में निर्णय. . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह उत्तर समिति के सभापति के रूप में पढ़ रहे हैं या अपनी ओर से ?

Shri Shashi Bhushan: Mr. Speaker, Sir, I want to raise a point of order. Whether you have seen this written reply which he is reading. The Chairman of P.A.C. is misusing his office.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यही कह रहा हूं . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : फिर तो यह समिति की ओर से नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही आपको बता दिया है। मुझे प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। सदस्य (सीमा शुल्क) ने बताया कि मंत्रिमण्डल सचिवालय में हुई अन्तर-मंत्रालय बैठकों में इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को अवगत कराया गया। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं पूछ सकता हुं कि क्या आप समिति की ओर से उत्तर दे रहे हैं ? सभापति के रूप में आप समिति की ओर से उत्तर दे सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि वह इस सम्बन्ध में हुई अन्तर-मंत्रालय बैठकों सम्बन्धी पूर्ण तथ्य, वह फाइल जिसमें प्रधान मंत्री की स्वीकृति दी हुई है तथा अन्य सम्बन्धित फाइलें समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करें। वित्त मंत्रालय ने 26 अप्रैल, 1974 को एक गोपणीय फाइल पेश की। (**व्यवधान**)

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामा) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह समिति की ओर से ही उत्तर दे रहे हैं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समिति की ओर से उत्तर दे रहे हैं ? (**व्यवधान**) कृपया बैठिये। यदि वह समिति की ओर से उत्तर दे रहे हैं तो फिर वह समिति के सभापति के रूप में उत्तर दे रहे हैं। हमने लोक लेखा समिति का सभापति विपक्ष से नियुक्त करने की अच्छी परम्परा आरम्भ की है दल की विचारधारा के अनुसार नहीं चलना था।

श्री मधु लिमये: क्या वह दल की विचारधारा के अनुसार चले हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा भी ऐसा ही विचार है। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : उसमें यह बताया गया कि मंत्रिमंडल सचिव के कमरे में हुई एक बैठक के बाद एक संयक्त नोट तैयार किया गया और वित्त मंत्री वाणिज्य मंत्री और कार्मिक विभाग (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) में राज्य मंत्री द्वारा इस नोट के स्वीकृत किए जाने के बाद प्रधान मंत्री को स्वीकृति 7 दिसम्बर, 1972 को मंत्रिमंडल सचिवालय के पास भेज दी गई। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि वह समिति की ओर से उत्तर दे रहे हैं तो फिर वह सभापति के रूप में उत्तर दे रहे हैं। यदि वह समिति की ओर से उत्तर नहीं दे रहे हैं तो फिर वह गैर-सरकारी सदस्य के रूप में उत्तर दे रहे हैं। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभापति ने इच्छा व्यक्त की कि मंत्रिमंडल सचिवालय की संगत फाइल को, जिसमें प्रधान मंत्री की स्वीकृति ली गई थी, प्रस्तुत किया जाये। तदनुसार 11 जून, 1974 को मंत्रिमंडल सचिवलाय से अपेक्षित फाइल भेजने के लिए अनुरोध किया गया। इस सचिवालय को समय-समय पर अनुस्मरण पत्र भी भेजे गए। अपने 31 जुलाई, 1974 के पत्र में मंत्रिमण्डल

सचिवालय ने बताया कि प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 270 में यह अब संगत नहीं है। . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह मुझे यह नहीं बता रहे कि वह समिति की ओर से उत्तर दे रहे हैं । फिर वह गैर-सरकारी सदस्य के रूप में ही उत्तर दे रहे हैं । मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह मामला 15 मार्च, 1975 को अध्यक्ष के पास भेजा गया । अध्यक्ष ने 26 मार्च, 1975 को निर्णय दिया कि "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पैराग्राफ 16 से सम्बन्धित सामग्री का सार समिति को पहले ही दिया जा चुका है, मंत्रियों के बीच हुई चर्चा का विवरण और मंत्रियों की सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा दी गई स्वीकृति लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 270 के अधीन अब संगत नहीं है ।" (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह गैर-सरकारी सदस्य के रूप में उत्तर दे रहे हैं न कि समिति के सभापति के रूप में । मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से पूछ लिया है कि क्या वह समिति की ओर से उत्तर रहे हैं, जिसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया है । अतः वह गैर-सरकारी सदस्य के रूप में ही उत्तर दे रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्रि-मंडल सचिवालय के साथ हुए लम्बे पत्र-व्यवहार और अपेक्षित फाइल के न दिए जाने के कारण, चिथड़ा कांड सम्बन्धी प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने में काफी विलम्ब हो गया है। प्रारूप प्रतिवेदन समिति द्वारा 28 अप्रल, 1975 को स्वीकृत किया गया और लोक सभा में 29 अप्रल, 1975 को प्रस्तुत किया गया ।

श्री मधु लिमये : मैं अध्यक्ष तथा लोक लेखा समिति के सभापति का आभारी हूं.. (व्यवधान)

Shri Shashi Bhushan: Mr. Speaker, Sir, if we ask any other private member, will you ask him to reply? If we ask Mr. Bibhuti Mishra to reply, will he give a reply? (*Interruption*).

अध्यक्ष महोदय : समस्या बड़ी जटिल है । मैंने उन्हें इस लिए स्वीकृति दी थी क्योंकि प्रश्न उनसे लोक लेखा समिति के सभापति के रूप में पूछा गया था । मैंने उनसे पूछा था कि क्या वह समिति के सभापति के रूप में उत्तर दे रहे हैं, इसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आज तक लोक लेखा समिति का सभापति हूं और मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि उन्होंने सभापति के रूप में उत्तर दिया है न कि समिति की ओर से । मैं इस तर्क को नहीं समझ पाया ।

श्री समर गुह : श्रीमान, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र सभा पटल पर रखे जायें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बहु-राष्ट्रीय समवाय

*834. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने बहु-राष्ट्रीय समवाय चल रहे हैं;

(ख) इन एककों ने गत दो वर्षों में लाभ एवं लाभांश के रूप में वर्ष-वार कितनी धन राशि विदेश भेजी; और

(ग) भारत ने उक्त अवधि में इन समवाय के कार्यकरण के परिणामस्वरूप, वर्षवार, कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) 31-3-1973 को भारत में विदेशी कम्पनियों की 538 शाखाएं तथा विदेशी कम्पनियों की 202 भारतीय सहायक कम्पनियां थीं इन विदेशी कम्पनियों को बहु-राष्ट्रीय निगमों के रूप में माना जा सकता है क्योंकि ये दो या अधिक देशों के उत्पादन और सेवा सुविधाओं पर नियन्त्रण रखती हैं

(ख) विदेशी कम्पनियों की शाखाओं और विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों द्वारा लाभ/लाभांश के रूप में 1971-72 और 1972-73 में विदेशों को भेजी गई राशि क्रमशः 32.95 करोड़ तथा 39.11 करोड़ रुपये है ।

(ग) इन शाखाओं, सहायक कम्पनियों द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का विवरण अलग से नहीं रखा जाता है ।

स्वतन्त्रता सेनानी समिति पांडेचेरी द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञापन

*837. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी समिति, पांडेचेरी, के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो मांगों का सारांश क्या है और सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मांगों का सारांश सभा पटल पर रखा जाता है । इन पर विचार किया जा रहा है ।

विवरण

पांडिचेरी के जो स्वतंत्रता सेनानी विलयन आन्दोलन के दौरान भूमिगत रहे थे उन्हें पेंशन स्वीकृत करने का अनुरोध करते हुए स्वतंत्रता सेनानी समिति, पांडिचेरी से एक ज्ञापन दिनांक 28-3-1975 को प्राप्त हुआ है। मांगों का सारांश इस प्रकार है :—

1. उपराज्यपाल द्वारा गठित स्वतंत्रता सेनानी समिति को भंग करना तथा उसका पुनर्गठन।

2. संघ राज्य क्षेत्र के सचिवालय कर्मचारियों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के पुराने मामलों पर पुनर्विचार करना।

3. राज्य सरकार द्वारा सिफारिश न किए गए मामलों पर पुनर्विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पंच निर्णय समिति का गठन।

4. दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन तत्कालीन फ्रान्सीसी सरकार द्वारा दंडित स्वतंत्रता सेनानियों के दावों पर विचार।

5. भूमिगत स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों पर नेता लोग जिन्होंने तत्कालीन आन्दोलनों का नेतृत्व किया था के द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर विचार होना चाहिए।

6. जो स्वतंत्रता सेनानी फ्रान्सीसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने से बच निकले थे परन्तु जिन्हें न्यायालयों द्वारा दंडित किया गया था उन्हें जेल की सजा काटे हुए व्यक्तियों के समान समझा जाय।

7. जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने एक दिन की भी जेल की सजा काटी है उन को भी राज्य पेशन के लिए पात्र समझा जाये।

8. प्राइवेट कर्मचारियों की नौकरी छूटने को भी पेंशन की पात्रता के लिए एक आधार समझा जाय।

9. राज्य पेंशन के मामले में आय सीमा (वार्षिक) को 1200 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाय।

10. राज्य पेंशन 50 रुपये से बढ़ा कर 100 रुपये प्रति माह की जाय।

11. विचाराधीन अवधि को भी जेल की सज़ा के रूप में गिना जाए।

सरकारी उपक्रमों के शेयरों की गैर-सरकारी क्षेत्र को बिक्री

*839. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में स्थित उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने शेयरों की गैर-सरकारी क्षेत्र में बिक्री करने का निर्णय किया है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई०) : (क) जहां तक उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय का सम्बन्ध है सरकारी क्षेत्र के केवल एक उपक्रम अर्थात् स्कटर्स इण्डिया लि० ने अपने शेयर आम जनता को देने का निश्चय किया है ।

(ख) यह प्रस्ताव मन्त्रिमण्डल के एक निर्णय के अनुसरण में सरकार द्वारा अधिक शेयर के ले लिए जाने के बाद यथा सम्भव जनता की सहभागिता प्राप्त की जाएगी किया गया है । 43 प्रतिशत शेयर अर्थात् 215 लाख रु० के दस-दस रु० के शेयर आम जनता को जारी करने का प्रस्ताव है बाकी 57 प्रतिशत शेयर केन्द्रीय सरकार के होंगे ।

केन्द्र के विरुद्ध श्री वी० पी० नायक के कथित उद्गार

*841. **श्री राम देव सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में बोरडी में नरोरा सरीखे शिविर (कैम्प) में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री वी० पी० नायक द्वारा दिए गए भाषण क टाइम्स आई इंडिय में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है;

(ख) क्या केन्द्र ने राज्य सरकारों की रोजगार गारन्टी तथा रुई की एकाधिकारी खरीद योजनाओं को निष्फल कर दिया है;

(ग) क्या केन्द्र श्री वी० पी० नायक द्वारा की गई राज्य सरकारों की इस व्याख्या से सहमत है कि वे "सी क्लास म्युनिसपलटीज" हैं; और

(घ) यदि नहीं तो केन्द्र के विरुद्ध श्री वी० पी० नायक के उद्गारों के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ). टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित, महाराष्ट्र राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के भाषण की रिपोर्ट को सरकार ने देखा है । इस भाषण में उन्होंने जो प्रश्न उठाये हैं उससे महाराष्ट्र राज्य की वर्ष 1975–76 से संबंधित वार्षिक योजना की चर्चाओं और अन्तिम रूप के काम पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ा । विशुद्ध तथ्य के रूप में, सरकार ने रोजगार गारन्टी स्कीम या रुई की एकाधिकार खरीद स्कीम को निष्फल नहीं किया है । इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए भूतपूर्व मुख्य मंत्री की कथित टिप्पणियों के कारणों के बारे में सरकार किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगाना चाहती ।

आसाम-मेघालय सीमा विवाद

*843. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय राज्य ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह गोआलपाड़ा और कामरूप जिलों के गारो लोगों के बारे में आसाम और मेघालय के बीच सीमा विवाद के मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) तथा (ख) : असम और मेघालय के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है तथा किसी ऐसे सीमा विवाद में केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का को प्रश्न

नहीं है। मेघालय के मुख्य मंत्री ने हाल में मुझे लिखा है कि गोलपाड़ा और कामरूप जिलों में रहने वाले गारो द्वारा सहन की जा रही समस्याओं के बारे में तथ्य मालूम किये जाने चाहियें। इस संबध में 23 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7450 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मैंने सुझाव दिया था कि असम में गारो लोगों की शिकायतें दूर करने का अधिक उपयुक्त तरीका भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का कारगर कार्यान्वियन होगा और असम के मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि असम के भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूर्णरूप से सुरक्षा की जायेगी। केन्द्रीय सरकार इन मामलों के बारे में असम सरकार से सम्पर्क बनाये है।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-नियोजन की योजनायें

844 **श्री पी० गंगा देव :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे शिक्षित बेरोज़गारों के लिए स्वं-नियोजन की योजनाएं आरम्भ करें;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना प्रतिवर्ष 'हाफ ए मिलियन जाब्स (पांच लाख व्यक्तियों को रोज़गार) देने संबंधी वर्तमान योजना से अलग है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) शिक्षित बे-रोज़गारों के लिए पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम जो कि 1973–74 में आरम्भ किया गया था के अन्तर्गत, राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे शिक्षित बेरोज़गारों के लिए स्व-रोज़गार स्कीमों सहित विभिन्न स्कीमें शुरू करें। पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम के लिए तैयार किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, तीन प्रकार की स्कीमें कार्यान्वित की जानी थीं; वे थीं :

(1) शिक्षित बेरोज़गारों के लिए स्व-रोज़गार स्कीमें;

(2) प्रशिक्षण स्कीमें; और

(3) रोज़गार प्रोत्साहन स्कीमें।

स्व-रोज़गार स्कीमों पर बल देते हुए 1974–75 में रोज़गार प्रोत्साहन कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। रोज़गार प्रोत्साहन कार्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में निम्न प्रकार की स्कीमों की व्यवस्था की गई है;

(1) शिक्षित बेरोज़गारों के लिए स्व-रोज़गार स्कीमें;

(2) गैर-सरकारी क्षेत्रों में गारंटीड रोज़गार के लिए प्रशिक्षण;
और सरकारी नौकरियों के लिए जहां आरक्षित कोटा भरा नहीं गया है वहां अनुसुचित जातियों/अनुसुचित जनजातियों आदि का प्रशिक्षण।

(ग) रोज़गार प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 1974–75 में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 2453.93 लाख रुपये के कुल परिव्यय की स्कीमें स्वीकृत की गई हैं जिनकी रोज़गार क्षमता लगभग 1.57 लाख है। इस परिव्यय में से स्व-रोज़गार स्कीमों के लिए 2290.28 लाख

रुपये रखे गये हैं। वर्ष 1975–76 के दौरान, 31–3-75 तक कार्यान्वित हो रही स्कीमों की अधीनीत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केन्द्रीय बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

लोअर प्राइमरी स्तर पर आसाम के कछार जिले में भाषा का प्रयोग

*845. **श्री नुरुल हुडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत के भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त की सिफारिशों के बावजूद भी आसाम राज्य सरकार ने कछार (आसाम) जिले में बच्चों के लिये 'लोअर प्राइमरी' स्तर पर विष्णु प्रिय मनीपुरी भाषा आरम्भ करने से इन्कार कर दिया था ;

(ख) क्या राज्य सरकार की उक्त नीति के कारण आसाम के विष्णु प्रिय मनीपुरी भाषा बोलने वाले लगभग पिछले पांच वर्षों से अन्दोलन कर रहे हैं; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार इस मामले में असम सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे एक चरणबद्ध कार्यक्रम में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर विसन प्रिया मणिपुरी शुरू करने के संबंध में विचार कर रहे हैं।

लखनऊ इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी में टेलक्स लाईनें

*846. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी में अलग-अलग कितनी टेलैक्स लाइनें काम कर रही हैं;

(ख) क्या इन नगरों में लाइनों की तुलना में अधिक टेलैक्स कनैक्शन दिये गये हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या उपभोक्ताओं की यह शिकायत है कि लाइनों के अभाव में उनके कनेक्शन ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं; और यदि हां, तो तत्संबधी तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) प्रत्येक टेलीप्रिंटर एक्सचेंज की क्षमता और उसमें काम करने वाली टेलैक्स लाइनों की संख्या इस प्रकार है :

टेलैक्स एक्सचेंज का नाम	क्षमता	काम कर रहे कनेक्शन
लखनऊ .	100	89
इलाहाबाद	50	37
कानपुर .	200	135
वाराणसी	50	21

(ग) व्यस्त समय के दौरान जंक्शन लाइनों पर यातायात की अधिकता यानी कंजेशन के कारण कभी कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं ।

सरकारी क्षेत्र में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन

847. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता-वस्तु उद्योग आरम्भ करने की योजना को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में 'सनलाइट' 'लाइफबाय' 'रेक्सोना' 'सर्फ' और डालडा जैसी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने का है ताकि केवल लाभ कमाने की दृष्टि से उपभोक्ताओं का शोषण न हो सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्तिमंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के कुछ एकक नहाने का साबुन पहले से ही बना रहे हैं । इस क्षेत्र में और अधिक उत्पादन क्षमता के लिए लाइसेंस दिए गए हैं । सरकारी क्षेत्र में सिन्थेटिक प्रक्षालय बनाने हेतु कई लाइसेंस आशयपत्र जारी किए गए हैं । लाड़ी का साबुन तैयार करने के लिए क्षमता का विस्तार इस समय लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है । वनस्पति उद्योग के संबंध में अधिष्ठापित क्षमता इस उत्पाद की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है । सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार के उद्योगों में प्रवेश करना लाभदायक नहीं होगा ।

गुजरात में कागज मिल

*848. **श्री एन० आर० वकारिया :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गिर वन में बांस की फसल देश में सब से उत्तम होती है।

(ख) क्या सरकार का विचार उस फसल का उपयोग करने के लिये गुजरात राज्य के सौराष्ट्र प्रदेश में एक कागज मिल की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी स्थापना के लिये कौन सा स्थान चुना गया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) सरकार को ज्ञात है कि गुजरात में कागज बनाने के लिए उपयुक्त बांस उपलब्ध हैं ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैट्रिक पश्चात् छात्र वृत्तियों की संख्या में वृद्धि के प्रश्न पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कालिज छात्रों में असन्तोष

*849. **श्री गजाधर माझी :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि के प्रश्न को लेकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कालेज क्षेत्रों में असन्तोष है ; और

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्वीकृत मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले सभी पात्र अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं और छात्रवृत्तियों की संख्या सीमित नहीं है । इस प्रकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि के प्रश्न पर कोई असंतोष नहीं हो सकता ।

Behaviour of Station Director of Indore Station of A.I.R.

***850. Shri Phool Chand Verma:**
Dr. Laxminarayan Pandeya:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether the Station Director of Indore Station of All India Radio behaved most indecently with a senior journalist and demonstrating women when were demonstrating before the radio station in the last week of March, 1975; and

(b) if so, the full facts in this regard and the action taken against the above Station Director?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri I. K. Gujral): (a) and (b) The facts are that on March 29, 1975, about 50 to 60 ladies came to AIR Indore to complain about the alleged mis-behaviour of three officials of AIR with Shrimati Smita Shroff, another AIR official. The Station Director gave them a patient hearing and informed them that the officials concerned had already been placed under suspension with effect from 22nd March 1975 and the police had put up challan under Section 34, 354 and 451 of the IPC. The Station Director objected to a journalist taking photographs within the AIR premises, which are prohibited area and his becoming a part of the demonstration.

दिल्ली में ग्रीष्म ऋतु में विद्युत की कमी दूर करने के लिए की गई कार्यवाही

***851. श्री डी० डी० देसाई :**
श्री अनादि चरण दास :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में इस ग्रीष्म ऋतु में विद्युत की कमी होने की संभावना से संबंधित समाचारों की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो विद्युत की कमी दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : दिल्ली में विद्युत की स्थिति बिलकुल संतोषजनक है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं कि यह संतोषजनक बनी रहे ।

हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज परियोजना के लिए अबू ढाबी से ऋण

*852. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अबू ढाबी ने हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित अखबारी कागज परियोजना के लिये ऋण देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स लि० ने बताया है कि वे हिमाचल प्रदेश की अपनी अखबारी कागज परियोजना की वित्तीय आवश्यकता पूरी करने के लिए व्यापारिक शर्तों पर आबूढाबी या किसी अन्य मध्य पूर्व देश से ऋण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

पत्र-पत्रिकाओं में यौन भाव संबंधी लेखों तथा नग्न चित्रों के बारे में निदेश

*853. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'करेन्ट' साप्ताहिक में प्रकाशित श्रीमती कमला दास के लेख जैसे यौन भाव सम्बन्धी लेखों, 'इल्लस्ट्रेटेड वीकली' के कुटिल लेखों तथा घरों में जाने वाली विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के नग्न चित्रों की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) क्या ऐसी पत्र-पत्रिकाओं से युवकों के मन पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है ; और

(ग) क्या सरकार इस मामले में कुछ निदेश देने पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) (क) से (ग) : क्या कोई विशिष्ट लेख / प्रकाशन अश्लील या आपत्तिजनक है या नहीं तथा उनसे युवकों के मन पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है या नहीं, यह एक निर्णय का प्रश्न है जो अलग-अलग मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है । इस प्रकार के अश्लील लेखों तथा प्रकाशनों से निपटने के लिये भारतीय दण्ड विधान में उपबन्ध हैं जिनके अधीन राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाई की जा सकती है । भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम के जरिए भारतीय प्रेस परिषद् स्थापित की है जिसको, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी शिकायतों की जांच करने का अधिकार है जो उसको पत्रकारिता संबंधी सदाचार तथा लोक रुचि के स्तरों का अतिवर्तन करने वाले समाचारपत्रों तथा नियतकालिक पत्रों के विरुद्ध प्राप्त होती हैं ।

माल डिब्बों का उत्पादन

8078. **श्री टुना उरांव** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, मालडिब्बे बनाने वाले उद्योग ने, यूनिटवार, कितने-कितने माल डिब्बे बनाये ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान माल डिब्बे बनाने वाले उद्योग में, युनिटवार कितने क्रयादेश निलम्बित पड़े रहे ; और

(ग) चालू वर्ष में इन उद्योगों को, यूनिटवार, स्रोतवार अनुमानतः कितने-कितने क्रयादेश प्राप्त होने की आशा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत तीन वर्षों में वैगनों का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

फर्म का नाम	1972-73	1973-74	1974-75
	(चार पहिए वाले वैगनों के आंकड़े)		
1	2	3	4
1. मे० आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता	—	—	8.0
2. मे० ब्रिज एण्ड एफ० कम्पनी लि०, कलकत्ता	552.5	421.3	363.0
3. मे० ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी, कलकत्ता	45.0	—	122.5
4. मे० ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता	1950.5	1761.5	1379.0
5. मे० बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	125.0	22.5	345.0
6. मे० सैन्ट्रल इण्डिया मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, भरतपुर	1779.5	2867.9	2064.0
7. मे० हिन्दुस्तान जनरल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली	256.5	442.3	291.0
8. मे० इण्डियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	147.5	82.5	30.0
9. मे० जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	180.5	680.0	504.0
10. मे० के० टी० स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई	—	—	—

1	2	3	4
11. मे० माडर्न इंडस्ट्रीज, शाहिबाबाद, (गाजियाबाद) . . .	395.0	447.5	548.5
12. मे० सा.उदर्न स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, मद्रास .	275.0	353.0	217.5
13. मे० टैक्सटाईल मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, 24-परगना (कलकत्ता)	3280.0	3200.8	3428.0
योग	8987.0	10279.3	9300.5

(ख) गत तीन वर्षों में वैगनों का उद्योगों के पास बकाया पड़े क्रयादेशों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

फर्म का नाम	1-4-73	1-4-74 को बकाया क्रयादेश	1-4-75
1	2	3	4
1. मे० आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता .	443	708	700
2. मे० ब्रिज एण्ड एफ० कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता .	1450	1509	1146
3. मे० ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता . . .	—	1220	1097.5
4. मे० ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता . .	4026	5252	3873
5. मे० बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता .	1935	3240	2895
6. मे० सैंट्रल इण्डिया मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, भरतपुर	4632	5828.5	3764.5
7. मे० हिन्दुस्तान जनरल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली	—	656	365
8. मे० इण्डियन स्टेण्डर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	2713	2794	2764
9. मे० जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता .	—	1299	795
10. मे० के० टी० स्टील इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई	—	537.5	537.5

1	2	3	4
11. मे० मार्डर्न इण्डस्ट्रीज, शाहिबाबाद (गाजियाबाद)	1009	1260	711.5
12. मे० टेक्सटाईल मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, 24-परगना, कलकत्ता	4019	7276	3848
13. मे० साऊदर्न स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, मद्रास	1881	1909	1691.5
योग	22108	33489	24198.5

7. (ग) वैगन निर्माताओं को अभी तक कोई क्रयादेश नहीं दिया गया है। मामले को सही ढंग से ठीक करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं जिससे किसी निश्चित समय में वैगनों के क्रयादेश देना रेलवे की अर्थोपाय स्थिति पर निभर न रहे।

वर्ष 1975–76 के दौरान प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना

8079. **श्री रोविन ककोटी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1974 के अन्त तक विभिन्न राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में, राज्यवार संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितनी-कितनी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियां थीं ;

(ख) देश में वर्ष 1975–76 के दौरान राज्यवार संघराज्य क्षेत्रवार कितनी कितनी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियां स्थापित की जायेंगी ; और

(ग) देश में गत तीन वर्षों में प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियों ने राज्यवार, संघराज्य क्षेत्रवार कितना-कितना लाभ कमाया अथवा हानि उठायी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) व (ग). उपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रखी जाती है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9582/75]

(ख) इस मामले में आम पहुंच यह है कि नये प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार खोलने के बजाय विकास की सम्भाव्यता रखने वाली वर्तमान सोसायटियों को सुदृढ़ तथा मजबूत बनाना होता है। जहां-कहीं नये प्राथमिक भण्डार खोलने की आवश्यकता होती है, उन्हें केवल वहां खोलना होता है जहां वे आत्मनिर्भर तथा मजबूत बन सकते हों। एक विवरण, जिसमें उन प्राथमिक भण्डारों की संख्या दी गई है जिनके संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों द्वारा वर्ष 1975–76 में खोलने का प्रस्ताव है, सभा-पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०/9582-75]।

ईमानदार तथा कुशल अधिकारियों को प्रोत्साहन

8080. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने कुशल और ईमानदार अधिकारियों को उचित प्रतिफल देने की सरकार की नीति है ;

(ख) यदि हां, तो उस पुलिस अधिकारी को, जिसने मोती बाग के निकट रिंग रोड पर 29 दिसम्बर, 1974 को हुई केन्द्रीय जांच ब्यूरो के इन्सपैक्टर की घातक सड़क दुर्घटना के बारे में सफलता पूर्वक जांच की थी क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं अथवा देने का विचार है ;

(ग) क्या इसी पुलिस अधिकारी ने उस सनसनी पूर्ण दोहरी हत्या वाले मामले की भी सफलता पूर्वक जांच की थी जिसमें रामकृष्णपुरम के बहुमंजिले फ्लैटों में रहने वाले आकाशवाणी के एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी तथा लड़की की हत्या की गयी थी ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जब परिस्थितियां उचित ठहराती है तो कार्य कुशल तथा ईमानदार अधिकारियों को उपयुक्त प्रतिफल दिया जाता है। पंजाब पुलिस नियमों में इन्सपैक्टर तथा उससे निम्न पदवी के पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्कृष्ट रूप से मामले का पता लगाने पर प्रतिफल स्वीकृत करने की भी व्यवस्था है।

(ख) इस मामले की सफलतापूर्वक जांच करने के लिए कोई अधिकारी पूर्णतः व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार नहीं है। वास्तव में इस मामले का पता अधिकारियों के एक दल ने लगाया था जिसमें रामकृष्णपुरम थाने के थानेदार, तथा दो सब-इन्सपेक्टर शामिल हैं। इस मामले की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस अधीक्षक दक्षिणी पुलिस जिला तथा सब डिवीजन पुलिस अधिकारी दिल्ली छावनी ने भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया था।

(ग) हत्या के इस मामले का पता लगाने में अधिकारियों के एक दल ने भी कार्य किया। रामकृष्णपुरम थाने के थानेदार तथा दो सब-इन्सपैक्टरों के अतिरिक्त घातक मार्ग दुर्घटना का जिसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो का एक इन्सपेक्टर मारा गया था सफलतापूर्वक पता लगाने के लिए उत्तरदायी थे, पांच अन्य पुलिस अधिकारी भी हत्या के इस मामले का पता लगाने के लिए उत्तरदायी थे।

(घ) अधिकारियों के दो दलों को जिन्होंने उपरोक्त दो मामलों का पता लगाया था उचित प्रतिफल दिए गए हैं।

सी० डी० ब्लाक हैडक्वार्टर्स पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को मंजूरी

8081. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 जुलाई, 1974 को सी० डी० ब्लाक हैडक्वार्टर्स के कैटेगरी स्टेशन घोषित हो जाने के बाद वहां पर सर्कलवार (उत्तर-पश्चिमी तथा पूर्वोत्तर सर्कल के नाम में राज्यवार) कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को मंजूरी दी गई है ;

(ख) तब से अब तक सर्कलवार कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जा चुके हैं ;

(ग) देश में सर्कलवार ऐसे कितने सी० डी० ब्लाक हैडक्वार्टर्स हैं जहां सी० डी० हैडक्वार्टर्स के कैटेगरी स्टेशन घोषित किये जाने के बाद भी न तो सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र मंजूर किये गये हैं और न ही स्थापित किये गये हैं ; और

(घ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सी० डी० ब्लाक हैडक्वार्टर्स को छोड़कर वित्त वर्ष 1974–75 में सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने तथा वर्ष 1975–76 में उनके लिये प्रावधान करने के लिये विभाग द्वारा क्या पग उठाये गये हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दे दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–9583/75] ।

पंजीकरण प्रस्तावों का रद्द किया जाना

8082. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या फरवरी, 1973 की नीति के अन्तर्गत आने वाली छूट सीमायें स्वतः लागू होती हैं; यदि हां तो प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा विदेशी मुद्रा की सीमा के अन्तगत आने वालों के भी पंजीकरण प्रस्तावों को किन नियमों के अन्तर्गत रद्द किया जा रहा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : औद्योगिक लाइसेंस से छूट देने की शर्तें सरकार की अधिसूचना सं० का० आ० 98 (ई०) आई डी आर ए / 29 बी/73/1 दिनांक 16 फरवरी 1973 जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है, में दी गई है । इस अधिसूचना के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंसों से छूट प्राप्त उपक्रमों से आशा की जाती है कि वे सम्बद्ध तकनीकी प्राधिकरणों में स्वयं को पंजीकृत करा लेंगे । जब आवेदक फर्म संयंत्र और मशीनरी के लिए क्रयादेश देती है तब पंजीकरण के लिए आवेदन किए जा सकते हैं । यदि आवेदक फर्म को विदेशी सहयोग अथवा पूंजीगत माल का आयात कराने के लिए स्वीकृति लेनी होती है तो वे पंजीकरण के लिए आवेदन देने से पूर्व इस प्रकार की स्वीकृति पहले लेना अपेक्षित है ।

फिर भी संभावित मांग की तुलना में पर्याप्त लाइसेंस प्राप्त क्षमता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समय समय पर उद्यमियों को बताया है कि ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमता के लिए क्षेत्र के अभाव के कारण पंजीकरण नहीं किया जाएगा ।

औद्योगिक मंजूरियों में परिवर्तन

8083. **श्री नानू भाई एन० पटेल** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने मामलों में औद्योगिक मंजूरियों तथा आशयपत्रों की शर्तों को लाइसेंस समिति को सूचित करने तथा सूचित किए बिना बदला गया है, पार्टी का नाम क्या है, कौन से परिवर्तन किए गए हैं तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि ये परिवर्तन विदेशी क्षेत्र के हित में थे ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) आशय पत्रों की स्थितियों पर प्रकाश डालने वाली जानकारी जिसमें हो सकता है समय समय पर संशोधन किया गया हो केन्द्रित रूप में नहीं रखी जाती । आर० एल० आई० यू० नियमों में लाइसेंसों और उनकी स्थितियों में मामले को लाइसेंसिंग समिति को भेजे बिना संशोधन करने या फेर बदल करने की सरकार को अनुमति प्राप्त है । लाइसेंस प्राप्त उपक्रमों के स्वामित्व में परिवर्तन की अनुमति नियमानुसार दी जाती है ।

(ख) जी, नहीं ।

बंगाल पेपर मिल, रानीगंज में उत्पादन

8084. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल पेपर मिल्स, रानीगंज का उत्पादन कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के उत्पादन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस एकक द्वारा उक्त अवधि के दौरान आरम्भ किए गये आधुनिकीकरण के कार्य का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : पिछले दो वर्षों में बंगाल पेपर मिल्स, रानीगंज के उत्पादन में गिरावट आई है । एकक का वर्ष 1972, 1973 और 1974 का उत्पादन क्रमशः 37,731 व 20,592 और 17,816 टन कागज रहा है ।

(ग) बैलेंसिंग उपकरणों की सहायता से मिल के 50,000 मी० टन के विद्यमान उत्पादन को बढ़ाकर 65,000 मी० टन प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव था । औद्योगिक अशान्ति के कारण यह कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया जा सका ।

वर्ष 1975 के दौरान पंजाब के गांवों में बिजली लगाया जाना

8085. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1975 के दौरान पंजाब के कौन कौन से गांवों में बिजली लगाई जायेगी और पंजाब में पिछली तिमाही में कौन कौन से गांवों में बिजली लगाई गयी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए पूंजीनिवेश ट्रस्ट (न्यास)

8086. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये एक पूंजीनिवेश ट्रस्ट (न्यास) बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Inspection of Offices under Prime Minister's charge to ensure use of Hindi in offices

†**8087. Shri Sudhakar Pandey:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether officers in the Departments under Prime Minister's charge while on inspection of the offices under them ensure that all the work is carried out in Hindi in these offices according to the Government's policy in this regard;

(b) the number of officers who carried out such inspections during the last year and the number of the offices inspected;

(c) the position, in general, as revealed in the inspection reports; and

(d) the steps taken to improve the position in the office where Hindi is not being used even now?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Department of personnel and administrative reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta): (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the table of the House.

Violation of Foreign Exchange regulations by Foreign Banks and Companies.

†**8088. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the number of foreign banks and foreign companies, the branches and subsidiary companies thereof, which have been charged with violation of foreign exchangs regulations during the last three years;

(b) the charges against each of them; and

(c) the action, if any, taken against each of them?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs Department of Personnel and Administrative Reforms (Shri Om Mehta): (a) to (c). No foreign bank has been charged with violation of Foreign Exchange Regulations during the last three years by the Directorate of Enforcement.

There are many branches and subsidiaries in India of Foreign companies, some with a number of offices in India. Therefore, the desired information will be collected and furnished if the names of the branches and subsidiaries of the foreign companies in respect of whom information is desired, are specified.

येरीगुन्तला में सीमेंट कारखाना

8089. श्री वाई ईश्वर रेड्डी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या येरीगुन्तला में सरकारी क्षेत्र में स्वीकृति के लिये दीर्घकाल से अनिर्णीत पड़े सीमेंट कारखाने के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है ।

(ख) यदि हां, तो कब और तब से कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) वर्ष 1975–76 में कारखाने के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है और निर्माण कार्य पूरा होने का निर्धारित समय क्या है ;

(घ) राज्य सरकार निर्माण के किन किन पहलुओं पर सहयोग करेगी अथवा निर्माण के भुगतान करने अथवा भुगतान न करने वाले किन किन पहलुओं पर सहयोग करने के लिये बाध्य है ; और

(ङ) क्या ऐसे सहयोग से केन्द्र सन्तुष्ट है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ङ) : सरकार ने सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के येरगुन्तला (आन्ध्र प्रदेश) में प्रति वर्ष 4 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले एक सीमेंट संयंत्र के स्थापित किये जाने के प्रस्ताव की 22 मार्च 1974 को स्वीकृति दे दी थी । सीमेंट कारपोरेशन इस परियोजना के लिये प्रमुख संयंत्र एवं मशीनों की खरीद के लिये क्रयादेश भेज चुका है । इस परियोजन के लिये इस्पात की आवश्यकताओं का आयोजन करने हेतु भी ज्वाइंट प्लांट कमेटी आदि के माध्यम से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । सीमेंट कारपोरेशन द्वारा सीमेंट की किस्म के चूने के पत्थर के लिये खनन पट्टा प्राप्त कर लिया गया है । स्थल पर एक कार्यालय भी खोल दिया गया है । इस परियोजना पर मार्च 1975 तक लगभग 38.39 लाख रुपये खर्च कर दिये गये हैं । वर्तमान वर्ष 1975–76 में सीमेंट कारपोरेशन के लिये 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इसमें येरगुन्तला परियोजना पर होने वाला व्यय भी सम्मलित है । पांचवीं योजनावधि के अन्त तक अर्थात् 1978–79 तक परियोजना के चालू हो जाने की आशा है ।

सीमेंट कारपोरेशन द्वारा परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण, चूना पत्थर के लिये खनन पट्टा देने और जल सप्लाई की व्यवस्था करने में राज्य सरकार की सहायता मांगी गयी है भूमि अधिग्रहण करने के लिये कानूनन कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है और खनन पट्टा दे दिया गया है । कारपोरेशन को राज्य सरकार से सहयोग की कमी की कोई किशायत नहीं है ।

मध्य प्रदेश के सीधी जिले के आदिवासी/पिछड़े क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा योजना

8090 **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना आदिवासी और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिये की गई थी जिन्हें इसके बिना यह लाभ कभी नहीं मिल सकता था ;

(ख) यदि हां, तो आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों के लिये ऐसी योजनाएं मंजूर करने में किन-किन मुख्य बातों को ध्यान में रखा जाता है ;

(ग) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम केवल उन्हीं योजनाओं को मंजूरी देता है जिनसे एक वर्ष के अन्दर तुरन्त आर्थिक प्रतिलाभ होता है ;

(घ) यदि नहीं, तो मध्य प्रदेश के सिधी जिले में पहले से ही स्थापित ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना से आर्थिक प्रतिलाभ मांगने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने इस योजना को पूरा करने के लिये जब तक उससे आर्थिक प्रतिलाभ मिलना आरम्भ न हो जाये तब तक अग्रेतर धनराशि न देने की धमकी दी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एक वित्तदाता संस्था है और यह राज्य बिजली बोर्डों और / अथवा ग्राम विद्युत सहकारी समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् के विस्तार के लिए तकनीकी रूप से सम्भाव्य तथा वित्तीय तौर पर व्यवहार्य परियोजनाओं के संबंध में परियोजनावार आधार पर तथा ग्रामीण वितरण प्रणालियों के सुधार के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है। अपेक्षाकृत अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करने में सहायता देने के अपने मूलभूत दृष्टिकोण के अनुसार, निगम आदिवासी, जनजातीय तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों की ग्राम विद्युतीकरण की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान और उन्हें उच्च प्राथमिकता देता रहा है।

(ख) निगम से वित्तीय सहायता के लिए स्कीमों की स्वीकृति हेतु, किसी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना को कुछ नियत विशिष्ट अवधियों की समाप्ति पर निवेश पर एक न्यूनतम निबल प्रतिलाभ प्राप्त करना आवश्यक है। इस संबंध में किसी क्षेत्र में विकास/ कठिनाइयों की स्थिति पर निर्भर करते हुए मानदण्डों के तीन विभिन्न सेट निर्धारित किए गए हैं। इन विभिन्न मानदण्डों के प्रयोग के उद्देश्य के लिए निगम ने क्षेत्रों को इन तीनों श्रेणियों में से किसी एक के रूप में वर्गीकृत किया है अर्थात् (1) सामान्य रूप से विकसित (2) सामान्य रूप से पिछड़े और (3) विशेष रूप से कमविकसित। जनजातीय क्षेत्र अर्थात् वे क्षेत्र जिनमें मुख्य रूप से (सामान्यतः 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक) जनजातीय आबादी है, विशेष रूप से कम विकसित क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। आदिवासी तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए स्कीमों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों तथा व्यवहार्यता मानदण्डों में निगम द्वारा उपयुक्त रूप से ढील दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) निगम ने मध्य प्रदेश के सिधी जिले में अब तक 40.280 लाख रुपये की कुल ऋण सहायता के लिए दो ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को 3 से 5 वर्षों तक की अवधि में पूर्ण करने के लिए चरणबद्ध किया गया है। प्रत्येक वर्ष के लिए परियोजना प्राधिकारी निगम से अपेक्षित ऋण सहायता की मात्रा के आधार पर कार्य के विस्तार को निर्दिष्ट करते हैं। निगम पहली किस्त ऋण की स्वीकृति के बाद तथा दस्तावेजों आदि के कार्यान्वयन सहित, संबद्ध कानूनी औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर देता है। दूसरी तथा उसके बाद की किस्तें निगम के इस संबंध में आश्वस्त हो जाने, कि पिछले वर्ष अथवा वर्षों के लिए यथा-परिकल्पित पर्याप्त प्रगति प्राप्त कर ली गई है, के बाद दी जाती है। तदनुसार, निगम ने सिधी जिले के लिए स्वीकृत इन दोनों स्कीमों के लिए मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को पहली किस्त पहले ही दे दी है। पहली किस्त के लिए परिकल्पित कार्यों के संबंध में संतोषजनक प्रगति प्राप्त होते ही दूसरी तथा इसके बाद की किस्तें दे दी जाएंगी।

पालामऊ जिले में नए डाकघर खोलना

8091. कुमारी कमला कुमारी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1971 के बाद बिहार के पालामऊ जिले में विशेषकर तथा बिहार में सामान्य रूप से कितने नए डाकघर खोले गए हैं; और

(ख) 1975 और 1976 में पालामऊ जिले (बिहार) में विशेषकर तथा समूचे देश में सामान्य रूप से कितने नए डाकघर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) पलामू जिले में 19 और पूरे बिहार राज्य में 842 नए डाकघर खोले गए हैं ।

(ख) डाकघर खोलने की सामान्य नीति और उपलब्ध साधनों के अनुसार प्रत्येक मामले के औचित्यपूर्ण होने पर ही यह निर्भर करता है कि कितनी संख्या में डाकघर खोले जाएंगे ।

विदेशी फर्मों को लाइसेंस जारी करने के मामले में लाइसेंस समिति द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन

8092. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय क्षेत्र को दबाने तथा विदेशी फर्मों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उद्योग को मंत्रालय द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन किया जाता रहा है; और

(ख) लाइसेंस समिति ने मंत्रालय द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों की कितने मामलों में अवहेलना की तथा क्या सरकार ऐसे मामलों पर फिर से विचार करना तथा जहां मार्गदर्शी सिद्धान्तों की अवहेलना की गई उन मामलों में मध्यम पैमाने की भारतीय फर्मों को लाइसेंस जारी करना स्वीकार करेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Assistance from R.E.C. for Rural Electrification in Eastern Nimar District of Madhya Pradesh

8093. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) the total amount of assistance proposed to be given by Rural Electrification Corporation for rural electrification in eastern Nimar district of Madhya Pradesh; and

(b) the salient features of the scheme to be implemented in the said district?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad):

(a) The Rural Electrification Corporation Ltd. has so far sanctioned three rural electrification projects in Khandwa (East Nimar) district of Madhya Pradesh for loan assistance of Rs. 105.62 lakhs.

(b) The Scheme envisage energisation of 2,915 agricultural pumpsets and extension of electricity to 192 small industrial units in 108 villages.

विस्फोटक पदार्थों का उत्पादन करने वाली फर्मों की क्षमता

8094. **श्री के० लकप्पा :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक विस्फोटक पदार्थों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों की गत तीन वर्षों के दौरान क्षमता क्या थी और वार्षिक उत्पादन कितना हुआ;

(ख) औद्योगिक विस्फोटक पदार्थों की देश में कितनी आवश्यकता होती है और उनकी विदेशों में कितनी मांग है; और

(ग) क्या सरकार इन पदार्थों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों को, देश तथा विदेशों की मांग पूरी करने के लिये उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये अनमति देकर औद्योगिक विस्फोटक पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) (क) औद्योगिक विस्फोटक पदार्थों की क्षमता और वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार है :—

(1) मे० इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड :

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता (मी० टन में)	उत्पादन
1972	28,000	29,860
1973	28,000	26,362
1974	28,000	32,442
(2) मे० आई० पी० एल० केमिक्ल्स लि०		
1972	15,000	2806
1973	15,000	5581
1974	15,000	5864

(ख) देश में औद्योगिक विस्फोटक पदार्थों की आवश्यकता देश के उत्पादन से ही पूरी की जाती है और इनका आयात नहीं किया जाता है। डिटोयेटरों, इगनीटर कोई, और डिटोनेटिंग फ्यूज का निर्यात किया गया है। वर्ष 1971–72 में 21.51 लाख रु० के मूल्य का 1972–73 में 39.72 लाख रुपये के मूल्य का और 1973–74 में 29.69 लाख रुपये के मूल्य का नर्यात किया गया था।

(ग) अधिष्ठापित क्षमता के अतिरिक्त, औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित आशय-पत्र दिये गये हैं :—

मे० नरेन्द्र एक्सप्लोसिव्स	10,000 मी० टन
मे० एम० पी० औद्योगिक विकास निगम	10,000 ,,
मे० आई० डी० एल० केमिकल्स	7,500 ,, (राउरकेला में विस्तार)
मे० आई० डी० एल० केमिकल्स	7,500 .. (हैदराबाद में एक नया एकक)

प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर फैक्ट्री

8095. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री जिला प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) में ट्रैक्टर फैक्टरी की स्थापना के बारे में 20 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 1215 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्य के आरम्भ करने तथा फैक्टरी के तैयार होने के लिए किस तिथि का लक्ष्य है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : परियोजना के उद्भावक परियोजना के वित्तीय ढांचे को अंतिम रूप दे रहे हैं। चूंकि भूमि का अधिग्रहण अभी किया जाना है इसलिए किसी भी अंश तक यह बता सकना कि कारखाना कब तक तैयार हो जाएगा बड़ा कठिन है ।

Training to modernise Police Force

†**8096. Shri Ram Hedaoo**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the incidents of Police firing at protest meetings and processions at different places in the country are constantly on the increase and the common man is losing faith in Police;

(b) whether any training programme for police is being conducted in Delhi to ensure that Police exhibit a sense of tolerance in maintaining law and order and do not act in a vindictive and wrathful manner but with restraint, patience and tact while controlling the mob; and

(c) the pattern of training and programme being adopted in Delhi to modernise the Police Force to help in protecting the democratic values?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) No. Sir.

(b) Yes, please.

(c) The training syllabi for the Delhi Police include police-community relations, role of police in the changing society, socio-economic and political changes in the country, and constitutional provisions concerning the rights and privileges of the citizens. Greater emphasis is laid on proper conduct and polite behaviour with the public. These have been incorporated with a view to enable the police force to help in protecting the democratic values.

खेल कूद के सामान का उत्पादन

8097. **श्रीमती गायत्री देवी :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में टेनिस, हाकी, क्रिकेट तथा बैडमिंटन के सामान का कितनी मात्रा में उत्पादन होता है;

(ख) भारत में इसमें से कितने उत्पादन का प्रयोग किया जाता है और कितने उत्पादन का निर्यात किया जाता है;

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात पर विदेशों द्वारा (देश-वार) कितना शुल्क लिया जाता है; और

(घ) इस देश में खेलकूद का कितना सामान आयात किया जाता है और क्या प्रत्येक मद पर शुल्क लिया जाता है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) भारत में बनाये जाने वाले टेनिस, हाकी, क्रिकेट और बैडमिन्टन के सामान की मात्रा सम्बन्धी आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी खेल-कूद के सामान की कुछ वस्तुओं का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है ।

	वार्षिक उत्पादन
1. हाकी तथा क्रिकेट की गदें	3,60,000 नग
2. टेनिस और स्वकेश रेकिट	5,60,000 ,,
3. बेडमिन्टन के रेकिट	1,13,000 ,,
4. हाकियां	3,00,000 ,,
5. सभी आकार के क्रिकेट के बल्ले ।	6,00,000 ,,
6. टेनिस	36,000 दर्जन

(ख) औसतन ऊपर लिखी वस्तुओं के कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत निर्यात किया जाता है ।

(ग) प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली वाले देशों को निर्यात किये जाने वाले खेल कूद के सामान पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है ।

अन्य देशों से उत्पादों के अनुसार 10 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक शुल्क लिया जाता है ।

(घ) चूंकि देश की आवश्यकताएं पूरी तरह स्थानीय उत्पादन से ही पूरी हो जाती हैं सामान्य रूप से ऊपर दी गयी खेल कूद की कोई भी वस्तु आयात नहीं की जाती है ।

भारतीय फिल्मों तथा वृत्त चित्रों में सऊदी अरब की रुचि

*8098. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाचारपत्रों की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब ने भारतीय फिल्मों में, विशेषतया कृषि, लघु उद्योग तथा अन्य विकास कार्यों जैसे विषयों पर वृत्त चित्रों में रुचि प्रदर्शित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सऊदी अरब की मांग के प्रति भारत ने भी अपनी रुचि दिखाई है ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). उन्होंने रुचि दिखाई है जिसके बारे में आगे कार्रवाई की जा रही है ।

(ग) डाकुमैंट्रियों के सम्बन्ध में सऊदी अरब की कोई भी मांगें पूरी करने में भारत को प्रसन्नता होगी ।

गैर-कानूनी ढंग से आग्नेयास्त्र बनाना

8099. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में व्यक्तिगत रूप से और गिरोहों द्वारा गैर-कानूनी ढंग से आग्नेयास्त्र बनाये जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है जिनमें इन अवैध आग्नेयास्त्रों के निर्माण में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या इनके चोरी छिपे का पता लगाने के लिये काम करने वाली एजेंसी के पास पर्याप्त उपकरण नहीं हैं और यह हथियार बनाने वालों का मुकाबला नहीं कर सकती; और

(घ) यदि हां, तो इस खतरे की रोकथाम करने के लिये और पता लगाने वाली एजेंसियों को आधुनिक बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). संघ राज्य क्षेत्रों तथा निम्नलिखित राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय तथा त्रिपुरा से अब तक सूचना मिली है । इससे गैर कानूनी ढंग से आग्नेयास्त्र बनाने में वृद्धि का कोई संकेत नहीं मिलता है । शेष राज्यों के संबंध में सूचना, प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जायेगी ।

(ग) और (घ). अन्य बातों के साथ चोरी छिपे आग्नेयास्त्र तथा बन्दूक बनाने का पता लगाने तथा उसे रोकने के लिए उत्तरदायी एजेन्सी राज्य की पुलिस है । बिना लाइसेन्स के आग्नेयास्त्रों को बनाने समेत विधि तथा व्यवस्था संबंधी सभी स्थितियों से निपटने के लिए उसकी समस्त क्षमता तथा कार्यकुशलता आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों के माध्यम से

लगातार सुधार किया जा रहा है ।

वर्ष 1974 में देश के विभिन्न भागों में बरामद किये गये विस्फोटक पदार्थ

8100. **श्री सतपाल कपूर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1974 में देश के विभिन्न भागों में बरामद किये गये विस्फोटक पदार्थों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) और (ख). राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात विधान सभा के विघटन के बारे में भूतपूर्व राष्ट्रपति का वक्तव्य

8101. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री आर० वी० बड़े :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 10 अक्तूबर, 1974 के "स्टैट्समैन" में प्रकाशित भूतपूर्व राष्ट्रपति वी० वी० गिरी के इस वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया गया है "कि गुजरात विधान सभा के विघटन की घोषणा करते समय (श्रीमती इन्दिरा गांधी) ने मुझे पूर्व सूचित न करने की गलती की थी";

(ख) इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस प्रकार की घटनायें अन्य अवसरों पर भी हुई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). इस विषय पर लोक सभा में 18-3-1974 को गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० समूह के प्रबन्ध अधिकारियों में परिवर्तन

8102. **श्री के० एम० मधुकर :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री बसन्त साठे :
श्री भाऊ साहेब धामनकर :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० समह के कुछ उच्च प्रबन्ध अधिकारियों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति लगाये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और उद्देश्य क्या हैं ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार तथा सभी राजनीतिक दलों ने ऐसे परिवर्तनों का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के उच्च पदाधिकारियों के मामलों में हाल ही में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं :—

(1) श्री के० एल० पुरी, महाप्रबन्धक हरिद्वार एकक का स्थानान्तरण नई दिल्ली में महाप्रबन्धक, सर्विसेज एण्ड स्पेयर्स डिवीजन के रूप में कर दिया गया है ।

(2) श्री ए० के० खोसला, वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक हरद्वार एकक को हरद्वार एकक में महाप्रबन्धक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है ।

(3) श्री बी० एस० सामंत, वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक भोपाल एकक को इलाहाबाद में भारत पम्पर्स एण्ड कम्प्रैशर्स लि० के महाप्रबन्धक के रूप में नियुक्त किया गया है ।

(4) श्री एफ० हक, सर्विसेज एण्ड स्पेयर्स प्रभाग के महाप्रबन्धक का स्थानान्तरण भोपाल, एकक में महा प्रबन्धक के रूप में कर दिया गया है ।

(5) श्री एम० एस० पदमनाभन, महा प्रबन्धक भोपाल एकक का स्थानान्तरण नई दिल्ली में कम्पनी के नये कार्यों को देखने के लिए किया गया है ।

इन परिवर्तनों के मुख्य उद्देश्य ये हैं :—

(i) संगठन की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना ।

(ii) कपनी के संचालन कार्यों से विभिन्न पहलुओं में उच्च प्रबन्ध स्तर के कार्यकारियों का अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना ।

(iii) उच्च प्रबन्ध अधिकारियों के निचले स्तर के लिये चुनौतीपूर्ण (चेलेंजिंग) अवसर प्रदान करना ।

ये परिवर्तन संबंधित व्यक्तियों की योग्यता, अनुभव और क्षमताओं तथा कंपनी में उच्च प्रबन्ध के विभिन्न पदों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किये गये ।

(ग) तथा (घ). यद्यपि इन स्थानान्तरणों के खिलाफ विशेष प्रकट करने वाली कुछ रिपोर्टों के बारे में सरकार को जानकारी है फिर भी, मध्य प्रदेश सरकार या किसी राजनैतिक दल की ओर से कोई सरकारी विरोध पत्र, प्राप्त नहीं हुआ है ।

नेशनल कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा नियंत्रित कपड़े के भंडार का उठाया जाना

8103. **श्री बनमाली बाबू :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कपड़ा मिलों में पड़े नियंत्रित कपड़े के भंडार को नैशनल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा नहीं उठाया गया है और वह गोदाम में पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उसका शीघ्र निपटान किस प्रकार करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कपड़ा मिलों में पड़े नियंत्रित कपड़े का अधिकांश स्टाक उन गांठों को छोड़कर उठा लिया गया है, जो कम चौड़ाई और घटिया किस्म की थीं और तदनुसार लोगों को पहनने के काम के लिए स्वीकार्य नहीं थीं ।

(ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसंघ द्वारा राज्य सरकारों और राज्य उपभोक्ता सहकारी परिसंघों की सहायता से नियंत्रित कपड़े की बिक्री योग्य किस्मों की शेष मात्रा को उठाने के लिए विभिन्न उपायों द्वारा भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिनमें मात्रा सम्बन्धी पाबन्दी में ढील देना, राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में स्टाक के हस्तांतरण की अनुमति देना, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में अधिक खुदरा निकासों की व्यवस्था करना, बैंकों से राज्य परिसंघों और थोक उपभोक्ता सहकारी भंडारों को अधिक कार्यकर पूंजी की सुविधायें दिलाने की व्यवस्था करना, व्यापक प्रचार करना आदि भी शामिल है ।

बिहार में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अन्तर्गत बोकारो कोयला खान से कोयला धोने के कारगली स्थित कारखाने तक कोयला ले जाया जाना

8104. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अन्तर्गत कोयला धोने के कारगली स्थित कारखाने में बिना धुला कोयला मजदूरों से इकट्ठा कराने तथा उसे धुलाई

कारखाने तक ले जाने के लिये ठेकेदार रखे गये हैं जबकि इन कार्यों के लिये धुलाई कारखाने में मशीनें लगायी गयी हैं ;

(ख) क्या बोकारो कोयला खान से धुलाई के लिये पावनशाला तक कोयला ले जाने के लिये निर्यात हवाई रज्जूपथ व्यवस्था का प्रयोग नहीं किया जाता है और कोयला सड़क से ले जाया जाता है जिसमें अतिरिक्त व्यय होता है और मार्ग में कोयला चोरी होता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इन कदाचारों पर और इस प्रकार हुई हानियों पर कामथ समिति, सरकार समिति तथा वाणिज्यिक लेखा परीक्षा ने पूंजी जांच के बाद अपना सुविचारित मत व्यक्त किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री, (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बिना धुला कोयला मजदूरों द्वारा एकत्रित कराने के लिए ठेकेदारों को रखना अक्तूबर, 1972 से बन्द कर दिया गया था ।

(ख) और (ग). सन 1958 में बना रज्जुपथ परिचालन कठिनाइयों के कारण 1963 में हटा दिया गया था । कोयले को अब विभाग-वार सड़क द्वारा ढोया जाता है । प्रक्षालन-शाला में प्राप्त कोयले की तौल-पुल पर जांच की जाती है और खान से प्रेषित मशीन अंकित चलानों में दी गई मात्रा के साथ उसका मिलान किया जाता है । कोयला खानों के स्टाक में किसी प्रकार का हेर-फेर नहीं हुआ है ।

(घ) और (ङ). कामथ समिति ने सिफारिश की थी कि बिना धुले कोयले को मजदूरों द्वारा एकत्र कराने के कार्य की व्यापक जांच प्रबन्ध-निदेशक द्वारा की जाए जो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से बाहर के प्रक्षालनशाला विशेषज्ञों की सहायता से हो । केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के कोयला उपयोगीकरण प्रभाग के अध्यक्ष श्री जी० सी० सरकार ने इन समस्याओं का अध्ययन किया था और कुछ सुधारों की सिफारिश की थी । प्रक्षालनशाला स्थल पर उपलब्ध सीमित स्थान के भीतर ही इन्हें कार्यान्वित किया गया । वाणिज्यिक लेखा परीक्षा की हाल ही की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रक्षालनशाला में सुधार और परिवर्तन किए गए हैं, "जिसके फलस्वरूप बिना धुले कोयले को प्रक्षालनशाला में अलग किया जाता है तथा अक्तूबर, 1972 से सभीपस्थ तालाबों में इसे मजदूरों द्वारा एकत्र कराने की जरूरत नहीं रह गई है ।"

श्री सरकाल ने सुझाव दिया कि बिना धुले हुए कोयले की पूरी मात्रा थिकनर्स द्वारा जी जाए । पुराने थिकनर्स में सुधार किया जाए तथा तत्काल छनाई वाले ड्रिमिफिल्टर लगाए जाएं। ये काम किया जा चुका है । स्लरी—सर्किट की क्षमता 15 टन प्रति घंटे से बढ़ाकर 68 से 70 टन प्रति घंटा हो गई है ।

रेलवे द्वारा स्टाक न उठाये जाने के कारण कोयले के स्टाक में आग लगने की आशंका होना

8105. **श्री हरी सिंह :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित कोयला खान प्राधिकरण पूर्वी डिवीजन के प्रबन्ध निदेशक के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि रेलवे द्वारा कोयले के बढ़ रहे भंडार को समय पर नहीं उठाया गया तो उसमें बड़े पैमाने पर आग लग सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर यथाशीघ्र रख दी जाएगी ।

नेवेली में 'सेकंड माइन कट' (दूसरी खान की कटाई)

8106. **श्री था किरुतिनन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार केन्द्र से निरन्तर बल देते हुए अनुरोध करती रही है कि नेवेली में 'सेकंड माइन कट' आरम्भ किया जाय ;

(ख) यदि हां, तो इसकी तत्काल आवश्यकता के लिये क्या कारण दिये गए हैं और

(ग) उस अनुरोध पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). तमिलनाडु सरकार अतिरिक्त बिजली उत्पादन जो लिग्नाइट के बढ़े हुए उत्पादन पर आधारित है, के लाभों को ध्यान में रखकर, नेवेली में दूसरी खान कट करने के लिए जोर दे रही है । सरकार इस परियोजना पर विचार कर रही है ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

8107. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ० ई० आर० ए० के मंत्रियों के ग्रुप ने यह निर्णय किया है कि देश के लिये आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी विदेशी एकाधिकारी फर्मों के जारी रहने के बारे में सम्बन्धित मंत्री ही निर्णय करेगा ।

(ख) क्या इस प्रसंग में यूनीलीवर, लन्दन की एक सहायक कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के मामले पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) मन्त्रियों के दल ने इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को विदेशों में अध्ययन करने के लिए छात्र-वृत्तियां देने में आरक्षण

8108. **श्री वी० के० दासचौधरी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन छात्रों को सरकार द्वारा छात्रवृत्तियां दिये जाने के क्या नियम एवं विनियम हैं जो विदेशों में, कला, विज्ञान, साहित्य और अन्य अत्यधिक तकनीकी और अधुनातन विषयों में आगे अध्ययन करना चाहते हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों से विदेशों में अध्ययन वाले विषयों की प्रत्येक शाखा में अलग अलग कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या विदेशों में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां दिये जाने के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के किसी सिद्धान्त का पालन किया जा रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अनधिसूचित खानाबदोश, अर्ध खानाबदोष जनजातियों तथा अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के लिए 1974–75 के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियों की निर्धारित शर्तों की एक प्रति संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० - 9584/75]

(ख) विषय तथा छात्रवृत्तियों की अलग-अलग श्रेणी संलग्न अनुलग्नक में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिये** संख्या एल० टी०-9584/75]

(ग) राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अनधिसूचित, खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए हैं ।

बिहार के आदिवासी गांवों और हरिजन बस्तियों में पानी के कुएं

8109. **श्री शरद यादव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार बिहार के आदिवासियों गांवों और हरिजन बस्तियों में पानी के कुओं की व्यवस्था करने के मामले में धीमी गति से कार्य कर रही है;

(ख) क्या केन्द्र ने राज्य सरकार से इस समस्या की ओर ध्यान देने के लिये आग्रह करने के लिए कुछ किया है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये राज्य सरकार को विशेष अनुदान देने जैसी कोई सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि भाग (ख) और (ग) में निर्दिष्ट कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । चौथी योजना के गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात 1971–72 से 1973–74 तक, राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लोभ के लिये 319.11 लाख रुपये की लागत से 4362 कुएं और 13474 हैंडपम्प बनवाये ।

(ख) और (ग). पांचवीं योजना के लिये अनुमोदित नीति यह है कि अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिये मुख्य रूप से राज्य योजना के सभी क्षेत्रों द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उनके विकास के लिये विशेष सहायता को पूरक भूमिका का कार्य करना चाहिए । राज्य सरकारें, योजना कार्यक्रमों के प्रत्येक क्षेत्र में जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास में सहायता मिलेगी, जानकारी प्राप्त करने में लगी हैं । जहां तक आदिवासियों की घनी आबादी वाले विशिष्ट क्षेत्रों का संबंध है, राज्य सरकारों व्यय निर्धारित करके व्यापक उप-योजनाएं तैयार करने और उपयुक्त कार्यक्रम बनाने में लगी हैं । वार्षिक योजना के विचार-विमर्श के दौरान राज्य योजना व्यय को अन्तिम रूप देने से पहले संशोधित कार्यक्रम की कठिनाइयों को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा जाता है । पिछड़े वर्गों के प्रभारी राज्य मंत्रियों के हाल के सम्मेलन में इस दृष्टिकोण को दोहराया गया था और कारगर कार्यान्वयन के लिये विशेष सुझाव दिये गये थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मूर्तियों तथा कलाकृतियों की तस्करी करके उन्हें विदेश भेजना

8110. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मूर्तियों और कलाकृतियों को तस्करी कर के विदेश भेजा गया ; और

(ख) उन्हें वापिस लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख). गत 3 वर्षों के दौरान विदेशों को मूर्तियों और कला वस्तुओं की तस्करी के किन्हीं मामलों का अन्तिम रूप से पता नहीं लगा है । तस्करी के चार सन्दिग्ध मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है । जैसे ही उनकी जांच पूरी हो जाती है, उपयुक्त कार्यवाही कर दी जायेगी ।

राज्यों में विद्युत शक्ति के विकास के लिए वार्षिक योजना

8111. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विद्युत शक्ति के विकास के लिए वार्षिक योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

राज्य	वार्षिक योजना परिव्यय (करोड़ रुपये)	वर्ष 1975–76 के दौरान प्रत्याशित अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता 1975-76 (मेगावाट)
1. आन्ध्र प्रदेश	64.60	200
2. असम	15.90	30
3. बिहार	55.55	110
4. गुजरात	63.00	315
5. हरियाणा	48.00	60
6. हिमाचल प्रदेश	7.70	—
7. जम्मू व कश्मीर	20.95	9
8. कर्नाटक	41.00	178.2
9. केरल	21.30	260
10. मध्य प्रदेश	97.91	—
11. महाराष्ट्र	111.15*	556
12. मणिपुर	0.92	—
13. मेघालय	2.10	—
14. नागालैंड	0.72	—
15. उड़ीसा	37.75	120
16. पंजाब	70.09	110
17. राजस्थान	29.00	—
18. तमिलनाडु	39.00	110
19. त्रिपुरा	3.90	10
20. उत्तर प्रदेश	181.06	410
21. प० बंगाल	54.71	120

*अनन्तिम

गुजरात में सीमेंट कारखाने

8112. **श्री अरविंद एम० पटेल :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में सीमेंट कारखाने अपनी क्षमता से कम मात्रा में सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० पी० मौर्य) : (क) गुजरात के कारखानों में 1974 में सीमेंट का उत्पादन इन कारखानों की निर्धारित क्षमता का लगभग 67 प्रतिशत हुआ था।

(ख) कोयले और रेल माल डिब्बों की अपर्याप्त सप्लाई, बिजली की कटौती और कुछ कारखानों में मशीनें खराब हो जाने के कारण मुख्य रूप से उत्पादन में कमी हो गई थी। इन रुकावटों को दूर करने के लिए उठाए गए सम्मिलित कदमों के परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ है। 1975 के पहले तीन महीनों में उत्पादन निर्धारित क्षमता का 84 प्रतिशत रहा है।

Raid on Allahabad Court Post Office

†8113. **Shri Chandra Shailani:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Allahabad Court Post Office was raided by armed goondas on the 4th April, 1975;

(b) if so, the amount looted and the value of property damaged; and

(c) whether any employee of the post office received injuries during the raid?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) to (c). Some armed men had entered the Allahabad Court Post Office on 4th April, 1975 and had taken away a sum of Rs. 95,578 at gun point. No postal employee was injured.

दिल्ली में पुलिस इंस्पैक्टरों और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट आफ पुलिस की पदोन्नति

8114. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुलिस इंस्पैक्टरों और डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस को पदोन्नत करने के लिये विभागीय समिति की बैठक काफी लम्बे समय से नहीं हुई है;

(ख) क्या समिति की बैठक न होने के परिणामस्वरूप पुलिस इंस्पैक्टरों और डिप्टी सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस के अनेक पद रिक्त पड़े हैं ; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) इन्सपैक्टरों के पद के लिए पदोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 30 और 31 अगस्त, 1974 को हुई थी

और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस के पद के लिए पदोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (चयन समिति) की बैठक 17 और 18 अप्रैल, 1975 को हुई थी।

(ख) और (ग). दिल्ली में पुलिस इंस्पैक्टर का कोई पद खाली नहीं है। डिप्टी इंस्पैक्टर आफ पुलिस के केवल 7 पद खाली हैं और इन्हें बहुत जल्दी भरा जायेगा।

अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए प्रभावकारी प्रणाली का विकास

8115. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :**
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सब राज्यों ने अत्यावश्यक वस्तुओं के प्राथमिकता के आधार पर वितरण के लिए क्षेत्र निर्धारित कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या नियंत्रक निकायों ने परिवीक्षण और ढांचे का प्रबन्ध करने और प्रणाली को चालू रखने के लिए किसी प्रभावकारी प्रणाली का विकास किया है जिससे मूल्य नियंत्रित किये जा सकें और सामान्य जनता की कालाबाजारी, वजन और मापों के धोखे, मिलावट और जमाखोरी से रक्षा की जा सके; और

(ग) अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई की इस प्रस्तावित नई योजना को कब तक जारी रखा जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). राज्य सरकारों के नियंत्रण में आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले से ही है। देश भर में खाद्यान्नों तथा चीनी के लिये लगभग 2.13 लाख राशन। उचित मूल्य की दुकानें, मिट्टी के तेल के लिये पर्याप्त संख्या में खुदरा निकास और नियंत्रित कपड़े के लिये लगभग 19,000 खुदरा निकास हैं। इस वितरण प्रणाली का ढांचा और उसका संचालन राज्य सरकारों द्वारा गठित तथा नियंत्रित किया जाता है। संसद ने हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है जिस से कि इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये वितरण तथा नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने के लिये और अधिक कड़े दण्ड तथा संक्षिप्त विचारणा की व्यवस्था की जा सके। राज्य सरकारों द्वारा चलाये गये अभियानों के परिणामस्वरूप जनवरी से नवम्बर, 1974 तक की अवधि के दौरान खाद्यान्नों और आवश्यक वस्तुओं से सम्बंधित अपराधों के बारे में आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य विनियमों के अन्तर्गत 30,490 से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये थे। 7,902 व्यक्तियों को सजा हुई थी और उसी अवधि में 15,475 संक्षिप्त विचारणाएं की गईं।

राज्यों के खाद्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों के हाल में हुए क्षेत्रीय सम्मेलन में हुई चर्चा के अनुसरण में राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जरूरतमंद इलाकों में प्राथमिकता वाली आवश्यक वस्तुओं के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बढ़ायें और उसका विस्तार करें, उपभोक्ता आन्दोलन का विकास करें जिसमें समितियां होंगी, जिनमें महिला संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिन्हें आवश्यक वस्तुओं के वितरण, खुदरा निकास के पर्यवेक्षण, मिलावट तथा अन्य कदाचारों, जिनमें तोल तथा माप से संबंधित कदाचार भी शामिल हैं, को रोकने से संबंधित

सांविधिक शक्तियां प्राप्त होंगी, नागरिक पूर्ति संगठन और बाजार आसूचना प्रणाली को मजबूत करें । यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसपर कार्यवाही चलती रहती है और इस समय भी चल रही है। हाल ही के महीनों में थोक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नीचे आये हैं और जनता के कमजोर वर्गों को वितरण हेतु आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है ।

Price of HMT Watches

8116. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state: (a) whether the more the demand for H.M.T. watches is increasing the more their prices are being raised by Government.

(b) whether their prices were increased 2 months ago; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. C. George): (a) to (c). There have been unprecedented increase in the cost of production of watches since January, 1974 due to the increase in the cost of copper, stainless steel items, acrylic sheets, plastic boxes and certain imported components. Cost of tools has also gone up considerably due to excise levies on carbide products. In addition, fluctuations in the foreign exchange parity rates has also resulted in increased cost in rupees for all imported components. Hindustan Machine Tools have, therefore, been compelled to revise the selling prics of their watches. It would, therefore, not be correct to state that the prices have increased because of the large demand for such watches.

Country-made pistols seized from a woman at Dabhoi. Station in Baroda District

†**8117. Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the news-item appearing in 'Nav Bharat Times' dated the 22nd March to the effect that nine country-made pistols have been seized from a woman at Dabhoi Station in Baroda District;

(b) if so, whether an enquiry into this incident was made by Government; and

(c) if so, the results thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) Yes, Sir. The recovery was from Dabhoi Station in Broach District.

(b) and (c). The accused woman was arrested and a case under the Arms Act was registered against her. Her interrogation led to further recoveries of country-made pistols. 13 cases have so far been registered under the Arms Act against the accused persons. Further investigation is in progress.

News-item "Alleged misbehaviour with a Harijan Leader"

†**8118. Shri Chhatrapati Ambesh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether his attention has been invited to the news-item under the caption "Harijan neta se duryavahar ka aarop" (alleged misbehaviour with a Harijan leader) published in the *Nav Bharat Times* dated the 4th March, 1975; and

(b) if so, the full facts of the incident and the action being taken by Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) Yes. Sir.

(b) Facts are being ascertained.

Working group for making study of jail administration

†8119. **Shri Atal Bihari Vajpayee:**
Shri Madhavrao Scindia:
Shri Jagannathrao Joshi:
Shri R. V. Bade:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the woring group apopinted in 1972 for making a sutdy of jail administration as also the condition of jails had submitted its report in November, 1973;

(b) the terms of reference and the recommendations thereof and which of the recommendations have been implemented;

(c) Government's reaction to the remaining recommendations; and

(d) whether an enquiry of the jails would again be got conducted by a high level committee in the context of their deteriorating condition and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) The Report was submitted on 5th December, 1973.

(b) and (c). The terms of reference and the main recommendations would be available in the Report, copies of which have been given to the Parliament House Library on 23rd October, 1974.

The Report is still under examination of the different State Governments. 'Jail' being a State subject. it is for the State Governments to accept and implement the recommendations. The Government of India, as a coordinating agency, will tae such measures as would be desired by the States after examination of the Report.

(d) The problems and drawbacks of the jail administration have been adequately identified by various committees appointed by different State Governments as well as the Central Government in the past and a speedy modernisation programme could not be implemented so far because of financial constraints. In this context a further enquiry by a high level committee does not seem to be necessary.

आधुनिक धार्मिक योगियों से अमरीकी गुप्तचर विभाग का संबंध

8120. **श्री राजदेव सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत दशाब्दी के दौरान जेट तथा इंपाला ब्रांड के जिन धार्मिक योगियों का उदय हुआ है, वे अमरीकी गुप्तचर विभाग से संबंधित है क्योंकि वे उस धार्मिक सम्प्रदाय, जिससे वे संबंधित होने का दावा करते हैं के बारे में बोलने के बजाए राजनीति की बातें तथा कार्यवाहियां अधिक करते हैं, और

(ख) क्या सरकार का विचार उनके आय के साधनों का पूरी तरह से जांच कराने का है क्योंकि स्पष्ट ही उनके खर्चे के संदर्भ में उनकी आय कोई बहुत अधिक नहीं है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख). विशिष्ट व्यक्तियों के संदर्भ में विशेष ब्यौरा उपलब्ध न होने के कारण ठीक-ठीक उत्तर देना संभव नहीं है। किन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सी० आई० ए० समेत विदेशी आसूचना संगठनों की गतिविधियों के संबंध में कड़ी सतर्कता बरती जाती है।

रोजगार की वृद्धि की वार्षिक दर

8121. **श्री मधु लिमये** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/योजना आयोग ने 20 वर्षों की आयोजना के दौरान निर्माण करने और निकालने और खानों में, सेवाओं में तथा वितरण और व्यापार में रोजगार की वृद्धि की वार्षिक दर का हिसाब लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक वर्ष के आंकड़े तथा इस अवधि में इन तीन क्षेत्रों में से प्रत्येक में वृद्धि की औसत वार्षिक दर क्या रही है ;

(ग) क्या एक विकासशील देश के लिए तृतीयक क्षेत्र (सेवाओं और वितरण तथा व्यापार) में रोजगार की वृद्धि दर अत्यधिक नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह गलत योजना प्राथमिकताओं और कृषि, लघु उद्योगों तथा उपभोक्ता उद्योगों की उपेक्षा किए जाने का परिणाम है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस अस्वस्थ प्रवृत्ति को बदलने के लिए क्या सुधारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). आर्थिक गतिविधियों के व्यापक क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि की वार्षिक दर की मापने के सही, पूर्ण और तुलनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बहरहाल, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार मार्केट सूचना कार्यक्रम से अनुमानित वष 1961 से 1966 के दौरान और वर्ष 1966 से आगे प्रत्येक वर्ष के लिए अर्थ-व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर क्रमश : संलग्न विवरण 1 और 2 पर दी गई है। [ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 9585/75]

(ग) उपलब्ध आंकड़ों से यह पता नहीं लगता कि तृतीयक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर अत्यधिक है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

हाशीश तथा अन्य औषधियों वाली डाक वस्तुयें

8122. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 1975 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हाल ही में राजधानी में प्राप्त बहुत से पत्रों और लिफाफों में हाशीश और अन्य नशीली औषधियां पाई गई थीं ;

(ख) क्या अन्य डाक वस्तुओं में डाक विनियमनों के विरुद्ध बची खुची चल मुद्रा जेवरात और चावल और खाद्य पदार्थों तक के नमूने मिले थे ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच भी की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख). विदेशों को जाने वाले कुछ पत्र और पार्सल नई दिल्ली के विदेश डाकघर में विभिन्न तारीखों को प्राप्त हुए थे, जिनमें ऐसी विविध प्रकार को वस्तुएं रखी हुई थीं ।

(ग) नई दिल्ली का विदेश डाकघर विदेशों को जाने वाली वस्तुएं डाक से प्रेषण के दौरान प्राप्त करता है । ऐसी निषिद्ध डाक वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिकारी रोक लेते हैं, जो मामलों की जांच या तो स्वयं करते हैं या केन्द्रीय जांच ब्यूरो जैसी दूसरी एजेंसियों के जरिए कराते हैं । डाक विभाग ऐसी जांच नहीं करता है ।

"सेटलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम" के संबंध में प्रगति

8123. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 'सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपैरीमेंट प्रोग्राम' की व्यवस्था करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उक्त परियोजना में भारत के साथ कौन-कौन से देश सहयोग कर रहे हैं और उस पर कितना खर्च आने का अनुमान है;

(ग) इस टेलीविजन प्रोग्राम के अन्तर्गत कौन-कौन से स्थान अथवा राज्य आयेंगे ; और

(घ) क्या उक्त टेलीविजन प्रोग्राम केवल एक प्रकार के सीमित कार्यक्रम ही रिले करेंगे ; यदि नहीं, तो तत्संबंधित मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) (1). अन्तरिक्ष विभाग, जो प्रयोग के "हार्डवेयर" संबंधी पहलुओं के लिये उत्तरदायी है, ने अहमदाबाद में एक्सपैरीमैंटल सेटलाइट कम्यूनिकेशंस अर्थ स्टेशन स्थापित किया है जो ज्यों-स्टेशनरी (Geo-Stationery) सेटलाइट ए० टी० एस०-6 को कार्यक्रम प्रेषित करेगा । दो और "अर्थ स्टेशन" दिल्ली और अमृतसर में

स्थापित किये जा रहे हैं। सेटलाइट से कार्यक्रम लगभग 2400 डाइरेक्ट रिसेप्शन सेटों पर प्राप्त होंगे। ये सेट आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा के 6 राज्यों के कतिपय जिलों के चुने हुए गांवों में लगाये जा रहे हैं। चुने हुए गांवों में लगभग 1600 सेट पहले ही लगाये जा चुके हैं। शेष गांवों में टेलीविजन सेट लगाने का काम चल रहा है।

(2) आकाशवाणी प्रयोग के "सोफटवेअर" संबंधी पहलुओं से संबंधित है। इस प्रयोजन हेतु आकाशवाणी ने प्रयोग के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए दिल्ली, हैदराबाद और कटक में 3 टेलीवीजन बैस प्रोडक्शन सेन्टर स्थापित किये हैं। 350 घंटों से अधिक की अवधि का कार्यक्रम पहले ही तैयार कराया जा चुका है और एक अगस्त को जब प्रयोग शुरू होना है, से पहले दो महीने का कार्यक्रम तैयार कर लेने का प्रस्ताव है।

(ख) ए० टी० एस०–6 अमरीका के नेशनल ऐरोनोटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है और इसे एक वर्ष के लिये भारत सरकार को निःशुल्क सौंपा जा रहा है। इस परियोजना पर भारत सरकार का अनुमानित व्यय इस प्रकार है : अन्तरिक्ष विभाग लगभग 9 करोड़ रुपये ; सूचना और प्रसारण मंत्रालय 3 करोड़ 16 लाख रुपए।

(ग) डाइरेक्ट रिसेप्शन सेट नीचे निर्दिष्ट 6 राज्यों के कतिपय जिलों के विशेष रूप से चुने हुए गांवों में लगाये जायेंगे ;

राज्य	जिले
1. आन्ध्र प्रदेश	कर्नूल, महबूबनगर, हैदराबाद और मेडक।
2. बिहार	चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा।
3. कर्नाटक	बीजापुर, गुलबर्ग और रायचूर।
4. मध्य प्रदेश	बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग।
5. राजस्थान	जयपुर, सवाई माधोपुर और कोटा।
6. उड़ीसा	सम्बलपुर, घनकानल और बौध।

(घ) सेटलाइट एक विडियों और दो ओडियो चेनल उपलब्ध करेगा। इस प्रकार कम से कम दो राज्यों के लिये संयुक्त पिक्चर कायक्रम होगा। संबंधित राज्यों के लिये कृषि, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, प्राथमिक शिक्षा, आदि के क्षेत्रों में कार्यक्रम विशेष रूप से तैयार किये गये हैं। इस प्रकार कार्यक्रम राज्यों के कवरेज और कार्यक्रमों के स्वरूपों दोनों के बारे में सीमित हैं। मनोरंजन, समाचार और सामयिकी कार्यक्रम जैसे सामान्य रुचि के कायक्रम भी होंगे। प्रातः कालीन प्रेषण में प्राइमरी स्कूल प्रसारण हिन्दी, उड़िया, कन्नड़ और तेलुगु चार भाषाओं में होगा।

परमाणु सहायता के लिए भारत और कानाडा के बीच वार्ता

8124. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को परमाणु सहायता देने के प्रश्न पर अप्रैल, 1975 में भारत और कनाडा के बीच बार्ता हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता के क्या परिणाम रहे :

(ग) क्या कनाडा की सहायता से स्थापित किये जा रहे हमारी परमाणु परियोजनाओं के लिये कनाडा सहायता देने के लिये सहमत हो गया है ; और

(घ) क्या इस बारे में कोई अन्तिम समझौता हुआ है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). बातचीत अभी चल रही है ।

कर्मचारियों के निलंबन के बारे में नियमों का बनाया जाना

125. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसी सरकारी कर्मचारी को उसके विरुद्ध जांच को पूरा किये बिना दीर्घावधि के लिये निलंबित न रखने के लिये नियम बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं श्रीमान् । जिन परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी को निलम्बित रखा जा सकता है, उनके सम्बन्ध में नियम तथा अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं । निलम्बन की तारीख से तीन महीने के भीतर सरकारी कर्मचारी पर अभियोग के मामले में किसी न्यायालय में आरोप पत्र दर्ज करने अथवा विभागीय कार्रवाइयों के मामले में सरकारी कर्मचारी को आरोप-पत्र देने, इसमें जो भी स्थिति हो, के सम्बन्ध में पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए और जिन मामलों में ऐसा करना सम्भव न हो, वहां अनुशासनिक प्राधिकारी को देरी का कारण बताते हुए अपने से अगले उच्च अधिकारी को मामले की सूचना देनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, यदि वह प्राधिकारी जो सरकारी कर्मचारी को निलम्बन पर रखता है, चल रही जांच के दौरान किसी समय यह महसूस करता है कि सरकारी कर्मचारी की और आगे बिना निलम्बित रखे, जांच चालू रखी जा सकती है तो वह निलम्बन के आदेश रद्द कर सकता है। आरोप-पत्र दिए जाने के बाद अनुशासनिक कार्यविधि में विभिन्न चरणों के लिए एक समय सारिणी भी निर्धारित की गई है, जिससे निलम्बित अधिकारी के विरुद्ध जांच पूरी होने में अनावश्यक देर न हो सके । इसके अतिरिक्त, निलम्बन में किसी अधिकारी को सम्भावित कठिनाई को कम करने के लिए, उसे निर्वाह भत्ता उस राशि के बराबर दिया जाता है जो अर्द्ध औसत वेतन तथा महंगाई भत्ते पर अवकाश वेतन के बराबर होगी और इसकी छह महीने के बाद समीक्षा भी की जानी होती है । नियमों में यह व्यवस्था है कि यदि जांच के पूरे होने में देरी की सम्भावना हो, जो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को विलम्बकारी चालों से लक्षित न हो तब निर्वाह भत्ते की दर में उचित राशि की वृद्धि की जा सकती है, जो निर्वाह भत्ते के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । यदि, अन्ततः सरकारी कर्मचारी पर लगाए गए सभी आरोपों से उसे पूर्णतया मुक्ति मिल जाती है और निलम्बन को पूर्णतया अन्यायपूर्ण ठहराया जाता है तो सरकारी कर्मचारी निलम्बन की अवधि के लिए पूरे वेतन तथा भत्ते का भी हकदार होता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात की कम सप्लाई होने के कारण संतलदिह बिजलीघर के निर्माण-कार्य में विलम्ब होना

8126. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की कम सप्लाई होने के कारण संतलदिह बिजलीघर के निर्माण-कार्य में विलम्ब हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उप-योजना को प्रस्तुत करने से पूर्व उड़ीसा सरकार द्वारा आरंभ किये गये भारतीय आदिवासी विकास कार्यक्रम (आई० टी० डी० पीज)

8127. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार को उप-योजना प्रस्तुत करने से पूर्व भारतीय आदिवासी विकास कार्यक्रमों (आई० टी० डी० पीज) को चालू करने की घोषणा कर दी है ।

(ख) राज्य सरकार और केन्द्रीय सहायता से इन परियोजनाओं के लिये की गई आयोजन व्यवस्था सहित चालू घोषित किये गये आई० टी० डी० पीज की, परियोजनावार और तारीखवार, कुल संख्या क्या है ; और

(ग) भारत सरकार को उड़ीसा की यह उप-योजना कब प्राप्त हुई थी और इसे कार्यरूप देने के लिए कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

गृह-मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) . उड़ीसा सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गोपनीय रिपोर्ट लिखने की वर्तमान पद्धति को बदलना

8128. **श्री के० मालन्ना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोपनीय रिपोर्टों की वर्तमान पद्धति को बदलने तथा इसके स्थान पर सरकारी कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन अन्य तरीकों से करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) (तथा (ख) : जब कि गोपनीय रिपोर्टों की वर्तमान प्रणाली को बदलने तथा इसके स्थान पर सरकारी कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन अन्य तरीकों से करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, सरकारी कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टें लिखने की योजना के संबंध में कार्मिक प्रशासन संबंधी अपनी रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद हाल ही में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :—

(1) प्रत्येक वर्ष के अन्त में वह अधिकारी जिसकी रिपोर्ट लिखी जानी है, अपने द्वारा किये गये काम का एक संक्षिप्त सार जो 300 शब्दों से अधिक न हो, प्रस्तुत करेगा जिसमें वह अपनी किसी विशेष उपलब्धि का उल्लेख करेगा । इस वितरण को रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिये और यह गोपनीय रिपोर्ट का एक भाग होना चाहिए । रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को रिपोर्ट का मूल्यांकन करते समय संक्षिप्त विवरण पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए और अपनी टिप्पणी देने के बाद तथा मूल्यांकन करने के बाद, सारे दस्तावेज अपने से अगले उच्च अधिकारी, अर्थात् पुनरीक्षण अधिकारी, को दे देना चाहिए । पुनरीक्षण अधिकारी को अपनी टिप्पणी, यदि कोई देनी हो, दे देनी चाहिए और उसे ग्रेडिंग भी कर देनी चाहिए । तथापि, लिपिक-वर्गीय और अन्य श्रेणी के ऐसे वर्ग के कर्मचारियों के मामले में जो एक ही प्रकृति का काम करते रहते हैं, जहां उस अधिकारी द्वारा जिसको रिपोर्ट लिखी जानी है, अपने द्वारा किये गये कार्य का स्पष्ट और ठीक ठीक संक्षिप्त विवरण दिया जाना सम्भव न हो, वहां वर्ष के दौरान उसके द्वारा किये गये कार्य का एक संक्षिप्त विवरण, रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी द्वारा रिकार्ड किया जाना चाहिए ।

(2) वर्तमान गोपनीय रिपोर्ट के फार्मों में अपनी बारी से उच्च-पद पर पदोन्नति के लिये कर्मचारी की योग्यता का मूल्यांकन करने वाले पुनरीक्षण अधिकारी के लिये निम्न प्रकार से व्यवस्था की गई है (क) योग्य, (ख) अभी योग्य नहीं, और (ग) अयोग्य । गोपनीय रिपोर्ट के वर्तमान फार्म में से 'अयोग्य' शब्द को निकाल दिया जायेगा ।

(3) गोपनीय रिपोर्ट निष्पादन अभिमुख होनी चाहिए और फार्म में जिस अधिकारी के बारे में रिपोर्ट लिखी जा रही है, उसके कार्य का उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन करने के लिये पर्याप्त स्थान होना चाहिए ।

उपयुक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त अनुदेश शीघ्र ही जारी किए जा रहे हैं ।

पनबिजली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धनराशि

8129. **श्री वरके जार्ज** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पनविजली परियोजनाओं, जैसे ईदीक्की इदामलायर, पम्बा आगमेंटेशन, साइलेंट वैली आदि, का निर्माण कार्य धनराशि की कमी के कारण बन्द हो गया है ।

(ख) गत वर्ष इन परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने संबंधी कार्य को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इदिक्की परियोजना का चरण-एक निर्माण की अग्रिम अवस्था में है, और धन की कमी के कारण परियोजना के कार्य को हानि नहीं होने दी जा रही है । इदामलायर स्कीम पर प्रगति धीमी है, क्योंकि राज्य सरकार इदिक्की परियोजना को समय पर पूरा करने पर अपना ध्यान संकेन्द्रित कर रही है । पम्बा (साबरीगिरी) विस्तार स्कीम और साइलेंट वैली परियोजना को पांचवीं योजना के अन्दर लाभ देने वाली स्कीमों में शामिल नहीं किया गया है और इन स्कीमों पर निर्माण कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया गया है ।

(ख) 1974–75 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशियां इस प्रकार थीं :—

स्कीम का नाम	योजना आयोग द्वारा वार्षिक-योजना— 1974–75 के लिए स्वीकृत परिव्यय
	(करोड़ रुपये)
इदिक्की चरण-एक	12.25
इदिक्की चरण-दो	कुछ नहीं
इदिक्की चरण-तीन	कुछ नहीं
इदामतायार	0.50
साइलेंट वैली	कुछ नहीं
साबरीगिरी विस्तार स्कीम	0.50

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि जो स्कीमें निर्माण के अग्रिम चरण में हैं और जिनके अगले कुछ वर्षों के दौरान लाभ देने की संभावना है उनके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध किया जाए । संसाधनों की तंगी होने पर भी उन नई स्कीमों के लिए, जिनसे पांचवीं योजना के अन्त में या छठी योजना के प्रारंभ में लाभ प्राप्त होंगे, यथासंभव अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के प्रयत्न भी किए जा रहे हैं ।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली की गोल मार्कीट शाखा के सेल्समैन के विरुद्ध शिकायत

8130. **श्री शशि भूषण** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली की गोल मार्कीट शाखा के सेल्समैन द्वारा कपड़ा कम मापे जाने के बारे में बाट तथा माप निदेशक को 7 अप्रैल 1975 को एक शिकायत मिली थी ;

(ख) यदि हां तो निदेशक ने इस मामले में क्या कार्यवाही की ;

(ग) क्या सेल्समैन द्वारा किये गये कम मापने के कदाचार के कारण स्टाक बढ़ जाने का सत्यापन करने के लिए 'स्टोर' को सील कर दिया गया था, और स्टाक की जांच की गई थी ; और

(घ) इस कदाचार में अन्तर्ग्रस्त सेल्समैन और समिति के अन्य अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि तोल तथा माप मानक अधिनियम, 1956 का कार्यान्वयन अपनी-अपनी राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में है इसलिये केन्द्रीय तोल तथा माप निदेशालय द्वारा यह मामला दिल्ली प्रशासन के तोल तथा माप नियंत्रक को कानून के अनुसार आवश्यक जांच-पड़ताल और उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु भेजा गया था । दिल्ली प्रशासन के तोल तथा माप नियंत्रक ने अपनी रिपोर्ट में यह सूचित किया है कि उन्होंने विचाराधीन भंडार का अपने निरीक्षकों के साथ स्वयं निरीक्षण किया था । नियंत्रक ने भंडार में प्रयोग किये जाने वाले दो मीटर के मापों की जांच की थी और उन्हें सही पाया था ।

(ग) भंडार को सील नहीं किया गया है, लेकिन स्टाक की जांच की गई है और कपड़े के वे टुकड़े, जो कम नापे बताये गये हैं, सोसायटी के अधिकारी के पास ताले में रखे गये हैं । प्रत्यक्ष सत्यापन कर्मचारियों द्वारा स्टाक की जांच की गई है और उनकी अंतिम रिपोर्ट की प्रतिक्षा है ।

(घ) सम्बधित सेल्समैन को अपना स्पष्टीकरण देने के लिये 'कारण बताओं' नोटिस जारी किया गया था और उसका उत्तर मिल गया है । अगली कार्यवाही सोसायटी के प्रबंधकों द्वारा अंतिम प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट के प्राप्त होते ही की जायगी ।

Damage caused by fire in Patna G.P.O.

†8131. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state the damage caused by fire in a multi-storeyed office of Patna General Post Office on the night of 1st April, 1975?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): The damage caused to the building, electrical fittings, furniture, etc. by the fire has been estimated at Rs. 33,530/-.

केन्द्रीय कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड की गोल मार्केट शाखा के सेल्समैन तथा उप-महाप्रबंधक के विरूद्ध शिकायतें

8132. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड नई दिल्ली की गोल मार्केट शाखा से 6 अप्रैल, 1975 को बेची गई पैन्टों की स्ट्रेचलोन की लम्बाई माप में कम उतरी थी ;

(ख) उपमहाप्रबन्धक के खरीदारों को सन्तुष्ट न कर सकने तथा उनके साथ दुर्व्यवहार करने पर खरीदारों ने पुलिस से शिकायत की थी ;

(ग) क्या पैन्टों के वे सभी टुकड़े जो नाप में कम उतरे थे बदले दिये गये हैं ; और

(घ) दोषी सेल्समैन तथा समिति उपमहाप्रबन्धक के विरुद्ध उसके दुर्व्यवहार के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हाँ श्रीमान् । कई पैन्टों के कपड़ों की लम्बाई माप में कम पाई गई थी ।

(ख) उप-महाप्रबन्धक, गोल मार्केट शाखा में गये और उन्होंने शिकायतों के निपटाने में भरसक प्रयत्न किया ।

(ग) खरीदारों द्वारा लौटाए गए पैन्टों के टुकड़ों को बदल दिया गया ।

(घ) सेल्समैन के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है और एक 'कारण बताओ' नोटिस जारी कर दिया गया है ।

उप-महाप्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाई करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उन्होंने स्थिति से निपटने के लिये भरसक प्रयत्न किया था ।

दामोदर घाटी निगम का कार्यकरण

8133. **श्री रानेन सेन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी की पूर्णकालिक अध्यक्षता और बिहार तथा पश्चिम बंगाल के अंशकालिक दो सदस्यों के अधीन दामोदर घाटी निगम का नियमित निकाय अब किस प्रकार कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष को इस संगठन को चलाने के लिए पूरे प्रशासनिक कार्यकारी और वित्तीय अधिकार मिले हुए हैं ; और

(ग) यह अध्यक्ष अब वास्तव में किस प्रकार कार्य कर रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दामोदर घाटी निगम संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है । विद्युत् के उत्पादन में, जो निगम का मुख्य कार्य हैं, सुधार हुआ

है । औसत दैनिक उत्पादन, जो 1974–75 के पहले छः महीनों में 10 मिलियन यूनिट से भी कम था, इस समय बढ़कर 14 मिलियन यूनिट हो गया है ।

(ख) और (ग) निगम, जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य हैं, को प्रशासनिक कार्यकारी वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। निगम का कार्य, दामोदर घाटी निगम (कार्य-संचालन) विनियम, 1951 द्वारा नियमित होता है ।

News item "Government advertisements and Indian Newspapers committed to foreign countries"

†8134. **Shri Janeshwar Misra**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the editorial published in the monthly magazine "Janudyog" of October, 1974 under the caption "Sarkari Vigyapan aur Videshon ke prati vachanbaddha Bhartiya Akhbar" (Government Advertisements and Indian Newspapers committed to foreign countries); and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action being taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) Yes, Sir.

(b) Government advertisements are released to newspapers in accordance with the general policy, keeping different factors in view such as impact of advertisements on the public, the targets aimed at and the purpose and subject of advertisements etc. Political affiliaion of a publicaion is not taken into account while placing Government advertisements. It is wrong to say that most of the Government advertisements are given to the monopoly papers.

Government advertisements were not released to any other foreign newspapers published in India except "Readers Digest", during 1973-74 and 1974-75, for which payment was made only in Indian currency.

The other statements made in the editorial are not objective or based on facts.

आशय पत्र/लाइसेंस

8135. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73, वर्ष 1973–74 और वर्ष 1974-75 में कर्नाटक राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्राप्त किये गये आशय-पत्रों और लाइसेंसों की कुल संख्या क्या है और उन उद्योगों के नाम क्या हैं ; और

(ख) इन आशय-पत्रों और लाइसेंसों के अन्तर्गत किन-किन उद्योगों ने उत्पादन शुरू कर दिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) निम्नलिखित सारणी में कर्नाटक राज्य औद्योगिक विकास निगम को वर्ष 1973--74 की अवधि में जारी किए गए आशय-पत्रों और लाइसेंसों की संख्या दी गई है ।

	1972	1973	1974
आशय -पत्र	1	3	5
औद्योगिक लाइसेंस	1	—	2

उक्त आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस निम्नलिखित उद्योगों के सम्बन्ध में हैं :—

तीन पहिये वाले स्कूटर, एसिटेटलो, मैगनेसियम धातु, औद्योगिक गैस, कार्बोरेटर्स, लिन्टर पल्प, सल्फ्यूरिक एसिड आदि मक्का उत्पादन, विस्कोप स्टैपलफाइबल, चीनी और सूती धागे ।

(ख) कर्नाटक राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऊपर बताई गई परियोजना में उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

हिन्दुस्तान टाइम्स समूह के पत्र पत्रिकाओं का संचालन करने के लिए एक न्यास की स्थापना का सुझाव

8136. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1973 में प्रैस परिषद् के अध्यक्ष ने सुझाव दिया था कि प्रस्तावित 'पृथक्करण' कार्यक्रम के विकल्प के रूप में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' समूह की पत्र पत्रिकाओं का संचालन करने के लिये एक न्यास की स्थापना की जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस मामले में क्या निर्णय लिया गया था ; और

(घ) क्या सरकार भारत में एकाधिकार प्रेस को अपने नियंत्रण में लेने के लिये कोई विधेयक पेश करने जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) से (ग) प्रैस परिषद के अध्यक्ष ने व्यक्तिगत हैसियत में श्री के० के० बिरला को हिन्दुस्तान टाइम्स समूह के लिए एक ट्रस्ट स्थापित करने का सुझाव दिया था जो इसको कारगर ढंग से असम्बद्ध करे ताकि एक ट्रस्ट बोर्ड के मध्य स्थापन के द्वारा मालिक को सम्पादक से अलग किया जा सके ;

(घ) समाचार पत्रों को बड़े व्यापार घरानों के हितों से असम्बद्ध करने के प्रश्न पर समाचार-पत्र अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी तथ्य अन्वेषण समिति की रिपोर्ट की रोशनी में विचार किया जा रहा है ।

बालयोगेश्वर का अमेरिकी गुप्तचर विभाग के साथ संपर्क

8137. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान डिवाइन लाइट मिशन के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा दिये गये सार्वजनिक आरोपों की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि तथाकथित आध्यात्मिक गुरु बालयोगेश्वर, अमेरिकी गुप्तचर विभाग से संबद्ध है ;

(ख) क्या हाल ही में बालयोगेश्वर अमरीका से किसी समारोह में उपस्थित होने के बहाने लखनऊ में आए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस देश में उनकी गतिविधियों और सम्पर्कों पर, विशेष रूप से उनका कथित सी० आई० ए० के साथ सम्पर्क होने से, सरकार नजदीक से निगरानी रख रही है ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) इस संबंध में सरकार ने कुछ प्रैस रिपोर्टें देखी हैं ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) सी० आई० ए० समेत विदेशी सहायता आसूचना एजेंसियों की गतिविधियों के बारे में अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है ?

दिल्ली के लिए प्रशासनिक व्यवस्था

8138. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान तीन स्तरीय व्यवस्था होने के बदले दिल्ली के लिए कोई एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नई व्यवस्था के लाभ क्या हैं ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में अनेक स्थानीय प्राधिकारी तथा एजेन्सियां विभिन्न कार्य कर रही हैं । उनको सौंपे गये कार्यों के अच्छे निस्पादन के लिए वे तरीके जिनके अनुसार इनको पुनर्गठित किया जा सके की जांच की जा रही है ।

महानगरों में कानून और व्यवस्था की स्थिति

8139. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, बंगलौर और हैदराबाद के छह प्रमुख महानगरों में गत तीन वर्षों के, वर्षवार और नगरवार अपराध संबंधी आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या इन नगरों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार हुआ है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन छः प्रमुख महानगरों में अपराध रोकने के लिये क्या कायवाही करने का विचार है ;?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1971, 1972 और 1973 को सूचना का एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9586/75] 1974 की सूचना अभी संकलित नहीं की गई है ।

(ख) तथा (ग) प्रदेश अपराध की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है। इसे विभिन्न सामाजिक आर्थिक तत्वों जैसे जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण बेरोजगारी, आर्थिक संकट के कारण माना जा सकता है । संबंधित राज्य सरकारें / प्रशासन अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं ।

राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण में वित्तीय कठिनाइयां

8140. **श्री सरजू पांडे** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य विद्युत बोर्डो के कार्यकरण में वित्तीय कठिनाइयां आ रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अधिकांश राज्य बिजली बोर्डो के पास अपनी परियोजनाओं तथा अन्य विकास कार्यो को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं । इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) संसाधनों की सामान्य तंगी के कारण, वार्षिक योजनाओं में अपर्याप्त वित्तीय प्रावधान ।

(2) परियोजनाओं की बढ़ती हुई लागत ;

(3) ईंधन की उच्चतर लागत, वेतन वृद्धियों आदि के कारण बढ़ता हुआ प्रचालन व्यय ।

कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन की लाइसेंस क्षमता का विस्तार

8141. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के लाइसेंस क्षमता को बढ़ाकर 2000 मैगावाट तक करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के हाल ही के निर्णय की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस निर्णय के बारे में केन्द्र को सूचित किया गया है और क्या केन्द्र ने इस निर्णय की मंजूरी दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) इस विदेशी एकाधिकार कम्पनी की अवधि को पुनः बढ़ाने का क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : भारत सरकार को यह जानकारी है कि कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम के लाइसेंस की अवधि बढ़ाने का प्रश्न कुछ समय से पश्चिम बंगाल सरकार के विचाराधीन रहा है । इस माह के प्रारंभ में पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को यह सलाह दी है कि वे निगम के लाइसेंस में संशोधन करने के लिए सांविधिक कार्यवाही प्रारंभ करने जा रहे हैं ताकि 1-1-1980 से 1-1-2000 तक क्रय पर प्रयोज्य अगले विकल्प को अस्थगित किया जा सके । भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के उपबन्धों के अधीन, राज्य सरकार को लाइसेंस की अवधि बढ़ाने सहित, लाइसेंस की शर्तों और प्रतिबन्धों में परिवर्तन और संशोधन करने के अधिकार प्राप्त हैं ।

दिल्ली के शाहदरा में टेलीफोन एक्सचेंज

8142. श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा (दिल्ली) में एक नया टेलीफोन एक्सचेंज चालू किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था और इसको पूरा करने की निर्धारित अवधि क्या थी ;

(ग) इसके निर्माण कार्य पर कितना समय लग चुका है और इसको पूरा करने में और कितना समय लगेगा ;

(घ) नये टेलीफोन एक्सचेंज की अनुमानित क्षमता क्या है ; और

(ङ) इस परियोजना के वित्तीय पहलू क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां, एक्सचेंज का नाम शाहदरा पूर्व है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है ।

(ख) इमारत का निर्माण कार्य नवम्बर, 1968 में शुरू हुआ था और उपस्कर की स्थापना का काम फरवरी, 1973 में शुरू किया गया था । इसे 1975 के शुरू में चालू हो जाना था ।

(ग) इस काम में करीब छह वर्ष का समय लगा है और अब आशा की जाती है कि यह एक्सचेंज अक्तूबर, 1975 में चालू हो जाएगा ।

(घ) 1000 लाइनें ।

(ङ) इस परियोजना की लागत 49.67 लाख रुपये है । आशा है कि इस से 2.76 लाख रुपये की शुद्ध वार्षिक आय होगी ।

गोआ दमन, और दीव के लिए भारतीय कानूनों को लागू करना

8143. **श्री नीति राज सिंह चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के गैर-ईसाइयों हिन्दू के रीति रिवाजों और प्रथा की संहिता जो पुर्तगाली शासन का एक कानून है, अभी तक गोआ, दमन और दीव पर लागू होती है ;

(ख) क्या उपरोक्त रीति-रिवाजों और प्रथा की संहिता के अन्तर्गत गोआ, दमन और दीव के गैर-ईसाई व्यक्ति एक पत्नी से अधिक रख सकते हैं ;

(ग) उपरोक्त कानून को अब तक न बदलने और इन क्षेत्रों में भारतीय कानूनों को लागू न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) पुर्तगाली शासन के कौन से अन्य कानून इन क्षेत्रों में अभी तक लागू होते हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) तक : गोआ के हिन्दू लोगों की प्रथा तथा रूढ़ि संहिता, दमन के रहने वाले गैर ईसाई लोगों की प्रथा तथा रूढ़ि संहिता तथा दीव के रहने वाले गैर ईसाई लोगों की प्रथा तथा रूढ़ि संहिता के अधीन जो अभी भी गोआ, दमन, तथा दीव में लागू हैं, कथित संहिताओं द्वारा शासित होने वाला व्यक्ति उनमें स्पष्ट की गई कुछ परिस्थितियों में एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। जैसा कि 19-2-1975 को अतारांकित प्रश्न संख्या 262 के उत्तर में बताया गया था कि अधिकांश पुर्तगाली कानूनों को अब केन्द्रीय अधिनियमों तथा संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल द्वारा अधिनियमित कानूनों द्वारा बदल दिया गया है और इन संहिताओं समेत शेष पुर्तगाली कानूनों को बदलने का प्रश्न संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा नियुक्त विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर उस सरकार के विचाराधीन है ।

वर्ष 1975 के लिए अखबारी कागज की मांग का पूरा किया जाना

8144. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के लिये अखबारी कागज की कितनी मांग देशीय साधनों से पूरी की जायेगी ; और

(ख) विदेशों से अखबारी कागज की कितनी मात्रा आयात किये जाने की सम्भावना है ;

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : 1975-76 की लाइसेंसिंग अवधि के लिये 2 लाख 72 हजार टन अखबारी कागज की आवश्यकता होने का अनुमान है । इसमें से 55,000 टन देशीय स्रोतों अर्थात नेपा मिलों से उपलब्ध होने की आशा है । शेष उतनी मात्रा तक जितने की वास्तव में आवश्यकता होगी, आयात किया जायेगा ।

कृषि विकास और उत्पादन के लिए 15 वर्षीय भावी योजना

8145. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 मार्च, 1975 के एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सोवियत संघ के उच्च योजना विशेषज्ञों का मत है कि कृषि विकास के लिए तथा अर्थ-व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में उत्पादित बढ़ाने के लिए भारत में 15 वर्षीय भावी योजना बनाने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रैस रिपोर्ट की विषयवस्तु को नोट कर लिया गया है। बहरहाल, यह उल्लेखनीय है कि 1985–86 तक कृषि विकास को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन सम्भावनाओं को पांचवीं पंच वर्षीय योजना प्रारूप में पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है ।

माईनिंग एण्ड इलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० दुर्गापुर के कुछ स्थाई आदेशों के प्रवर्तन के बारे में रोक आदेश

8146. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्वान डिस्ट्रिक्ट और सैसंस जज, वर्धवान ने माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०, दुर्गापुर के प्रमाणिक स्थाई आदेशों के संशोधित अंश के प्रवर्तन को रोके जाने का आदेश दिया है ;

(ख) क्या उस आदेश को जिसमें संशोधित स्थाई आदेशों को लागू किये जाने को (जिनमें नई पारी में कार्य का समय आदि भी सम्मिलित है) और क्या पालन किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन में श्रमिक संघों में से दो सदों ने माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के प्रामाणिक स्थायी आदेश के विरुद्ध जिला और सत्र न्यायाधीश, वर्धवान के न्यायालय में अपील की है । औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 7 के अनुसार अपील का दायर होना स्थगन आदेश के रूप में कार्य करता है । जिला तथा सत्र न्यायाधीश ने कोई विशिष्ट स्थगन आदेश नहीं दिया है ।

(ख) मामले में अंतिम निर्णय होने तक माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन ने संशोधित स्थायी आदेश के प्रवर्तन को रोक दिया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोयला खानों से कोयले की चोरी

8147. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की विभिन्न कोयला खानों से 2 करोड़ रुपये के मूल्य का कोक तथा कोयला गायब पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस हार्ड कोक तथा कोयले की मात्रा कितनी थी और किस-किस कोयला खान से कितनी कितनी मात्रा में गायब पाया गया तथा इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कोयला खानों में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्देश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : 1972–73 तथा 1973–74 में 96 लाख रुपये मूल्य का 60,210 टन हार्ड कोक भारत कोकिंग कोल लि० की शटडी, खारखारी, प्रहेशपुर, फलेरीटाड, लोयाबाद, कुसुन्दा, दक्षिणी झरिया, कुजमा, भूलनबारी, भूरागढ़, पश्चिमी भुटीडीह, तेतुलमारी, गोपालीचक, निछीतपुर, गोधुर, राजापुर, दोबारी, पाथरडीह तथा विक्टोरिया कोयला खानों में कम पाया गया था । इन कोयला खानों के प्रबंधकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाई की गई है । एक प्रबंधक को सेवा से निकाल दिया गया, एक प्रबंधक ने कमी की पुष्टि होने से पूर्व ही नौकरी छोड़ दी और एक प्रबंधक ने अपनी बर्खास्तगी के विरूद्ध न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त करली है । अन्य मामलों में विभागीय पूछताछ चल रही है । अनुशासनिक कार्यवाही के अलावा, कम्पनी द्वारा इस छिटपुट चोरी को रोकने के लिए सुरक्षा प्रबंधों को कड़ा कर दिया गया है ।

उर्दू का दर्जा

8148. **श्री झारखण्डे राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा दिल्ली में कतिपय उद्देश्यों के लिए, संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन उर्दू को विशेष दर्जा देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओममेहता) : (क) तथा (ख) : 14 जुलाई, 1958 के नीति सम्बन्धी वक्तव्य में, जिसकी एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई थी, उर्दू के विकास और उत्थान के लिए व्यापक उपाय निर्धारित किये गये हैं । इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि जिन क्षेत्रों में उर्दू प्रचलित है, वहां निम्नलिखित विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए :—

1. जिन बच्चों की मात भाषा उनके माता-पिता द्वारा उर्दू घोषित की जाती है उन सबको प्राथमिक अवस्था में उर्दू में पढ़ाने और परीक्षा देने की सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

2. अध्यापकों के प्रशिक्षण और उर्दू में पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था करने के लिए प्रबन्ध किये जाने चाहिए ।

3. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर उर्दू में पढ़ाने के लिये सुविधाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

4. सभी न्यायालयों और कार्यालयों द्वारा किसी अन्य भाषा अथवा लिपि में अनुवाद अथवा लिप्यन्तरण की आवश्यकता के बिना उर्दू में दस्तावेज़ स्वीकार किये जाने चाहिए: और उर्दू में याचिकाएं तथा अभ्यावेदन भी स्वीकार किये जाने चाहिएं ।

5. महत्वपूर्ण कानून, नियम तथा विनियम और अधिसूचनाएं (अथवा कम से कम उनका सारांश) उन क्षेत्रों में उर्दू भाषा में भी जारी किये जाने चाहिएं, जहां यह भाषा प्रचलित है और जिसका इस प्रयोजन के लिए विशेष उल्लेख किया जा सकता है ।

राज्य सरकारों से उपरोक्त नीति के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपाय अपनाने का अनुरोध किया गया है । केन्द्र सरकार और भाषाजात अल्प संख्यकों के आयुक्त यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उपरोक्त नीति के अनुसरण में उर्दू के विकास और उत्थान के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं, सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखते हैं ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण

8149. श्री शंकर राव सांबत : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) इन संस्थाओं पर सरकार का किस प्रकार का नियंत्रण है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 31-3-1975 तक मान्यता प्राप्त सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के अनुसंधान और विकास एककों के नामों का ब्यौरा सभा पटल पर प्रस्तुत है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०-टी०-9587/75]

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग पर, मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास एककों की, अनुसंधान एवं विकास के लिए आयात आवश्यकताओं के उपयोगीकरण का दायित्व है, और आयात व्यापार नियंत्रण नीति के प्रावधानों के अधीन मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास एककों को हर वित्तीय वर्ष के अन्त में जारी किए गए आयात लाइसेंसों का ब्यौरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को प्रस्तुत करना होता है जिसमें उपस्कर, रसायन तथा दूसरे कच्चे माल की प्रत्येक मद के संबंध में सूचना दी जाती है । सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान तथा विकास एकक तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं अपने-अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रण धीन हैं ।

सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में बिजली-घरों का कार्यकरण

8150. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उन बिजली घरों के क्या नाम हैं जो अपनी क्षमता से आधे से भी कम कार्य कर रहे हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1974–75 के दौरान 50 प्रतिशत से कम संयंत्र गुणांक पर प्रचालित होने वाले बृहत ताप विद्युत और न्यूक्लीय केन्द्रों को दिखाने वाला विवरण संलग्न है। जहां तक जल विद्युत केन्द्रों का संबंध है, जल की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए उत्पादन भिन्न-भिन्न रहा है ।

(ख) क्षमता गुणांक में सुधार लाने की समस्या पर सरकार ध्यान दे रही है और उसने ताप विद्युत केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

(1) अतिरिक्त पुर्जों की पर्याप्त मात्रा में अधिप्राप्ति और भंडार बनाना ।

(2) बायलरों की अभिकल्प आवश्यकताओं के अनुरूप, अनुकूल किस्म के कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करना ।

(3) ताप-विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और रख-रखाव का बराबर संचालन (मानीटरिंग) करना ।

(4) प्रचालन और रख-रखाव कार्मिकों का प्रशिक्षण ।

(5) विभिन्न यूनिटों के कार्य निष्पादन पर निरन्तर निगरानी रखने तथा यथा-आवश्यक तुरन्त सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, कोयला विभाग, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, इन्स्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा, बिजली बोर्डों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके एक स्थायी समिति स्थापित की गई है ।

(6) रख-रखाव प्रक्रियाओं का आधुनीकीकरण और ताप-विद्युत् केन्द्रों की प्रबंध-व्यवस्था में सुधार करना ।

"विवरण"

50 प्रतिशत क्षमता गुणांक से कम पर प्रचालित होने वाले 10 मेगावाट और उससे अधिक के बृहत ताप-विद्युत और न्यूक्लीय विद्युत केन्द्रों के नाम ।

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	प्रतिष्ठापित/ अवधारित (डिरेटिंड) क्षमता (मेगावाट)
1.	कोराडी (महाराष्ट्र)	120
2.	तारापुर (महाराष्ट्र)	420
3.	चोला (महाराष्ट्र)	40
4.	एन्नोर (तमिल नाडु)	340
5.	बेसिन ब्रिज (तमिलनाडु)	90
6.	चन्द्रपुर (दामोदर घाटी निगम)	540
7.	दुर्गापुर (दामोदर घाटी निगम)	250
8.	पतरातु (बिहार)	400
9.	तलचर (उड़ीसा)	250
10.	डी० पी० एल० (पश्चिम बंगाल)	240
11.	संतालडीह (पश्चिम बंगाल)	120
12.	बन्देल (पश्चिम बंगाल)	320
13.	कोठागुडम (आंध्र प्रदेश)	220
	'ख'	
14.	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (राजस्थान)	220
15.	फरीदाबाद विस्तार (हरियाणा)	55
16.	भटिंडा (पंजाब)	110
17.	नेवेली	600

Recovery of wrong telephone bills from Members of Parliament

†8151 **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether undue recovery is made from the Members of Parliament by submitting wrong telephone bills; and

(b) if so, the action taken against the officials responsible therefor?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) No, Sir. Full care is taken in the preparation of telephone bills of Members of Parliament and other subscribers. Whenever complaints of alleged excessive bills are received, the same are expeditiously investigated. The telephone and associated equipment are also thoroughly checked. Rebate, wherever found justified, is allowed.

(b) As no report *mala fide* submission of wrong telephone bills has been received, the question of taking action against the officials does not arise.

रिफ्रैक्टरी एंड सिरैमिक वर्कर्स यूनियन, रानीगंज, पश्चिम बंगाल की ओर से शिकायत

8152. **श्री रोबिन सेन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रिफ्रैक्टरी एंड सिरैमिक वर्कर्स यूनियन, रानीगंज, पश्चिम बंगाल की ओर से ठेकेदार द्वारा ढोये जा रहे कोयले की किस्म तथा मात्रा के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कोयले की ढुलाई के लिए ठेकेदार क्यों नियुक्त किया गया है और इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि इस समय कम्पनी के पास कोयले के विभागीय परिवहन का कोई प्रबंध नहीं है इसलिए ठेकेदारी की सेवायें ली जा रही हैं । इसे विभाग द्वारा चलाये जाने के प्रश्न पर प्रबंधकों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

वायु-प्रदूषण को रोकने के लिए कानून

8153. **श्री हरिकिशोर सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार कानपुर में वायु-प्रदूषण को रोकने के लिये कानून बनाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान एन० इ० ई० आर० आई० नागपुर द्वारा कानपुर में वायु-प्रदूषण का केवल प्रारंभिक सर्वेक्षण किया गया है । संस्थान द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया । फिर भी, भारत सरकार वायु-प्रदूषण को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिये बड़ी तत्परता से एक विधान तैयार कर रही है ।

केरल को सीमेंट का नियतन

8154. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन:** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में केरल राज्य को कितने सीमेंट का नियतन किया गया; और

(ख) उक्त अवधि में इस राज्य को वास्तव में कितना सीमेंट सप्लाई किया गया ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 5.63 लाख मीट्रिक टन ।

(ख) 3.77 लाख मीट्रिक टन ।

Commission to look into Irregularities made by Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

†8155. **Shri Nageshwar Dwivedi:**
Shri Prasannbhai Mehta:

Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether Government had constituted a Commission in April, 1974 to go into the causes of certain irregularities in the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi and if so, the facts thereof; and

(b) whether the Commission has submitted their report and if so, the salient features thereof and Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. P. Sharma): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सिगरेट निर्माता उद्योग में तकनीकी जानकारी

8156. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिग्रेट बनाने में किस प्रौद्योगिकी/वैज्ञानिक जानकारी की आवश्यकता होती है जो भारत में उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या सिग्रेट बनाने वाली कुछ ऐसी कम्पनियां भी हैं जो बिना विदेशी तकनीकी सहयोग के शत प्रतिशत भारतीय जानकारी से कार्य कर रही हैं, यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और इस उद्योग में विदेशी पूंजी की अनुमति देने की आवश्यकता क्या है; और

(ग) 1972–73 में, वर्षवार, विदेशी सिग्रेट निर्माता कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा के रूप में कितना धन स्वदेश भेजा गया ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० पी० मौर्य) : (क) सिगरेट बनाने के लिये जानकारी देश में ही उपलब्ध है ।

(ख) भारत की जानकारी का प्रयोग करने वाली भारतीय कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. मैसर्स गोल्डन टोबेको कं० लिमिटेड, बम्बई
2. मैसर्स मास्टर्स टोबेको कं०; बम्बई
3. मैसर्स त्राउन टोबेको कं० लिमिटेड, बम्बई
4. मैसर्स नेशनल टोबेको कं० लिमिटेड, कलकत्ता
5. मेसर्स नवभारत टोबेको कं० लिमिटेड, हैदराबाद
6. मेसर्स यूनिवर्सल टोबेको कं० लिमिटेड, हैदराबाद

इस उद्योग में नयी विदेशी पूंजी की अनुमति नहीं दी जा रही है।

(ग) सिगरेट बनाने वाली विदेशी कम्पनियों द्वारा भेजी गई धनराशि इस प्रकार है :—

	1971–72	1972–73	1973–74
			(लाख रु० में)
मेसर्स आई०टी०सी० लि०	76.90	227.34	कुछ नहीं
मेसर्स वजीर सुल्तान टोबेको लिमिटेड	9.91	39.22	9.75
मेसर्स ग्राडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड	29.21	12.95	14.44

योजना आयोग के कार्यकरण में आमूल परिवर्तन

8157. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये डिप्टी चेयरमैन के अधीन योजना आयोग के कार्यकरण, अनुसंधान परियोजनाओं, प्राथमिकताएं निर्धारित करने आदि के मामले में इसमें आमूल परिवर्तन किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रक्रियाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) कार्य, अनुसंधान परियोजनाओं, प्राथमिकताओं का निर्धारण आदि से सम्बन्धित मामलों की आवश्यकतानुसार, समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

अलवर में औद्योगिक एककों की स्थापना

8158. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलवर के एक पिछड़ा हुआ जिला घोषित हो जाने के बाद इसके द्रुत औद्योगीकरण के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर विचार इस समय किस चरण में है तथा इस संबंध में अंतिम रूप से निर्णय कब तक लिया जायेगा; और

(ग) इस पिछड़े जिले में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा यदि कोई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ग) अलवर जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला चुना गया है जिसे (1) अखिल भारतीय सावधि ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों से उद्योगों को रियायती दर पर आर्थिक सुविधाओं के लिए, (2) विनियोजन संबंधी राजसहायता की केन्द्रीय योजना (3) आयकर में राहत देने की योजना (4) कच्चे माल, मशीनरी और हिस्से पुर्जों का आयात करने में वरीयता मिलने, (5) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से रियायती शर्तों पर मशीनों की सप्लाई और किराया खरीद के लिए प्राथमिकता की सुविधायें मिल सकती हैं ।

दियासलाई उद्योग में संकट

8159. **श्री पी० वेंकटसुब्बय्या** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाल फासफोरस के अधिक मूल्य के कारण देश में दियासलाई उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस स्थिति का समाधान करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) सरकार को दियासलाई उद्योग के ऐसे किसी संकट का पता नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल होने से वंचित किये गये फील्ड एक्सहिबिशन आफिसर

8160. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ़ील्ड पब्लिसिटी आफ़िसरों तथा फ़ील्ड एक्सहिबिशन आफ़िसरों दोनों को ही सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का प्रचार करने का कार्य सौंपा जाता है;

(ख) क्या जबकि फ़ील्ड पब्लिसिटी आफ़िसरों में पद केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल है, फ़ील्ड एक्सहिबिशन आफ़िसरों को केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल होने से वंचित रखा गया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में फ़ील्ड एक्सहिबिशन आफ़िसरों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी फ़िलहाल केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड–4 में शामिल हैं जबकि क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी फ़िलहाल केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) वेतन आयोग ने क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारियों का वेतनमान क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों के वेतनमान से कम करने की सिफ़ारिश की थी । क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारियों के वेतनमान को क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों के वेतनमान के बराबर करने का प्रश्न वित्त मंत्रालय के परामर्श से उठाया गया है । जब तक इस पर निर्णय नहीं हो जाता, तबतक क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारियों को क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों के समान केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल करने का प्रश्न स्थगित कर दिया गया है ।

"मिश्र विवाह" के बारे में निदेश जारी करना

8161. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के प्रतिवेदन में उल्लिखित मिश्र विवाह सम्बन्धी सुझाव को क्रियान्वित करने के लिये सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट, जिसमें मिश्र-विवाह सम्बन्धी सुझाव है, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके विचार और उचित कार्यवाही के लिए भेज दी गई है । ऐसे मामलों में कोई अन्य निदेशन कोई लाभदायक उद्देश्य सिद्ध नहीं करेगा ।

तिलहनों का वायदा बाजार

8162. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश पर्यन्त कम मात्रा में उपलब्ध होने वाले 24 तिलहनों तथा तेलों में अहस्तांतरणीय निश्चित डिलीवरी करारों सहित वायदा बाजार बन्द करने के लिये वायदा करार (अविनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अन्तर्गत अधिसूचनायें जारी की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां, तिलहनों और तेलों, जिनमें वायदा व्यापार की भी मनाही है, में गैर-कानूनी गतिविधियों के लिये व्यापारियों द्वारा 24 अप्रधान तिलहनों और तेलों को दुरुपयोग न किया जा सके ।

(ख) इसकी मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :

(i) देश भर में 24 अप्रधान तिलहनों और तेलों में अग्रिम सौदों की मनाही है ।

(ii) देश भर में 24 अप्रधान तिलहनों और तेलों में हस्तांतरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी सौदों की भी मनाही है ।

(iii) देश भर में गैर हस्तांतरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी सौदों, जिनमें माल की सुपुर्दगी नहीं की जाती है, लेकिन जिन्हें शेष राशि का भुगतान करके चुकाया जाता है, की भी मनाही है ।

(iv) उन गैर-हस्तांतरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी सौदों के लिये छूट दी जाती है जो पूर्ण रूप से वस्तुओं को वास्तविक रूप से पेश करके और उनकी पूरी कीमत चुका कर किये जाते हैं अथवा जहां काबू से बाहर की परिस्थितियों के कारण वस्तुओं को वास्तविक रूप से पेश करना संभव नहीं होता है अथवा गैर-विधि सम्मत हो जाता है । इन छूटों द्वारा गैर-हस्तांतरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी सौदों के माध्यम से 24 अप्रधान तिलहनों अथवा तेलों के क्रय अथवा विक्रय में यथार्थ रूप से रुचि रखने वाली पार्टियों को अपना व्यापार कार्य करने की अनुमति है, बशर्ते कि इन सौदों में देयी आपात को छोड़कर माल की वास्तविक सुपुर्दगी की जाये और उसकी पूरी कीमत का भुगतान किया जाये ।

सिगरेट निर्माती कम्पनियों के आवेदन पत्र

8163. **श्री नानुभाई एन० पटल** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी पूंजी वाली सिगरेट निर्माती सभी कम्पनियों ने विशेषकर आई० टी० सी०, वी० एस० टी० और गोडफ्रे फ़िलिप्स ने निर्धारित समय सीमा के अन्दर विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम की धारा 28 और 29 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं; और

(ख) क्या इन आवेदन पत्रों पर विचार किया गया है यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) मे० आई० टी० सी० लि०, मे० वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी लि० और मे० गाडफ्रे फ़िलिप्स इण्डिया लि० के आवेदन पत्र, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर रिजर्व बैंक आफ़ इण्डिया को प्राप्त हुए हैं ।

रिजर्व बैंक आफ़ इण्डिया को मे० आई० टी० सी० लि० और मे० दी वजीर सुल्तान टोबैको लि० से भी आवेदन धारा 28(ई) को साथ पाते हुए धारा 28(1) के अधीन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) ये आवेदन अभी रिजर्व बैंक आफ़ इण्डिया के विचाराधीन हैं ।

कोका-कोला निर्यात निगम

8164. **श्री शशि भूषण :**
श्री विजय पाल सिंह :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री कोका कोला निर्यात निगम द्वारा सी० ओ० बी० के लिये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के सेक्शन 29 के अन्तर्गत खण्ड 6 में उल्लिखित आवेदन पत्र के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भेजी गई और अथवा बकाया लेकिन भेजी न गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कम्पनी को दिये गये आयात लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है और ऐसा किस आधार पर किया गया ;

(ग) इसके अपने उत्पादों और कोका कोला निर्यात निगम द्वारा निर्माण न किये जाने वाले अन्य उत्पादों का निर्यात कितना है ;

(घ) क्या विदेशी मुद्रा में शुद्ध आय अथवा हानि हुई है ; और

(ङ) उक्त कम्पनी को भारतीय शेयर के कितने अंशदान की प्रतिशतता की आवश्यकता होगी और कितने समय में ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क और (ख). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) वर्ष 1971 से 1973 तक की सुसंगत जानकरी निम्न प्रकार है :—

वर्ष	निजी उत्पाद	अन्य उत्पाद
	(रु० लाखों में)	
1971 . . .	102.53	43.36
1972 .	134.69	50.19
1973	188.31	52.84

(घ) मे० कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को उपलब्ध कराई गई प्रेषण सुविधाएं निम्न-लिखित हैं :—

(अ) कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन की भारतीय शाखाओं को 1969 से मार्च 1972 के अन्त तक सभी मदों (आयात, लाभ, मुख्यालय के व्यय, विदेश स्थित शाखाओं के सेवा प्रभार आदि) पर उनके द्वारा इन वर्षों में निर्यात द्वारा अर्जित कुल राशि के अधिकतम 80 प्रतिशत तक प्रेषण सुविधायें प्राप्त हैं ।

(ब) अप्रैल, 1972 के बाद से जैसा कि ऊपर अनुच्छेद (क) में बताया गया है कुल मदों पर कम्पनी के अपने उत्पादनों के निर्यात पर 80 प्रतिशत प्रेषण सुविधा प्रदान की गई है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि विदेशों के प्रेषण के लिए स्वीकार किए गए सिद्धांत के अनुसार विदेशी मुद्रा का शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है ।

(ङ) मे० कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा प्राप्त आवेदन बैंक के विचार धीन है । ऐसी आशा है कि बैंक आवेदन आवंटन या वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों जिन्हें सभा पटल पर रख दिया गया था को ध्यान में रख कर निर्णय करेगा ।

विवरण

(क) और (ख). कोका कोला निर्यात निगम द्वारा वर्ष 1971 से 1973 की अवधि में किए गए आयात और विदेशों को किए गए प्रेषण के संबंध में जानकारी निम्नलिखित हैं :—

(लाख रुपयों में)

	विदेशों को प्रेषण			बकाया राशि 31-12-73 को	
	1971	1972	1973	वर्ष	राशि
(1) लाभ . .	60.57	—	76.10	1972	81.37*
				1973	71.23
(2) देश में स्थित कार्यालय प्रभार .	—	—	—	1966–1968	3.53
				1969	35.92
				1970	40.52
				1971	44.90
				1972	48.57
				1973	34.13
(3) अन्य (निर्यात सेवा प्रभार)	—	—	—	1969	11.77
				1970	16.55
				1971	52.38
				1972	24.37
				1973	18.17
(4) आयात . . .	15.05	15.68	24.56		2.24

*1974 में प्रेषित ।

**1974 में 35, 49, 515 रु० की राशि भेजी गई ।

दिल्ली के रिक्शाओं के लिये लाइसेंस

8165. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या दिल्ली में हजारों रिक्शा बिना लाइसेंस चल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनको लाइसेंस देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :(क) और (ख). 1972 में किए गए सामान्य सर्वेक्षण से पता चलता है कि नगर में लगभग 3815 साइकल-रिक्शे चल रहे थे। इस समय 1600 (लगभग) रिक्शे लाइसेन्स शुदा हैं। नगर निगम रिक्शों के वास्तविक मालिक-चालकों को लाइसेन्स देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए प्रायोगिक परियोजना

8166. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में और अधिक आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये प्रायोगिक परियोजना आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में किन-किन अतिरिक्त खाद्य वस्तुओं को शामिल किया जायेगा ; और

(ग) यह कार्य किस एजेंसी को सौंपा जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली दूसरे महानगरों की तरह ही दिल्ली में पहले से ही विद्यमान है। दिल्ली में गेहूं, चावल और चीनी का वितरण करने के लिये लगभग 2,400 उचित मूल्य की दुकानें हैं। दिल्ली में साफ्ट कोक और मिट्टी का तेल क्रमशः लगभग 1,475 और 1,380 निकासों के माध्यम से वितरित किया जाता है। नियंत्रित कपड़े का वितरण चार उपभोक्ता सहकारी भण्डारों, लगभग 75 प्राथमिक भण्डारों और मिलों की लगभग 38 खुदरा दुकानों, जिनमें राष्ट्रीय वस्त्र निगम के खुदरा निकास भी शामिल हैं, के जाल के माध्यम से किया जाता है। दिल्ली में प्राथमिकता वाली आवश्यक वस्तुओं, अर्थात् चावल, गेहूं, चीनी, साफ्ट कोक, मिट्टी का तेल और नियंत्रित कपड़े के बारे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने तथा मजबूत बनाने के लिये दिल्ली प्रशासन की सलाह से एक विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है, जिससे कि दिल्ली प्रशासन द्वारा लागू करने के लिये एक नमूना प्रणाली तैयार की जाये ।

इंडियन डेरी एन्टरप्रेन्युरियल एग्रीकल्चरल लिमिटेड जालौर, राजस्थान

8167. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन डेरी एन्टरप्रेन्युरियल एग्रीकल्चरल लिमिटेड नामक कृषि उद्योग परियोजना का राजस्थान के जालौर जिले में रानी बाड़ा स्थान पर शिलान्यास किया गया है ;

(ख) क्या उक्त परियोजना में एक लाख लिटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक दुग्ध संयंत्र भी शामिल है ;

(ग) क्या इसके अवशीतन संयंत्रों को चार स्थानों पर लगाया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या समस्त परियोजना में कोई विदेशी सहयोग और उपकरण आदि के लिए सहायता भी शामिल है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) अवशीतन केन्द्र भिन्न-भिन्न स्थानों पर लगाए जायेंगे ।

(घ) परियोजना में विदेशी सहयोग का विचार नहीं है । डच और आई० सी० आई० सी० आई० ऋण से उपकरणों का आयात करने की अनुमति दी गयी है ।

इंडियन डेयरी एण्टरप्रोन्योर्स एग्रीकल्चरल कं० लि० केडबरी फ़ाई इंडिया लि० की एक सहायक कम्पनी है जो भारत में चलने वाली शत प्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनी है ।

बिहार में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना

8168. श्री एम० एस० पुरती : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये कोई योजना मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की आशा है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) बिहार राज्य के रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम, 1974-75 के अन्तर्गत कुल 141.27 लाख रुपए की स्कीमें स्वीकार की गई हैं जिनकी रोजगार क्षमता 6342 है ।

(ख) इन स्कीमों की प्रमुख विशेषताएं अनुबन्ध में दी गई हैं । इन स्कीमों पर कार्यवाही 1974-75 में प्रारम्भ करने का कार्यक्रम था ।

विवरण

बिहार राज्य में रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम 1974–75 के अन्तर्गत स्वीकार की गई स्कीमें

क्रम सं०	स्कीम का नाम	कुल परिव्यय (लाख रु०)	कुल रोजगार
1	2	3	4
1	उपांत धन / मूल पूंजी के लिए सहायता . .	—	1150
2	औद्योगिक बस्तियों का निर्माण .	50.05	855
3	विपणन कार्यक्रमों के लिए उपांत धन . .	20.00	430

1	2	3	4
4	निजी नलकूपों/पम्प सैटों की मरम्मत के काम में शिल्पकारों को प्रशिक्षित करने और उनके द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने की माडल स्कीम .	6.70	394
5	दो मुर्गी पालन केन्द्रों की स्थापना . .	3.60	190
6	पशुओं की खालें एकत्रित करने की यूनिटों से सम्बन्धित स्कीम	15.00	150
7	सहकारी पोषकों की स्कीम . .	2.13	76
8	जूते बनाने वाली 75 यूनिटों को मूल पूंजी . .	7.67	200
9	हड्डियों का चूरा बनाने वाली 3 यूनिटों को मूल पूंजी	0.34	25
10	संयन्त्रान्तर्गत प्रशिक्षण	7.02	680
11	उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम–आदित्यपुर, रांची और बोकारों में प्रशिक्षण . . .	1.60	160
12	अ० जा० / अ० ज० जा० के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण .	0.11	70
13	नीलोखेड़ी में 3 माह का "कैपसूल" पाठ्यक्रम . .	1.50	200
14	कृषि विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण	0.84	140
15	कृषि और व्यापार के क्षेत्र में व्यवहारिक प्रशिक्षण	2.53	422
16	शिक्षित बेरोजगारों को चमड़ा उद्योग में प्रशिक्षण देने की स्कीम	0.40	76
17	लाइन निर्माण कार्य में इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमा-धारियों को प्रशिक्षण	5.20	400
18	वितरण ट्रांसफार्मरों, मोटरों और प्रसारकों (रिलेज) के मरम्मत के कार्य में इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमा-धारियों को प्रशिक्षण . . .	1.80	150
19	पर्यटक गाइडों को रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण .	0.45	100
20	आशुलिपिक प्रशिक्षण	0.34	224
21	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के अन्तर्गत अल्पावधि प्रशिक्षण पाठयक्रम	0.16	160
22	बहैया और बक्सर में दो और औद्योगिक बस्तियों का निर्माण.	4.90	90
	आकस्मिक व्यय . .	8.93	
		141.27	6342

केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत रिक्त पड़े इंजीनियरों के पद

8169. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के अनुसार केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में इंजीनियरों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रिक्त पदों की संख्या क्या है ; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) संघ लोक सेवा आयोग के अनुसार वे वर्ष 1972–73 में 69 इंजीनियरी पदों के लिए और वर्ष 1973–74 में 105 पदों के लिए उपर्युक्त उम्मीदवार नहीं पा सके। आयोग को विभागों में इंजीनियरी के रिक्त पदों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) यह कार्य उस प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का है जिसके प्रतिष्टानों में पद रिक्त पड़े हुए हैं कि वे जहां आवश्यक समझें संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उन्हें भरें। यदि विद्यमान भर्ती नियमों के अनुसार ऐसे पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति पाना सम्भव न हो तो उन्हें संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा यह देखने के लिए कि क्या ऐसे पदों को भर्ती नियमों में समुचित संशोधन करके, जिनसे कि उपयुक्त उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आकृष्ट हों, भरा जा सकता है, इनकी पुनरीक्षा की जाती है।

सुन्दरनगर के डाक कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

8170. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के सुन्दरनगर क्षेत्र में काम कर रहे डाक कर्मचारियों को परियोजना भत्ती नहीं दिया गया है जबकि केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस भेदभाव के विरूद्ध विभाग को कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर विभाग ने क्या कार्रवाई की है और डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के प्रति इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) सुन्दरनगर टाउनशिप उप डाकघर और सुन्दरनगर डाकघर में काम करने वाले डाक कर्मचारियों को परियोजना भत्ता मिल रहा है।

(ख) और (ग) भोजपुर उप डाकघर के कर्मचारियों तथा व्यास सतलुज लिंक परियोजना क्षेत्र में काम करने वाले डाक तार कर्मचारियों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। ये अभ्यावेदन विचाराधीन हैं।

तारघर के लिये मंजूरी

8171. **श्री नारायण चन्द पराशर** : **क्या संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल किसी ऐसे डाकघर के साथ ही तारघर की मंजूरी दी जा सकती है जो विभागीय उप कार्यालय (सब आफिस) हो और न कि किसी ई०डी० उप–कार्यालय या शाखा कार्यालय के लिये दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे स्थानों पर ई०डी० उप कार्यालय या बी० ओज० का दर्जा बढ़ा कर डी०एस०ओ० में बदलने के लिये अपनी नीति को उदार बनाने का है जहां कहीं स्थानीय जनता, इस प्रकार दर्जा बढ़ाये जाने के कारण विभाग को होने वाली हानि पूर्ति करने के लिये एन०आर०सी० अदा करने को तैयार है ताकि ग्रामीण क्षेत्र ई०डी०उप कार्यालय या बी० ओज० का दर्जा बढ़ाये जाने पर तारघर की सुविधाओं के हकदार हो सके; और

(ग) क्या विभाग का विचार ऐसे सभी बी०ओज० और ई०डी०एस० ओ० का उस मामले में दर्जा बढ़ाने की मंजूरी देने का है जिसमें स्थानीय लोगों ने पहले से ही अपने अपने सर्किल अधिकारियों से मंजूरी प्राप्त करने के बाद एन०आर०सी० एकत्रित कर ली है/जमा करा दी है या एकत्रित कर रहे हैं/जमा करा रहे हैं ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) तारघर सभी डाकघरों में खोले जा सकते हैं, इनमें विभागेतर उप डाकघर और शाखा डाकघर भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) देहाती इलाकों में विभागेतर डाकघरों का दर्जा बढ़ाने पर घाटा उठाने की स्वीकार्य सीमा 1000 रुपये निर्धारित की गई है, बशर्ते कि जिस डाकघर का दर्जा बढ़ाया जाने वाला है उसमें अपना कम से कम 5 घंटे का काम हो या उसके मूल डाकघर के अधीन 20 से अधिक डाकघर आते हों और इस प्रकार उसका विकेन्द्रीकरण अनिवार्य हो। इस शर्त को उदार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। घाटा यदि निर्धारित सीमा से अधिक हो तो घाटे की वह अधिक पूरी रकम चन्दे के तौर पर अग्रिम भुगतान करनी पड़ती है बशर्ते कि दूसरी शर्तें पूरी होती हों। केवल उन्हीं मामलों में चंदे की रकम की अदायगी पर दर्जा बढ़ाने के बारे में विचार किया जाता है जिनमें से सभी शर्तें पूरी होती हैं।

आवेदनपत्रों के रद्द किये जाने सम्बन्धी सांख्यिकी

8172. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री गुजरात के पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के बारे में 19 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न सं० 411 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका मंत्रालय किस प्रकार की सांख्यिकी रखता है और प्रत्येक सांख्यिकी के अन्तर्गत किस प्रकार के आंकड़े होते हैं,

(ख) आवेदन पत्रों के रद्द किए जाने, प्रस्तावों के स्वरूप, मदों की नामंजूरी आदि के बारे में यदि महत्वपूर्ण सांख्यिकी नहीं रखी जाती है तब यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है और भूतकालीन कार्यवाही के रिकार्ड के अभाव में सरकार भविष्य के लिए किस प्रकार निर्णय करती है; और

(ग) लाइसेंस समिति द्वारा गत दो वर्षों में रद्द किए गए विभिन्न प्रस्तावों में नाम, मद, क्षमता जिसके लिए आवेदन किया आदि का विवरण क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री टी० ए० पाई): (क) से (ग) मंत्रालय में जो आंकड़े रखे जाते है वे मुख्य रूप से समय-समय पर अलग-अलग दी गई स्वीकृतियों के बारे में हुई है। इस प्रकार के आंकड़ें उद्योग-वार किस्म वार और राज्य वार रखी जाते हैं। स्वीकृतियों संबंधी आंकड़े राज्य औद्योगिक विकास निगमों, सरकारी क्षेत्र के अन्य अभिकरणों, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया उपक्रमों, विदेशी बहुलांक वाली फर्मों, सहकारी उपक्रमों आदि को दी गई स्वीकृतियों के बारे में भी रखे जाते है। रद्द किये गये आवेदनों के बारे में आंकड़े मुख्य रूप से ठोस कारण बताते हुए सभी मामलों

के आंकड़े इकट्ठे रखे जाते हैं। ऊपर दिये गये रद्द करने के ठोस कारण बताते हुए अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों के आवेदन रद्द किये गये मामलों के बारे में भी जानकारी रखी जाती है। लाइसेंसों के आवेदनों पर सरकार द्वारा फरवरी, 1973 में घोषित नीति और लाइसेंस समिति की बैठकों में विभिन्न प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिये जाते है। समिति की बैठकों में, पछिले निर्णयों को, यदि कोई हैं, समग्र रूप से ध्यान में रखा जाता है और वे समिति की जानकारी में लाये जाते हैं। रद्द किये गये आवेदनों के बारे में पार्टी का नाम, निर्माण की वस्तु आवेदित क्षमता आदि की विस्तृत जानकारी नहीं रखी जाती है।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरियों का प्रकाशन

8173. **श्री नानूभाई एन० पटेल :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के किस नियम के अन्तर्गत मंजूरियों का प्रकाशन किया जाता हैं और किस नियम के अन्तर्गत नामंजूरियों का प्रकाशन नहीं किया जाता है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : औद्योगिक उपक्रमों के पंजीयन और लाइसेंसीकरण नियम में अपेक्षित है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन प्राप्त लाइसेंस आवेदनों पर सरकार के स्वीकृति अथवा अस्वीकृति संबंधी निर्णयों की सूचना सम्बन्धित पार्टियों को दी जानी चाहिए। इसके आगे सरकार द्वारा जारी किए गए स्वीकृति अथवा अस्वीकृति पत्रों के प्रकाशन के प्रशासन संबंधी कोई नियम नहीं हैं। उद्योगों राज्य सरकारों, ऐकनामिक जरनलों, रूचि रखने वाली विदेशी सरकारों, संस्थाओं, पार्टियों आदि की जानकारी तथा उद्यमियों को आमतौर पर उद्योग के क्षेत्रों का निर्धारण करने में जिनमें क्षमता बढ़ रही है तथा और अधिक क्षमता निर्माण की आवश्यकता हो सकती, मार्ग दर्शन करने के लिए उद्योगों की विस्तृत सूची प्रकाशित की जाती है। औद्योगिक लाइसेंस आवेदन सरकार द्वारा विभिन्न कारणों से रद्द किए जाते हैं। सरकार के विचार से सरकार द्वारा समय समय पर रद्द किए गए आवेदनों के विवरण प्रकाशित करने से कोई लाभ नहीं होगा। किन्तु किसी खास उद्योग के लिए पर्याप्त आवेदनों के रद्द करने सम्बन्धी सरकार के निर्णय जो पहले ही पर्याप्त क्षमता के लिए लाइसेंस / स्वीकृति दिए जाने, अधिष्ठापित किए जाने, कच्चे माल की कमी आदि जैसे व्यापक कारणों से लिए जाते हैं वहां उद्योग मार्गदर्शी सिद्धांतों का मंत्रालय द्वारा उद्यमियों के लाभ के लिए उसमें विशिष्ट क्षेत्रों जिनमें भविष्य में क्षमता निर्माण करना आवश्यक होगा का उल्लेख करते हुए, प्रकाशित किए जाते हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धांत सर्वप्रथम 1973–74 में प्रकाशित किए गए थे और उसके बाद पुनः 1974–75 में। 1975–76 के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत यथासमय जारी किए जायेंगे।

भारतीय कम्पनियों के "जेन्टामाइसिन सल्फेट" के प्रस्ताव को रद्द किया जाना

8174. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े नहीं रखता है;

(ख) क्या यह ब्यौरा न रखे जाने के कारण भिन्न–भिन्न समय पर भिन्न–भिन्न निर्णय किए गए हैं, कभी-कभी तो प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिशों के विरुद्ध भी निर्णय किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उनका मंत्रालय भारतीय कंपनियों के जेण्टामाइसिन सल्फेट के प्रस्ताव को रद्द किए जाने तथा 100 प्रतिशत विदेशी फर्म के प्रस्तावों के स्वीकार किए जाने को किस प्रकार उचित ठहरायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जिन क्षेत्रों में आवश्यक समझा जाता है उनके आंकड़े इस मंत्रालय में रखे जाते हैं।

(ख) आवेदनों पर मांग, स्वीकृत क्षमता, वस्तुत : अधिष्ठापित क्षमता, उत्पादन, बिदेशी मुद्रा की जटिलताएं, अन्तर्ग्रस्त प्रौद्योगिकी आदि तथ्यों और आवेदन पर विचार करते समय सामने आने वाली सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिये जाते हैं। लाइसेंसिंग कमेटी द्वारा की गयी सिफारिशें, जो सरकार की स्वीकृति के अधीन होती हैं, वे ही होती हैं जिन पर कमेटी के सदस्य एक मत होते हैं।

(ग) दो भारतीय कंपनियों के आयातित 'जेन्टामाइसिन सलफेट' पर आधारित वस्तुएं बनाने के प्रस्ताव आधारभूत तकनीकी सामग्री बनाये बिना फारमुलेशनों के निर्माण को प्रोत्साहन न देने की नीति के अनुसार रद्द कर दिये गये थे। एक विदेशी पूंजी बहुल कंपनी का मामला जिसने आधारभूत औषधि (जेन्टामाइसिन सल्फेट) और उस पर आधारित कुछ के फारमुलेशनों के बनाने हेतु आवेदन किया था, सरकार के विचाराधीन हैं।

हिन्द मोटर्स में श्रमिकों की जबरन छट्टी

8175. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द मोटर्स में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इस अवधि की अप्रयुक्त क्षमता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या हिन्द मोटर्स से 5000 श्रमिकों की छंटनी करने की दृष्टि से प्रति दिन लगभग 3000 से 4000 श्रमिकों की जबरन छुट्टी करना आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

(क) तथा (ख) जानकारी निम्न प्रकार है :—

अधिष्ठापित क्षमता (सं० प्रतिवर्ष)	उत्पादन (संख्या)		
	1972	1973	1974
30,000	25,757	26,275	20,333

(ग) तथा (घ) मेसर्स हिन्दूस्तान मोटर्स ने कुछ श्रमिकों की बारी-बारी से जबरी छुटी की है जिससे उत्पादन में गिरावट की अवधि में हानियों को कम किया जा सके। उत्पादन बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं, एकमात्र इस से ही सम्भावित छंटनी रोकी जा सकती है।

पांचवीं योजना में पश्चिम बंगाल में गांवों का विद्युतीकरण

8176. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बगाल के 24 प्रतिशत गांवों में ही बिजली लग पाई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967 और 1971 की तुलना में अब तक जिलावार कितनों गांवों में बिजली लगाई गई; और

(ग) पांचवीं योजना में विशेषकर वर्ष 1975–76 में पश्चिम बगाल के गांवों में किये जा रहे विद्युतीकरण कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उपमन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पश्चिम बंगाल में 38,454 गांवों में से 31–1–1975 को 9,341 (24.3 प्रतिशत) गांव विद्युतीकृत किए जा चुके थे ।

(ख) 31–3–1969. 31-3-1971 तथा 31–3–1974 को विद्युतीकृत गांवों की जिलावार संख्या उपाबंध में दी गई है । 31–3–1967 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए ब्यौरा उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) पांचवीं योजना के आकार और विस्तार को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । पांचवीं योजना के प्रारूप में पश्चिम बंगाल में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 43 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । धनराशि, जिसका प्रावधान किया गया है और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

	धनराशि जिसका प्रावधान किया गया है (करोड़ रुपये)		
	सामान्य विकास योजना	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल
	16	27	43
	प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य		
	सामान्य विकास योजना	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल
	2,860	3,800	6,660

उपयुक्त के अतिरिक्त, ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा राज्यों को, उनके द्वारा प्रायोजित स्कीमों की संख्या और निगम द्वारा निर्धारित मानदण्डों और निर्देशों के अनुसार उनकी स्वीकृति पर निर्भर करते हुए ऋण सहायता दी जाएगी ।

1975–76 में पिछड़े क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा स्वीकृत स्कीमों के लिए भी उससे कुछ ऋण सहायता उपलब्ध होगी । राज्य सरकार द्वारा अपने सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि के बारे में कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण

पश्चिम बंगाल में विद्युतीकृत गांवों की संख्या के जिलावार आंकड़े

क्रम संख्या०	जिले का नाम	गांवों की कुल संख्या	के अनुसार		
			31–3–69	31–3–71	31–3–74
1	दारजिलिंग	536	155	155	216
2	जलपाईगुड़ी .	774	162	163	201
3	कूच-बिहार . .	1135	13	13	122
4	पश्चिम दिनाजपुर	3130	18	18	239
5	मालदा	1602	60	75	490
6	मुर्शिदाबाद	1932	200	234	569
7	नादिया	1279	366	433	808
8	24–परगना	3812	374	428	1,133
9	कलकत्ता .	—	--	--	--
10	हावड़ा . .	787	83	123	377
11	हुगली . .	1910	246	346	872
12	बरद्वान .	2665	414	520	1,071
13	वीरभूम . .	2234	74	89	457
14	बांकुरा .	3550	71	98	525
15	मिदनापुर . .	10618	40	214	1.225
16	पुरुलिया . .	2490	57	57	403
	कुल .	38,454	2,433	2,966	8,708

त्रिपुरा के गांवों का विद्युतीकरण

8177. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में केवल दो प्रतिशत गांवों में ही बिजली लगाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा के किन गांवों में इस समय बिजली की सुविधा उपलब्ध है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उपमन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) त्रिपुरा में 4,932 गांव हैं । अब तक 117 गांव (2.4 प्रतिशत) विद्युतीकृत किए जा चुके हैं ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में गांवों का विद्युतीकरण

8178. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक जिले में किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किया गया ; और

(ख) वर्ष 1975–76 के लिये आरम्भ किये गए कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या है और पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले के किन-किन गांवों को लाभ होने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उपमन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं का कार्यकरण

8179. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

सचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) पंजाब के देहाती इलाकों में डाक सेवाएं सामान्य हैं ।

पंजाब में टेलीफोन सेवाओं का कार्यकरण

8180. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के कुछ स्थानों की टेलीफोन सेवा संतोषजनक रूप से नहीं चल रही है ;

(ख) क्या अमृतसर में अधिकांश टेलीफोन बंद पड़े रहते हैं; और

(ग) दोषों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गए हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) पंजाब में टेलीफोन सेवा कुल मिलाकर संतोषजनक है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) वर्तमान सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं कर दी गई हैं :

(i) अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति;

(ii) पर्याप्त फालतू पुर्जों की व्यवस्था; और

(iii) टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण पर कड़ी निगरानी रखना ।

पंजीकृत डीलरों को बसों के टायरों और ट्यूबों का कोटा

8181. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश से पंजीकृत डीलरों को बसों के टायरों और ट्यूबों का कोटा निर्धारित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में विकास कार्य

8182. **श्री वयालार रवि** : क्या **अन्तरिक्ष** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, थुम्बा में किये जाने वाले विकास कार्यों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ख) पहले से चल रही परियोजनाओं में अब तक क्या प्रगति हुई है और इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में किये जाने वाले कार्यों में, उपग्रह के प्रक्षेपण की क्षमता का विकास, उपग्रह का विकास, राकेटों और प्रणोदकों के लिये सुविधाओं की स्थापना तथा परीक्षण संबंधी सुविधाओं का विस्तार करना सम्मिलित हैं।

(ख) अब तक हुई प्रगति और इसके कार्यकरण में सुधार के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा अन्तरिक्ष विभाग की वर्ष 1974–75 की वार्षिक रिपोर्ट तथा वर्ष 1975–76 के निष्पादन बजट में विस्तारपूर्वक दिया गया है, जिनकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

केरल में पत्रों का बांटा जाना

8183. **श्री वयालार रवि** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल डाक के क्षेत्र तथा तार घर में पत्रों के बांटे जाने में होने वाले विलम्ब के प्रति सरकार अवगत है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख): डाक ले जाने वाली रेलगाड़ियों और हवाई सेवाओं का समय बदल जाने के कारण कुछ विलम्ब होने की घटनाएं जानकारी में आई हैं। जहां कहीं व्यवहार्य है डाक मोटर सेवाएं चालू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ताकि डाक रुकी न रहे। राज्य सड़क परिवहन निगम से भी लिखा पढ़ी की गई है ताकि डाक ले जाने के लिए उनकी सहमति प्राप्त की जाए।

सीमेंट के कारखानों के लिए लाइसेंस देने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार की सिफारिश

8184. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को (1) मैसर्ज एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लि०, बम्बई को बोनाकल्लू (जिला खम्माम) और (2) मेसर्ज केशोराम इंडस्ट्रीज़, कलकत्ता को उनके बसंथनगर (जिला करीमनगर) स्थित केशोराम सीमेंट्स एकक के विस्तार कार्यक्रम के लिए औद्योगिक लाइसस जारी करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की सिफारिश प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो सिफारिश का ब्यौरा क्या है, और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां ।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने दोनों आवेदनों की सिफारिश की है।

(ग) सरकार अभी इन आवेदनों पर विचार कर रही है।

पांचवीं योजना के दौरान पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के गांव का विद्युतीकरण

8185. **श्री टुना उरांव** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांचवीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में पूर्वी तथा उत्तर–पूर्वी तथा राज्यों के प्रत्येक राज्य में गांवों के विद्युतीकरण कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) इन राज्यो में से प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का कार्यकरण कैसा रहा और महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा की तुलना में क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पांचवीं योजना के आकार और विस्तार को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। पांचवीं योजना के प्रारूप में पूर्वी और उत्तर–पूर्वी राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 203.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। धनराशि, जिसका प्रावधान किया गया है और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के राज्यवार ब्यौरे, राज्यों की सामान्य विकास योजना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पृथक्–पृथक् रूप में उपाबन्ध–एक में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—9598/75]

इसके अतिरिक्त, पांचवीं योजना के प्रारूप में ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के लिए कुल 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निगम द्वारा प्रत्येक राज्य को, उनके द्वारा प्रायोजित स्कीमों की संख्या और निगम द्वारा निर्धारित मानदण्डों तथा निर्देशनों के अनुसार, स्वीकृत स्कीमों पर निर्भर करते हुए ऋण सहायता उपलब्ध की जाती है।

वर्षवार आवंटन केवल 1974–75 तथा 1975–76 के लिए उपलब्ध है । राज्यों द्वारा जिस धनराशि का प्रावधान किया गया था तथा निर्धारित लक्ष्य उपाबन्ध–दो में दिए

गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--9588/75] ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध की जाती है।

(ख) पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों और महाराष्ट्र गुजरात तथा हरियाणा में 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान विद्युतीकरण किए गए गांवों की संख्या उपाबन्ध-तीन में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--9588/75]

पश्चिम बंगाल में तापीय बिजली घर

8186. **श्री टुना उरांव** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या योजना आयोग को आसनसोल (पश्चिम बंगाल) में प्रस्तावित तापीय बिजली घर के बारे में व्यवहार्यता रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). आसनसोल-कलकत्ता क्षेत्र में कोयले पर आधारित तापीय बिजली घर के बारे में रेलवे बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सम्भाव्यता रिपोर्ट योजना आयोग को प्राप्त हुई है। इस स्कीम में बिजली घर पर 2×110 मेगावाट सेटों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 70 करोड़ रुपये हैं। इस स्कीम का अभी अनुमोदन नहीं किया गया है।

समुद्रपारीय टेलेक्स यातायात

8187. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसे नये उपकरण को खरीदने का निर्णय कर लिया गया है जो स्वतः ही समुद्रपारीय टेलेक्स यातायात को नियमित करेगा ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में समुद्रपारीय टेलेक्स यातायात में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और यह उपकरण कब से काम करना शुरू कर देगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) से (ग). जी हां। नई किस्म का अन्तर्राष्ट्रीय (टेंलीप्रिंटर्स टेलेक्स एक्सचेंज प्राप्त करने का निश्चय किया गया है। यह एक्सचेंज संग्रहीत कार्यक्रम नियंत्रित टेलेक्स एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। यह एक्सचेंज जो शुरू में बम्बई में लगाया जाएगा, 450 अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स ट्रकों की क्षमता वाला होगा। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय और देश में स्थापित टेलेक्स लाइनों का स्वचल अन्तसम्पर्क बनाने की क्षमता होगी। इसके द्वारा भारत के टेलेक्स प्रयोक्ता, सीधे डायल, कर विदेशों में स्थित टेलेक्स प्रयोक्ताओं से सम्पर्क कर सकेंगे। टेलेक्स की यह स्वचल सेवा उन देशों को छोड़कर जिनके साथ सम्पर्क दूसरी ओर लगी करचल प्रचालन प्रणाली द्वारा ही सम्भव है, अन्य बहुत-से देशों के लिए उपलब्ध होगी। यह एक्सचेंज सेवा के लिए 1977 में खुल जाएगा।

पिछले तीन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स परियात बराबर बढ़ता रहा है। पिछले तीन वर्षों में वास्तविक परियात, जिसके लिए पैसा मिला है, इस प्रकार रहा (लाख मिनिटों में) :—

1971–72 21.50 (पिछले वर्ष के परियात से 40 प्रतिशत अधिक)

1972–73 27.40 (पिछले वर्ष के परियात से 27 प्रतिशत अधिक)

1973–74 41.10 (पिछले वर्ष के परियात से 50 प्रतिशत अधिक)

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन

8188. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में टेलीफ़ोन कनेक्शनों के लिए अनेक आवेदन पत्र लम्बित हैं; और

(ख) यदि हां, तो 1 मार्च, 1975 को गुजरात में नये टेलीफ़ोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र, श्रेणीवार, प्रतीक्षा सूची में थे ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) गुजरात में 1 मार्च, 1975 को नए टेलीफ़ोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में 61,147 आवेदकों के नाम थे । इन का उल्लेख नीचे किया गया है :

ओ०वाई०टी० . .	15,003
गैर ओ०वाई०टी०	46,144

गुजरात में डाक तार कार्यालय

8189. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में वर्ष 1975–76 में कितने डाक तार कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है और राज्य सरकार ने राज्य में कुल कितने कार्यालय कहां-कहां खोलने का अनुरोध किया है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): डाक और तारघर खोलने के सम्बन्ध में सामान्य नीति के अनुसार और साधनों के उपलब्ध होने पर प्रत्येक मामले के औचित्यपूर्ण ठहरने पर ही यह निर्भर करेगा कि कितनी संख्या में डाक और तारघर खोले जायें ।

डाकघर खोलने के लिए राज्य सरकार की ओर से की गई कोई प्रार्थना विचाराधीन नहीं है।

अलबत्ता, राज्य सरकार ने जिला सूरत के बलोद स्थान पर तार सुविधा देने के लिए मांग की है ।

गुजरात में उद्योग और कृषि के क्षेत्र में की गई कटौती से हानि

8190. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तिमाही में गुजरात में उद्योग और कृषि क्षेत्र में विद्युत की कितने प्रतिशत कटौती की गई है ; और

(ख) इसके कारण उत्पादन में कितना घाटा हुआ ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) गुजरात राज्य में आमतौर पर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है । बहरहाल, पिछली तिमाही के दौरान शिखरण (पीकिंग) क्षमता में कमी रही है, जिसे बारी-बारी से छुट्टियां करके, उद्योगों आदि द्वारा पीक मांगों में स्वेच्छा-पूर्वक कमी करके पूरा किया गया है । गुजरात राज्य बिजली बोर्ड की सूचना के अनुसार, उन पाबन्दियों के कारण कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

उड़ीसा में सार्वजनकि टेलीफोन लगाना

8191. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्यूबों और तारों की कमी के कारण वर्ष 1975 में कोई भी सार्वजनिक टेलीफ़ोन नहीं लगाया गया है और इसका प्रभाव उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफ़ोन लगाने पर भी पड़ने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार तत्काल क्या कार्रवाई कर रही है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) उड़ीसा दूरसंचार सर्किल में वर्ष 1975 में अभी तक 14 सार्वजनिक टेलीफ़ोन घर खोले जा चुके हैं ।

खुले तार लाइन के लोहे के साज सामान की, जिसमें खंभे और तार का सामान भी शामिल है, कुछ कमी रही है । तार का सामान प्राप्त करने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई की गयी है । किन्तु खंभों की कमी पूरी करने के लिए सर्किलों से कहा गया है कि वे स्थानीय तौर पर लकड़ी या दूसरे प्रकार के खंभे प्राप्त करें ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम का संशोधन

8192. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी उद्योगों की क्षमताओं के पूर्ण उपयोग के बारे में सरकार उद्योग (विकास तथा विनियमन) का और संशोधन करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) सरकार देश की बदलती हुई आर्थिक स्थितियों के अनुरूप उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम में अनेक संशोधन करने का विचार रखती है । जहां तक विद्यमान क्षमताओं के पूर्ण उपयोग का संवर्द्धन करने की बात है सरकार ने इस दिशा में अनेक उपाय किये हैं। सरकार ने उपक्रम की समग्री लाइसेंसी-कृत क्षमता के अन्दर तथा उत्पादों/समूहों के अन्तर्गत मशीनों और मशीन टूल निर्माण करने में विविधीकरण की स्वतंत्रता के बारे में अनुमति देने का निर्णय लिया है । बिजली और ढलाई उद्योगों को कुछ वस्तुओं के बारे में हाल ही में यह सुविधा दी गयी है । सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि वे औद्योगिक उपक्रम जो एक पारी अथवा दो पारी के आधार पर विशिष्ट क्षमता के औद्योगिक लाइसेंसधारी हैं, अपने लाइसेंसों को संयंत्र और मशीनरी के पूर्णतम उपयोग करने की अनुमति के लिये पृष्ठांकित कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि

विशिष्ट क्षमता के औद्योगिक लाइसेंसधारी उपक्रम अपनी बढ़ी हुई क्षमता की मान्यता की सुविधा, कतिपय शर्तों के अधीन उस स्थिति में उठा सकते हैं यदि ऐसे अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग निर्यात के लिये किये जाने वाला हो। विदेशी पूंजी बहुत कंपनियों और एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया के अधीन अपेक्षित स्वीकृति वाले उपक्रमों के बारे में उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में एक कृतिक बल (टास्क फ़ोर्स) गठित करके एक विशेष प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

बिहार के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

8193. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार पांचवीं योजना में बिहार के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए कुछ नई योजनाएं बनाने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए स्कीमें तैयार करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। बहरहाल, केन्द्र ने राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे अपने जनजाति क्षेत्रों के लिए समेकित उप-योजनाएं बनाएं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में जन जाति क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इस के अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यकताओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम--जो कि राज्य योजनाओं का अभिन्न अंग है--का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा, पेय जल की आपूर्ति ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतिकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना रखा गया है। इस कार्यक्रम का लाभ मुख्यत: बिहार सहित देश के कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों को प्राप्त होगा।

जिला पालामऊ, बिहार में लगमा डाकघर का स्थान परिवर्तन

8194. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला पालामऊ (बिहार) के लगमा (गढ़वा) स्थित डाकघर को ग्राम खजूरा डाक गढ़वा जिला पालामऊ (बिहार) में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है क्योंकि यह गढ़वा और मेरल डाकघरों के बीच स्थित है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य सरकारों द्वारा आई० टी० डी० पी० के लिए प्रस्तावित प्रशासनिक ढांचा

8195. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों ने आई० टी० डी० पी० के लिए क्या प्रशासनिक ढांचा सुझाया है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने आई० टी० डी० पी० के कार्य को उप प्रभाग अधिकारियों (एस० डी० ओ०) को सौंपने का प्रस्ताव किया है ;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित ढांचा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित रूपरेखा से मेल खाता है ; और

(घ) क्या आई० टी० डी० पी० के लिए प्रशासनिक कर्मचारियों का वर्ग बनाया जायेगा जैसा कि विभिन्न राज्यों में काम कर रही आदिवासी विकास एजेन्सियों के क्षेत्र के मामले में किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) उप-योजनाओं की तैयारी के लिये योजना आयोग के निर्देशनों में आदिवासी क्षेत्रों के लिये उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा बनाने के वास्ते राज्यों को सुझाव दिया गया था। इन निर्देशनों में विभिन्न राज्यों में भौतिक तथा संस्थागत परिस्थितियों की विभिन्नता के कारण किसी सामान्य ढांचे का उल्लेख नहीं किया गया था। यह सुझाव दिया गया था कि राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों को पूर्ण रूप से ध्यान में रखना चाहिए और मौजूदा प्रशासनिक ढांचे तथा अन्य संस्थाओं का उपयोग करना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि कार्यप्रणाली में अधिकार प्रदत्त करना, उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करना तथा उसे पर्याप्त रूप में लचीला बनाना चाहिए ;

(ख) उड़ीसा की उपयोजना के मसौदे में प्रत्येक आई० टी० डी० पी० के लिये परियोजना स्तरीय समिति का सुझाव दिया गया था। समिति का अध्यक्ष जिलाधीश तथा उपप्रभाग के उप-प्रभागीय अधिकारी, परियोजना प्रशासक और सदस्य सचिव होंगे।

(ग) और (घ). प्रशासनिक ढांचे के ब्यौरे अभी पूर्णरूप से तैयार किये जाने हैं। विभिन्न पहलुओं पर तब विचार होगा जब भारत सरकार के विचारार्थ उड़ीसा सरकार द्वारा आई० टी० डी० पी० प्रस्तुत किया जायेगा।

आई० टी० डी० पीज़ में शामिल न किया गया आदिवासी विकास ऐजेंसियों के विकास कार्य का नमूना

8196. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी विकास एजेंसियों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के उस विकास कार्य का नमूना क्या है जो भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित आई० टी० डी० पोज़ के अन्तर्गत नहीं आता;

(ख) क्या आदिवासी विकास एजेंसियों, गुनपुर और परलाखेमुंदी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को लाभ मिलेगा और जैसा कि आई० टी० डी० पीज़ के लिये विचार किया गया है जो उड़ीसा में कार्य आरम्भ करेगी; और

(ग) क्या आई० टी० डी० पोज़ के लिये अपनाये जाने वाले कार्य की भांति उपरोक्त आदिवासी विकास एजेंसियों के कार्यकरण सम्बन्धी क्षेत्राधिकार का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) विभिन्न आदिवासी विकास एजेंसियों द्वारा हाथ में लिया गया विकास कार्य परियोजना क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए है। आदिवासी विकास एजेंसियों द्वारा किए जा रहे आर्थिक विकास के अभ्यन्तर कार्यक्रम में कृषि विकास से सभी पहलू हैं, जिसमें बागबानी, भमि सुधार, भूमि विकास, भूमि संरक्षण, छोटी सिंचाई, भूमिहीन आदिवासियों का बसाना, पशु पालन, आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम में सहकारी समितियों को मज़बूत बनाना, ऋणमुक्ति, भूमि वापस दिलाना, भूमि अभिलेख और लघु कृषि तथा लघु वन आधा-

रित उद्योगों को प्रोत्साहन देना शामिल हैं । कार्यक्रम में राज्य तथा राज मार्गों, विपणन केन्द्रों, ग्राम पंचायतों, थानों आदि के साथ परियोजना क्षेत्रों को खोलने के लिए सम्पर्क सड़कों और मुख्य सड़कों का निर्माण भी शामिल है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) भारत सरकार को आदिवासी विकास एजेंसियों के कार्यकरण सम्बन्धी क्षेत्राधिकार का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

आदिवासी महिलाओं के नग्न चित्र छापकर उनका शोषण किया जाना

8197. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को पता है कि साधारण और भोली भाली आदिवासी महिलाओं के नग्न-चित्र पत्र-पत्रिकाओं में उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति के नाम पर छापे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के फोटो से सामान्यत: महिलाओं और विशेषकर आदिवासी महिलाओं का शोषण नहीं होता है ;

(ग) आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे फोटो लिये जाने तथा पत्र-पत्रिकाओं में उनके प्रकाशन को बन्द करने के लिए उनके मन्त्रालय ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) नग्न शरीर चित्र प्रदर्शनियों के माध्यम से आदिवासी महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए सम्बद्ध अधिकारियों को अनुदेश देने के लिए राज्य और जिला स्तर पर क्या व्यवस्था की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) से (घ). सामान्यत: महिलाओं और विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं के नग्न चित्रों के उपयोग की निन्दा सरकार करती है । सरकार ऐसे मामलों को प्रेस परिषद् के ध्यान में लाए जाने का स्वागत करेगी ।

विदेशी फर्मों को लाइसेंस जारी किया जाना

8198. **श्री भालजीभाई रावजी भाई परमार** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाइसेंस समिति को निर्देश किये बिना अथवा लाइसेंस समिति को मात्र रिपोर्ट देकर विदेशी फर्मों को कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये जिसके आधार मर गत तीन वर्षों से उत्पादन हो रहा है; पार्टियों के नाम क्या हैं, उनकी क्षमतायें कितनी हैं, उसमें कौनसी वस्तुयें शामिल हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) क्या इससे औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, नियमों तथा विनियमों की शर्तों का उल्लंघन नहीं हो रहा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) (क). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र

को लाइसेंस समिति या लाइसेंस समिति का कार्य करने वाली किसी अन्य स्वीकृति-समिति को भेजना पड़ता है। निम्नलिखित 6 समितियां प्रत्येक समिति का कार्य कर रही हैं:—

1. परियोजना स्वीकृति बोर्ड (मिले-जुले मामले)
2. लाइसेंस समिति सह-एम०आर० टी० पी० समिति (एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक लाइसेंस के मामले)
3. सचिवों की समिति (उर्वरक के मामले)
4. शांता क्रुज निर्यात संवर्धन क्षेत्रीय बोर्ड (क्षेत्र से सम्बन्धित निर्यातोन्मुख मामले)
5. कांदला फ्री ट्रेड जोन बोर्ड (जोन से सम्बन्धित निर्यातोन्मुख मामले)
6. लाइसेंस समिति (जिन मामलों पर अन्य समितियां कार्यवाही नहीं करती हैं)

हाल ही में, सरकार ने निम्नलिखित उद्योगों से सम्बन्धित उत्पादों का विविधीकरण करने के मामलों में स्वीकृति देने के लिए स्वीकृति की एक विशेष प्रक्रिया बनाई है—

1. औद्योगिक मशीनें।
2. मशीनी औजार उद्योग।
3. मशीनी औजार उद्योग का औद्योगिक मशीनों में परिवर्तन और औद्योगिक मशीनों का मशीनी औजार उद्योग में परिवर्तन।
4. वैद्युत उपकरण उद्योग।
5. इस्पात की ढली वस्तु उद्योग।

उपर्युक्त उद्योग के सम्बन्ध में निर्माण कार्य में विविधीकरण करने के लिए दी जाने वाली स्वीकृति लाइसेंस धारियों की सम्पूर्ण विद्यमान क्षमताओं के अन्दर होगी और निर्णय प्रशासनिक मन्त्रालयों द्वारा किया जायेगा।

सरकार ने कार्य जारी रखो लाइसेंसों के निपटान की प्रक्रिया भी सरल बना दी है। सरलीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रशासनिक मन्त्रालयों को, लाइसेंस समिति को सूचना देते हुए, आवेदनों का निपटारा करने के लिए अधिकार दे दिए गए हैं।

1973–74 में विदेशी बहुलांश वाले सार्थों को कुल 57 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। जारी किए गए लाइसेंसों के ब्यौरे "वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसेज, एक्सपोर्ट लाइसेंसेज एण्ड इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज" और "मंथली लिस्ट आफ लेटर्स आफ इन्टेंट और लाइसेंसेज" में प्रकाशित किए जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) इससे उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बने नियमों के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनकपुरी, नई दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोनों और तारघरों का खोला जाना

8199. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी, नई दिल्ली में कोई भी तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन नहीं हैं हालांकि उस कालोनी की जनसंख्या दो लाख से अधिक है;

(ख) क्या इस क्षेत्र के लिए एक केन्द्रीय तारघर के भवन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभाग को भूमि का आवंटन कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो वहां इन सुविधाओं को प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) एक सार्वजनिक टेलीफोन घर मौजूद है और जनकपुरी डाकघर में तारीख 18–4–75 को तार सेवा की व्यवस्था कर दी गई है। दो और सार्वजनिक टेलीफोन घरों की मंजूरी दी गई है और जैसे ही तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होगा उन्हें चाल कर दिया जाएगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Work done for upliftment of Harijans in Madhya Pradesh

†8200. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the work done during the last three years by Government of Madhya Pradesh for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the context of upliftment of Harijans;

(b) whether the funds sanctioned by Centre for them are being utilised properly; and

(c) the funds sanctioned and the items on which they have been spent?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) to (c). The information is being collected from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Implementation of District plans in Madhya Pradesh

†8201. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether any progress has been made in regard to the implementation of district plans in Madhya Pradesh;

(b) if so, the facts in this regard; and

(c) the amount sanctioned for these plans?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) The district plans are scrutinised by State Departments concerned for inclusion in their Annual Plans.

(c) No separate funds have been provided for district plans.

Issue of Licences to Madhya Pradesh

†8202. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) the number of licences granted so far to Madhya Pradesh for the year 1974-75;

(b) the names of the places at which the industries thereunder would be set up; and

(c) the number of licences issued to Madhya Pradesh as compared to that of the licences issued to other States *viz.* Maharashtra and Gujarat during the said period?

The Minister of Industry and Civil Supplies (Shri T. A. Pai): (a) During 1974, 45 industrial licences were issued for location of projects in Madhya Pradesh.

(b) The details of licences including the locations of projects are published in "Weekly Bulletin of Import Licences, Export Licences and Industrial Licences", "Indian Trade Journal", "Journal of Industry and Trade" and "Monthly lists of letters of intent and industrial licences". Copies of these publications are available in the Parliament Libary.

(c) During 1974, 89 industrial licences were issued for locations in Gujarat 265 licences for locations in Maharashtra and 45 licences for locations in Madhya Pradesh.

Cotinuance of employment programmes

†8203. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Planning** be pleased to state whether keeping in view the employment situation in Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh, Government propose to continue the employment programmes started in 1973-74 and also the job oriented programmes started in 1974-75?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla): The employment strategy during the Fifth Five Year Plan is to create maximum job opportunities through the implementation of plan programmes in different sectors such as agriculture, industry, major and medium irrigation, command area development of major irrigation projects, village and cottage industries, social services like health, education, trade and commerce etc. The Half-a-Million Jobs Programme was taken up and implemented in 1973-74. In 1974-75, the Employment Promotion Programme, with thrust on self-employment, was taken up and this was broadly similar to the Half-a-Million Jobs Programme. Rs. 10 crores have been provided in the Central Budget 1975-76 for providing Central assistance to the States/Union Territories for completion of the schemes taken up by them under the Employment Promotion Programme 1974-75. The States of Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh would be covered by this allocation.

गैर सरकारी क्षेत्र की कोयला खानें

8204. **श्री एन० आर० वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर सरकारी क्षेत्र में कितनी कोयला खानें कार्य कर रही हैं और तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अधीन सभी कोयला

खानों का, सिवाय गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों, अर्थात् टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की कुल 10 ग्रहीत खानों को छोड़ कर, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। ये 10 कोयला खानें हैं, जमदोबा, जमदोबा 6 और 7 पिट्स, भेलाटांड, सिजुआ डिगवाडीह, मलकेक छोटोडीह, प० बोकारो चसनाला, रामगोड़े तथा जोतपुर। उपर्युक्त ग्रहीत खानों को छोड़ कर, सरकार की नीति गैर-सरकारी पार्टियों को कोयले का खनन करने की अनुमति देने की नहीं है। बिहार में कुछ गैर-सरकारी पार्टियां अभी भी कोयले का खनन कर रही हैं, कुछ के पास तो पट्टे हैं और कुछ एकदम गर-कानूनी हैं। इस प्रकार के खनन कार्य को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

वर्ष 1974-75 को कोयला खान प्राधिकरण को हुई हानि

8206. **कुमारी कमला कुमारी :**

श्री भागीरथ भंवर : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में कोयला खान प्राधिकरण को कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) हानि को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). कम्पनी के 1974-75 वर्ष के लेखे न तो अभी तक तैयार हो पाए हैं और न उनको लेखा परीक्षा ही हो पायी है किन्तु अनुमान है कि उक्त वर्ष के दौरान कम्पनी को लगभग 26 करोड़ रुपये का घाटा होगा। इसका मुख्य कारण कोयले के तुलनात्मक रूप से अलाभकारी मूल्य थे जिसके कारण बढ़ी हुई उत्पादन लागत की प्रतिपूर्ति नहीं हुई, ये वृद्धि निवेश सामग्री की लागत बढ़ जाने तथा 1-1-75 से लागू राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के कारण हुई।

(ग) लागत और बजट नियंत्रण में सुधार किया जा रहा है। उत्पादन और उत्पादकता तथा सभी आवश्यक निवेश सामग्री की पूर्ति में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार कोयला मूल्यों को संशोधित करने पर भी विचार कर रही है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

8207. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगो कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में, नगरवार, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) उनमें से कितने विदेशी नागरिक हैं ;

(ग) ऐसे उल्लंघनों में कुल कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है ; और

(घ) गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 1974-75 के

दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन में गिरफ्तार किए गए कुल व्यक्तियों की नगरवार संख्या तथा उनमें से विदेशी नागरिकों की संख्या इस प्रकार है :—

नगर का नाम	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में विदेशी नागरिकों की संख्या
1	2	3
बंगा	2	
भादोई	1	
बम्बई	30	2
कलकत्ता	3	1
कालीकट	5	
कन्नानोर	1	
दिल्ली	10	3
हैदराबाद	4	
जयपुर	1	
मद्रास	7	
पणजी	1	
सालेम	2	
त्रिवेन्द्रम	1	1
	68	7

(ग) तथा (घ): जिन दो मामलों में अब तक न्याय-निर्णयन किया जा चुका है, उनमें अमेरिकन डालर 5137 की कुल धनराशि अन्तर्ग्रस्त है। दोनों ही मामलों में विदेशी मुद्रा की जब्ती की गई थी और 6,000 रुपये की राशि की शास्ति लगाई गई थी।

इस स्टेज पर यह निर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है कि अन्य मामलों में कथित उल्लंघनों में कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है, क्योंकि ये मामले जांच/न्यायनिर्णयन के विभिन्न स्टेजों पर अभी लम्बित हैं। यदि जांचों के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन का पता चल जाएगा तो अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार समुचित कार्यवाही की जायेगी।

भंग दिल्ली नगर निगम को ऋण दिया जाना

8208. **श्री मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री बी० आर० टमटा ने भंग दिल्ली नगर निगम को गम्भीर वित्तीय संकट से उबारने के लिए इसे तुरन्त 4 करोड़ रुपये का ऋण दिये जाने के बारे में सरकार को एस० ओ० एस० भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). दिल्ली नगर निगम को ऋण साधनों के रूप में 7 करोड़ रुपये की स्वीकृति के लिए दिल्ली नगर निगम के आयुक्त से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था । मामला विचाराधीन है ।

सशस्त्र डकैतों द्वारा पार्श्वनाथ पर्वत पर जैन मंदिर से मूर्तियों को उठा कर ले जाया जाना

8209. **श्री मूल चन्द डागा** :

श्री भागीरथ भंवर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सशस्त्र डकैत पार्श्वनाथ पर्वत के शिखर पर स्थित कुछ प्राचीन जैन मन्दिरों से लाखों रुपये मूल्य की अनेक प्राचीन मूर्तियां, बहुमूल्य प्राचीन कलाकृतियां तथा अन्य वस्तुओं को उठा ले गये थे; यदि हां, तो अपराधियों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इस प्रकार के काम कुछ अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे हैं, जो अखिल भारतीय स्तर पर देश से प्राचीन कलाकृतियों की देश से बाहर तस्करी करने के कार्य में संलग्न हैं तथा इस प्रकार भारत को उसके समृद्ध संस्कृति तथा कार्मिक विरासत से वंचित कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कठोर कार्यवाही की हैं अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

जिला हरिजन कल्याण परामर्शदात्री समिति स्थापित करने के मामले में हरियाणा सरकार की असफलता

8210. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हरियाणा सरकार जिला हरिजन कल्याणकारी परामर्शदात्री समिति स्थापित करने के मामले में असफल रही है जिसने विभिन्न हरिजन कल्याणकारी योजनाओं को ऋण तथा राज सहायता देने की सिफारिश करनी थी, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया धन इस कारण से व्यपगत हो सकता है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार हरियाणा सरकार ने जिला हरिजन कल्याण सलाहकार समितियां गठित की हैं और राज्य सरकार ने ऐसी समितियों की सिफारिशों के आधार पर धनराशि भी स्वीकृत की है ।

Houses of Harijans burnt in Sundarpur Village of Shahjahanpur District, U.P.

†8211. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether houses of Harijans in Sundarpur Village of Shahjahanpur district in Uttar Pradesh were burnt in November, 1974, because they had refused to do forced labour; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter and the steps proposed to be taken in future?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel, and Administrative Reforms and the Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta): (a) and (b). No such incident of November, 1974 in village Sundarpur in District Shahjahanpur had come to notice. However, according to information received from the Government of Uttar Pradesh, Shri Maika Teli, a resident of the aforesaid Village was allegedly beaten up by some caste Hindus on October 30, 1974 for having refused to do agricultural work for them. It was also alleged that the caste Hindus and some of their supporters raided the house of Maika Teli and set fire to his hut as a result of which 5 houses were partially burnt. No person sustained any injury. The Circle Officer of Police and the Tehsildar rushed to the spot. A sum of Rs. 340 was distributed by the Tehsildar by way of immediate relief to the victims. A case under sections 147|148|149|323|352|306|504|436 I.P.C. was registered and two accused persons were arrested. A Sub-inspector of Police and two armed constables were posted in the village to maintain peace and order.

टायर और सीमेंट फर्मों द्वारा अर्जित लाभ

8212. **श्री के० लकप्पा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में टायर और सीमेंट बनाने वाली विभिन्न फर्मों से सम्बन्धित विवरण क्या हैं ; और

(ख) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में इनमें से प्रत्येक द्वारा कुल कितना लाभ अर्जित किया गया ?

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) एक विवरण संलग्न है । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–9589/75) ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

8213. **श्री समर गुह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में देश में चार बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इन संयंत्रों को कहां स्थापित किया जायेगा ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव अन्ततः छोड़ दिया गया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे गए प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रॉनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

(ग) तथा (घ). पश्चिमी बंगाल योजना बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वह इस सम्बन्ध में एक विस्तृत स्वतः पूर्ण सुझाव ऊर्जा मंत्रालय को भेज दे तथा उसकी एक प्रति परमाणु ऊर्जा विभाग को भी प्रेषित कर दे । सुझाव अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष सम्बन्धी इंदौर समिति के सदस्यों द्वारा आकाशवाणी इंदौर के समक्ष प्रदर्शन

8214. **श्री मधु दंडवते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष संबंधी इंदौर समिति के सदस्यों ने रेडियो स्टेशन के तीन अधिकारियों द्वारा आकाशवाणी के एक महिला कर्मचारी का शीलभंग करने के कथित प्रयास के विरुद्ध आकाशवाणी के इंदौर केन्द्र के समक्ष प्रदर्शन किया था;

(ख) क्या प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) क्या दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :(क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). पुलिस ने शिकायत दर्ज की और जांच करने के पश्चात उसने मुकदमा अदालत में दायर कर दिया है ।

(घ) तीनों कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

स्वतंत्रता सेनानी सेल से दस्तावेजों का गुम होना

8215. **श्री भाउसाहेब धामनकर :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्रीमती रोजा विद्याकर देशपांडे :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानी सेल से अनिर्णीत तथा निर्णीत मामलों से संबंधित बड़ी संख्या में दस्तावेज गुम पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि स्वतंत्रता सेनानियों को इस कारण से परेशानी न उठानी पड़े ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) . कुछ सरकारी अभिलेख जो फटी हुई हालत में थे, 6-4-75 को गृह मंत्रालय के स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग में पाये गये थे । एक मामला आरम्भ किया गया है और पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है ।

स्वतत्रंता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन देना

8216. **श्री भाउसाहेब धामनकर :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से मामलों में स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को बिना कोई कारण बताये पेंशन नहीं दी जाती यहां तक कि कुछ मामलों में स्वतंत्रता सेनानियों को कुछ समय तक पेंशन मिलती रही किन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी विधवाओं को पेंशन नहीं दी गई;

(ख) यदि हां, तो इसके, विशेषकर महाराष्ट्र क्षेत्र के, मामलों में क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन महीनों में, महीनेवार, ए० जी० महाराष्ट्र ने कितने मामले वापस स्वतंत्रता सेनानी सेल को भेजे हैं; और

(घ) ए० जी० महाराष्ट्र द्वारा बताई गई त्रुटियों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) . किसी विधवा का कोई न्यायोचित दावा अस्वीकृत नहीं किया गया है ।

(ग) विधवाओं के निम्नलिखित नौ मामले महालेखाकार, महाराष्ट्र द्वारा इस मंत्रालय को वापस भेजे गये थे जिनका महीनेवार विवरण इस प्रकार है –

जनवरी	1
फरवरी	4
मार्च	2
अप्रैल	2
	9

(घ) सात मामलों में स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं और दो मामलों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

निर्मित वस्तुओं का मूल्य

8217. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत सितम्बर से औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में तदनुसार गिरावट नहीं आई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा मूल्य में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) से (घ). सितम्बर, 1974 से मार्च, 1975 के बीच औद्योगिक कच्चे माल के थोक मूल्यों का वर्ग सूचकांक 17.7 प्रतिशत गिर गया था, जबकि इसी अवधि में निर्माताओं के वर्ग सूचकांक में केवल 3.1 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। इस प्रकार कच्चे माल के मूल्यों में गिरावट निर्माताओं के मूल्यों की अपेक्षा अधिक रही है। ऐसा आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण हुआ कि निर्मातागणों द्वारा किए गए उत्पादन में लागत की अन्य बातें जैसे श्रम, ऊर्जा, परिवहन प्रभार आदि वैसे ही बने रहे। साथ ही तैयार माल की कीमतों पर कच्चे माल के मूल्यों में हुए परिवर्तन का प्रभाव सामान्यरूप से काफी समय बाद महसूस होता है।

आजाद हिन्द फौज के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना

8218. **श्री वसंत साठे :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजाद हिन्द फौज के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के मामलों की, राज्यवार, प्राप्ति तथा कार्यवाही, स्वीकृत, अस्वीकृत तथा राष्ट्रीयकरण के अभाव में विचाराधीन पड़े मामलों की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) इन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या पेंशन संबंधी मामलों के निपटान में इसलिए विलम्ब होता है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रकों तथा प्रमाण पत्रों को प्रादेशिक भाषाओं में प्रस्तुत किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो स्वतंत्रता सेनानी सेल में विभिन्न भाषा जानने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख). सूचना का एक विवरण संलग्न है (अनुलग्नक—1)। उन मामलों में जहां आवेदकों ने अपने दावों के समर्थन में लिखित प्रमाण नहीं भेजे हैं, उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया गया है ताकि मामलों को यथा शीघ्र अंन्तिम रूप दिया जा सके।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या	स्वीकृत मामलों की संख्या	अस्वीकृत मामलों की संख्या	लम्बित मामलों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	126	52	13	61
2. असम	14	2	1	11
3. अन्दमान और निकोबार	15	2	2	11
4. बिहार	110	38	18	54
5. चन्डीगढ़	39	26	4	9
6. दिल्ली	550	437	67	46
7. गोवा	—	—	—	—
8. गुजरात	167	107	45	15
9. हिमाचल प्रदेश	1400	1104	85	211
10. हरियाणा	3059	2436	433	190
11. जम्मू व कश्मीर	302	267	14	21
12. कर्नाटक	108	34	8	66
13. केरल	2082	79	1298	705
14. मेघालय	3	1	2	—
15. मणिपुर	608	87	169	352
16. महाराष्ट्र	690	360	152	178
17. मध्य प्रदेश	147	75	58	14
18. मिजोरम	2	1	—	1
19. नागालैण्ड	2	—	—	2
20. उड़ीसा	472	3	13	456
21. पांडिचेरी	51	—	43	8
22. पंजाब	7441	4186	997	2258
23. राजस्थान	554	355	159	40
24. त्रिपुरा	5	1	2	2
25. तमिल नाडु	5309	167	4078	1064
26. उत्तर प्रदेश	4157	2082	1058	1017
27. पश्चिम बंगाल	190	46	38	106
	27603	11948	8757	6898

कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा और अधिक अधिकार मांगा जाना

8219. **श्री वसंत साठे :** क्या **इलेक्ट्रानिककी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रेनिकी विभाग ने कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए और अधिक अधिकार मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं तथा इसका औचित्य क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (ग) इलेक्ट्रानिकी आयोग और इसके कार्यकारी अभिकरण, इलेक्ट्रानिकी विभाग का गठन इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र से संबंधित नीतियों और उपायों के समुचित प्रतिपादन तथा उनके क्रियान्वयन के उद्देश्य से फरवरी, 1971 में किया गया । जब कभी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रानिकी आयोग के उत्तरदायित्यों तथा कर्तव्यों की समीक्षा की जाती है । इस संबंध में सरकार अन्य बातों के साथ संसद् की प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

Functioning of Telephones in Pali

† 8220. **Shri M. C. Daga**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the total number of telephones in Pali city (Rajasthan),

(b) whether there is a general complaint that the telephone servic in Pali city has been very unsatisfactory for the last two months and great dissatisfaction is prevailing among the people there;

(a) if so, the reasons therefor; and

(d) the action being taken by Government in this regard?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) The total number of working telephones in Pali city is 730.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

सरकारी उपक्रमों के ईक्विटी शेयरों का बेचा जाना

8221. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कहा गया है कि सरकारी उपक्रमों के इक्विटी शेयर गैर-सरकारी क्षेत्र में न बेचे जायें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद्, की गत 29 मार्च, 1975 को हुई बैठक में एक सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया था कि सरकारी उपक्रमों के शेयर बेचे जाने का कोई भी विचार संभव नहीं होगा। यह स्पष्ट किया गया था कि स्कूटर्स इंण्डिया लि० नामक सरकारी उद्यम में जनता द्वारा भाग लिए जाने का विचार कोई नया नहीं है और यह केवल जन सामान्य द्वारा सरकारी उद्यम में वस्तुत: भाग लेने के उद्देश्य से कहा गया था।

दिल्ली में राज्यपालों की बैठक

8224. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में राज्यपालों की एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन मामलों पर विचार किया गया था ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) राज्यपालों का सम्मेलन नई दिल्ली में 4 और 5 अप्रैल, 1975 को हुआ था। राज्यपालों ने राज्यों में राजनैतिक तथा प्रशासनिक स्थिति और देश में सामान्य आर्थिक स्थिति पर विचारविमर्श किया था।

योजना तथा गैर योजना व्यय में बचत

8225. **श्री गजाधर माझी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चालू वर्ष के दौरान बचत करने की दृष्टि में रखते हुये योजना तथा गैर-योजना व्यय की जांच की है; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के दरिव्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता तथा अनावश्यक सकीमों के लिए प्रावधान का निराकरण करने को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष की योजना को हाल ही में अन्तिम रूप दिया गया है। इसलिए इस समय, बचत करने की दृष्टि से जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

गैर योजनाव्यय का जहां तक सम्बन्ध है केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने पहले ही अनेक मित-व्ययिता सम्बन्धी उपाय अपना लिए हैं। चालू वर्ष की योजना के लिए संसाधनों का विश्लेषण करने में, इन उपायों तथा आगे की जाने वाली मित-व्ययिताओं की व्यवहार्यता को भी ध्यान में रखा गया है।

राजस्थान की अरिक्त बिजली को अन्य राज्यों के साथ बांटना

8226. **श्री डी० डी० देसाई** :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में अतिरिक्त बिजली उपलब्ध है;

(ख) क्या इसने इस अतिरिक्त बिजली को अन्य राज्यों के साथ बांटने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) यदि हां तो राष्ट्रीय ग्रिड पर इसका क्या प्रभाव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में सामान्य विद्युत् उत्पादन होने के कारण, राजस्थान के पास कुछ अतिरिक्त ऊर्जा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बालयोगी की पत्नी का अमरीकी गुप्तचर विभाग के एजेंट के रूप में काम करना

8227. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक स्थानीय दैनिक में हाल ही में 'बालयोगी की पत्नी सी०आई० ए० एजेंट के रूप में कार्य कर रही है' (बालयोगी स वाइफ एक्टिंग एज सी०आई०ए० एजेंट) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) सरकार ने सी०आइ०ए० के साथ बालयोगेश्वर की पत्नी के तथाकथित सहयोग के संबंध में कुछ प्रैस रिपोर्टें देखी हैं ।

सी०आइ०ए० समेत विदेशी आसूचना ब्यूरो की गतिविधियां के बारे में अत्यधिक सतर्कता बरती जाती है ।

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना और सतपुड़ा और चम्बल विद्युत पद्तियों को भाखड़ा समुह के साथ सम्बद्ध करना

8228. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से अनुरोध किया गया है कि राजस्थान राज्य में उद्योगों के हितों को देखते हुये राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना और सतपुड़ा तथा चम्बल विद्युत पद्धतियों को भाखड़ा के साथ सम्बद्ध न किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राजस्थान के वाणिज्य और उद्योग मण्डल ने राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना के भाखड़ा प्रबंध बोर्ड और चम्बल-सतपुड़ा प्रणालियों का समानान्तर प्रचालन करने के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था । बहरहाल, तकनीकी सलाह तथा ऐसे समानान्तर प्रचालनों से सभी पक्षकारों को होने वाले विभिन्न लाभों पर विचार करने के बाद इन प्रणालियों का 27 जनवरी, 1975 से एकीकृत प्रचालन प्रारंभ कर दिया गया था ।

भटिंडा तापीय बिजली घर में उत्पादन बंद होने के बारे में जांच

8229. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिंडा तापीय बिजली घर में बार-बार उत्पादन बन्द होने के बारे में जांच करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) देश में अभी हाल में चालू किए गए ऐसे ही यूनिटों के मुकाबले में, नए चालू किए गए एक संयंत्र के लिए कार्य-निष्पादन यथोचित रूप से संतोषजनक समझा जाता है ।

कारों का निर्माण

8230 **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों में कारों के निर्माण में कोई कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कार निर्माण एककों की अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने और कार के मूल्य घटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) देश में गत तीन वर्षों में कारों का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :—

1972	40039
1973	42467
1974	36756

(ख) 1974 में उत्पादन में कमी मुख्य रूप से कार के मूल्य के साथ-साथ संचालन और रख-रखाव लागत के बढ़ जाने के कारण कुल खरीद के कम हो जाने से हुई है । अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने वाले उपायों पर विचार किया जा रहा है ।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु आवेदन पत्र

8231 **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के दौरान देश के पिछड़े क्षेत्रों में, राज्य-वार औद्योगिक एकका की स्थापना करने के लिये उनके मंत्रालय को कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुये हैं;

(ख) सरकार ने कितने आवेदनपत्रों को स्वीकृति दी है; और

(ग) उसके तथ्य क्या हैं तथा उनको क्या वित्तीय सहायता दी गई है ?

1237—LS—9.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) पिछड़े क्षेत्रों के लिए प्राप्त आवेदनों के आंकड़ों संबंधी विवरण अगस्त, 1974 के बाद से रखा जाता है। पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करने के लिए अगस्त, 1974 से मार्च, 1975 की अवधि में इस मंत्रालय में प्राप्त आवेदनों की राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 1974 की अवधि में 343 आशयपत्र और 298 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए। सरकार द्वारा जारी की गई स्वीकृतियों के विवरण 'वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसेज, एक्सपोर्ट लाइसेंसेज एण्ड इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज', इंडियन ट्रेड जरनल, 'जरनल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड', तथा 'मन्थली लिस्ट आफ लेटर आफ इन्टेंट एण्ड इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज' में प्रकाशित किए जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। आशयपत्र और लाइसेंसधारियों को अलग-अलग प्रदान की गई वित्तीय सहायता संबंधी विवरण नहीं रखे जाते। किन्तु 1974–75 की अवधि में करीब 1.25 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता निश्चित निवेदों पर प्रतिपूर्ति के रूप में स्वीकार की गई थी।

विवरण

राज्य	प्राप्तियां
एक से अधिक राज्य/ राज्य जिनका ब्यौरा नहीं दिया गया	1
आन्ध्र प्रदेश	37
आसाम	3
बिहार	10
गुजरात	46
हरियाणा	10
हिमाचल प्रदेश	15
जम्मू और काश्मीर	6
केरल	15
मध्य प्रदेश	36
मणिपुर	1
महाराष्ट्र	61
मेघालय	6
कर्नाटक	62

राज्य	प्राप्तियां
नागालैंड	—
उड़ीसा	12
पंजाब	25
राजस्थान	27
तमिलनाडु	61
त्रिपुरा	—
उत्तर प्रदेश	32
पश्चिम बंगाल	26
अण्डमान	—
अरुणाचल प्रदेश	—
चण्डीगढ़	—
नागर हवेली	1
दिल्ली	—
गोवा	9
लक्ष दीप	—
मिजो	—
पाण्डिचेरी	6
योग	508

दिल्ली में पुलिस स्टेशन

8232. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1974 को दिल्ली में कितने पुलिस स्टेशन थे;

(ख) क्या वर्ष 1975-76 के दौरान नये पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इनको किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) दिसम्बर 1974 को दिल्ली में 47 पुलिस स्टेशन थे । कनाट प्लेस के 48 वें पुलिस स्टेशन ने 8 अप्रैल, 1975 से पार्लियामेन्ट स्ट्रीट में कार्य आरम्भ किया है। इस पुलिस स्टेशन के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मचारियों की स्वीकृति को औपचारिक प्रस्ताव अशोक विहार (वजीरपुर) तथा जनकपुरी में दो अन्य पुलिस स्टेशन बनाने के प्रस्ताव के साथ-साथ विचाराधीन है ।

दिल्ली में टेलीफोनों के बारे में शिकायतें

8233. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अक्तूबर–दिसम्बर, 1974 की अवधि में टेलीफोनों के संबंध में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) ये शिकायतें किस प्रकार की थीं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) इस अवधि के दौरान दिल्ली टेलीफोन में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या इस प्रकार है:—

सेवा संबंधी शिकयतें	3,14,556
बिल संबंधी शिकायतें	1,664

(ख) सेवा संबंधी शिकायतें मुख्य रूप से तभी होती हैं जब उपभोक्ता का टेलीफोन खराब हो जाता है या ठीक से काम नहीं करता है । बिलों संबंधी शिकायतें वे हैं, जहां चार्ज की गई कालों की संख्या और बिलों में दिखाई गई ट्रंक कालों के संबंध में उपभोक्ता कोई विवाद उत्पन्न कर देते हैं ।

(ग) सेवा सबधी शिकायतों पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है और खराबियां दूर कर दी जाती हैं । बिलों के संबंध में की गई शिकायतों की जांच की जाती हैं और यदि कोई गलती पकड़ में आती है तो उसे ठीक कर दिया जाता है ।

दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों के लिये रिहायशी आवासन

8234. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों को 1975–76 में रिहायशी आवासन सुविधायें देने सम्बन्धी क्या योजनायें हैं; और

(ख) वर्ष 1974–75 में इस बारे में क्या किया गया था ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) पुलिस कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित रिहायशी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1975–76 में योजनागत परियोजनाओं के अधीन 20 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है:—

	टाइप-3	टाइप-2	टाइप-1	अन्य विवरण
1. होज खास के क्वार्टर्स प्लिन्थ स्तर पर रुक गये .	—	64	—	
2. थाना जामा मस्जिद के क्वार्टर . .	1	15	—	
3. नजफगढ में थाना और रिहायशी क्वार्टर .	1	6	12	
4. थाना किंग्जवे कैम्प के बैरक	—	—	—	
कुल बैरक .	2	85	12	

(ख) 1974–75 के दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्य कार्यान्वित किये गये/हाथ में हैं:—

	टाइप-3	टाइप-2	टाइप-1	अन्य विवरण
1. थाना सिविल लाईन्स के क्वार्टर	—	32	48	पूरे किये गये
2. थाना जंगपुरा के क्वार्टर . .	—	4	9	,,
3. थाना पालम हवाई अड्डे के क्वार्टर .	—	4	16	,,
4. हौज़ खास . .	32	—	120	निर्माणाधीन हैं
जोड़	32	40	193	

मध्य प्रदेश में सागर जिले की बांदा तहसील में हरिजनों पर अत्याचार

8235. **श्री शरद् यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'नई दुनिया' इन्दौर दिनांक 5 फ़रवरी, 1975 में जिला सागर (मध्य प्रदेश) की बांदा तहसील के हरिजनों पर पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों के उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें एक हरिजन की मत्यु हुई बताई जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी जांच के आदेश दिये गये हैं;

(ग) क्या पुलिस अधिकारियों और उनके सहयोगियों को निलम्बित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ): तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

कर्नाटक में बचत बैंक सुविधाओं वाले डाकघर

8236. **श्री के० लकप्पा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और वर्ष 1973-74 की तुलना में कर्नाटक में इस समय बचत बैंक सुविधाओं वाले कितने डाकघर काम कर रहे हैं; और

(ख) राज्य में 1975-76 में कितने डाकघर खोले जाने हैं और उनमें से कितने डाकघरों में बचत बैंक सुविधाएं उपलब्ध करने का विचार है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) वर्ष 1972–73 और 1973-74 की तुलना में इस समय कर्नाटक में बचत बैंक सुविधा के साथ काम कर रहे डाकघरों की संख्या इस प्रकार है:

1974–75	8577
1973–74	8576
1972–73	8528

(ख) डाकघर खोलने के लिए निर्धारित सामान्य नीति के अनुसार प्रत्येक मामले औचित्य सिद्ध होने पर इनकी संख्या निर्भर करेगी। अलबत्ता वर्ष 1975–76 के दौरान खोले गए सभी डाक घरों में बचत बैंक की सुविधाएं दे दी जाएँगी।

कर्नाटक में टेलीप्रिन्टर सेवाएं

8237. **श्री के० लकप्पा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में अब तक जिन स्थानों पर टेलीप्रिन्टर सेवाओं का प्रबन्ध किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) डाक तथा तार विभाग द्वारा 1975-76 में कर्नाटक में विभिन्न स्थानों पर टेलीप्रिन्टर सेवाएं उपलब्ध कराने सबंधी योजना की मुख्य बातें क्या हैं।

(ग) क्या डाक तार विभाग को कर्नाटक में कुछ केन्द्रों पर टेलीप्रिन्टर सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सरकार का उस पर क्या निर्णय हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क)(i) पट्टे पर टेलीप्रिन्टर सेवा अम्मासांद्रा, बँगलूर, वेलागोला (मांडया) वेलगाम, वेलारो, वीजापुर, कुँडापुर, देवनगिरि, धारवाड़, गडाग, गुलवर्गा, हरिहर, होसपेट, हुवली, करवार, कोलार गोल्ड फील्ड (कोलार), मँगलूर, मतिपाल (एस के) मैसूर, नरसापुर (बेलारो) शाहाबाद (गुलवर्गा) उडोपा और वाडा में प्रदान कर दी गई हैं।

(ii) विभागीय टेलीप्रिन्टर सेवा आरसीकेरे, बागलकोट, बँगलूर, वेलगाम, वेलारी भद्रावही, मटकल, चिकयँगलुर, चित्रदुर्गा कुँडापुर, डांडेली, देवनगिरि, धारबाड़, गडाग, गोकाक, गुलवर्ग, हसन, हवेरी, होसपेट, हुबली, करवार, कोलार, कोलेगल, कुपटा, मांडया, मंगलूर, यतिपाल, मरकारा, मैसूर, निपानी, उरगाम पनाम्बूर (मगलूर) रायचूर, सागर, शिमोगा, सिरसी, तिपतूर तुमकुर और उडोपी में दी गई है।

(ख) वोदर, हरिहर, करकला, कोप्पल और रानीवेन्नूर में विभागीय टेलीप्रिन्टर सेवा तथा अम्बिकापुर, वोदर, नांजनगुड और तोरांगल्लु में वर्ष 1975-76 के दौरान पट्टे पर प्राइवेट सेवा देने के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) कर्नाटक राज्य सरकार के राज्य की राजधानी के साथ सीधे संचार के लिए सभी जिला मुख्यालयों में टेलीप्रिन्टर सुविधा देने के लिए प्रार्थना की है। चिकमंगलूर, चित्रदुर्गा, धारवाड़,

हसन, मरकारा, रायचूर, शिमोगा और तुमकुर के जिला मुख्यालयों में यह सुविधा देना व्यवहार्य पाया गया है। राज्य सरकार को ये सर्किट ले लेने के लिए कहा गया है। उनकी स्वीकृति मिलने पर आगे कार्रवाई की जायेगी। चैनलों की कमी के कारण शेष जिला मुख्यालयों में यह सुविधा देना व्यवहार्य नहीं है और राज्य सरकार को तदनुसार सूचना भी दे दी गई है।

महिलाओं की सेवाओं में नियुक्तियां

8238. श्री के० लकप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केन्द्रीय सरकार कार्यालयों में महिला कर्मचारियों का अनुपात बहुत नगण्य हैं, यदि हां तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार ने महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति में प्रधानता देने के बारे में कोई अनुदेश जारी किये हैं जिससे कि उन्हें सेवाओं में समुचित कोटा दिया जा सके; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार 31-3-1972 को केन्द्रीय सरकार के अधीन नियमित महिला कर्मचारियों की संख्या 70874 थी। यह संख्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या का 2.58 प्रतिशत है। किन्तु यह देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान सेवाओं में महिला कर्मचारियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। सरकार ने अनुदेश जारी किए गए हैं कि सेवाओं/पदों में महिलाओं को नौकरी के लिए नियमों में यदि कोई भेद-भावपूर्ण व्यवस्था हो तो उसे दूर किया जाए।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। लिंग के आधार पर संविधान के अधिनियम 16 में केन्द्रीय सरकार के अधीन रोजगार अथवा नियुक्ति में कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है।

Sound Tracks of Adults Films for Broadcasting in Vividh Bharati Programme

†**8239. Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether the sound tracks of the films meant for 'adults only' are broadcast in the Vividh Bharti programmes of the All India Radio;

(b) whether Government have given a thought as to the propriety of broadcasting such sound tracks over the Radio; and

(c) if so, Government's reaction in regard thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) Programmes based on sound tracks of films are broadcast from Vividh Bharati under the programme "Chitradhwani". During the last six months, out of 24 such programmes, only two were based on sound tracks of films for "adults only". All objectionable words, unapproved songs and suggestive dialogues are omitted while preparing the sound tracks for broadcast. While the average duration of a full film is about 2½ hours, the duration of the "Chitradhwani" programme is only 58 minutes.

(b) and (c). Instructions are being issued to discontinue the broadcast of sound tracks of films certified for Adults only.

Abduction of Girls from Banda District in U.P.

†8240. **Shri Lalji Bhai:**

Shri Chandra Sailani:

Shri Jyotirmoy Bosu:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether according to a Government report contained in the editorial of the 'Nav Bharat Times' dated the 11th March, 1975, on every second day in Banda District, Uttar Pradesh, a young girl is abducted and later on is forced to take to prostitution;

(b) if so, the factual position in this regard; and

(c) the action being taken by Government to check spreading of such social evils?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):

(a) No, Sir.

(b) and (c). According to the Government of Uttar Pradesh 9 cases of abduction of girls were registered in Banda District during the 9 months from June, 1974 to February, 1975, and necessary action was taken by the Police in each case.

पेन्शन मंजुरी के लिए तेलंगाना तथा पुन्नाप्रा वयालार संघर्षों को मान्यता

82241. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री सी० के० चन्द्राप्पन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के उद्देश्य से तेलंगाना तथा पुन्नाप्रा वयालार संघर्षों को स्वतन्त्रता संग्राम के रूप में मान्यता देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) इन आन्दोलनों के बारे में पूर्ण ऐतिहासिक तथ्य एकत्रित किये जाने थे और राज्य सरकार से भी तथ्य मालूम किये जाने थे । ये तथ्य एकत्रित कर लिये गये हैं और निर्णय के वास्ते अब मामले पर कार्यवाही की जा रही है ।

केन्द्रीय कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड की निपटान समिति द्वारा वस्तुओं की बिक्री

8242. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली में कोई निपटान उपसमिति है; यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) वर्ष 1972, 1973 तथा 1974 में उपभोक्ता सहकारी समिति की निपटान समिति ने कितने मूल्य की वस्तुएं बेची;

(ग) क्या उपभोक्ता सहकारी समिति के 'पी ब्लाक' स्थित स्टोर में विशेष बिक्री का काउण्टर है, यदि हां, तो क्या उक्त वर्षों में इस काउण्टर से वस्तुयें बेची गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो सेल्समैन के नाम क्या हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) प्रत्येक सहकारी वर्ष के लिए एक निपटान उप-समिति का गठन किया जाता है । सहकारी वर्ष 1974-75 के लिए इस समिति के सदस्यों का नाम नीचे दिया जाता है :—

1. श्री एस० वी० अय्यर	अध्यक्ष
2. श्री आर० एन० सरकार	सदस्य
3. श्री ए० एस० ठाकुर	सदस्य
4. डा० जे० एस० सक्सेना राज	सदस्य

(ख) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान निपटान उप-समिति के निदेशों के अनुसार बेचे गए सामान तथा वसूल किए गए मूल्य के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

मद का नाम	वसूल किया गया मूल्य
1972-73	
	रु०
टैक्सटाइल	537.00
ऊनी और नाईलोन का सामान . .	2,732.00
जोड़ .	3,269.00
1973-74	
टैक्सटाइल के टुकड़े . . .	20,151.00
उपभोक्ता मदें	3,962.00
जोड़ .	24,113.00

(ग) पुराने, अप्रचलित और टूटे फूटे सामान को बेचने के लिए अक्टूबर, 1973 के महीने में 'पी' ब्लाक स्टोर में एक निपटान बिक्री काउण्टर खोला गया था और ये वस्तुएं इस काउण्टर के द्वारा बेची जा रही हैं ।

(घ) सेल्समैन का नाम श्री मंगत राम है ।

भू-तापीय संसाधनों की खोज के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) के साथ समझौता

8243. **श्री हरी सिंह :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में भू-तापीय संसाधनों की खोज करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सयुक्त राष्ट्र विकास कायक्रम द्वारा पेशकश की गई सहायता की शर्तें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) "भारत में भू-तापीय विद्युत् के अन्वेषण और विकास" के संबंध में सहायता के लिए एक परियोजना अनुरोध संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 10 दिसम्बर, 1974 को स्वीकृत किया गया था। इसकी शर्तें वही हैं जैसे कि ऐसी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम द्वारा परस्पर सहमति से तैयार की गई हैं और जिनकी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विशेषज्ञों की सेवाओं, प्रशिक्षण, उपस्कर तथा अन्य सेवाओं के रूप में योगदान देने की व्यवस्था की गई है।

"कनसेनट्रेट के लिए कच्चे माल के आयात हेतु कोका कोला निर्यात निगम का प्रस्ताव

8244. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार :**

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1974 की अनुपूरक (सप्लीमेंन्टरी) लाइसेंस समिति में सरकार ने मूल कम्पनी से 14,25,000 रुपए की कीमत के 'कनसेनट्रेट' कच्चा माल के आयात सम्बन्धी सिफारिश को जारी करने के बारे में कोका कोला निर्यात निगम के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था; और

(ख) कोका कोला निर्यात निगम के पिछले प्रस्ताव की सिफारिश किस प्रकार की गयी है तथा किन नियमों और विनियमों के अन्तर्गत की गयी है विशेषकर जबकि भारतीय कम्पनियों के प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) जी, नहीं।

(ख) कच्चे माल का आयात करने के लिए भारतीय फर्मों से प्राप्त सभी आवेदनों की भी सिफारिश की है। शेष के बारे में प्रश्न ह. नहीं उठता।

Telephones Calls booked from various places in Madhya Pradesh

†8245. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of calls booked during the years 1972 to 1974 from Morena, Amba, Sheopur, Jora and Shabalgarh in Madhya Pradesh and the number of them made within the district and of those booked for outside; and

(b) the working capacity of the telephone exchanges functioning at these places and when they were set up?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) and (b). Since trunk call tickets are destroyed after retention for six months, information regarding the number of calls made within the District and outside are not available. However, the total number of trunk calls booked during the years 1972 to 74 and the equipped capacity of the exchanges along with the date of opening are indicated below:

S. No.	Name of the Exchange	Equipped capacity	Date of opening	Trunk Calls booked during		
				1972	1973	1974
1.	Morena . .	300	18-10-54	84036	99600	108000
2.	Ambah . . .	25	10-2-68	—	—	---
3.	Sheopur Kalan .	100	20-2-63	15828	18180	20556
4.	Jora . .	25	17-11-69	—	—	—
5.	Sabalgarh . . .	50	10-7-59	16068	19980	22128

Since Ambah and Jora are MAX III exchanges parented to Morena and Gwalior trunk exchanges, the information of the calls booked at Ambah and Jora are not separately available. The figures of Morena include trunk calls booked from Ambah also.

लघु उद्योग सेवा संस्थान, इलाहाबाद

8246. **श्री राजदेव सिंह :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के संवर्धन के लिये लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा देश में विभिन्न प्रदेशों में पहले ही से काम कर रहे पांच सेवा संस्थानों के अतिरिक्त लघु उद्योग सेवा संस्थान की तीन नई शाखायें स्थापित की जा रही हैं।

(ख) क्या पहले ही से काम कर रहे पांच सेवा सस्थानों में से एक संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों को देखने के लिये इलाहाबाद में स्थित है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इलाहाबाद सेवा संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों का काम देखेगा जो आर्थिक रूप से अत्यन्त पिछड़े हुए हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, तीन और शाखा संस्थान भिवानी (हरियाणा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) और सिलीगुडी (पश्चिम बंगाल) में स्थापित किये जा रहे हैं।

(ख) लघु उद्योग विकास संगठन के अधीन सोलह शाखा संस्थानों में से एक संस्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है ।

(ग) इलाहाबाद का शाखा संस्थान नीचे दिये गये 15 जिलों को औजार कक्ष सामान्य इंजीनियरी, धातु की चद्दरें और रसायनों के क्षेत्र में कारखाने और प्रयोगशाला को सुविधा देने की व्यवस्था करता है:—

1. बहराइच, 2. गोंडा, 3. बस्ती, 4. गोरखपुर, 5. फैजाबाद, 6. आजमगढ़, 7. देवरिया, 8. बलिया, 9. सुलतानपुर, 10. प्रतापगढ़, 11. जौनपुर, 12. गाजीपुर, 13. वाराणसी, 14. मिर्जापुर, 15. इलाहाबाद ।

इस शाखा संस्थान को सशक्त बनाया जा रहा है ताकि इसके कार्यकलापों को गहन बनाया जा सके और संस्थान जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसमें लघु उद्योगों का विकास और संवर्धन किया जा सके ।

सौर ऊर्जा का लाभ उठाया जाना

8247. **श्री राजदेव सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा के प्रयोग में वृद्धि के अलावा भारत के कुछ भागों में भूतापीय ऊर्जा भी उपलब्ध हो सकती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश का बहुत बड़ा भूभाग उष्ण कटिबन्ध में आता है और हम सौर ऊर्जा का लाभ उठाने की स्थिति में हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या हमारे सौर वैज्ञानिकों को इस दिशा में कार्यवाही करने को कहा गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). भारत में सौर ऊर्जा का समुपयोजन सैद्धान्तिक रूप से संभव है, परन्तु अभी तक वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्य नहीं है । इस उद्देश्य के लिए अनुसंधान और विकास का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है ।

पंकी इलेक्ट्रानिक औद्योगिक बस्ती में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक की निगम द्वारा इलेक्ट्रानिक परीक्षण तथा विकास केन्द्र की स्थापना

8248. **श्री राजदेवसिंह** : क्या **इलेक्ट्रानिक्स मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में पंकी इलेक्ट्रानिक औद्योगिक बस्ती में इलेक्ट्रानिक परीक्षण एवं विकास केन्द्र का आधार शिला रख दी गई है; और

(ख) क्या यह आधार शिला छोटेत था मध्यम स्तर के इलेक्ट्रानिक का साज-सामान बनाने वालों को सहायतार्थ रखी गई है ताकि वे अपने उत्पादों को अन्तरर्राष्ट्रीय स्तर के बना सकें ?

प्रधान मंत्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एवं (ख) : उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक विकास निगम (जो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र का अभिकरण है), कानपुर के समीप पनकी औद्योगिक क्षेत्र में एक इलेक्ट्रानिकी परीक्षण एवं विकास केन्द्र का गठन कर रहा है । इस केन्द्र का आधारशिला उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा

11 जनवरी, 1975 को रखी गयी। केन्द्र की स्थापना उस योजना के अंतर्गत हो रही है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रानिकी विभाग प्रत्येक राज्य सरकार को मशीनरी तथा उपस्कर की खरीद के लिए 25 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान करता है। अनुदान की यह राशि मोटे तौर पर ऐसे केन्द्र पर आने वाली कुल लागत का लगभग 75 प्रतिशत बैठती है तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा भूमि एवं भवन के रूप में वहन की जाती है। केन्द्र के संचालन पर आने वाली लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

परीक्षण एवं विकास केन्द्र का प्रमुख उद्देश्य इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र के छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए ऐसे उपस्परों एवं सुविधाओं की व्यवस्था करके उनकी सहायता करना है, जिनके द्वारा भारतीय मानक संस्थान अथवा अन्य प्रयोक्ता अभिकरणों की संगत विशिष्टियों के अनुसार उनके उत्पादों का परीक्षण किया जा सके। आशा है कि इस कार्यवाही से इलेक्ट्रानिकी उद्योग में लगे व्यक्तियों में स्वदेशी बाजार और निर्यात, इन दोनों क्षेत्रों में कोटिनियंत्रण के प्रति अधिकाधिक जागरुकता बढ़ेगी। कोई भी उद्यमकर्ता इस प्रकार के परीक्षण एवं विकास केन्द्रों में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का उपयोग मात्र बहुत ही सीमित अवधि के लिए करता है और यदि इतने सीमित उपयोग के लिये कोई उद्यमकर्ता इन सुविधाओं को अपने ही कारखाने में स्थापित करना चाहे, तो उसे इसमें अनावश्यक रूप से भारी पूंजी—निवेश करना होगा।

इलेक्ट्रानिकी विभाग इन केन्द्रों की स्थापना के निमित्त अब तक लगभग 13 लाख रुपयों का अनुदान दे चुका है।

उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विकास के लिये विदेशी मुद्रा

8249. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1973 और 1974 में उपकरणों और प्रौद्योगिकी के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई और चालू वर्ष के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा व्यय करने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये विदेशी मुद्रा आवंटन में कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी; और

(ग) स्वदेशी उपकरणों को प्रौद्योगिकी के विकास के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) उपकरणों और प्रौद्योगिकी के आयात पर व्यय की गयी धनराशि के उपलब्ध नवीनतम आंकड़े नीचे दिये जाते हैं:—

मशीनरी और परिवहन उपकरण	(रुपये करोड़ में)
1972–73	532
1973–74	629
1974–75 (अप्रैल-नवम्बर)	419

प्रौद्योगिकी

(निजी क्षेत्र द्वारा तकनीकी जानकारी और रायल्टी भुगतान के कारण विदेशों को भेजी गई धनराशि)

(रुपये करोड़ में)

1970-71	25.86
1971–72 . .	19.76
1972–73	18.66

चालू वर्ष में उपकरण और प्रौद्योगिकी के आयात के लिये कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया है। इस लेखे में होने वाला व्यय इस वर्ष अत्यावश्यक वस्तुओं के आयात पर निर्भर करता है।

(ग) प्रौद्योगिकी के आयात के प्रत्येक प्रस्ताव की जांच देश की स्थिति की दृष्टि से की जाती है। इसके पहले कि विदेशी विनियोजन बोर्ड द्वारा इन पर विचार किया जाये प्रौद्योगिकी के आयात के प्रस्तावों के तकनीकी पहलुओं पर इस उद्देश्य के लिये एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। विदेशी सहयोग के प्रस्तावों की स्वीकृति देते समय तकनीकी जानकारी का भी यथाशीघ्र आत्मसात करने का सुनिश्चित करने के लिये अनुसंधान और विकास की सुविधाओं की स्थापना करने पर बल दिया जाता है ।

देशी डिजाइनों की क्षमता का उपयोग करने और उसमें सुधार करने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं। पूंजीगत उपकरणों का आयात कम करने और मशीन निर्माण उद्योग में निर्माण की क्षमता का पूरा पूरा उपयोग सुलभ बनाने की दृष्टि से मशीन निर्माण उद्योग और बिजली उद्योग के लिये डिजाइनों और ट्राइंग का आयात करने की एक सरल बनाई गई प्रक्रिया लागू की गयी है।

रेडियो और टेलीविजन द्वारा खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित करने में लगाया गया समय

8250. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो और टेलीविजन द्वारा 1973–74 और 1974–75 में विभिन्न खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित करने पर कितना समय लगाया गया;

(ख) प्रत्येक वर्ष में हर खेल पर कितना समय लगाया गया और उस पर कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हिंसा के वातावरण पर राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक

8251. **श्री आर० वो० स्वामीनाथन्** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हिंसा के वातावरण तथा उग्रवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों से निबटने के लिए गृह मंत्रालय के साथ बातचीत करने हेतु राज्यों से प्रतिनिधि बुलाये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने प्रतिनिधि भेजे हैं और बैठक में भाग लिया है;

(ग) केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने उनको क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त दिये हैं; और

(घ) इस बारे में राज्यों को क्या सहायता दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल की राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों में वित्तीय संकट

8252. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें पश्चिम बंगाल सूती कपड़ा मजदूर फैडरेशन से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि राज्य में स्थित 14 राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों में कुप्रबन्ध और कदाचारों के कारण उनके बन्द हो जाने का खतरा पैदा हो गया है और उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इन मिलों के अधिकांश प्रबन्धक गैर-तकनीकी हैं और नौकरशाही से लिये गये अनुभवहीन व्यक्ति हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों ने यह मांग की है कि प्रबन्ध के विभिन्न स्तरों पर उनके प्रतिनिधि को शामिल किया जाये; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं । फिर भी फैडरेशन के प्रतिनिधियों के राज्य मन्त्री के साथ हुई एक भेंट में उनका ध्यान पश्चिम बंगाल की राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों के प्रबन्धकों द्वारा की गई कुछ अनियमितताओं की ओर आकृष्ट किया था । प्रतिनिधियों को यह सुझाव दिया गया था कि विशिष्टि मामले सरकार की जानकारी में लाए जाने चाहिए ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सकें । पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीयकृत कपड़ा उपक्रमों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० के एक सहायक निगम को 13 मार्च, 1975 से हस्तान्तरित कर दिया गया है । इन मिलों के कार्य संचालन में सुधार करने के लिए उपयुक्त अभ्युपाय किए जा रहे हैं ।

(ख) पश्चिम बंगाल की 14 राष्ट्रीयकृत मिलों में से 8 मिलों का प्रबन्ध तकनीकी अर्हता प्राप्त अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है । 6 मिलों का प्रबन्ध पश्चिम बंगाल के चार अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है जिन्हें पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव प्राप्त है । ये अधिकारी इन मिलों का करीब

2½ या 3 वर्षों से प्रबन्ध कर रहे हैं और इन्होंने कपड़ा मिलों के प्रबन्ध में काफी अनुभव और दक्षता प्राप्त कर ली है।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल स्थित राष्ट्रीयकृत मिलों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसी कोई भी मांग सरकार की जानकारी में नहीं लाई गई है।

द्रुत डाक सेवा

8253. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार नई डाक सुविधा प्रदान करने के बारे में एक नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे लोग देर से पत्र डाल सकें लेकिन पत्र को अपने गन्तव्य स्थान पर जल्दी पहुंचा सकें; और

(ख) यदि हां, तो योजना के मुख्य बातें क्या हैं और योजना को कब तक लागू किया जाएगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) इण्डियन एयर लाइन्स ने 1 अप्रैल, 1975 से बम्बई और मद्रास के बीच बहुत रात गए सुबह होने से पहले की एक उड़ान चालू की थी। दल्ली और मद्रास से शाम और सुबह की उड़ानों के साथ ताल-मेल रखते हुए और इस अतिरिक्त हवाई सेवा का इस्तेमाल करते हुए 15-4-75 से दिल्ली, बम्बई और मद्रास के शहरों को जोड़ने वाली एक "शीघ्रगामी डाक सेवा" चालू की गई है।

दिल्ली, बम्बई और मद्रास के शहरों में चुने हुए केन्द्रों पर विशेष लेटर बक्स लगाए गए हैं। इस प्रकार इन तीन शहरों में चुने हुए केन्द्रों पर शाम को काफी देर से डाक में डाले गए पत्रों का वितरण अन्य दो शहरों में अगले दिन किए जाने की सुविधा हो गई है। इस सेवा का लाभ उन्हीं पत्रों को मिल पाता है जिनके पते में वितरण डाकघर का पोस्टल इंडेक्स नम्बर लिखा रहता है और जो इन विशेष लेटर बक्सों में डाले जाते हैं। इस योजना का विस्तार कुछ अन्य केन्द्रों पर भी धीरे धीरे किए जाने की सम्भावना है।

पत्रों की डिलीवरी में विम्ब

8254. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रों की डिलीवरी और उनके गन्तव्य स्थान पर पहुंचने में अधिक समय लगने के बारे में सामान्य शिकायत है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) इस तरह की कोई आम शिकायत नहीं है।

(ख) फिर भी, कुछ थोड़ी सी शिकायतें जब प्राप्त होती हैं तब उनके बारे में विस्तृत जांच की जाती है और आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

छोटे अखबारों तथा पत्रिकाओं द्वारा अखबारी कागज के लिये आवेदन-पत्र

8255. **श्री टुना उरांव :**

श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक छोटे समाचारपत्रों और पत्रिकाओं ने अखबारी कागज के लिये आवेदन-पत्र दिया था परन्तु उन्हें अखबारी कागज नहीं दिया गया; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस बारे में जनपद (अगरतला) त्रिबिन्ता (कूच बिहार) बनबाशी समाचार (झाड़ ग्राम) और परियाबेखक (आसनसोल) से आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अखबारी कागज प्रतिवर्ष घोषित की जाने वाली अखबारी कागज आवंटन सम्बन्धी नीति के आधार पर आवंटित किया जाता है, अखबारी कागज का कोटा तभी रिलीज किया जाता है जब आवेदन-पत्र निर्धारित फार्म में भेजा गया हो और वह सभी प्रकार से मुकम्मल हो।

(ख) तथा (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. **जनपद, बंगला दैनिक, अगरतला :**

1974-75 के लाइसेंसिंग वर्ष के लिये अखबारी कागज के आवंटन के लिये आवेदन-पत्र भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में 16 सितम्बर, 1974 को प्राप्त हुआ था। प्रकाशकों को 3-12-74 को 4,500 रुपये की बैंक गारण्टी तथा चार्टर्ड लेखाकार द्वारा प्रमाणीकृत परिशिष्ट-2 भेजने के लिए कहा गया था। ये कागज अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं और आवेदन-पत्र पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

2. **त्रिविन्ता, अंग्रेजी पाक्षिक, कूच बिहार :**

प्रकाशन ने अखबारी कागज के आवंटन के लिये एक पत्र में आवेदन किया था जो भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में 14-1-1975 को प्राप्त हुआ था, 22-1-1975 को पार्टी से यह कहा गया कि वह आवेदन-पत्र 'जे' फार्म में तथा बैंक गारण्टी और परिशिष्ट 2 और 3 भेजे, अभी तक ये कागज प्राप्त नहीं हुए हैं।

3. **बनबाशी, बंगला साप्ताहिक, झाड़ ग्राम :**

1974-75 के लाइसेंसिंग वर्ष के लिये अखबारी कागज के आवंटन के लिये आवेदन-पत्र भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में 31-8-1974 को प्राप्त हुआ था। 29-10-1974 को पार्टी से निवेदन किया गया था कि वह चार्टर्ड लेखाकार द्वारा प्रमाणीकृत परिशिष्ट-2 तथा बैंक गारण्टी भेजे। ये कागज अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

4. परियाबेखक, आसनसोल :

1973–74 तथा 1974–75 के लाइसेंसिंग वर्षों के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

सन्तालदीह तापीय विद्युत् घर को पूरा किया जाना

8256. **श्री टुना उरांव** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन्तालदीह तापीय विद्युत् घर का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना प्रतिशत कार्य पूरा किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सन्तालदीह ताप-विद्युत् केन्द्र में 120–120 मैगावाट के चार यूनिट होंगे । पहला यूनिट पहले ही चालू हो चुका है ; दूसरे यूनिट को चालू करने से पूर्व, उसका परीक्षात्मक प्रचालन किया जा रहा है । तीसरे यूनिट के नवम्बर, 1976 में चालू होने की प्रत्याशा है । चौथे यूनिट के जुलाई, 1977 में चालू होने की प्रत्याशा है ।

छोटी कार का मूल्य

8257. **श्री एन० ई० होरो,** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र की पहली छोटी कार के जुलाई में बिक्री के लिए उपलब्ध होने की सम्भावना है;

(ख) क्या जनवरी, 1973 में भी इसकी खुले बाजार में बिक्री करने की कोई घोषणा की गई थी; और

(ग) कार की कीमत कितनी होगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है ।

लघु क्षेत्र के लिए उद्योगों का आरक्षण

8258. **श्री के० मालन्ना :**

श्री एम० राम गोपाल रेडडी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केवल मात्र लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित उद्योगों की सूची में तीन और अधिक उद्योगों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) आरक्षित उद्योगों का सावधिक पुनरीक्षण करने के लिए गठित स्थायी समिति ने हाल ही में विचार किया है और निम्नलिखित उद्योगों का केवल लघु क्षेत्र में ही विकास करने की सिफारिश की थी :—

(1) विशेष प्रकार के मोटरों को छोड़कर 10 अश्वशक्ति तक के इलेक्ट्रिक मोटर ।

(2) 350 रुपए मूल्य तक के करों के रेडियो रिसीवर ।

(3) प्लाईवुड की बनी चाय की पेटियां ।

इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

इंजीनियरों को अखिल भारतीय सेवा

8259. **श्री अनादिचरण दास :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा की तरह इंजीनियरों के लिये अखिल भारतीय सेवा बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सेवा संगठित हो गई है और क्रियान्वित कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Accommodation for Telephone Employees in Bihar

†8260. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of dwelling units (quarters) available at various places in Bihar for Class I and Class II telephone employees;

(b) whether housing facility available to these employees in Bihar is negligible compared to that in other states; and

(c) if so, the arrangements Government propose to make in this regard?

The Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma): (a) The Class I and Class II employees are entitled for type IV, V and VI quarters. The number of quarters at various places in Bihar for Class I and Class II telecom. employees is given in Annexure 'A'.

(b) No, Sir. The number of quarters available for P. and T. employees in these categories in Bihar and other States is given in Annexure 'B'.

(c) An amount of Rs. 61.25 crores is provided in the Fifth Plan for the construction of staff quarters for P. and T. employees throughout India. However, at present there is a ban on the construction of non-functional buildings.

Statement

No. of Quarters of Type IV, V and VI available for Class I and Class II Telephone Employees in Bihar

Jamshedpur	2
Ranchi	1
Gaya	1
Dhanbad	2
Bokaro	1
Jharia	1
Darbhanga	1
Patna	26
TOTAL	35

Approximate No. ofQuarters of Type IV, V and VI for P&T Employees Available in Different States

P & T Circle	No. of employees entitled for type IV, V & VI quarters	No. of quarters of type IV, V and VI available	Percentage
1. Andhra	249	26	10·4
2. North Eastern	145	38	26·2
3. Bihar	181	109	60·2
4. Gujarat	204	26	12·7
5. J & K	31	4	12·9
6. Kerala	190	17	8·9
7. Madhya Pradesh	241	56	23·2
8. Maharashtra	838	193	23·0
9. Karnataka	241	11	4·5
10. Orissa	138	16	11·6
11. Punjab	183	78	42·6
12. Rajasthan	115	26	22·6
13. Tamil Nadu	520	44	8·4
14. Uttar Pradesh	282	49	17·4
15. West Bengal	713	61	8·5
16. Delhi	442	234	52·9

NOTE :—Separate figures of quarters available for telecom employees are not available.

Discovery of Coal Deposits in South Bihar

†**8261. Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether large deposits of coal have been found in a certain region of South Bihar; and

(b) if so, the facts thereof and the time by which Government would start work in this mine?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) and (b). Yes, Sir. Sizeable reserves of Coal have been estimated in South Bihar. About 8668 million tonnes of coal have been estimated in North Karanpura, 1023 million tonnes in West Bokaro and 1736 million tonnes in Rajmahal Coalfields. Some of these areas are under active exploitation, while others are planned to be exploited in the subsequent plan periods.

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० के महाप्रबन्धक द्वारा बिना भुगतान किए माल लिया जाना

8262. **श्री शशि भूषण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, नई दिल्ली के महाप्रबन्धक ने समिति के 'पी' ब्लाक स्थित स्टोर से 2 अप्रैल, 1975 को कुछ जन्त किया माल लिया और अपने हस्ताक्षर किये तथा उसी समय भुगतान नहीं किया ;

(ख) महाप्रबन्धक द्वारा किस प्रकार का माल लिया गया तथा उसका मूल्य कितना है और किस तारीख को उन्होंने भुगतान किया ;

(ग) क्या महाप्रबन्धक अथवा समिति का कोई अन्य अधिकारी इस प्रकार कितना ही माल लेने का हकदार है ; और

(घ) क्या 'डायरेक्टर' तथा 'डेलीगेट' भी इस सुविधा के हकदार हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान् । महाप्रबन्धक ने कुछ ग्राहकों को जिनके साथ उनका व्यावसायिक और सरकारी सम्पर्क है माल दिखाने के प्रयोजन से नीचे दी गई वस्तुएं ली थी :—

1. स्ट्रेचलौन	47 मीटर
2. अमेरिकन जार्जट . . .	110 मीटर
3. नाइलेक्स 644	150 मीटर
4. टी-68 न० कमीज़ का कपड़ा . . .	20 मीटर
5. 80/20 कमीज़ का कपड़ा . . .	20 मीटर

(ख) निम्नलिखित वस्तुएं, जिनकी जरूरत नहीं थी वापिस कर दी गई थीं और 23 अप्रैल, 1975 को वस्त्र गोदाम के प्रभारी को 6,248.25 रु० का भुगतान कर दिया गया था :—

1. स्ट्रेचलौन	20 मीटर-35 से०	मीटर
2. अमेरिकन जार्जट . .	16 मीटर-50 से०	मीटर
3. नाइलेक्स 644 .	24 मीटर-00 से०	मीटर
4. टी-68 न० कमीज का कपड़ा . .	20 ,, 00 ,,	
5. 80/20 कमीज़ का कपड़ा .	4 ,, 00 ,,	

(ग) समिति के महाप्रबन्धक तथा उनके वरिष्ठ अधिकारियों को कभी-कभी कुछ माल महत्वपूर्ण आगंतुकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लेना पड़ता है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

केन्द्रीय कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड नई, दिल्ली के निदेशक

8263. **श्री शशि भूषण : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली, में वर्ष 1974–75 के लिये निदेशकों (डायरेक्टरों) के नाम क्या हैं ;

(ख) उनमें से कितने निर्वाचित होते हैं तथा कितने सरकारी निदेशक हैं ;

(ग) प्रत्येक समिति में निदेशकों की उपसमितियों के नाम क्या हैं तथा निर्वाचित और सरकारी निदेशकों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या सरकारी निदेशक कभी स्टोर्स में आते हैं अथवा यह कार्य केवल निर्वाचित निदेशकों के लिये ही छोड़ा हुआ है ; और

(ङ) क्या स्टोर्स के कार्यकरण के बारे में सरकारी निदेशकों ने कभी कोई शिकायत की है अथवा कार्यकरण में सुधार के लिये कोई सुझाव दिया है, यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली में सहकारी वर्ष 1974–75 के लिए निदेशकों (डायरेक्टरों) के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) आठ निर्वाचित होते हैं और आठ नामांकित किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष को भारत सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है।

(ग) प्रशासन बोर्ड की उप-समितियों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ). प्रशासन बोर्ड और निदेशक बोर्ड के नामांकित निदेशक तथा अध्यक्ष भी जब कभी आवश्यक होता है, स्टोरों और समिति के कार्यालयों में आते हैं।

शाखा स्टोरों के स्टाकिंग, सामान की नई मदों का शामिल किये जाने, ग्राहकों के साथ कर्मचारियों के बर्ताव और वितरण प्रणाली में सुधार लाने के सम्बन्ध में नामांकित निदेशकों और अध्यक्ष द्वारा भी सुझाव दिए गए हैं।

विवरण--1

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली

सरकारी निदेशक

1. श्री एम० गोपाल मेनन, निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष।
2. श्री पी० एस० महादेवन, प्रशासन बोर्ड के अध्यक्ष।
3. श्री एम० ए० रंगास्वममी — सदस्य
4. श्री के० जी० माथुर — सदस्य
5. श्री एस० वी० अय्यर — सदस्य
6. श्री आर० सी० मिश्रा — सदस्य
7. श्री पी० लाल — सदस्य
8. श्री डी० एस० निम — सदस्य
9. श्रीमती आर० एम० शरीफ़ — सदस्य

निर्वाचित निदेशक

1. श्री छजू राम — सदस्य
2. श्री ओ० पी० शर्मा — सदस्य
3. श्री आर० एन० सरकार — सदस्य
4. डा० जे० एस० सक्सेना राज — सदस्य
5. श्री ए० एस० ठाकुर — सदस्य
6. श्री कुलानन्द — सदस्य
7. श्री राम प्रकाश — सदस्य
8. श्री आर० पी० तनेजा — सदस्य

विवरण--2

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली

उप समितियों की सूची

1. क्रय समिति

1. श्री एस० वी० अय्यर — अध्यक्ष--नामांकित निदेशक

2. श्री ओ० पी० शर्मा	सदस्य	निर्वाचित निदेशक
3. श्री कुला नन्द	सदस्य	
4. श्री आर० पी० तनेजा	सदस्य	

2. मूल्य समिति

1. श्री एस० वी० अय्यर	अध्यक्ष—नामांकित निदेशक	
2. श्री ए० एस० ठाकुर	सदस्य	निर्वाचित निदेशक
3. श्री आर० पी० तनेजा	सदस्य	
4. श्री आर० एन० सरकार	सदस्य	

3. पुराने तथा अप्रचलित माल और अन्य अबिक्रेय माल की निपटान समिति

1. श्री एस० वी० अय्यर	अध्यक्ष—नामांकित निदेशक	
2. श्री आर० एन० सरकार	सदस्य	निर्वाचित निदेशक
3. श्री एस० एस० ठाकुर	सदस्य	
4. डा० जे० एस० सक्सेना राज	सदस्य	

4. स्टाफ (कर्मचारी) की भर्ती/पदोन्नति समिति

1. श्री एस० वी० अय्यर	अध्यक्ष—नामांकित निदेशक	
2. श्री राम प्रकाश	सदस्य	निर्वाचित निदेशक
3. श्री कुला नन्द	सदस्य	
4. डा० जे० एस० सक्सेना राज	सदस्य	

5. कर्म-समिति

1. श्री एस० वी० अय्यर	अध्यक्ष नामांकित निदेशक	
2. डा० जे० एस० सक्सेना राज	सदस्य	निर्वाचित निदेशक
3. श्री ओ० पी० शर्मा	सदस्य	
4. श्री एस० एस० ठाकुर	सदस्य	

भागलपुर एक्सचेंज

8264. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर मानव चालित (मैन्युअल) टेलीफ़ोन एक्सचेंज को 2100 लाइनों के स्वचालित एक्सचेंज में परिवर्तित करने के लिये डाक-तार बोर्ड को दूर-संचार निदेशक, बिहार सर्किल से अनुमति और मंजूरी के लिये परियोजना मूल्यांकन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या पटना-मुंगेर-भागलपुर मार्ग पर ऊपरी तारों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से एक सूक्ष्म तरंग प्रणाली आरम्भ करने का एक दूसरा प्रस्ताव डाक-तार बोर्ड को बिहार सर्किल के दूर-संचार निदेशक से अनुमति और स्वीकृति के लिये प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उस क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये उपर्युक्त प्रस्तावों को कम से कम समय में अनुमति और मंजूरी देने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) डाक-तार बोर्ड पटना-मुंगेर-भागलपुर मार्ग पर एक माइक्रोवैव योजना पर विचार कर रहा है। इस योजना का सर्वेक्षण, इंजीनियरी और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। माइक्रोवैव योजना के चालू हो जाने के बाद, उचित समय पर खम्बों पर लगे तार हटाने के बारे में फैसला किया जाएगा।

(ग) इन प्रस्तावों की वित्तीय दृष्टि से जांच की जा रही है और यदि ये योजनाएं लाभकर पाई गई तो यथासंभव शीघ्र उनकी मंजूरी देने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

Law and Order Situation in Coal Mines Areas

‡**8265. Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether the law and order situation in nationalised coal mines areas has deteriorated during the past few months and many trade union leaders have been murdered;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government for improving this deteriorating situation?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) to (c). The law and order situation in the nationalised coal mines was, by and large, satisfactory. However, the situation deteriorated in some mines in Dhanbad, district of Bihar between October, 1974 and February, 1975 when 4 persons were killed in 10 clashes. Inter union rivalry appears to be one of the important reasons for the above clashes. The Minister for Energy discussed this issue on the 20th March, 1975 with the official of the Government of Bihar, including the Chief Secretary and I.G. of Police, with a view to evolving measures to improve the law and order situation. The Central Reserve Police units have also been deployed in the area.

Grants of Pension to Freedom Fighters amongst M.Ps and M.L.As.

‡**8266. Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to the effect that the freedom fighter Members of Parliament and Members of State Legislatures would not be given pension;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Members of some State Legislatures have been receiving pension since long; and

(d) if so, the reasons for adopting this policy of discrimination?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) to (d). As the present annual income of sitting Members of Parliament exceeds Rs. 5000, they are not being sanctioned pension for the present. Their cases are, however, being scrutinised and if they are found otherwise eligible they are informed that they may renew their request for pension when their gross annual income from all sources falls below Rs. 5000.

Some of the Members of State Legislatures had not shown their income correctly in their applications under the impression that some of the allowances drawn by them do not form part of their gross income. They were, therefore, granted pension on the basis of the income shown by them.

When it came to the notice of the Government, it was decided to collect data about the pay and allowances of the Members of State Legislatures with a view to taking a general decision as to what allowances drawn by the Members of State Legislatures should be taken into consideration for the purpose of computing gross annual income under the Freedom Fighters Pension Scheme. The information is being collected and a decision will be taken as early as possible Pending a decision on the general question, no other sitting Member of a State Legislature is being sanctioned pension for the present. However, as the question is still being reviewed, the pension already sanctioned to some of the Members of the State Legislatures has not been stopped.

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, गोल मार्किट शाखा के सेल्समैन द्वारा कपड़ा कम मापा जाना

8267. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 अप्रैल, 1975 को केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली की गोल मार्किट शाखा के सेल्समैन द्वारा कम कपड़ा मापे जाने तथा समिति के उप महाप्रबन्धक के दुर्व्यवहार के बारे में मन्दिर मार्ग पुलिस स्टेशन के सब इन्स्पेक्टर को एक शिकायत दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो समिति के अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके सेल्समैन द्वारा जान बूझकर जनता को ठगे जाने सम्बन्धी उक्त शिकायत पर पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 6-4-1975 को केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली की गोल मार्किट शाखा के सेल्समैन द्वारा कपड़ा कम मापने के संबंध में थाना मंदिर मार्ग के सब इन्स्पैक्टर को एक लिखित शिकायत मिली थी। उपभोक्ता द्वारा महाप्रबन्धक का कोई दुर्व्यवहार नहीं देखा गया अथवा पुलिस को सूचित किया गया।

(ख) 25-4-1975 को थाना मन्दिर मार्ग में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन एफ़० आई० आर० सं० 221 द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है ।

देश में नर बलि की घटनायें

8268. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों से नर बलि के कितने, वर्ष-वार मामले सरकार के ध्यान में आये; और

(ख) इन अपराधों को करने वाले लोगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, लिमिटेड में खरीददारों को दी गई सुविधाएं

8269. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगो कि :

(क) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के 'पी' ब्लाक स्टोर में प्रति दिन औसतन कितने व्यक्ति जाते हैं ;

(ख) उन्हें गर्मियों में शीतल जल, धूप से बचने के लिये आश्रय की क्या सुविधायें दी गई हैं; और

(ग) क्या गर्मियों में खरीददारों को धूप से बचाने के लिये वहां शामियाना का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) समिति के 'पी' ब्लाक स्टोर में प्रति दिन आने वाले ग्राहकों की औसत संख्या 1,000 तथा 2,000 के बीच है, जो भिन्न-भिन्न समय पर बिक्री के लिए उपलब्ध मदों पर निर्भर है ।

(ख) गर्मियों में शीतल जल तथा धूप से बचने के लिए आश्रय देने के लिए प्रबंध किए गए हैं ।

(ग) जब कभी आवश्यक होता है अथवा बड़ी संख्या में ग्राहकों के स्टोर में आने की सम्भावना होती है, जैसे कन्ट्रोल के कपड़े अथवा सीमा-शुल्क विभाग से खरीदे गए जब्त माल की बिक्री के दिनों में, शामियाना लगाया जाता है ।

दामोदर घाटी निगम विद्युत प्रणाली का कार्य

8270. **श्री रानेन सेन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में और वर्ष 1974 के मध्य तक दामोदर घाटी निगम विद्युत् प्रणाली के असन्तोषजनकपूर्ण कार्य करने के क्या कारण थे ;

(ख) वर्ष 1974 के मध्य से दामोदर घाटी निगम विद्युत् प्रणाली के कार्य में सुधार होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इनमें कब तक सुधार किये जाने की संभावना है और उनमें पहले सुधार सुनिश्चित न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) दामोदर घाटी निगम विद्युत् प्रणाली में कम विद्युत् उत्पादन होने के मख्य कारण निम्नलिखित थे :—

(i) कोयले की घटिया और परिवर्तनशील किस्म, जिससे कोयला मिलों, जे० डी० पंखों, डस्ट कलेक्टर्स आदि पर कुप्रभाव पड़ा और उन्हें अविश्वसनीय बना दिया ;

(ii) पर्याप्त रख-रखाव का अभाव ।

(ख) दामोदर घाटी निगम ने 1974 के शुरू में दो चरण वाली वाशरीज से मिडलिंग कोयला प्राप्त करना बन्द कर दिया था । ऊर्जा मंत्रालय के सलाहकारों द्वारा किए गए सतत संचालन (मानीटरिंग) द्वारा 1974 के ऊत्तरार्ध में रख-रखाव में भी सुधार हुआ ।

(ग) सुधार लाने में लगा समय, कमी की मात्रा पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न होगा । उपस्कर पर घटिया किस्म के कोयले के सभी कुप्रभावों का पता लगाने और समस्याओं का पता लग जाने के बाद सुधारात्मक उपाय प्रारम्भ करने में कुछ समय लगा ।

"श्री विजय" इलाहाबाद को अखबारी कागज का आवंटन और सरकारी विज्ञापन

8271. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 मार्च, 1975 के 'मदरलैण्ड' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि श्री गोविन्द मिश्र (इलाहाबाद के बन्दुकधारी) ने जांच अधिकारियों को यह बताया है कि उसे अपने लघु हिन्दी दैनिक सांध्य संस्करण "श्री विजय" के लिये, अखबारी कागज और सरकारी विज्ञापन प्राप्त हो रहे थे, जिसका प्रकाशन त्रुटिपूर्ण रहा है ;

(ख) "श्री विजय" को गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितने अखबारी कागज़ का आवंटन किया गया और इसने प्रतिवर्ष अपने प्रकाशन के अनुसार वास्तव में उसका कितना उपयोग किया;

(ग) उक्त अवधि में इस समाचार पत्र को कितनी धनराशि के विज्ञापन दिये गये; और

(घ) उक्त अवधि में प्रतिवर्ष इस समाचार पत्र का प्रकाशन कितने दिनों तक न हो सका ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इलाहाबाद के हिन्दी दैनिक 'श्री विजय" को 1971-72 से 1974-75 तक निम्नलिखित मात्रा में अखबारी कागज आवंटित किया गया है :—

1971-72—30.14 टन

(नियमित कोटे के अतिरिक्त, 0.41 टन राज्य विधान सभा चुनाव कोटे के लिये दिया गया)

1972–73—48.17 टन

1973–74—48.17 टन

1974–75—28.37 टन

कागज की खपत, अखबारी कागज आवंटन सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत चार्टर्ड लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत परिशिष्ट—2 में प्रकाशक द्वारा भेजे गए खपत विवरणों के अनसार इस प्रकार हैं :—

1971–72—49.12 टन

1972–73—55.96 टन

1973–74—61.49 टन

1974–75—यह सूचना प्रकाशक द्वारा वर्ष 1975–76 के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ भेजी जायेगी ।

(ग) जैसा कि प्रत्येक समाचारपत्र के साथ होता है, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ऐसी सूचना अपने और समाचार पत्र के बीच गोपनीय मानता है ।

(घ) समाचारपत्र की नियमितता इस प्रकार हैं :—

लाइसेंसिंग वर्ष	प्रकाशक द्वारा भेजे गए खपत विवरणों के अनुसार प्रकाशित अंकों की संख्या	भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार शिमला स्थित कार्यालय में प्राप्त अंकों की संख्या
1970–71	360	360
1971–72	361	361
1972–73	355	355
1973–74	357	357

31 मार्च 1974 के बाद भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के शिमला स्थित कार्यालय में कोई अंक प्राप्त नहीं हुआ है । 1974 का वार्षिक विवरण प्रकाशक से प्राप्त नहीं हुआ है । प्रकाशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ।

डाक-तार विभाग में महिला कर्मचारियों का स्थानान्तरण

8272. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग के महानिदेशक ने अपने 30 अप्रैल, 1958 के ज्ञापन में यह निदेश जारी किये थे कि विभाग की विवाहित और अविवाहित महिला कर्मचारियों को सर्किल के अधीन उन स्थानों पर काम करने की अनुमति दी जाती है जिन स्थानों पर उनके माता-पिता अभिभावक रहते हैं;

(ख) क्या रेलवे डाक सेवा (आर० एम० एस०) 'एस' डिवीजन, सिल्चर के सुपरिन्टेंडेंट ने 3 महिला कर्मचारियों को इम्फ़ाल जैसे स्थान पर स्थानान्तरित करने के स्थानान्तरण आदेश जारी किये हैं जिससे उन महिला कर्मचारियों को भारी परेशानी हो रही है; और

(ग) क्या मंत्री महोदय को इस बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें उठाई गई मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) वर्ष 1958 के निर्देश विशेष रूप से टेलीफ़ोन एक्सचेंजों को महिलाचालित बनाने की सुविधा के लिए थे। प्रशासनिक दृष्टि से जहां संभव होता है, महिला कर्मचारियों को सर्किल के अन्तर्गत ऐसे स्थानों में तैनात करने की सुविधा दी जा रही है, जहां उनके माता-पिता/अभिभावक रहते हैं।

(ख), (ग) और (घ) जैसा उल्लेख किया गया है, स्थानीय अधिकारियों ने 3 महिला कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किए थे किन्तु सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए, जिसके अनुसार महिला-कर्मचारियों को उनके पतियों/माता–पिताओ के पास काम करने की अनुमति है, तबादले के ये आदेश बाद में रद्द कर दिए गए थे।

मध्य प्रदेश निगम के अधीन कपड़ा मिलों में सेवा निवृत्त कर्मचारी

8273. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश कपड़ा निगम, भोपाल द्वारा संचालित कपड़ा मिलों में इस समय कितने ऐसे अधिकारी विभिन्न पदों पर हैं तथा उनके नाम क्या हैं जो केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा से सेवा निवृत्त हो चुके हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पांचवीं योजना में डाक-तार कर्मचारियों को आवास सुविधाएं

8274. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में डाक-तार कर्मचारियों को और अधिक आवास सुविधायें प्रदान करने की कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इसका सर्किलवार (उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर सर्किल में राज्यवार) ब्यौरा क्या है; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस सुविधा के अन्तर्गत आने वाले प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रतिशतता कितनी है और 31 मार्च, 1975 को इससे कितने प्रतिशत कर्मचारियों को लाभ हो रहा है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाक-तार कर्मचारियों के लिए आवास-सुविधाओं के विस्तार हेतु 61.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किन्तु अव्यावसायिक इमारतों के निर्माण पर पाबन्दी लगने के कारण स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण सम्बन्धी नए काम शुरू नहीं किए जा रहे हैं। योजना के पहले दो वर्षों (1974–75, 1975–76) में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण कार्य को चालू रखने के लिए जितनी निधि का प्रावधान किया गया है उसका सर्किल वार ब्यौरा अनुबन्ध "क" में दे दिया गया है। उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी सर्किलों से सम्बन्धित राज्यवार ब्यौरा अनुबन्ध "ख" में दिया गया है। योजना के शेष तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है, इसकी जानकारी नहीं है। निधि के उपलब्ध होने के बारे में स्थिति की जानकारी मिलने के बाद राज्यवार अलग अलग निधि का ब्यौरा तय किया जाएगा।

(ग) कर्मचारियों का वेतन जिस श्रेणी (रेंज) में आता है उसके अनुसार उन्हें छह टाइप के क्वार्टर दिए जाते हैं। इन छह श्रेणियों में विभाजित किए गए कर्मचारियों की अनुमानित संख्या और 31 मार्च, 1973 को उपलब्ध क्वार्टरों की संख्या तथा उपलब्ध क्वार्टरों के प्रतिशत अनुबन्ध "ग" में दिखाए गए हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर मिलने की सम्भावना है यह उपलब्ध होने वाली धनराशि पर निर्भर करेगा। अलबत्ता, योजना में 61.25 करोड़ रुपयों का जो प्रावधान किया गया है उससे विभिन्न वर्गों में 18,400 आवास यूनिट बढ़ जाने की सम्भावना है।

विवरण

वर्ष 74–75 (अन्तिम अनुदान) और 75–76 (बजट अनुमान) में स्टाफ क्वार्टरों के लिए निधि का सर्किलवार आवंटन

सर्किल	निधि का आवंटन, हजार रुपयों में	
	1974–75 (अन्तिम अनुदान)	1975–76 (बजट अनुमान)
आन्ध्र . . .	1915	637
बिहार .	239	490
दिल्ली	639	5444
गुजरात	2347	237
जम्मू तथा कशमीर	110	246

सर्किल	निधि का आवंटन, हजार रुपयों में	
	1974–75 (अंतिम अनुदान)	1975–76 (बजट अनुमान)
कर्नाटक	1241	2000
केरल	198	1249
मध्य प्रदेश . . .	753	791
महाराष्ट्र	2082	3098
उत्तर पूर्वी (असम) . .	252	891
उत्तर पश्चिमी (असम) . . .	583	145
उड़ीसा . . .	1430	827
राजस्थान	597	302
तमिल नाडु	1090	3873
उत्तर प्रदेश .	839	596
पश्चिम बंगाल . . .	934	1253
जोड़	15249	22079

विभिन्न वर्गों में अनुमानित कर्मचारी, क्वार्टरों की संख्या और प्रतिशत नीचे दिए गए हैं:—

टाइप	संख्या	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
I . .	7703	178061	4.3
II . . .	15536	222950	6.9
III .	3040	54786	5.6
IV . .	777	3482	22.3
V . .	163	918	17.7
VI . . .	45	190	23.6

मंगलौर में और उदीपी के निकट ब्रह्मावार में प्रसारण केन्द्र की स्थापना करना

8275. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर में और उदीपी के निकट ब्रह्मावार में प्रसारण केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं;

(ख) इन केन्द्रों के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) निर्माण पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और प्रसारण केन्द्र कब तक कार्य प्रारम्भ कर देंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उदीपी के निकट ब्रह्मावार में ट्रांसमीटर के लिए सिविल निर्माण कार्य लगभग मुकम्मल हो गये हैं। मंगलौर में स्टूडियो का निर्माण कार्य मुकम्मल होने वाला है।

(ग) निर्माण कार्य कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और रेडियो स्टेशन के चालू वर्ष के अन्त तक तैयार हो जाने की उम्मीद है।

पांचवीं योजना में कर्नाटक में सुपर तापीय केन्द्र की स्थापना

8276. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में कर्नाटक राज्य में एक सुपर तापीय केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

8277. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के प्रयोग, जिसमे वातानुकूलक का प्रयोग करना भी शामिल है, पर प्रतिबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन ने ऊर्जा मन्त्रालय को, जिसके निदेश पर गत गर्मियों में बिजली के प्रयोग पर रोक लगाई गई थी, कोई विरोधपत्र भेजा है कि किसी अन्य की त्रुटि के लिये दिल्ली को परेशान नहीं किया जा सकता: और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दिल्ली में इस समय ऐसे कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमेन्ट (संरक्षण तथा उपयोग का विनियमन) संशोधन आदेश

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सीमेंट (संरक्षण तथा उपयोग का विनियमन) संशोधन आदेश, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 180 (ङ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०–9570/75] ।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नियम, 1975 तथा भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड की समीक्षा तथा वर्ष 1973–74 के लेखे

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 12 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 477 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०–9571/75] ।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1973–74 के कायकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी०–9572/75] ।

प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर निर्णयों के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं प्रशासनिक सुधार आयोग के विभिन्न प्रतिवेदनों में दी गई कतिपय सिफारिशों पर किये गये निर्णयों तथा उन निर्णयों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में एक विवरण (31 मार्च, 1975 को) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०—9573/75] ।

नियम 377 के अन्तर्गत विवरण प्रतिवेदन विनियोग लेखे तथा अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : —

(1) राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने के बारे में श्री ईरा सेझियान द्वारा 22 अप्रैल, 1975 को नियम 377 के अधीन सभा में उठाये गये मामले के अनुसरण में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-9574/75]

(2) पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के बारे में दिनांक 28 मार्च, 1974 के राष्ट्रपतीय आदेश के पैरा (ख) (दो) के साथ पठित संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 की धारा 49 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र शासन के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 1971-72 का प्रतिवेदन ।

(दो) पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र शासन के सम्बन्ध में भारत के नियत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 1972-73 का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी०-9575/75] ।

(3) पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र शासन के वर्ष 1971-72 के विनियोग के लेखे (अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(4) पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र शासन के वर्ष 1972-73 के विनियोग लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-9576/75] ।

(5) पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 1971-72 के वित्त लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(6) पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 1972-73 के वित्त लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-9577/75] ।

(7) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 43 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 209(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 1958 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 734 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-9578/75] ।

(8) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 1973–74 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवायें) ।

(दो) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 1973–74 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०–9579/75] ।

(9) रक्षा सेवाओं के वर्ष 1973–74 के विनियोग लेखे की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी वाणिज्यिक परिशिष्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–9580/75] ।

(10) वर्ष 1973–74 के संघ सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–9581/75] ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैंने आपका ध्यान इस गम्भीर भूल की ओर दिलाया था कि उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लेखा परीक्षित लेखे सभा में नहीं रखे गये जिनमें राष्ट्रपति का शासन है । सरकार को स्वत: ही इन प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखना चाहिए । पांडिचेरी के मामले में जब मैंने यही बात उठायी थी तब अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की थी कि यदि महालेखापरीक्षक या लोक सेवा आयोग का कोई प्रतिवेदन हो तो उसे विधान सभा के सभा पटल पर और यदि वहां विधान सभा न हो तो उस विधान सभा का कार्य सम्पादन करने वाली सभा के पटल पर रखा जाना चाहिए । यदि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

इससे पूर्व अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समितियों के सभापतियों के सम्मेलन में भी आपने कहा था कि जिन राज्यों में राष्ट्रपति का शासन है उनके सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के बारे में कोई व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ऐसे पत्र छानबीन के बिना न रह जायें । परन्तु मंत्री महोदय ने आज जो उत्तर दिया है उससे प्रतीत होता है कि उन्हें यह स्वीकार्य नहीं है । उनका तर्क है कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन अल्प अवधि के लिये है तब यही अच्छा होगा कि अन्तत: राज्य विधान सभा के पटल पर ही वे पत्र रखे जायें । परन्तु इस मामले में एक वर्ष से अधिक हो गया है ।

गुजरात राज्य के सम्बन्ध में महालेखापरीक्षक के विनियोग लेखे इन 14 महीनों में सभा पटल पर रख दिये जाने चाहिए थे । पांडिचेरी के बारे में उन्होंने कहा कि 1971–72 का प्रतिवेदन सभा के 10 दिसम्बर, 1973 को भंग हो जाने के कारण नहीं रखा जा सका । किन्तु इतने दिनों तक यह क्यों भुलाये रखा गया ? एक तर्क यह दिया गया कि हिन्दी अनुवाद पूरा न हो पाने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका । मैं जानना चाहता हूं कि क्या अनुवाद में एक वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है ? जो प्रतिवेदन विधान सभा में नहीं रखे जा सके उन्हें इस सभा के पटल पर रखा जाना चाहिये था ।

वर्ष 1972–73 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जुलाई, 1974 में पेश किया गया। हिन्दी अनुवाद भी जनवरी, 1975 में आ गया था। इस कार्य पर सरकार इतना समय क्यों लगाती है? मुझे सन्देह है कि यदि मैंने मामला न उठाया होता तो न जाने कितना विलम्ब होता।

श्री एस० एल० शकधर द्वारा लिखित भारत तथा ब्रिटेन के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक-तुलनात्मक अध्ययन, में लिखा है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को उनके प्रस्तुतीकरण के एक सप्ताह के भीतर विधान सभा/संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूं कि संविधान में इस बारे में कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। किन्तु महज इसीलिये इन पत्रों को इतने समय तक सभा पटल पर न रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आज हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। इतने दिनों तक अनुदानों की मांगों पर ही चर्चा करते रहे। क्या आप यह नहीं समझते कि अनुदानों की मांगों से पूर्व यदि यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई होती तो यह सदस्यों के लिए अधिक उपयोगी होती? ये प्रतिवेदन नियंत्रक तथा महा-लेखा-परीक्षक से कब प्राप्त हुए और उनका सभा पटल पर रखने में विलम्ब क्यों हुआ?

श्री प्रणब कुमार मुखार्जी : पांडिचेरी के लेखा-परीक्षित लेखों के बारे में मैंने वास्तविक स्थिति बताने की चेष्टा की है। माननीय सदस्य ने कहा कि पांडिचेरी प्रशासन के बारे में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अंग्रेजी की प्रति 10 मार्च को प्रस्तुत की गयी। वास्तव में, स्थिति यह है कि पांडिचेरी प्रशासन का उत्तरदायित्व केन्द्र पर 28 मार्च को पड़ा। इसलिए मेरे लिये यह कहना कठिन है कि उक्त प्रतिवेदन पांडिचेरी प्रशासन को 10 मार्च को प्राप्त हुआ था अथवा नहीं। हिन्दी की प्रति में अवश्य कुछ विलम्ब हुआ है।

हिन्दी अनुवाद पर स्वाभाविक रूप से कुछ समय तो लगता ही है। हमारी चेष्ठा दोनों भाषाओं में पत्र एक साथ प्रस्तुत करने की रहती है।

प्राक्कलन समिति सम्बन्धी पत्र

PAPERS RELATING TO ESTIMATES COMMITTEE

श्री धामनकर (भिवन्डी) : मैं प्राक्कल समिति की सिफारिशों के उत्तर, जो सम्बन्धित की गई कार्यवाही प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिए सरकार द्वारा समय पर नहीं दिये गये थे, दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्राक्कलन समिति (चौथी लोक सभा) के 120वें प्रतिवेदन के अध्याय 5 में सम्मिलित सिफारिशों पर सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों का विवरण।

(2) प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोक सभा) के 16वें प्रतिवेदन के अध्याय 5 में सम्मिलित सिफारिशों पर सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों का विवरण।

(3) प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोक सभा) के 33वें प्रतिवेदन के अध्याय 5 में सम्मिलित सिफारिशों पर सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों का विवरण।

(4) प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोक सभा) के 54वें प्रतिवेदन के अध्याय 5 में सम्मिलित सिफारिशों पर सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों का विवरण।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देनी है कि राज्य सभा 29 अप्रैल, 1975 की अपनी बैठक में टोकियो कन्वेंशन विधेयक, 1974 में लोक सभा द्वारा 26 मार्च, 1975 को किये गये संशोधनों से सहमत हो गई है।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

प्रतिवेदन तथा कार्यवाही—सारांश

श्री धामनकर भिवंडी : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(1) (क) निर्माण और आवास मन्त्रालय के सम्पदा निदेशालय के सम्बन्ध में 74वां प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(2) (क) नौवहन और परिवहन मन्त्रालय परिवहन समन्वय के सम्बन्ध में 75वां प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही—सारांश

(3) (क) इस्पात और खान मन्त्रालय (इस्पात विभाग)—लोहा और इस्पात तथा लौह मिश्रित धातुओं की आयोजना, विकास, उत्पादन, वितरण आदि के सम्बन्ध में 78वां प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही—सारांश।

(4) शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय (शिक्षा विभाग)—युवक कल्याण, युवक शिक्षा, राष्ट्रीय एकता आदि के सम्बन्ध में 79वां प्रतिवेदन।

(5) शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में—भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण—के सम्बन्ध में समिति के 52 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में 73वां प्रतिवेदन।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमड हार्बर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) भारत की अनुसंधान परियोजनाओं में विदेशी साझेदारी अथवा सहयोग के सम्बन्ध में 167वां प्रतिवेदन।

(2) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1968–69 से 1972–73 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में 175वां प्रतिवेदन।

(3) नई रेलवे लाइनों (रेल मन्त्रालय) पर लोक लेखा समिति का 171वां प्रतिवेदन।

———

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही—सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(1) (क) फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर, लिमिटेड के सम्बन्ध में 67वां प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही—सारांश।

(2) प्रक्रिया तथा विविध मामलों के सम्बन्ध में समिति (1974–75) की बैठकों के कार्यवाही—सारांश।

(3) समिति के प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति (1974–75) की बैठकों के कार्यवाही—सारांश।

(4) भारतीय तेल निगम लिमिटेड (पाइप लाइन अनुभाग को छोड़कर शोधनशाला प्रभाग) के सम्बन्ध में समिति के 52वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 65वां प्रतिवेदन।

———

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

13वां प्रतिवेदन

श्री एस० बी० पी० पट्टाभिराम राव (राजामुन्द्री) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का 13वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैंने नोटिस दिया था....

अध्यक्ष महोदय : केवल उसी सदस्य की बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा जिसे मैं बोलने के लिए कहूं। इस तरह बिना बुलाये उठ कर बोलना ठीक नहीं है।

पश्चिम बंगाल में एक सोशलिस्ट नेता की गिरफ्तारी के बारे में

RE: ARREST OF A SOCIALIST LEADER IN WEST BENGAL

श्री समर गुह (कंटाई) : मैं पिछले दो दिन से नियम 377 के अधीन मामला रखना चाहता हूं। कोयला खान मजदूर कांग्रेस के सचिव मंत्री श्री जयन्त पोद्दार को 'आंसुका' के अधीन गिरफ्तार किया गया है। यद्यपि प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया था कि 'आंसुका' का उपयोग राजनीतिक अथवा श्रमिक कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। कृपया गृह मंत्री से इस पर वक्तव्य देने के लिये कहें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : वित्त मंत्री वित्त विधेयक पर बोलते समय महंगाई भत्ते के मामले को भी लें।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में

RE: ATROCITIES ON HARIJANS IN GHAZIPUR DISTRICT OF UTTAR PRADESH

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): In my district, the houses of 300 Harijans have been set on fire and two Adivasis have been killed. There is panic in the District. The Home Minister may please give a statement.

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे वक्तव्य देने के लिये कहूंगा।

वित्त विधेयक, 1975

FINANCE BILL, 1975

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वर्ष 1975-76 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

वित्त विधेयक के उपबन्धों के ऊपर बोलने से पूर्व, मैं बजट प्रस्तुत किये जाने के आठ सप्ताह बाद की आर्थिक स्थिति का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा।

थोक मूल्यों के उपलब्ध आंकड़ों का लेखा जोखा लेने पर पता चलता है कि सितम्बर, 1974 के अंतिम सप्ताह से मूल्यों के कम होने की जो प्रवृत्ति दिखाई दी थी वह बजट के बाद भी बनी रही। इस प्रकार बजट के बाद 12 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मूल्य सूचकांक में 0.09 प्रतिशत की कमी आई। इससे पता चलता है कि इस सदन में व्यक्त किये गये भय के बावजूद, वर्ष 1974-75 में लगाये गये करों का लोक मूल्यों के गिरने की प्रवृत्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। 21 सितम्बर, 1974 और 12 अप्रैल, 1975 तक थोक मूल्य सूचकांक में 7 प्रतिशत की कमी आयी। इस कमी का प्रभाव खुदरा व्यापार पर भी पड़ना शुरू हुआ। माननीय सदस्यों को यह जानकर संतोष होगा कि भारत उन कुछ देशों में से एक है जिनमें पिछले 6 महीने से मूल्यों में गिरावट आ रही है।

वर्ष 1974 की खरीफ की फसल असंतोषजनक होने पर भी मूल्यों में कमी की प्रवृत्ति बने रहने से पता चलता है कि गत एक वर्ष में लगाये गये वित्तीय अनुशासन से मुद्रा स्फीति पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। गत वर्ष की अपेक्षा थोक मूल्य सूचकांक 7 प्रतिशत कम हो गया है तथा खुदरा मूल्यों पर भी यह प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हो गया है।

आर्थिक स्थिरता और प्रगति तो अधिक उत्पादन करके ही की जा सकती है। सौभाग्यवश वर्तमान रबी की फसल के अच्छा होने के आसार हैं। खाद्यान्नों की वसूली की सम्भावनाएं भी बहुत अच्छी हैं। वर्ष 1974–75 की अन्तिम तिमाही में कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों जैसे सीमेंट, नाइट्रोजन उर्वरक, कास्टिक सोडा, चीनी और वनस्पति तेल के उत्पादन में 10 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। वृद्धि की यह प्रवृत्ति 1975 में भी बनी हुयी है।

कोयला, इस्पात, बिजली और उर्वरकों के उत्पादन के लिये किये जा रहे संयुक्त प्रयत्नों के परिणामस्वरूप यह आशा करना स्वाभाविक है कि 1975–76 में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में और सुधार होगा। योजना परिव्यय में 23 प्रतिशत की और वृद्धि किये जाने से औद्योगिक उत्पादन तथा क्षमता के उपयोग को बढ़ाने में और भी सहायता मिलेगी।

इस समय यद्यपि मूल्य नियन्त्रण में हैं, परन्तु इससे सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए और न ही वित्तीय अथवा मुद्रा सम्बन्धी अनुशासन में कोई ढील देनी चाहिए।

माननीय सदस्यों, द्वारा दिये गये मूल्यवान सुझावों के आधार पर सरकार ने करों में कुछ फेर-बदल करने का निर्णय किया है।

वित्त विधेयक में 12,000 रुपये से कम की आय वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा पर होने वाले व्यय पर छूट देने का उपबन्ध किया गया था। इन उपबन्धों को दो मामलों में अब और भी नरम बनाया जा रहा है। 'व्यापार प्रबन्ध' में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे प्रत्येक बच्चे के लिये 1000 रुपए कम कर देने का निर्णय किया गया है। यह राहत आश्रित भाइयों तथा बहनों की शिक्षा पर भी मिलेगी।

इस समय, ब्याज से 400 रुपये से अधिक होने वाली आय पर कर लगता था। अब क्योंकि ब्याज की दर बढ़ गई है, इसलिये इस सीमा को 1000 रुपये करने का मेरा प्रस्ताव है।

जैसा कि सदस्यों को ज्ञात है, मालिकों द्वारा उपदान निधि स्थापित किए जाने के लिये कर सम्बन्धी कानून में कुछ उपबन्ध हैं। इसमें, कर्मचारियों द्वारा दिये जाने वाला अंशदान आय कर से मुक्त है। किसी मालिक के वित्तीय कठिनाई में फंस जाने पर कर्मचारियों के पैसे पर आंच न आये, इसके लिए यह उपबन्ध है कि उक्त निधि को एक निर्धारित प्रक्रम के निविष्ट किये जाने का उपबन्ध है। इसी उद्देश्य की अग्रेतर पूर्ति के लिये इस वित्त विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि उपदान निधि में से करदाता अपने दिए हुए पैसे को 1 अप्रैल, 1977 से पूर्व निकाल कर स्वीकृत उपदान निधि में डाल सकते हैं क्योंकि कई मालिकों ने उपदान निधि को बिना स्वीकृत कराये कर्मचारियों से अंशदान लेना प्रारम्भ कर दिया था।

मूल वित्त विधेयक में पशु पालन और मुर्ग पालन से होने वाली आय की छूट सीमा 10,000 रुपए प्रति वर्ष रखी गई थी। हमसे यह आवेदन किया गया कि प्रस्तावित संशोधन का इन उद्योगों पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरा इरादा इस इन स्रोतों से प्राप्त आय पर कुछ छूट देने का है। तदनुसार कर देय लाभ के एक तिहाई अथवा 10,000 रुपये जो अधिक हो, को कर निर्धारण करते समय लाभ से घटाने की अनुमति होगी।

इस विधेयक के एक उपबन्ध के अनुसार, गैर-बैंककारी गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा जनता से प्राप्त जमा राशियों पर दिये जाने वाले ब्याज का केवल 85 प्रतिशत व्यय के रूप में कर से घटाया जा सकता था। मैं विधेयक में यह स्पष्ट करने के लिये एक संशोधन का प्रस्ताव कर रहा हूं कि कम्पनी की आस्तियों में 25 प्रतिशत तक परिवर्तन करने के उद्देश्य से प्राप्त किये गये डिबेन्चर और ऋणों पर दिये गये ब्याज को इस उपबन्ध के अन्तर्गत शामिल नहीं माना जाएगा।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उनके अनुरोध पर मैं खाण्डसारी पर मिश्रित वसूली को फिर से लागू करने का प्रस्ताव कर रहा हूं; इसे मार्च, 1975 से वापिस ले लिया गया था। परन्तु उसमें दो परिवर्तन किये गये हैं। पहले परिवर्तन के अनुसार, सल्फीटेहान प्लान्ट की मदद के बिना चलने वाले खाण्डसारी एककों पर लगने वाला प्रति सेंटीफ्यूज शुल्क, 28-2-75 को लागू दर से दुगना हो जायेगा और साल्फीटेहान संयंत्रों के सम्बन्ध में यह ढाई गुना होगा। दूसरा परिवर्तन यह है कि जिन खाण्डसारी चीनी निर्माताओं ने मिश्रित वसूली योजना को स्वीकार किया है, उन्हें प्रत्येक गैर पिराई मौसम के लिये लागू वर्तमान कम दर पहले के समान लागू रहेगी।

वर्जीनिया-परिष्कृत तम्बाकू पर से शुल्क को घटा कर 3 रुपया प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त मैं खाने के काम आने वाले अनिर्मित तम्बाकू पर शुल्क को 65 पैसे प्रति किलोग्राम तक सीमित रखने का भी प्रस्ताव कर रहा हूं। 1 मार्च, 1975 से पहले इस प्रकार के तम्बाकू पर इसी दर से शुल्क लिया जाता था।

नसवार निर्माताओं को मूल्यांकन में कठिनाई होती है। इस कारण, मूल्य पर शुल्क के बजाय 2.50 रुपए प्रति किलोग्राम विशेष शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इसके लिये मैं एक संशोधन पेश कर रहा हूं।

बजट में टेक्सचर्ड सूत पर नई लेवी लगाई गई है। ऐसा गलता है कि विधेयक के उपबन्धों और शुल्क की दर के सम्बन्ध में गलतफहमी होने की सम्भावना है। इसलिये मैं इसे 1-3-75 से लागू करने का प्रस्ताव कर रहा हूं जिससे कि वास्तविक मंशा स्पष्ट हो सके।

रेयन और संश्लिष्ट रेशों पर लगाये गये कर तथा कैपरोलेक्टम और डी० एम० टी० पर लगे उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में कई अभ्यावेदन आए हैं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ रियायतें दे रहा हूं। डी० एम० टी० पर इस समय लगे यथामूल्य शुल्क में मैं 25 प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव करता हूं। टेक्सचर्ड सूत पर मैं प्रति किलोग्राम 10 रुपए की छूट दे रहा हूं। इसके अतिरिक्त कृत्रिम सिल्क पर लगे मूल उत्पादन शुल्क को समाप्त किया जा रहा है। इन रियायतों से उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग हो सकेगा तथा मूल्य भी पर्याप्त सीमा तक गिरेंगे।

शक्ति चालित करघों को चलाने वाले छोटे निर्माताओं को राहत देने के लिये मैं मिश्रित लेवी की दर में परिवर्तन कर पहले दो करघों पर 50 रुपये, अगले दो पर 100 रुपये तथा इससे अधिक पर 200 रुपए तक प्रति वष प्रति करघा करने का प्रस्ताव कर रहा हूं।

छोटे पैमाने के एम्पलीफिकेशन उपकरण, स्पीकर और स्पीकर प्रणाली का निर्माण करने वालों को कुछ रियायतें देने का प्रस्ताव है । इन पर लगे शुल्क में 30 से 20 प्रतिशत तक छूट देने का प्रस्ताव है । यह छूट केवल उन कारखानों को दी जायेगी जिनकी पूंजी 7.5 लाख से अधिक न हो ।

कुछ वस्तुओं पर मद 68 के अन्तर्गत छूट दी गई थी। अब मैं उस सूची में कुछ और वस्तुओं, जैसे छोटे समाचारपत्र, कापियों, स्लेटें, खादी और ग्रामोद्योग, हस्तकला, खेलकूद का सामान और ऐसी ही कई अन्य वस्तुओं को शामिल कर रहा हूं ।

वित्त विधेयक में दी गई रियायतों से आय में 33 करोड़ रुपये की कमी होगी । यह सभी परिवर्तन समुचित अधिसूचना द्वारा आज से लागू हो जाएंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उत्तर प्रदेश के कुछ लोग सूती धागे पर.....

अध्यक्ष महोदय : आपको समय मिलेगा ।

श्री सेझियान : वित्त विधेयक अन्य विधेयकों की तरह पारिचालित नहीं किया जाता । इस लिये हमें उसका विवरण पता नहीं होता....

अध्यक्ष महोदय : आप अपने भाषण में इसे ले सकते हैं ।

श्री सेझियान : नियम 72 के अनुसार अध्यक्ष विस्तृत चर्चा की अनुमति दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब विधेयक विचार की स्थिति में है तो मैं दो भाषणों—एक विचार किए जाने से पूर्व और दूसरा उसके बाद—की अनुमति कैसे दे सकता हूं ?

हमारे पास 15 घंटे हैं । 10 घंटे वाद-विवाद के लिये हैं । अन्त में मतदान होगा ।

श्री सेझियान : मैं दो भाषणों की मांग नहीं कर रहा । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या यह सदन की हानि से परे नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : संवैधानिक वैधता पर मैं अपना निर्णय नहीं दे सकता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुद्रा स्फीति समाप्त करने के नाम पर सरकार ने 288 करोड़ के कर लागू किये हैं। उसमें से अधिकांश अर्थात् 286.5 करोड़ रुपए के कर अप्रत्यक्ष कर हैं ?

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

Mr. Deputy Speaker in the Chair.

प्रत्यक्ष करों में रियायतें दी गई हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । उन्होंने वित्त विधेयक में उत्पादन शुल्क को लिया है । क्या सभा इस मामले को ले सकती है ? इसका निर्णय किया जाये । क्या इस

सदन को वित्त विधेयक में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्मिलित करने का अधिकार है ? पृष्ठ 61 पर मद 68 को देखिए । इसे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक कर में शामिल करने का प्रस्ताव है ।

हमारे संविधान की पहली सूची की मद 84 द्वारा संसद को तम्बाकू तथा अन्य उत्पादित वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाने का अधिकार दिया गया है । परन्तु अन्य निर्मित वस्तुओं का उल्लेख नहीं किया गया है । संसद् द्वारा उनके नाम दिये जाने चाहिएं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपकी आपत्ति संवैधानिक आधार पर है तब तो इस पर चर्चा आवश्यक है । और यदि आप का अभिप्राय है कि यह विशेष खण्ड संसदीय क्षमता से बाहर है तब मुझे आपकी बात समझनी होगी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या संसद् ऐसा कानून पास कर सकती है जिसमें ऐसा उपबन्ध हो जैसा मद 68 में है जिसे माननीय मन्त्री 'केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम' में सम्मिलित करना चाहते हैं ? हमारी क्षमता उल्लिखित वस्तुओं पर केवल उत्पादन-शुल्क लगाने की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब भी कोई सदस्य कोई बात उठाता है तो मुझे आवश्यक कागजात मांगने पड़ते हैं । जो कुछ भी कोई सदस्य कहता है, मुझे उसे समझना पड़ता है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णीत किया गया है कि उत्पादन शुल्क निर्मित वस्तुओं पर ही लगाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विषय संसद् की क्षमता के बाहर किस प्रकार है ?

Shri Lalji Bhai (Udaipur): There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : अब गणपूर्ति हो गयी है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : श्री चटर्जी यह बात उठा रहे हैं कि निशुल्क किस ढंग से वर्णित हैं । यदि उसका सही ढंग से उल्लेख कर दिया जाये तो यह संसदीय क्षमता के बाहर की बात नहीं है। यदि श्री सुब्रह्मण्यम् इसका ठीक ढंग से उल्लेख करें तो क्या यह संसद् की क्षमता से परे होगा ? यदि नहीं, तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरी बात को ठीक से समझा नहीं जा सका । हमारे संविधान में संसद् को अधिकार दिया गया है कि तम्बाकू तथा अन्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लग सके । अन्य वस्तुओं का उल्लेख करना होता है । यह सभी वस्तुओं पर लागू नहीं हो सकता । कृपया वित्त मन्त्री के भाषण के 'ख' भाग, पष्ठ 9 को देखें ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : कृपया विधेयक देखिये, मेरा भाषण नहीं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विधेयक से ऐसा लगता है कि वित्त मन्त्री वस्तुओं की बिक्री पर उत्पादन शुल्क लगा रहे हैं । माननीय सदस्यों को इसके कानूनी पहलू पर विचार करना चाहिए ।

श्री सेज़ियान: पृष्ठ 61 पर मद 68 विधेयक की दूसरी अनुसूची में आती है । दूसरी अनुसूची द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में कुछ संशोधन करने का सुझाव है ।

श्री सेंझियान : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सदन इस पर कानून बना सकता है। यह लैवी पहली बार लगाई जा रही है। इसलिये इसके लिये अलग से विधेयक लाना आवश्यक है। आयकर अधिनियम, सम्पत्तिकर अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम वित्त विधेयक द्वारा संशोधित किये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें सांविधानिक प्रश्न तो हो सकता है लेकिन क्षमता का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सेंझियान : धारा 3 के अन्तर्गत नमक को छोड़ कर किसी भी वस्तु पर जो भारत में निर्मित होती है शुल्क लगाया जा सकता है। पहली अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं पर शुल्क लगाया जा सकता है। जब प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाये तो मदों को स्पष्ट किया जाना चाहिये।

उच्चतम न्यायालय ने इसे स्पष्ट किया है। यदि आप धारा 3 के अधीन शुल्क लगाना चाहते हैं तब आपको वस्तुओं का नामोल्लेख अवश्य करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सदस्य यह बातें रख सकते हैं। परन्तु पूरी चर्चा के बाद यदि सभा कोई विशेष विधि निर्मित करना चाहती है तो यह ऐसा करने में सक्षम है।

हम संवैधानिक मामलों पर विधि बनाने में सक्षम हैं। आप मुझे समझायें कि किस प्रकार सभा इस विधेयक पर चर्चा करने में सक्षम नहीं है।

श्री सेंझियान : मेरा मत है कि यह लैवी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत नहीं लगाई जा सकती। मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में बताया था कि यह नये प्रकार की लैवी है।

मेरा पहला निवेदन यह है कि इसे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में शामिल नहीं किया जा सकता। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अनुसूची में बिक्री के लिये निर्मित सभी वस्तुएं ली जाती हैं। जब सामान बिक्री के लिये भेजा जाता है तो मामला बिक्री कर का बन जाता है जो कि राज्य का मामला है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। आप हजारों मदें रख सकते हैं परन्तु उन्हें अनुसूची में सम्मिलित करें।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : विचारार्थ बात यह है कि क्या 84 (ग) में तम्बाकू तथा भारत में निर्मित अन्य वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क (क) तथा (ख) को छोड़कर लग सकता है या नहीं? अब बात (क) और (ख) के उल्लेख किय जाने की है। क्षमता का प्रश्न 84 मद के अनुसार अत्यन्त स्पष्ट है। सभी अन्य बातें क्षमता के प्रश्न के बाहर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न द्वारा सभा की सक्षमता का मामला उठाया गया है। श्री सेंझियान तथा श्री चटर्जी द्वारा यह बात उठाना उचित ही है कि वित्त विधेयक अपने आप में एक वर्ग है। साधारणतः जब किसी विधेयक को पुरःस्थापित किया जाता है तब सदस्यों को उसका विरोध करने का अवसर दिया जाता है। चर्चा के बाद विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगी जाती है। यह तो सामान्य प्रक्रिया है। परन्तु यहां वित्त विधेयक तुरन्त पुरःस्थापित हुआ है।

एक तो वित्त विधेयक पहले से परिचालित नहीं किया जाता। अपरिचित होने के कारण सदस्य इसका विरोध नहीं कर सकते।

मैं यह नहीं कहता कि हम सक्षम नहीं हैं। सांविधानिक दृष्टि से वैधता का प्रश्न नहीं उठाया गया है। अन्ततः सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय करना होता है कि क्या संसद् सक्षम है अथवा नहीं?

Shri Jageshwar Misra (Allahabad): The time taken by the point of order should not be included in the time allotted for discussion.

श्री ज्योतिर्मय बसु : निम्न वर्ग के लिये यह बात असहनीय है क्योंकि लगाये गये करों का 99.48 प्रतिशत अर्थात् 286.5 करोड़ रुपए अप्रत्यक्ष करों के रूप में हैं। निगमित वर्ग को प्राय: छुआ नहीं गया है। प्रत्यक्ष करों में नयी रियायतें दी गईं हैं। उत्पादन शुल्क सभी जगह बढ़ाया गया है। इसका लाभ सत्ताधारी दल तथा विदेशी और भारतीय एकाधिकार गृहों को मिलेगा। करों में छूट देकर इन कम्पनियों को 100 करोड़ रुपए का अप्रत्याशित लाभ पहुंचाया गया है। अब वे उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन और होटल उद्योग, मछली पालन में अपनी पूंजी लगा रहे हैं। भारत सरकार इस समय पूंजीपतियों तथा धोखाधड़ी करने वालों के हाथ की कठपुतली बनी हुई है।

बैंक तथा स्ववित्तपोशी संस्थाए इसे और गम्भीर समस्या बनाने का कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय-कृत बैंकों के 0.2 प्रतिशत ऋण प्राप्तकर्त्ताओं ने 52.2 प्रतिशत ऋण ले रखा है। इसके लिये उचित निवेश का बहाना दिया जाता है। इस देश में सभी कार्य स्वार्थवश किये जाते हैं।

इसका परिणाम यह हुआ है कि सरकार ने अपनी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को जानबूझ कर बढ़ाया है। चौथी योजना का उद्देश्य विकास दर में 8 से 10 प्रतिशत वृद्धि था परन्तु वास्तविक वृद्धि 3.9 प्रतिशत ही हो पाई है। प्रधान मन्त्री दावा करती हैं कि मुद्रास्फीति पर रोक लग गई है परन्तु बताया गया है कि गत वर्ष अगस्त तक 30 प्रतिशत मुद्रास्फीति बढ़ी है। भारत में मुद्रास्फीति सबसे अधिक तथा प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है।

यह भी दावा किया गया है कि वस्तुओं के मूल्य गिरे हैं। परन्तु यह गिरावट अस्थायी है तथा थोक मूल्यों तक ही सीमित है। सितम्बर से मार्च तक गिरावट 5 प्रतिशत केवल थोक मूल्यों में ही आई है। खुदरा वस्तुओं के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है। यह कमी कृषि उत्पादों के मूल्य में नहीं हुई है जों कि आम जनता के उपभोग की वस्तु है। मन्त्री महोदय बतायें कि गत दो वर्षों के दौरान काले धन का पता लगाने के लिये देश के सबसे बड़े बीस व्यापार अथवा एकाधिकार गृहों में से कितनों पर छापे मारे गये हैं।

करों की बकाया राशि लगभग 1000 करोड़ रुपए है। इस में से कुल कितनी वसूल की गई है ?

आयकर विभाग ने छिपाये गये इस्पात का पता लगाने के लिये जिंदल ग्रुप पर छापा डाला जिससे 2,56,90,662 रुपए की अघोषित आय तथा मारुति लिमिटेड में 12,000 इक्विटी शेयरों के बारे में सूचना मिली।

मोदी फ्लोर मिल्स की चोरबाजारी के बारे में भी चर्चा हुई है। उन्होंने 75 पैसे से 1 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं खरीद कर 3.50 और 4.50 रुपये प्रति किलो मैदा बेचा। श्री मोदी वही व्यक्ति हैं जो विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

नौकरशाही को दोषी ठहराने का कोई लाभ नहीं। उसे जो कहा जाता है वह करना पड़ता है। हमें मामले की जड़ तक पहुंचना चाहिए।

प्रधान मन्त्री ने स्वयं कई अवैध वस्तुओं के छोड़े जाने के आदेश दिये हैं। वह स्वयं पार्टी के लिये बड़े बड़े लोगों से धन एकत्र करती हैं।

लोक लेखा समिति ने एक सीमा शुल्क विभाग के उच्च अधिकारी पर दोष लगाया। उस अधिकारी ने बताया कि वह इतनी जानकारी देगा कि सभी दंग रह जायेंगे। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की चर्चा की गई है। कोका कोला कम्पनी के बारे में क्या किया गया है?

1960 में प्रति व्यक्ति दैनिक आय 24 पैसे थी। 1964 में योजना आयोग ने इस आय को 20 रुपए प्रति मास निश्चित किया तथा ऐसे लोगों की संख्या 25 करोड़ बतायी। योजना आयोग के एक सदस्य ने बताया कि 67 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से नीचे निर्वाह कर रहे हैं। अब यह प्रतिशतता बढ़ गयी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति और भी खराब है।

पश्चिम बंगाल के बीरभूम, नदिया, जलपाई गुडी, मालदा तथा 24 परगना जिलों के क्रमशः 87.9 73.39, 70.16, 85.06 और 79.84 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से भी नीचे निर्वाह कर रहे हैं।

साक्षरता घट रही है। 71 जिलों में साक्षरता 20 प्रतिशत से कम है और 37 जिलों में 15 प्रतिशत से कम है। कांग्रेस के 27 वर्ष के शासन के बाद यह स्थिति है।

1973 में 2.70 करोड़ सक्षम लोग पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से बेकार थे।

उप चुनावों को कब तक टाला जायेगा? आज स्थिति यह है कि आंध्र प्रदेश में मुख्य मन्त्री की गद्दी 75 लाख में खरीदी गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु को सुनने के बाद हमें सन्यास ले लेना चाहिए।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं समझता हूं कि प्रधान मन्त्री पर इस प्रकार के आरोप लगाना कि वह काले धन की उपज है तथा पार्टी के लिये धन एकत्र करती हैं और देश में सम्पूर्ण भ्रष्टाचार के लिये उन्हें उत्तरदायी ठहराना अनुचित है। (**व्यवधान**)

वित्त विधेयक महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं समझता था कि इस पर चर्चा करते समय आर्थिक पहलुओं पर ही ध्यान दिया जायेगा। परन्तु श्री बसु ने राजनीतिक उद्देश्यों से बातें कह दी है। वित्त विधेयक हो, बजट हो अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, वह अपने पुराने ढंग से अपनी बातें कहते हैं। कोई भी उनकी बातों को गम्भीरता से नहीं लेता।

वित्त मन्त्री ने बहुत ही विकट आर्थिक संकट के बीच वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है। आज अत्यन्त विकसित देश भी महान आर्थिक संकट में हैं। परन्तु इस तथ्य से मैं सन्तोष नहीं अनुभव कर सकता। हमें तो लोगों को खाना देने और आवास देने की चिन्ता है। हमारे देश के समक्ष चार समस्याएं अत्यन्त विकट हैं :

(1) बढ़ती हुई बरोज़गारी ;

(2) असहनीय ऊंचे मूल्य;

(3) आवश्यक वस्तुओं की लगातार कमी; तथा

(4) पूंजी निवेश के लिये पर्याप्त साधन

वित्त मन्त्री के पास आर्थिक संकट का मुकाबला करने सम्बन्धी एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपना कार्य बड़ी कुशलता से किया है और अनेक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की घोषणा की है। इस विकट स्थिति में वह अपना कार्य अधिक कुशलता से निभा सकेंगे यदि वे हमारे दल के राजनीतिक-आर्थिक दर्शन पर दृढ़ आस्था रखें। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये युक्तिसंगत वित्तीय तथा राजकोषीय नीतियां अपनाना जरूरी है।

वित्त मन्त्री ने गिरते भावों की चर्चा की है। अनुशासन तथा मितव्ययता सम्बन्धी उपायों के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। यदि मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को न रोकते तो यह हमारे संसदीय प्रजातन्त्र के लिए खतरा बन जाता। वित्तीय तथा राजकोषीय नीतियों पर नियन्त्रण बनाये रखना जरूरी है। हमें इस ढंग से चलना चाहिए कि हमारा आर्थिक विकास निरर्थक सिद्ध न हो।

लोग देश की समस्याओं के कई समाधान देते हैं। कुछ तो यह समझते हैं कि मिश्रित अर्थ-व्यवस्था मृत प्रायः है। यह लोग निजी क्षेत्र के समर्थक हैं। यह लोग भूल जाते हैं कि 80 प्रतिशत वस्तुएं तथा सेवाएं सरकारी क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहेगा। यह कहना गलत है कि सरकार एकाधिकार गृहों को सहायता देने के लिये सब कुछ दे रही है।

तीसरी तरह के लोग यह कहते हैं कि समृद्धि तथा आर्थिक विकास कानूनों और निर्वाचन पद्धति के सुधार करने, विधान सभाओं को भंग करने तथा पुलिस तथा सेना द्वारा संवैधानिक आदेशों के उल्लंघन से सम्भव होगा।

आर्थिक सर्वेक्षण में निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर विशेष बल दिया गया है। उत्पादन में वृद्धि वसुली कार्य तेज करना, कार्य कुशल जन वितरण प्रणाली। इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि कृषि के लिये बहुत ही कम राशि रखी गई है। इस वर्ष कृषि सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाओं के लिये 263 करोड़ रुपए व्यय किये गये हैं। हमें इस ढंग से चलना चाहिए जिससे कृषि कार्य में तेजी लाई जा सके। निर्यात में वृद्धि करने के लिये हमें वाणिज्यिक पैदावारों में भी वृद्धि करनी चाहिए। वर्ष 1974–75 में हमें 300 करोड़ रुपए अनाज के आयात पर व्यय करने पड़े। 3,060 रुपये प्रति टन के हिसाब से उर्वरक का आयात किया गया जब कि हमारे यहां उसका उत्पादन मूल्य 1,800 रुपए प्रति टन है। अर्थ-शास्त्रियों को विचार करना चाहिए कि क्या ऐसी स्थिति में सिंचाई कार्यों के लिये 263 करोड़ रुपए पर्याप्त हैं?

1969–70 से 1973–74 के दौरान औद्योगिक उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नहीं हुआ है। 8.8 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के स्थान पर हमारा उत्पादन 3.8 प्रतिशत ही रहा है। इसके दो मुख्य कारण रहे हैं। पहला कारण बिजली की कमी है। मुझे देश में बिजली की कमी के कारण समझ में नहीं आते। हम कुछ तापीय संयंत्र भी खोल सकते थे। दूसरी कठिनाई धन की कमी रही है।

औद्योगिक उत्पादन के लिये हमें ऐसे श्रम सम्बन्धी कानून बनाने चाहिएं जिसके अनुसार मजूरी का सम्बन्ध अधिक उत्पादन से किया जा सके। देश में इस बात पर बहुत निराशा हुई है कि आयकर से छूट की सीमा 7500 रुपए नहीं की गई जबकि रुपए की कीमत गिरती जा रही है। इस सीमा को न बढ़ा कर समाज के एक वर्ग को घाटे में न रखा जाये।

वित्त मंत्री ने बच्चों की पढ़ाई पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में कुछ रियायतों की घोषणा की है। ये रियायतें उन लोगों को भी दी जानी चाहिएं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं।

उत्पादन के मामले में वित्त मन्त्री ने प्रशंसनीय परिवर्तन किये हैं। यदि 1977 से पूर्व कोई धन किसी निधि में स्थानान्तरित किया जाता है तो उसे आगामी वर्षों के आकलन में नहीं लिया जाना चाहिए।

विधेयक में व्यवस्था की गई है कि यदि कम्पनी के पास लोगों की जमा पूंजी एक लाख रुपए है तो आयकर केवल 85,000 रुपए पर ही लिया जायेगा और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पूंजी निवेश कम्पनियों से बैंकों की ओर न जा सके। इससे तो बैंकों की कार्य कुशलता ही बढ़ेगी। बैंकों को अपने ग्राहकों की सेवा करनी पड़ती है। पूरा प्रश्न इस बात को लेकर उठता है कि आज राष्ट्रीयकृत बैंक लोगों के साथ सम्पक स्थापित नहीं कर रहे हैं।

कराधान कानून (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इसमें काले धन का पता लगाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण व्यवस्था की गयी है। इस विधेयक को इसी सत्र में पारित किया जाना चाहिए।

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra): The hon. Finance Minister wnile moving the Bill has announced certain concessions. These are welcome.

It would have been better if he had given relief in taxes on tea and bidis. Both these commodities are used by the common people in their daily life and these levies had adversely affected them.

Of late there has been reduction in prices of certain commodities. Also the availability of certain articles of daily use has improved. If this trend continues the people would feel some relief.

Majority of our population lives in villages. Unless the economic condition of the people in rural areas improved the economic condition of the country could not improve. The people in the villages mostly depend on agriculture. It is gratifying that the Finance Minister has held out a promise to pay special attention to the development of agriculture.

Traditional jobs which provided employment to village artisans are on the decline. Carpenters and blacksmiths have become agricultural workers. Thus there is wide-spread unemployment in rural areas. Agriculture does not provide jobs for the whole year. It is therefore necessary to set up small scale industries in the villages.

More and more rural people are coming to cities because city life attracts them. If we want to check the trend of shifting to cities, we should provide the facilities of city life in villages. That would also help in improving the economic condition of rural areas.

Eastern U.P. and adjoining areas of North Bihar are backward. People of this area depend on agriculture. For the development of agriculture Gandak Project is of great importance. The Central Government should take over the project and complete it because the State Government could not bear the expenditure on this Project.

Chhota Nagpur which is inhabited by tribals is rich in minerals like coal and mica. But the condition of the people of the area has not improved. Local people do not get even small jobs in H.E.C., Ranchi and Bokaro Steel Plant etc. This creates unrest among the people.

They should pay special attention towards the development of backward areas The people of these areas should not be allowed to be exploited.

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : कृषि विकास हेतु वित्तीय व्यवस्था करने का वर्तमान तरीका दोषपूर्ण है और यदि हम इसकी तुलना उद्योगों से भी करें तो भी यह न केवल दोषपूर्ण है बल्कि एक तरह से फजूलखर्ची भी है । हमें समझना चाहिए कि कृषि पर भी यदि उद्योगों की तरह धन लगाया जाये तो इससे सरकार तथा किसान दोनों की परेशानियां दूर हो जायंगी । मैं जानना चाहता हूं कि राज सहायता देने का तरीका कृषि के मामले में उचित था । क्या किसान को पैदावार के लिये अधिक दाम देना उचित नहीं था ? नकदी देने वाली फसलों के मामले में ऐसा ही किया जाना चाहिए ।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि तीसरी पचवर्षीय योजना के बाद देश में आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही जा रही है । रबी फसल के अच्छा होने के बावजूद भी इस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन 10 करोड़ 40 लाख टन से अधिक होने की सम्भावना नहीं है । दूसरे निर्यात में वृद्धि हुई है । फिर भी खाद्यान्नों के आधार पर लगातार निर्भर रहना हमारे लिये परेशानी पैदा कर सकता है । कुछ समय पहले हमारे निर्यात का घाटा 800 करोड़ रुपए था । हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या 1965–66 के बाद आय बढ़ाने के लिये सभी उपायों से काम लिया गया है ।

अत: अपने साधनों को बढ़ाने के लिये हम क्या कर रहे हैं ? उत्पादन में वृद्धि करने के लिये हम किस प्रकार के उत्पादन दे रहे हैं ।

हमें देश की समस्याओं का समाधान देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए ।

आशा है कि इस वर्ष 45 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा । यदि गन्ने पर 10 प्रति टन विकास लैवी लगायी जाये तो प्रति वर्ष 45 से 50 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे । इस समय न तो केन्द्र सरकार और न ही अधिकांश राज्यों के पास अधिक चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए धन है, परन्तु आवश्यकता पर आधारित एक कोष होना चाहिये जिससे भविष्य में चीनी कारखाने स्थापित किये जा सकें । चूंकि इस कोष को कर्जे के रूप में प्रयोग किया जायेगा और इसे कारखाने लगाने के लिए उपहारस्वरूप नहीं समझा जायेगा, अत: कर्जा वापस मिलने पर इसको पुन: प्रयोग भी किया जा सकता है । इस तरह आने वाले 10 वर्षों में यह कोष बढ़कर 700 करोड़ रुपये हो जायेगा । इस राशि से उद्योग की सारी आवश्यकताएं पूरी की जा सकेंगी । इससे नये कारखाने भी खुल सकेंगे, उनका पुनर्नवीकरण और विस्तार भी किया जा सकेगा । इस से उद्योगों का आधुनिकीकरण भी हो सकेगा । ऐसी स्थिति में इस कर को समाप्त कर दिया जायेगा ।

इस राशि का प्रयोग नकद फसलों जैसे कि कपास, तम्बाकू, मूंगफली, पटसन के लिये भी किया जा सकता है । कृषि पर आधारित उद्योगों में उर्वरक और उद्योग में सीमेंट बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं । सिंचाई के लिए भी धन की व्यवस्था करनी चाहिये । मैंने इसमें इसलिए योगदान दिया है क्योंकि मेरे विचार में हमारे देश में बहुत वित्तीय अनुशासनहीनता

है । वर्तमान वित्त मंत्री की इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिये कि उन्होंने अर्थ-व्यवस्था कुछ अनुशासन लाया है ? इस तरह से ही प्रत्येक उद्योग की सहायता की जा सकती है । अब यह सम्भव हो जायेगा कि प्रत्येक उद्योग के पास कुछ धन हो जायेगा और सरकार से मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी । कोष का निर्माण कर दिया जायेगा और यह कुछ वर्ष तक चलेगा फिर इतना हो जायेगा कि नये उद्योग खोले जा सकगे और उद्योग को आधुनिक रूप भी दिया जा सकेगा ।

मैं वित्त मंत्री से अपील करूगा कि वह मामले पर विचार करेंगे । मैं वह सारा पेपर बाद में प्रस्तुत कर दूंगा जिसे मैंने तैयार किया है । मुझे आशा है कि इससे देश में वित्त पोषण की नई व्यवस्था कायम होगी और आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था कायम की जायेगी ।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चण्डीगढ़) : वित्त मंत्री को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिये कि उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया है । इसमें कुछ विशेषताए है । सामान्यत: इसका स्वागत ही किया गया है ।

इस समय हमारी मुख्य समस्या उत्पादन है । हमारा प्रयास यह है कि हमारा उत्पादन बढ़े और खपत कम हो । उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से जितना धन सम्भव हो सके उसे लगाना चाहिये । सरकारी खर्च को कम से कम करना चाहिये । एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो यह छानबीन करे कि कहां सरकार को खर्च करना चाहिये और कहां बचत करनी चाहिये ।

कल हमारे उद्योग मंत्री के यह घोषणा की थी कि सीमेंट और भवन निर्माण सामान के प्रयोग पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है । मैं इसका स्वागत करता हूं । परन्तु हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि हमें कहां भवन निर्माण सामान का प्रयोग करना चाहिये । उदाहरण के तौर मैं यह बताना चाहता हूं कि चडीगढ़ में निर्माण काम चल रहा है । यद्यपि इस नये शहर का निर्माण हो चुका है फिर भी अनुमान है कि 30,000 लोग यहां बिना आश्रय के पड़े हुए हैं । जैसे जैसे शहर का विकास हुआ वैसे वैसे आश्रयहीन लोगों की सख्या भी बढ़ती गई और गन्दी बस्तियां भी बनती गई । इससे यह सकेत मिलता है कि हमारी नीति में कहीं न कहीं दोष है । हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि हम गरीब और आश्रयहीन लोगों की सहायता करें । हमें यह भी पता चला कि जब शहर का निर्माण हुआ तो हजारों लोगों की कृषि भूमि छीनी गई थी । उसके घरों तक को भी गिरा दिया गया था । किसी ने आज तक यह पता नहीं लगाया कि ये हजारो लोग कहां गये । किसान लोग और कोई काम तो कर नहीं सकते । बेचारे मजबूर होकर मजदूरों का काम करने लग गये । इस समस्या पर विचार करने और इनके लिए चिन्ता करने वाला कोई नहीं है । यही कारण है कि लोग बेचैन और निराश हो गये और अन्तहोगत्वा सरकार की आलोचना करने लग गये ।

ठीक नीतियां बनाना ही पर्याप्त नहीं है । नीचे के अधिकारियों को भी यह ज्ञान होना चाहिये कि हमारा लक्ष्य क्या है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी सहायता की जानी चाहिये । इन अधिकारियों को इस बात का पता होना चाहिये कि एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य लोगो को बसाना होता है, उजाड़ना नहीं ।

हमारी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के बारे में काफी विवाद चल रहा है । आज की स्थिति में यद्यपि हमने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपना लिया है तथापि यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि

हमें समाजवादी अर्थ-व्यवस्था को भी सबसे ऊपर उठाना है । जो यह समझते हैं कि मिश्रित अर्थ-व्यवस्था हमारा अन्तिम लक्ष्य है, वे लोग गलत हैं ।

उद्योगों पर जो नया उत्पादन शुल्क लगाया गया है, उससे छोटे-छोटे उद्योगों को मुक्त रखा जाना चाहिये । वित्तीय भार के अतिरिक्त इन लोगों को रोष इस बात का भी है, कि इनका कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां भी हैं । वे लोग बिना कारण संग्रह करने वाले अधिकारियों के पंजे में फस जायेंगे । इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये ।

गेंहू का जो वसूली मूल्य निर्धारित किया गया है वह पर्याप्त नहीं है । 105 रुपये क्विंटल के वर्तमान मूल्य को बढ़ाकर इसे 125 रुपये किया जाना चाहिये । हम चाहते हैं कि कृषि में सुधार हो और यह तभी हो सकता है जब किसानों को उचित प्रोत्साहन दिया जाये ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : वित्त मंत्री ने लघु उद्योगों समेत बहुत से उद्योगों पर लेवी लगाने का प्रस्ताव किया है । इसके अन्तर्गत उन्होंने मुर्गी पालन, ईटों के भट्टों, लोहा ढलाई और इंजीनियरिंग कम्पनियों को भी लिया है । उत्पादन कर लगाने के बजाय वित्त मंत्री को उनसे होने वाली आय का हिसाब लगा कर उनपर वार्षिक पंजीयन शुल्क लगा देना चाहिए था जिससे उत्पादन-कर इन्सपेक्टर को लघु उद्योगों के सम्बन्ध में परेशान न होना पड़ता इससे आय अधिक होती और व्यय कम ।

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है । परन्तु हाल ही के वर्षों में इसकी सर्वथा उपेक्षा की गई है और इसी कारण देश वर्तमान अभाव से गुजर रहा है ।

पंजाब सरकार ने केन्द्र को जो सिंचाई योजनाएं भेजी थी उनकी या तो उपेक्षा कर दी गई या पूरी मदद नहीं की गई । छोटी योजनाओं के लिए उसे केन्द्र से प्रस्तावित सहायता नहीं मिल रही है । 1964 में बनाई गई थीयन बांध की योजना अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है । इनमें केवल 100 करोड़ रुपये व्यय होने का मामला है और इसे केन्द्र आसानी से दे सकता है । इससे पंजाब में पानी ही पानी हो जाएगा और हम 17 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकेंगे तथा केन्द्र को 26 लाख टन अनाज दे सकेंगे । सरकार इस ओर अब उचित ध्यान दे ।

पंजाब में सरहिन्द नही कोंडी क्षेत्र के आस-पास 2500 गहरे कुएं खोदे जा रहे हैं । इनसे भटिण्डा और फिरोजपुर जिलों के सूखाग्रस्त इलाके को पानी मिलेगा । इससे बड़ी मात्रा में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी । केन्द्र हमे सीधे या वित्तीय संस्थाओं की मार्फत मदद दे सकता है ।

पंजाब में एक भी भारी उद्योग नहीं है । सभी लघु उद्योग हैं । हमने पंजाब में 36,000 छोटी फैक्टरियां लगाई हैं । परन्तु वहां कोयले और कच्चे माल की कमी है । ये अभाव हमारी फैक्टरियों को बन्द होने को वाध्य कर रहे हैं । मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें ।

मुझे खेद है कि आई० एफ० सी०, आई० डी० बी० आई० आदि किसी भी संस्थान ने पंजाब में निवेश करने की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । महाराष्ट्र में 1972–73 में उन्होंने 64 करोड़ रुपये का निवेश किया जब कि पंजाब में कुल 4 करोड़ रुपये का। इस प्रकार सरकार पंजाब को पिछड़ा क्षेत्र बना रही है ।

कृषि की उपज का अच्छा मूल्य मिलने के कारण भूतकाल में बैंकों में जमा राशियां बढ़ रही थीं परन्तु जब कि पंजाब में प्रति व्यक्ति बैंकों में 286 रुपये जमा किए गए बैंकों ने पंजाब में केवल 95

रुपए प्रति व्यक्ति का निवेश किया । यह अखिल भारतीय औसत से कहीं कम है । भारत का औसत 102 रुपए जमा तथा 102 रुपए ही निवेश का है । यह बहुत ही अनुचित है ।

जीवन बीमा निगम को प्रीमियम के रूप में पंजाब से बड़ी राशि मिलती है, परन्तु उसका निवेश नगन्य सा है । पंजाब से जीवन बीमा निगम और बैंक बहुत सा रुपया बाहर ले जाते हैं । परिणामत: पंजाब जैसा चाहिए वैसी उन्नति नहीं कर रहा है । क्या केन्द्र पंजाब को इस लिए दण्डित करना चाहता है क्योंकि उसने अपने श्रम से कई अन्य राज्यों से अधिक अनाज पैदा किया है ?

पंजाब की तीन आवश्यक बिजली योजाएं केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की स्वीकृति के लिए पड़ी हैं । उन्हें स्वीकृति मिलने पर पंजाब की बिजली की समस्या निश्चित रूप में हल हो जाएगी । वित्त मंत्री इस समस्या की ओर ध्यान दें । पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है । गत तीन युद्धों के दौरान पंजाब को काफी हानि उठानी पड़ी । आप को पता है कि युद्ध से राज्य के लिए कितनी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं । हमने केन्द्र के भण्डार के लिए अनाज पैदा किया है और मुझे यह कहते हुए गर्व है कि पंजाब ने सबसे अधिक अनाज केन्द्र के भण्डार के लिए दिया है । अकाल और सूखे की स्थिति में हमने अपनी मांगों को कम करके दूसरे क्षेत्रों को अनाज भेजा है ? पंजाब के इन बलिदानों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री इसकी समस्याओं पर विचार करेंगें । ये समस्याएं बहुत छोटी हैं । हम बड़ी परियोजनाएं नहीं चाहते । हम सिंचाई योजनाओं और बिजली योजनाओं के लिए थोड़ा सो पूंजी निवेश चाहते हैं ।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu): The Finance Minister has announced a number of concessions this morning. These concessions are welcome, especially the one relating to Khandsari. I will request the Finance Minister to find out the officers who first advised him to impose the levy and then to withdraw it. Do these officers want that the representatives of the Khandsari units from all over the country should come here to plead their case and then this is done? Such a step should not have been taken.

Although the entire economy of our country is based on agriculture, Government have not given adequate attention to agriculture. Inspite of the fact that 80 per cent of our population depends on agriculture, Government have been spending very little on agriculture. The result is that we have not yet been able to achieve the desired growth rate.

So far as our taxation system is concerned, we have hoped that it will be able to prevent the concentration of wealth in a few hands. But what we find after 25 years is that the concentration of wealth has even more increased. Then how can we hope to reach the goal of socialism about which so much is being said?

Our taxation system is very complicated and the rate of taxation is also very high. It is high time Government pay attention to it and completely revise it so that our people can live honestly.

At present there is too much tax evasion and black money is increasing. This question has been raised several times in the past and several committees have also been appointed to go into it. But so far no significant results have been achieved. Of course, the fiscal measures adopted last year have checked inflation to some extent and there have been some stabilisation in prices. But we should not stop there. The present trend is mostly due to the fact that our paying capacity has gone down. The real solution of the problem of inflation lay in increasing production especially agricultural production.

For increasing agricultural production it is not enough that the necessary inputs are made available to the farmers, a remunerative price should also be offered to them. Unfortunately, the price offered for long staple cotton is likely to have an adverse effect on production.

At present there are some talks going on about levying tax on agricultural income. A beginning has been made in this direction by levying tax on poultry, dairy-farming and live-stock breeding. In this regard it is necessary that the income tax law is simplified and the farmers are not required to file the returns, etc. Whatever the Government want to realise should be recovered directly without undergoing these formalities which the farmers are not expected to understand.

At present there are huge losses in the public undertakings, they should be run efficiently so that this loss is not incurred.

The present exemption limit of income-tax is Rs. 6000/-; it should be raised to Rs. 10,000/-.

Some rebate on excise duty should be given on the inferior variety of tobacco grown in Rajasthan.

In the end I will again say that every possible effort should be made to increase agricultural production and reasonable price should be paid to farmers for their produce so that they can increase production.

"उत्तर प्रदश के गाजीपुर जिले में हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में

Re. atrocities on Harijans in Ghazipur District of Uttar Pradesh.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): In the morning I raised a matter that in my district 300 houses of Harijans have been burnt and two persons have been killed. People are living in the open. Police are doing nothing. The Speaker told that the Home Minister would make a statement today. I would like to know whether he is going to make a statement today.

Mr. Chairman: This matter was raised in the morning. At present the Minister for Parliamentary Affairs is not present. He will be informed as soon he comes.

Shri Sarjoo Pandey: The Minister for Parliamentary Affairs has come. My submission is that in my district 300 houses belongng to Harijans have been burnt and two persons have been killed. All the persons are living in the open. No arrangements have been made for them. Police is doing nothing. I was given an assurance by the Speaker that a statement would be made by the Minister concerned. I would like to know whether a statement is going to be made today.

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं गृह मंत्री जी से मिल कर इसकी सूचना उन्हें दे दूंगा ।

वित्त विधेयक, 1975—जारी

Finance Bill, 1975—*contd.*

श्री के० सुर्यनारायण (एलुरु) : हमारे देश का विकास कृषि विकास पर निर्भर है । कृषि विकास भूमि सुधारों पर निर्भर है । इस बारे में कुछ कानून बनाये गये परन्तु उन्हें पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया । सरकार गम्भीरता से यह प्रयास भी नहीं कर रही कि उन्हें कार्यान्वित किया जाय ।

किसान दुविधा में हैं । वे यह समझ नहीं पा रहे कि उनके पास कितनी मात्रा में कृषि भूमि अथवा कृषि आय रहेगी । इस कारण बहुत से राज्यों में इसी के कारण कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव

रहा है । औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में मजूरी की राशि निश्चित है, परन्तु कृषि मजदूर के लिये इस सम्बन्ध में अभी गारन्टी नहीं दी गई कि उन्हें क्या दैनिक मजूरी दी जाय । इसके साथ ही औद्योगिक मजूरों को आवश्यकता की चीजें नियंत्रित दरों पर मिल जाती हैं, परन्तु कृषि मजूर इस सुविधा से भी वंचित हैं ।

बहुत से राज्य भारतीय खाद्य निगम के कार्यों से असन्तुष्ट हैं । इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिये । हरियाणा सरकार को क्यों निगम के विरुद्ध अदालत में जाना पड़ा ? भारतीय खाद्य निगम ने बिक्री कर क्यों नहीं दिया ? यह भी बताया गया है कि 11 करोड़ रुपये का आयकर माफ़ कर दिया गया है । कल राज्य मंत्री ने बताया था कि दिसम्बर, 1971 में आयकर की बकाया राशि 576 करोड़ रुपए थी, जब कि 1973–74 में यह 471 करोड़ रुपए रह गई है ।

दोषी फिल्मी कलाकारों को पद्मश्री तथा पद्मभूषण से सम्मानित किया जाता है । मगर ये लोग कर अपवंचन करते हैं । सरकार इस पर ध्यान दे ।

अनाज के आयात पर व्यय प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है । वर्ष 1971–72 में 31 करोड़ से बढ़ कर 1973–74 में 471 करोड़ रुपये हो गया । क्या ऐसा करके हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं । मंत्री महोदय द्वारा इसकी पूरी तरह जांच करानी चाहिए । मूल्य बढ़ रहे हैं और राज्य सरकारों के पास धन नहीं है । केन्द्र सहायता देने की स्थिति में नहीं है । यदि आन्ध्र प्रदेश को उसकी सिंचाई योजनाओं के लिये 3–4 वर्ष के लिये 100 करोड़ रुपया मिल जाये तब राज्य 10 लाख टन अनाज देने में समर्थ हो सकता है ।

सरकार द्वारा दी गई निधि का उचित नियंत्रण और देख-रेख नहीं होता । सूखा राहत के लिये धन से बिहार सरकार ने कारें खरीदी हैं । केन्द्र इस बात का ध्यान रखे कि किसी कार्य के लिये दिया गया धन उसी मद के लिये व्यय किया जाय ।

चीनी उद्योग से हमें काफ़ी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । परन्तु हमारी उत्पादन क्षमता केवल देश की 7 इकाइयों पर ही आधारित है । पूरे देश में 60 लाइसेंस जारी किये गये हैं जिनमें से 13–14 लाइसेंस केवल आन्ध्र प्रदेश को ही दिये गये हैं । इस क्षेत्र को कोई सरकारी सहायता नहीं दी जा रही । इतनी विदेशी मुद्रा कमाने वाले उद्योग को सरकारी सहायता दी जानी चाहिये । चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के मामले पर सभी दल सहमत हैं । गैर-सरकारी क्षेत्र में चीनी की वसूली उचित रूप में नहीं हो पा रही ।

हमें उत्पादक तथा उपभोक्ता के सहयोग से सहकारी समितियां स्थापित करनी चाहिए, जिनमें सभी लाभ फ़ैक्ट्रियों के मालिकों को ही न मिलें, प्रत्युत दोनों वर्गों को लाभ मिल सके ।

सामान्य बीमा निगम के अधिकारियों ने सरकार को बार बार अभ्यावेदन दिया है । उनकी कुछ कठिनाइयां एवं शिकायतें है उन्हें श्रेणी तीन के कर्मचारियों से कम मिल रहा है । उन्होंने 14 मई, से हड़ताल करने की सूचना दी है । वित्त मंत्री उनकी शिकायतों पर ध्यान दें तथा उन्हें दूर करने का यत्न करें ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। पिछले कुछ समय से हमारी अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त रही है, जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसे रोकने के लिये वित्त मंत्री ने प्रभावी कदम उठाये हैं। आशा हैं इस वर्ष भी मूल्य स्थिर रहेंगे। बजट काफी व्यावहारिक है यद्यपि इसमें नाकारात्मक नीति अपनाई गई है। वे अधिक से अधिक ऋण प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उनका कहना है कि गैर सरकारी क्षेत्र में धन की कमी के कारण औद्योगिक माल के उत्पादन में गिरावट होगी। मैं उनके इस निराशावादी रुख से सहमत नहीं हूं। उद्योगपति और व्यापारी अनुसूचित बैंकों से आसानी से ऋण मिलने के कारण सट्टेबाजी करने लगे थे। यह स्थिति अब नहीं है।

सरकार गेहूं की जमाखोरी रोके। व्यापारियों के लिये अधिकतम मूल्य निश्चित कर दिये जायें और चोर बाजारी न होने दी जाये। बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगार लोगों के पास आवश्यक वस्तुयें खरीदने के लिये कोई साधन नहीं है। सामान्य औद्योगिक प्रगति से उन्हें काम मिल सकता है। बजट में इसके लिये उपबन्ध किया जाना चाहिये था।

ऋण सुविधाओं पर रोक लगाये जाने के कारण मध्यम वर्ग के लोगों को बैंकों से ऋण नहीं मिल रहा। ऋणों पर रोक लगाने की भारत सरकार की नीति का सब से बुरा प्रभाव इन लोगों पर ही पड़ा है। सरकार बड़े उद्योगपतियों को ऋण देने पर रोक लगाये पर इस वर्ग के मामले में इतनी सख्ती न बरती जाये। इस नीति को कुछ उदार बनाया जाना चाहिये।

यह प्रसन्नता की बात है कि कृषि और सिंचाई के लिये अधिक धन दिया गया है। यदि कृषि उत्पादों का मूल्य स्थिर हो गया तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिक उत्पादों का मूल्य भी नियंत्रित हो जायेंगे। परन्तु अभी तो औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य के कम होने के कोई आसार नहीं नजर आते।

यदि कृषि उत्पादों के मूल्य अचानक फिर गिर गये तो इसका सीधा असर कृषि पर निर्भर करने वाले 70 प्रतिशत जनता पर पड़ेगा। कृषि उत्पादों का मूल्य गिरने पर कृषि श्रमिकों की मजूरी भी कम होगी और फिर हम उनकी स्थिति को सुधार नहीं सकेंगे। सरकार इस सम्बन्ध में सावधानी बरते।

Shri Rudra Pratap Singh (Barabanki): I support the Finance Bill. The policy that the Finance Bill lays down attracts us to found out the society we are building. It has always been the goal of the Congress party to abolish the social and economic inequalities. It is hearing that the Government has taken radical steps in that direction. It is hoped that in future also, these measures would be supplemented by such acts, as fixation of ceiling on urban property and nationalisation of sugar mill with a view to eleminating all sorts of disparities.

The rising prices are a great problem for our countrymen. The urban people put the entire blame for it on agriculturists but the fact is that big capitalists purchased goods from them at low prices and sold them at very high prices. The Government should note this fact and adopt such policies as established harmony and good-will among the rural and urban people. When we fixed up a ceiling of 18 acres of land then no family should have an income more than accruing from a land of 18 acres. That is the social justice. The Government should pay special attention to this matter.

The measure taken by the Government against smugglers were welcome. But the action taken against them is inadequate. Still more stringent action against them is called for.

The taxation proposals put fourth through the Finance Bill are welcome, but the taxes on rich people are very little. The rules of tax on them should be fixed at a higher level.

The reactionaries, leftists and the capitalists in order to create obstacles in the task of elemination of economic inequalities have to create a climate of violence and anarchy in the country posing a serious threat to democracy. The Government should give a serious thought to the matter.

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई–उत्तर पूर्व) : वित्त मन्त्री ने अपने वक्तव्य में यह बात सिद्ध करने की चेष्टा की है कि बजट प्रस्तावों के कारण मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई । वित्त मन्त्री ने आज कुछ रियायतों की भी घोषणा की जिन से उत्पादन बढ़ने की सम्भावना है । परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं हैं । प्रत्यक्ष करों पर राहत भी प्रभावशाली नहीं है । बुनाई के दामों पर 50 प्रतिशत की राहत दी गई है । मूल प्रस्ताव के अनुसार शुल्क 20 रुपए प्रति किलो था । अब इसे 10 रुपए कर दिया गया है । यह भी कहा गया है कि सरकार ने 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर लागत वाले कृत्रिम धागों पर शुल्क लगाने का विचार छोड़ दिया है । लेकिन क्या इससे तस्करों की गतिविधियों पर कोई अन्तर पड़ेगा, जो पिछले सप्ताहों के अन्दर बहुत बढ़ गई हैं । वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि बजट से पहले अन्तर्राष्ट्रीय तथा देश के भीतर के मूल्यों का अनुपात 1 : 3 था जो बजट के बाद 1 : 3 : 5 हो गया है । यह सच नहीं अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में इतनी कमी हुई है तथा देश के मूल्यों में इतनी वृद्धि हुई है कि अनुपात 1 : 5 से बढ़ कर 1 : 10 हो गया है ? वित्त मन्त्रालय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि इस राहत द्वारा तस्करी की गतिविधियों में कितनी कमी होगी । इस दृष्टिकोण से यह राहत अपर्याप्त है । हैंडलूम तथा पावरलूम के बुनकरों को इस राहत की अत्यन्त आवश्यकता है । उत्पादन शुल्क 20 रुपए से 10 रुपये तक कम करने से रेयन सूत निर्माता उद्योग को अधिक राहत नहीं मिली है । इस उद्योग को अधिक राहत की आवश्यकता है ।

कपड़े पर लगाये गये उत्पादन शुल्क से उत्पादन मूल्यों तथा रोजगार पर प्रभाव पड़ा है । कपड़ा मशीनरी निर्माता भी दयनीय दशा में हैं । उनके 15 से 20 करोड़ रुपए तक के बिल अभी तक भी बकाया पड़े हैं क्योंकि बैंक इसके लिए ऋण नहीं दे रहे हैं ।

बीड़ी उद्योग एक रोजगार देने वाला उद्योग है । साथ ही यह एक देहाती उद्योग है । वित्त मन्त्री ने आज इस उद्योग के लिए कोई राहत की घोषणा नहीं की है । एक प्रस्ताव है कि प्रत्येक एक हजार बीड़ी पर एक रुपये का कर लगाया जाय । यह प्रस्ताव नया नहीं है । 13-14 वर्ष पहले भी ऐसा प्रस्ताव आया था, परन्तु बाद में उसे अव्यवहारिक समझ कर छोड़ दिया गया था । परन्तु इसके साथ ही भ्रष्ट कार्यवाहियां आरम्भ हो गई। इस बार उसे और भी जटिल बना दिया गया है क्योंकि सरकार ने तम्बाकू पर ड्यूटी को 4.60 रुपये से कम करके 3 रुपये कर दिया है और अब वह हानि को पूरा करना चाहती है । बीड़ी निर्माताओं पर यह ड्यूटी लगाकर 8 करोड़ रुपये की हानि पूरा करना चाहती है । बीड़ी उद्योग दूर-दूर ग्रामों में चल रहा है । यह बात कोई नहीं जानता कि वे कर-निर्धारण और उत्पादन के बारे में कहां तक सही रिपोर्ट देंगे । कर वसूल करने में जो व्यय होगा उसका भी किसी को पता नहीं । सरकार को प्रति 1000 बीड़ी पर 1 रुपये की ड्यूटी को जारी रखने के अपने रवैये पर पुनर्विचार करना

चाहिये। बीड़ी उद्योग को सिगरेट उद्योग से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है जो मशीनों द्वारा बनाई जाती हैं। चूंकि तेंदू पत्ता का मूल्य बढ़ गया अतः बीड़ी बनाना निर्माताओं के लिये अलाभप्रद होता जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो इससे सभी प्रकार का भ्रष्टाचार होगा। मैं वित्त मन्त्री से इस पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं।

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : मैं वित्त विधेयक में दिये गये प्रस्तावों का स्वागत करता हूं। वित्त विधेयक के अन्तर्गत कर प्रस्तावों द्वारा 10,767 करोड़ रुपये की आय होगी जिसमें से 5,458 करोड़ की आय करों से होगी और 1,656 करोड़ रुपये की आय करों को छोड़कर अन्य साधनों द्वारा होगी। वित्त विधेयक प्रस्तुत करते समय माननीय मन्त्री ने संकेत दिया है कि मूल्य वृद्धि को रोका गया है। वास्तव में समूचे देश में मूल्य वृद्धि रुकने की प्रवृत्ति देखी गई है। सभी स्तरों पर थोक भाव कम हुए हैं।

मेरे विचार में उत्पादन उद्देश्यों तथा वितरण उद्देश्यों से दिये गये ऋणों के बीच कोई अन्तर नहीं है। राष्ट्रीय बैंकों की ऋण देने सम्बन्धी नीति को बहुत कड़ी कहा गया है। परन्तु यदि उत्पादन कार्यों को ऋण के अभाव में क्षति पहुंचे तो इसका प्रभाव उत्पादन कार्यक्रमों पर भी अवश्य पड़ेगा। पांच वर्ष पूर्व इस देश में कुल 1,400 करोड़ रुपये के काला धन होने का अनुमान था। क्या यह सच नहीं है कि बैंक ऊंचे ब्याज की दर के अलावा ऋण नहीं देते और लोग काले धन वालों की दया पर निर्भर हैं? क्या देश की अर्थव्यवस्था में उनका बोलबाला नहीं है? मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह उत्पादन कार्यों के लिए दिये जाने वाले ऋण पर रोक सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार करें।

जहां तक प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है, केवल 40 लाख लोग प्रत्यक्ष कर दे रहे हैं। जन साधारण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 96 प्रतिशत लाभ प्रत्यक्ष करों से प्रभावित नहीं होते। अप्रत्यक्ष करों से सर्वसाधारण प्रभावित होता है। इन कोषों से उपयोग के बारे में हमें आपत्ति है। इनके वसूल करने पर हमें आपत्ति नहीं है। फिजूल खर्ची पर लोग आपत्ति करते हैं। प्रश्न राशि वसूलने का नहीं है अपितु इसके उपयोग का है। 27 वर्षों से चली आ रही नौकरशाही इस काम को करने में अयोग्य सिद्ध हुई है। महालेखा परीक्षा भी व्यय पर निगरानी रखने में अयोग्य सिद्ध हुआ है।

आज हमारे देश में सरकारी क्षेत्र में, संयुक्त क्षेत्र में, राष्ट्रीय क्षेत्र में और राज्य क्षेत्र में उद्योग चल रहे हैं। जब तक हम संवैधानिक संशोधनों द्वारा व्यय पर नियन्त्रण नहीं करते, जब तक हम अर्थ-व्यवस्था को चलाने वाली मशीनरी को सुचारू नहीं बनाते तब तक हमें अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो सकते। सरकार की आर्थिक नीतियां सुसंगत होनी चाहिये। हमें सभी क्षेत्रों को विनियमित करना चाहिये और उन सब को उत्पादन के बारे में कहना चाहिये। यदि आप के पास फालतू है तो उसे निर्यात किया जाये, परन्तु उत्पादन बढ़ाया जाये। हमारे संविधान में स्टेट पालिसी के निदेशक तत्वों में कहीं भी "उत्पादन" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। यह शर्मनाक बात है। हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। जब तक हमारे यहां समाजवादी अनुशासन नहीं होता, जब तक हमारी विचारधारा समाजवादी नहीं होती जब तक हम उत्पादन नहीं बढ़ाते तब तक समाजवाद नहीं आ सकता। हमारे सभी कार्यक्रम उत्पादन बढ़ाने वाले होने चाहियें।

श्री बयालार रवि (चिरायिनकील) : खेद की बात तो यह है कि जो समाजवाद का अर्थ तक नहीं जानते वे समाजवाद की बात करते हैं। केवल उत्पादन ही समाजवाद का मानदण्ड नहीं है। वस्तुतः

हमारी अर्थ व्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी नहीं मिश्रित अर्थ व्यवस्था में पूंजीवाद की बुराइयां होती हैं और इससे समाजवादी वर्ग नहीं बन सकता । और समाजवादी समाज की रचना नहीं हो सकती ।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी आर्थिक परिस्थितियां बेहतर हैं। गत वर्ष यह कहा गया था कि विकासशील देश गम्भीर आर्थिक संकट से नहीं निकल सकेंगे । लेकिन देखने में आया है कि समाजवादी देशों के अतिरिक्त विश्व के सभी पूंजीवादी देशों के समक्ष भी आर्थिक संकट है और उसका दुष्प्रभाव इस देश पर भी पड़ा है ।

इस सदन में जब अनिवार्य जमा योजना के बारे में विधेयक पेश किया गया था तो सरकार की आलोचना की गई थी लेकिन अब सरकार की विचारधारा सही सिद्ध हुई है। मुद्रास्फीति को रोकने के सरकारी उपाय सफल हुए हैं । उसके लिए वित्त मन्त्रालय बधाई का पात्र है ।

तस्करी एवं चोरबाजारी के विरुद्ध सरकार द्वारा चलाए गए अभियान भी सफल हुए हैं। प्रतिपक्ष द्वारा सरकार की इस कार्यवाही की आलोचना भी की गई और 'आंसुका' का विरोध किया गया। लेकिन अब देखने में आया है कि 'आंसुका' के डर से तस्करी चोर बाजारी रुक गई है और वस्तुओं के मूल्यों में भी कमी आई है ।

ऋण प्रतिबन्ध के भी अच्छे परिणाम निकले हैं । इससे सरकार को अर्थ व्यवस्था को नियन्त्रित करने में सहायता मिली है । लेकिन सरकार से मेरी अपील है कि वह इसका अंधाधुंध प्रयोग न करे। देश में ऐसे कई लघु उद्योग हैं जिनको ऋण एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता है ।

अनिवार्य जमा योजना एवं लाभांशों पर रोक लगाने की भी वांछित परिणाम प्राप्त होंगे । सरकार अपने प्रयास जारी रखे ।

मैं न्यायपालिका की आलोचना करना नहीं चाहता । लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि यह देश के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं की उपेक्षा कर तस्करों को तकनीकी आधार पर रिहा कर रही है । यह कहां का न्याय है ? बखिया आदि बड़े तस्करों को छोड़ने एवं सरकार को उच्चतम न्यायालय में अपील की अनुमति न देने से उच्च न्यायालय के रवैये पर सन्देह उत्पन्न होना शुरू हो गया है । उच्च न्यायालय और न्यायपालिका को सामाजिक विचारधारा से अलग होकर नहीं चलना चाहिए । न्यायपालिका यदि यह जानती हुई भी कि तस्कर और आर्थिक अपराधी देश की अर्थ व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, उन्हें छोड़ देती है तो यह उनके लिए शर्मनाक बात है । मैं न्यायपालिका पर आरोप नहीं लगा रहा लेकिन न्यायपालिका को यह देखना चाहिए कि 'आंसुका' का उद्देश्य क्या है ।

काला धन बाहर निकालने के प्रयास में लगी सरकारी एजेन्सियां बधाई की पात्र हैं । केवल घरों पर छापा मारने से ही काला धन समाप्त नहीं हो सकता । सरकार को यह भी देखना चाहिए कि काला धन किस स्रोत से इकट्ठा किया जा रहा है और कहां व्यय किया जा रहा है । आशा है मन्त्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे ।

क्षेत्रीय फिल्मों पर उत्पाद शुल्क लगाने का स्वागत है । लेकिन खण्ड 1 में यह कहा गया है कि 15 प्रिन्टों पर तो उत्पाद-शुल्क नहीं लगेगा और 16वां प्रिन्ट तैयार होते ही सभी 16 प्रिन्टों पर उत्पाद-शुल्क लगेगा । यह तो मूर्खता की बात है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : क्या माननीय सदस्य ने संशोधन नहीं देखा ?

श्री वयालार रवि : जी, नहीं ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : 'यथापूर्व स्थिति' बनी हुई है ।

श्री वयालार रवि : मैं चाहता हूं कि 15 प्रिन्टों के बाद प्रत्येक प्रिन्ट पर अलग से उत्पाद-शुल्क लगाया जाए । मैं क्षेत्रीय फिल्मों के विकास में रुचि रखता हूं । नारियल जटा के 30 करोड़ रुपये के उत्पादन पर 10,000 रुपये उत्पादन-शुल्क एकत्र करने का प्रस्ताव है और यह राशि एकत्र करने पर सरकार लाखों रुपया कर्मचारियों के वेतनमानों और भत्तों पर व्यय करेगी । इससे तो अच्छा है कि सरकार उत्पादन-शुल्क न ही लगाए । सरकार ने शिक्षा पर भी लेवी लगा दी है । यह अत्यन्त खेद की बात है । सरकार से मेरा निवेदन है कि नारियल-जटा, शिक्षा और बीड़ी पर उत्पादन-शुल्क हटा लिया जाए ।

निर्यात-संवर्द्धन के नाम पर विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी चल रही है । निर्यात हो रहा है अथवा नहीं, इसकी जांच करने वाला कोई नहीं है । विदेशी एकाधिकार ग्रुपों ने अपनी क्षमता तीन गुना बढ़ा ली है और इस पर भी सरकार कहती है कि वह उनको रोकने में असमर्थ है । इसके कारण 2,000 स्वदेशी उत्पादकों को हानि हो रही है और उनको का रखाने बन्द करने की नौबत आ गई है । क्या सरकार के पास विदेशी एकाधिकार ग्रुपों के विस्तार को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है ? इन निर्यात गृहों को आयात लाइसेंस एवं अन्य प्रोत्साहन दिए जाते हैं । लेकिन खेद की बात है कि ये लाइसेंस आगे एकाधिकार निर्यात गृहों को भेज दिए जाते हैं । सरकार ये लाइसेंस देना बन्द ही क्यों नहीं कर देती ?

सरकार विदेशी मुद्रा कमाने वाले उद्योगों की उपेक्षा कर रही है । समुद्री उत्पाद उद्योग की वस्तुओं के निर्यात से हमें 93 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती है लेकिन फिर भी इस उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा । इस पर विचार करना चाहिए ।

भारतीय नौवहन निगम ने 105 लाख रुपये के मूल्य के तीन टैंकर खरीदे हैं । परन्तु इन टैंकरों को रखने की व्यवस्था नहीं की गई है । प्रधान मन्त्री ने कोचीन में यह घोषणा की थी टैंकरों के लिए लंगरगाह की व्यवस्था की जाएगी । लेकिन ऐसा हुआ नहीं । मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि लंगरगाह की व्यवस्था की जाए ।

मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे और लेवी को वापिस ले लेंगे तथा मूगर-टैंक लंगरगाह की व्यवस्था करेंगे ।

Shri Chandra Shailani (Hathras): Our country is economically backward. Even after 27 years of independence, 40 per cent people of India are living below poverty line. They cannot make both ends meet and they have no cloth to wear what to talk of education and medical facilities.

After indepence we have made progress in the field of industry, Science, technology etc. but the benefit of progress have not accrued to the poor. I agree that large number of industrial units have been established after 1947 and there people have become prosperous, who were not worth Rs. 100 previously. But their number is few. Condition of people living in backward area is very miserable. Even in Delhi. along with the Sky scrappers we can see Jhuggi Jhonpries.

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अपना शेष भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं ।

दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: RECOGNITION OF PRG OF SOUTH VIETNAM

सभापति महोदय: अब विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री दक्षिणी वियतनाम की क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देने के बारे में वक्तव्य देंगे ।

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : सभापति महोदय, सदन को स्मरण होगा कि विदेश मन्त्रालय अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान विदेश मन्त्री ने बताया था कि भारत सरकार वियतनाम की बदलती हुई स्थिति पर नजर रखे हुये है और वह उचित समय पर ठीक कदम उठाएगी । लगता है वह उचित समय अब आ गया है । दक्षिणी वियतनाम के तत्कालीना राष्ट्रपति जनरल मिन्ह न दक्षिणी वियतनाम की क्रान्तिकारी सरकार को प्रशासन सौंप दिया है ।

भारत सरकार ने इस सरकार के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय किया है । हमने हनोई में नियुक्त अपने कार्यदूत को निदेश दिया है कि वह इसकी सूचना उस सरकार को दे दे । भारत सरकार ने दिल्ली में नियुक्त दक्षिण वियतनाम के महापरामर्शदाता को यह सलाह देने का निर्णय दिया है कि जब तक वह अस्थायी क्रांन्तिकारी सरकार के प्रति अपना समर्थन प्रकट नहीं करता और वह सरकार इस भारत का प्रतिनिधि नहीं मान लेती तब तक उसका मिशन समाप्त करना होगा और उसे जितनी जल्दी हो सके भारत छोड़ना होगा ।

भारत तथा भारतवासी वियतनाम के लोगों की संघर्ष में प्राप्त सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करती है और निस्सन्देह सदन भी इस प्रसन्नता में शरीक होगा ।

सभापति महोदय : अब सभा 2 मई, 1975 तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 2 मई, 1975/12 वैशाख, 1897 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, May, 2, 1975/ Vaisakha 12, 1897 (Saka)

GMGIPND-RSII-1237-L.S-9-9-75-200

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]